


डा. कृष्णदत्त अवस्थी
प्रो. यतीन्द्रनाथ तिवारी

काव्यशास्त्र

काव्यशास्त्र

(भारतीय-पाश्चात्य काव्य-मिथ्यान्तों एवं
काव्यरूपों का विस्तृत विश्लेषण)

डॉ० कृष्णदत्त अग्रवाणी
प्रो० यतीन्द्रनाथ तिवारी
हिन्दी-विभाग
अध्यापकनायक मैट्रिक कॉलेज
बोटा

 प्रकाशनालय
राजकोट, राजस्थान ३२

सामान्य संस्करण
८.००

विद्यार्थी संस्करण
६.००

पुस्तक

काव्यशास्त्र

संक्षेप

डॉ० कृष्णदत्त अवस्थी

प्रो० यतीन्द्रनाथ तिवारी

प्रकाशक

प्रत्यूष प्रकाशन, कानपुर-१२

मुद्रक

आराधना प्रेस, कानपुर-१२

प्रकाशन काल

जनवरी, १९७२

संस्कृत से अनभिज्ञ छात्रों को इन ग्रंथों के हिन्दी-अनुवादों की आवश्यकता अनुभूत हुई । परिणामतः हिन्दी-अनुवाद भी प्रकाशित हुए । पं० शालिग्राम शर्मा आचार्य विशेषकर, पं० रामदहिन मिश्र, पं० बल्देवजी उपाध्याय, पं० सीताराम जी चतुर्वेदी, आचार्य नगेन्द्र आदि के नाम इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैं । स्वतन्त्र रूप से भी काव्यशास्त्र पर हिन्दी में कई ग्रंथ निकल चुके हैं । प्रस्तुत ग्रंथ 'काव्यशास्त्र' इन्हीं स्वतन्त्र हिन्दी के काव्यशास्त्रों में स्थान पाता है । भारतीय चिन्तनधारा के साथ काव्यशास्त्र के रचयिताओं ने पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों के मत का भी समन्वय किया है । हमें पौरस्त्य तथा पाश्चात्य दोनों क्षेत्रों की उपलब्धियों हस्तगत करना है । वितर्क और विचार ही हमें किसी तत्व के निर्णय में आगे बढ़ाते हैं । दोनों दिशाओं के काव्यशास्त्री अनेक बातों में एक मत हैं । यदि पश्चिम में ट्रेजेडी या त्रासदी का अधिक प्रचार हुआ तो पूर्व में भी करुण रस को महत्ता प्रदान करने वाले आचार्यों की कमी नहीं है । यदि वहाँ संकलनत्रय है तो यहाँ भी वस्तु, रस और पात्र का समन्वय है । काव्य के हेतु और प्रयोजन दोनों स्थानों पर एक समान हैं । काव्य के भेद और उपभेद भी लगभग एक जैसे ही हैं ।

काव्यशास्त्र पर विचार करते हुये शैली तत्व भी विचारणीय बन जाता है । अभिव्यक्ति और अभिव्यजना दोनों ही काव्यशास्त्र की परिधि में आते हैं । अंग्रेजी का प्रसिद्ध ग्रंथ 'आन दि स्टाइल' ख्याति प्राप्त कर चुका है, मेडिलटन महोदय ने अपने इस ग्रंथ में शैली तत्व पर विशेष रूप से विचार किया है । हमारे 'साहित्य-शास्त्र' में भी शैली तत्व की विस्तार से विवेचना की गयी है । कोसे का कथन "सर्वोत्तम अनुभूति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति" सत्य के निवृत्त-तम् है । महाकवि भवभूति तो निराकरण शब्दों में कहते हैं "वाणी अर्थ का अनु-गमन करती है ।" यदि भाव अधिमात्र अवस्था का है तो उसके अभिव्यजक शब्द भी इसी कोटि के होंगे । कवि का अर्थ और अक्षर दो का बल रहता है । महाकवि कालिदास के शब्दों में "वाग्धात्रिय गपुती" अथवा तुलसी के शब्दों में "गिरा आथ जल धीवि गम कट्टियन भिन्न न भिन्न" वाणी और अर्थ

अनुक्रमणी

विषय-प्रवेश	१-२२
भारतीय काव्यशास्त्र की संक्षिप्त रूपरेखा-९, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की संक्षिप्त रूपरेखा-१५ ।	
आलोचना की परिभाषा	२३-५९
आलोचना के प्रकार-२६, आलोचना का विकास-५०, आलोचना का महत्व-५२, समालोचक के कर्तव्य और गुण-५४ ।	
साहित्य	६०-९४
परिभाषा-६०, साहित्य-सृजन की मूल प्रेरणाएँ-६५, साहित्य और समाज १९, साहित्य में आदर्श और यथार्थ-७१, कला-८१, कला के प्रयोजन-८८ ।	
काव्य-सम्प्रदाय	९५-१३५
काव्य की आरम्भ-९५, काव्य-सम्प्रदाय-१०२, अलंकार-सम्प्रदाय-१०२, वक्रोक्ति-सम्प्रदाय-१०८, रीति-सम्प्रदाय-१११, ध्वनि-सम्प्रदाय-११३, शृंगार-सम्प्रदाय-११६, औचित्य-सम्प्रदाय-१३३ ।	
काव्य की परिभाषा	
काव्य और साहित्य-१३६, काव्य के तत्व-१४६, साहित्य, काव्य एवं कल्पना-१६० ।	
शब्द-शक्तियाँ	१७०-१९३
सामान्य परिचय-१७०, शब्द-शक्तियों के वर्गीकरण और आधार-१७१, अभिधा-१६१, लक्षणा-१७४, व्यञ्जना-१७८, शब्दशक्तियों की पारस्परिक सम्बन्ध-१७८ ।	

शैली-१८४, शैली की परिभाषा-१८५, काव्य और अभिव्य-
जनावाद-१८७, वक्रोक्ति और अभिव्यजनावाद का अंतर-
१९२ ।

पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धांत

१९४—२३०

अनुकृति सिद्धान्त-१९४, उदात्तता का सिद्धांत-१९६,
आदर्शवादी सिद्धांत-१९७, अभिव्यजनावाद-१९९, अभि-
व्यक्तिवाद-१९९, मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद-२००, मनोविश्ले-
षणवाद-२०१, मार्क्सवाद-२०३, प्लेटो की काव्य विषयक
धारणा-२०४, अरस्तू के काव्य-सिद्धांत-२०७, काव्य का
उद्भव-२१२, रिचर्ड्स का मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद-२२४,
टी० एस० इलियट के काव्य-सिद्धांत-२२७ ।

काव्य के विभिन्न रूप

२३१—३१६

काव्य—२३१, नाटक—२३४, नाटक के लक्षण-२३४,
नाटक के तत्व—२३५, भेद—२४९, नाटक और उपन्यास में
अन्तर—२५०, एकांकी—२५१, एकांकी का स्वरूप—२५१,
एकांकी के तत्व—२५५, एकांकी का वर्गीकरण—२५८, उप-
न्यास २५९, परिभाषा—२६०, उपन्यास का स्वरूप, उपन्यास
के तत्व—२६२, कहानी—२६७, परिभाषा—२६७, कहानी
के तत्व—२६९, उपन्यास और कहानी में अन्तर—२७३,
कहानियों के प्रकार—२७४, निबन्ध—२७६, परिभाषा—२७७,
निबन्ध की विशेषताएँ—२७९, निबन्ध के तत्व—२७९, गद्य
की मूल्य विधायें—२८७, गद्य काव्य—२८७, रेखाचित्र—
२८८, मासमरण—२९२, जीवनी—२९४, रिपोर्ताज—२९८,
दृष्टरथ्यु—३००, पद्यकाव्य—३०१, महाकाव्य—३०१,
सङ्घकाव्य—३०८, एकादंकाव्य—३१०, मूलरकाव्य—३१२,
गीतकाव्य—३१३ ।

तभी सम्भव है, जब सारी रचना के केन्द्र में एक स्थायीभाव स्थित रहे । उसके विभिन्न अंश उसी स्थायी भाव के विभिन्न अवयवों के रूप में रहे । वे अवयव तीन हैं—विभाव, अनुभाव और सचारी भाव । ये तीनों स्थायी भाव के घटक तत्व हैं । इन्हीं के माध्यम से स्थायी भाव प्रस्तुत होता है । प्रकार 'रस-निष्पत्ति'—सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव किया, उनके परवर्ती व्याख्या करने । उन्होंने इस सूत्र की अपने-अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए 'रस-सिद्धान्त' का विकास कई रूपों में किया । आचार्य भारत ने 'रस-सिद्धान्त' के रूप में एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रचलित मान्य है ।

२. नव-अन्वेषण काल (६ वीं शती से ११ वीं शती तक)

भारतीय साहित्य-शास्त्र का सर्वतोन्मुखी विकास इस काल में हुआ । इसी काल में एक ओर भामह (६ वीं शती) वण्डी (सातवीं शती) वा (८ वीं शती) आनन्दवर्द्धनाचार्य (१० वीं शती) एवं क्षेमेन्द्र (११ वीं शती) जैसे मौलिक चिन्तक उत्पन्न हुए, जिन्होंने साहित्य के नये-नये सत्यों का अन्वेषण करते हुए अनेक नवीन सिद्धान्तों की स्थापना की । इधर दूसरी ओर भामह (६ वीं शती) लोम्लट (८-९ वीं शती) शकुक (९ वीं शती) भट्टनायक (९-१० वीं शती) अभिनवगुप्त (१०-११ वीं शती) राजशेखर (१० वीं शती) घनश्याम (१० वीं शती) महिम्भट्ट (१०-११ वीं शती) आदि प्रतिभाओं ने पूर्व आचार्यों की स्थापनाओं का सूक्ष्म विद्वेषण एवं तीक्ष्ण सफ़ाई-मण्डन करते हुए भारतीय साहित्य-शास्त्र को व्यापक एवं सम्भीर रूप प्रदान किया । इस काल में दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—

१. नवीन सिद्धान्तों की स्थापना । २. नवीन व्याख्याएँ ।

नवीन सिद्धान्तों की स्थापना—दस युग में साहित्य-शास्त्रों में ५ नये सिद्धान्तों की स्थापना हुई—

१. अक्षर-सिद्धान्त

२. रीति-सिद्धान्त

५. जीवित-सिद्धान्त

३. ध्वनि-सिद्धान्त

४. वर्णोक्ति-सिद्धान्त

ये मिद्धान्त पर्याप्त मौलिक हैं, किन्तु इनमें से अधिकांश का प्रेरणा-स्रोत रममुनि का नाट्य-शास्त्र है। उपर्युक्त पाँचो मिद्धान्तों में प्रथम वाक्य के अर्थ पर बहस दिया गया है अलकार में वाक्य शैली की वाक्य मात्र-मञ्जार, गीति में स्वाभाविक गुणो जैसे (सुद्धता, मक्षिप्तता, स्पष्टता, नाद-मौन्दर्य आदि पर) ध्वनि में उगरे अर्थ की व्यंग्यात्मकता पर, वक्रोक्ति में अर्थ की लाश-अकता पर और औचिन्दा में विषय और शैली के पारम्परिक मनुद्धन पर सर्वाधिक बहस दिया गया। इस दृष्टि में प्रथम चार मिद्धान्तों को रूपवादी (Formalist) तथा अन्तिम को मनुद्धवादी कहा जा सकता है। रूपवादी मिद्धान्तों में वाक्य के रूप को आकर्षक बनाने के लिए क्रमशः चार विधियों पर प्रकाश डाला गया है— १ वाक्य मन्वो द्वारा अलवरण २ नाद-मौन्दर्य ३ अर्थ की व्यंग्यात्मकता ४ अर्थ का ध्वनिचित्र

इस काल में एक ओर अठकारवादियों ने रम को एक अलकार मात्र मान लिया, तो वक्रोक्तिवादी ने सारे अर्थालकारों को वाक्य-वक्रता में स्थान देकर अलकार का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। इसी प्रकार ध्वनिवादियों ने अलकार-ध्वनि भेद की कल्पना करके अलकार मिद्धान्त के सारे वैभव को हस्तगत कर लेना चाहा। दूसरी ओर अठकारवादियों ने ध्वनि के ही विभिन्न स्वरों को 'गूढार्थ-प्रतीतिमूलक' अलकारों की सजा दे दी। पारम्परिक प्रति-द्वन्द्विता एवं क्षेत्र-विस्तार की इस प्रवृत्ति के कारण एक ओर ये मिद्धान्त अनिश्चित अमर्यादित एवं अप्रामाणिक हो गये, दूसरी ओर इसमें साहित्य-शास्त्र भी अव्यवस्थित एवं अमनुलित हो गया।

नवीन ध्य.स्थाएँ—इस युग में नवीन मिद्धान्तों के आविष्कार के साथ-साथ परम्परागत-मतों की नवीन व्याख्याएँ भी हुईं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भट्टलोल्लट ने रम मिद्धान्त की व्याख्या प्रस्तुत कर 'उत्पत्तिवाद' की स्थापना की। आचार्य शकुन्त ने भट्टलोल्लट की व्याख्या का स्पष्टन करके 'अनुमिति-वाद' की स्थापना की। उन्होंने न्याय-शास्त्र के आधार पर 'अनुमानवाद' को आधार बनाते हुए रम की प्रत्यक्ष अनुभूति के स्थान पर उमकी अप्रत्यक्ष अनुमिति की सम्भावना को सिद्ध किया। मौन्दर्य-शास्त्र के क्षेत्र में भाववादी

बंवार करने है। यही कारण है कि इनके ग्रन्थों में रग, छवि, अकार, पेन, बक्रोक्ति आदि सभी को छोड़ा-छोड़ा स्थान प्राप्त हुआ। यह दूसरी बात है कि वे किसी को कम महत्व देने हैं और किसी को अधिक, किन्तु उनकी यह समझ-बुझ किन्हीं प्रौढ़ व्यापक एवं मौलिक दृष्टिकोणों की सूचक नहीं, अस्तु सामान्य की प्रवृत्ति की शोभा है। कुछ आचार्यों को छोड़ कर देश में विवेचन की सम्भीता, विम्लेषण की सूक्ष्मता एवं निष्कर्षों की मौलिकता का प्रायः अभाव है। इस दृष्टि में यह युग भारतीय साहित्य-शास्त्र की जग-भ्रमशा का सूचक है।

४. पद्यानुवाद-काल (१७ वीं से १९ वीं शती तक)

इस काल में संस्कृत का स्थान आधुनिक भाषाओं में ले लिया था, जब भारतीय साहित्य-शास्त्र अनेक प्रादेशिक-भाषाओं में विभक्त हो गया था। इस युग में हिन्दी में केवल, चिन्तामणि कुल्यनि, मोदनाथ आदि ने पद्यबद्ध रीति-ग्रन्थ लिखे। एताधिक कवि तो अवतरित हुए, परन्तु साम्प्रदायिक-विवेचन-कार्य इन कवियों के वश में नहीं था। यही कारण है कि डा० भगीरथ मिश्र ने लिखा "हिन्दी के अधिकांश लेखकों (कवियों) का लक्षण भाग अस्पष्ट अथवा अनूर्ण है वे आचार्यत्व के अयोग्य हैं, वे कवि ही प्रधान हैं, उनका आचार्यत्व या शास्त्रीय-विवेचन का प्रयत्न बहुत सफल नहीं।" अतः चिन्तामणि आदि आचार्यों ने भारतीय काव्य-शास्त्र के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। हिन्दी के वर्तमान काव्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों के निर्माण में भी इनका योगदान नहीं है।

५. नवोत्थान काल (१९ वीं शती के अन्तिम से अब तक)

इस काल को भी हम मुख्यतः तीन युगों में विभक्त कर सकते हैं—

१. भारतेन्दु द्विवेदी-युग—१८५७ ई० से १९०५ ई० तक
२. रामचन्द्रशुक्ल युग—१९२६ ई० से १९४० ई० तक
३. शुक्लौत्तरयुग—१९४१ ई० से अब तक।

प्रथम युग में भारतेन्दु हृदयचन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, मिश्र बन्धु, श्याम-मुन्दरदास, आदि विद्वान् थे, जिन्होंने अपने कुछ लेखों एवं पुस्तकों में साहित्य-

सिद्धान्तों का विवेचन किया। भार्गवने ने अपने 'नाटक' ग्रन्थ में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए प्राचीन-सिद्धान्तों के नवीकरण या प्राचीन और नवीनों के समन्वय पर बल दिया। अपने भारतीय एवं पाश्चात्य-साहित्य-शास्त्र के सन्तों की ओर श्रेष्ठ दिया। आगे चलकर अन्य विद्वानों ने भी भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की गामभी को हिन्दी गद्य में प्रस्तुत किया। यद्यपि इनमें मौलिकता का अभाव है, किन्तु इन्होंने गीतिकाव्य, दृष्टिकोण, परम्परा, और शैली के त्यागकर नए दृष्टिकोण और नयी-शैली (गद्य-विवेचन करने की शैली) में प्रवर्तन करके स्तुत्य कार्य किया। मुकुल युग में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के द्वारा परम्परागत साहित्य शास्त्र को नया रूप प्राप्त हुआ। उन्होंने युग की परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्राचीन सिद्धान्तों की निजी दृष्टि में व्याख्या की। विशेषतः 'रस-सिद्धान्त' रसानुभूति एवं रस के विभिन्न स्थायी भावों को भी उन्होंने विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। अस्तु आचार्य शुक्ल की देन महत्त्वपूर्ण है।

मुकुलोत्तरयुग के साहित्य-शास्त्रीय विद्वानों में डा० गुलाबराय, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, डा० नगेन्द्र आदि हैं। इन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य-सिद्धान्तों को मरल एवं सुबोध-शैली में प्रस्तुत करके परवर्ती अनुमोहन-कर्ताओं का मार्ग प्रशस्त किया। आचार्य द्विवेदी का मुख्य क्षेत्र व्यावहारिक एवं ऐतिहासिक-समीक्षा का है, किन्तु उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आचार्य वाजपेयी का क्षेत्र भी व्यावहारिक समीक्षा का है, परन्तु उनका पाश्चात्य एवं भारतीय शास्त्रों को निकट लाने का स्तुत्य प्रयत्न है। नगेन्द्र का क्षेत्र साहित्य-शास्त्र है। इस क्षेत्र में उनकी देन तीन रूपों में विभक्त की जा सकती है—१. आधुनिकता, मौलिकता में युक्त परम्परागत भारतीय रस सिद्धान्त की नवीन व्याख्या २. पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण को हिन्दी में प्रस्तुत करना ३. प्राचीन एवं नवीन, भारतीय एवं पश्चिमी की पारम्परिक तुलना के द्वारा उनके सापेक्ष महत्त्व का दिग्दर्शन। इस प्रकार इसकाल में काव्यशास्त्र का सर्वांगीण विकास

पादचात्य काव्यशास्त्र की संक्षिप्त रूप-रेखा

पादचात्य काव्यशास्त्र के इतिहास को सामान्यतः तीन कालों में विभक्त
 किया जाता है—

- १ प्राचीन काल—(५ वीं शती ई० पू० में ८ शती ई० पू०)
 - २ मध्य काल—(५ वीं शती में १५ वीं शती तक)
 - ३ आधुनिक काल—(१६ वीं शती में अब तक)
- प्राचीनकाल—इस काल के आचार्यों में प्लेटो (४०७ ई० पू०-३४७ ई०
 एम्पू (३८४ ई० पू०-३०२ ई० पू०) एरोस्टाइनस (पहली शती) होरेस (६५ ई०
 वं ८ ई० पू०) सिगरो (१०६-४३ ई०) डिमेट्रियस (प्रथम शती) आदि के नाम
 लक्ष्यनीय हैं।

प्लेटो

प्लेटो मूलतः साहित्य-शास्त्री नहीं थे। उन्होंने 'गणतन्त्र' में राजनीति
 सिद्धांतों की खर्षा करने के लिये काव्य के सम्बन्ध में भी खर्षा की। उन्होंने
 दो तर्कों पर प्रकाश डाला —

(१) काव्य प्रकृति की अनुकृति है (२) काव्य हमारी भावनाओं को उद्दे-
 शित करता है। उसने एक स्थल पर लिखा है — "अतः खर हमारे लिये यह
 व्याय होगा कि हमें जिम देस की सुशामित रचना है उसमें खरि का प्रवेश
 नहिमिठ कर दें, खरोकि खर आत्मा के दम दुर्बल अंग को ज्ञानून पोषित औ-
 पसिपुष्ट करता है तथा विवेक अंग का क्षय करता है।

अरस्तू

प्लेटो के विपरीत अरस्तू ने उपर्युक्त दोषों तथा दोषों को स्वीकार करने हुए
 खरिा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने दो सिद्धांतों को स्थापित किया —

१-अनुकृति सिद्धांत २-सिद्धांत सिद्धांत खरिा के अनुकृति-रूप आनन्द
 को सिद्धांत खरिा पर आनन्दित आनन्द पोषित किया था खरिा प्रकृत न
 ज्ञानार्जनोपय आनन्द माना। ज्ञान के अर्थ में खरिा एक दृश्य प्रकृत
 होता है। अरस्तू ने प्लेटो के दम आरोप का निराकरण करने का प्र-
 षि काव्य अनुकृति मूलक होने के कारण अज्ञान का निराकरण का प्र-

है या वाद्यत्रय आनन्द मित्या आनन्द है । रास्य ही उन्हें गरुडा निरं हो, तिनू प्रतिपादन में कुछ अमंगलियां अरुण्य आगई ।

‘अरुणू’ ने काव्य के मन्त्रण में विरेचन-मिथान का प्रतिपादन किन् उन्होंने विरेचन पर विरेचन करने हुए ‘वाग्दी’ के बारे में किना “वाग्दी किं गम्भीर स्वत-गुणं तथा निन्विता आपाम में गुण कार्य की अनुकृति का न है, त्रिममे करण तथा ‘वाग्’ के उदक द्वाग इन मनोदिकारों का उक्ति कि पन किया जाता है ।” वस्तुतः अरुणू का विरेचन-मिथान वेरुड वाग्दी ही आधारित होने के कारण एरागी एव अरुणं है । वाग्नाओं की अभिव्यक्ति भारतीय आचार्य अभिनयगुन ने भी मानी है, किन्तु उनका ‘अभिव्यक्तिर केवल ‘वाग्दी’ पर ही आधारित नहीं, सभी प्रकार के कार्यों पर लागू हो है । अन. वह अधिक व्यापक एव गहन है । इग दृष्टि से ‘विरेचन’ का अर्थ ‘अभिव्यक्ति’ करते हुए, उगे अधिक व्यापक एव गहन रूप दिया जा सता है । दृष्टियों के होने हुए भी अरुणू का काव्य-विवचन बहुत प्रौढ़ है । उन्होंने काव्य के विभिन्न रूपों एव उसके तन्वों की बहुत स्पष्ट रूप में व्याख्या की है । इसीलिए वे समस्त पाश्चात्य-काव्यशास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं ।

लोजाइनस

लोजाइनस ने काव्य में उदात्त-नत्व का विवेचन किया । उन्होंने उदात्त या औदात्य को ही काव्य के आत्म-नत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया । उन्होंने एक स्थल पर लिखा है—“सच्चे औदात्य से हमारी आत्मा जैसे अने आप ही ऊपर उठ कर गर्व से उच्चाकाश में विचरण करने लगती है तथा हंस और उल्लास से परिपूर्ण हो उठती है, मानो जो कुछ हमने गुना है, वह स्व अपनी ही कृति हो ।” अस्तु उनके विचार में काव्यजन्य आनन्द का मूल-नात्य काव्यगत औदात्य ही है । जिसके उन्होंने पांच उद्गम श्रोत बताये हैं :—

१. विचारों की महानता ।
२. भावों का उद्दाम एव शक्तिशाली प्रतिपादन ।
३. अलकारों की समुचित योजना ।
४. उरुकृष्ट अभिव्यक्ति ।

५. गन्धामय रचना विधान ।

इस गभी ग्योरी के पीछे वस्तुन केवक या ववि के व्यक्तित्व की महानता निहित होती है, क्योंकि उनके विचार में महान आत्माओं की वाणी में ही लोकाय की झलक होती है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने साहित्य के प्रति धर्मनिवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसीलिये उन्हें प्रथम स्वच्छन्दतावादी या धर्मनिवादी आलोचक होने का गौरव प्राप्त है।

इस काल के गभी आचार्यों में 'होरेम' का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्य के विभिन्न तत्त्वों पर प्रवाद डालते हुए 'औचित्य' पर विशेष बल दिया है। उनके शब्दों में "यदि कला के शब्द परिमित के अनुकूल नहीं, तो सम्पूर्ण भूमिवासी उच्च-वर्ग के ही या निम्नवर्ग के—“उम पर जी गोलकर हँसेंगे।" वस्तुन. उनका 'औचित्य-तत्त्व' स्वाभाविकता, संगति, मामन्जस्य आदि गुणों को ही समन्वित रूप में प्रस्तुत करता है। आगे चलकर भिसरो, विवण्टिलियन, डिर्मिट्रियस आदि आचार्यों ने शैली पक्ष पर अधिक बल देते हुए अलंकार एवं गुण-दोषों की विवेचना विस्तार में की है। अलंकारों के ग्रहण-विक्षेपण की दृष्टि में गमस्त पादचात्य-काव्य-शास्त्र में विवण्टिलियन एवं डिर्मिट्रियस का सर्वोच्च स्थान है।

अन्तु, इस काल में पादचात्य साहित्य-शास्त्र का सर्वांगीण विकास परिलक्षित होना है। प्लेटो में डिर्मिट्रियस तक विभिन्न आचार्यों ने काव्य की सर्जन-प्रक्रिया, उसकी आस्वादन-प्रक्रिया, उसके भाव-पक्ष, विचार-पक्ष, शैली-पक्ष आदि विभिन्न पक्षों का विक्षेपण करते हुए अनेक नये सिद्धान्त प्रस्तुत किये, जो पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं।

मध्यकाल—इस काल में बौद्धिक चिन्तन को बहुत महत्त्व दिया गया।

दान्ते

इस युग के साहित्य-चिन्तकों में मुख्यतः इटैलियन साहित्यकार दान्ते का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने एक ओर अपने 'डिवाइन कॉमेडी' में अन्य पद्धति की सम्पूर्णता में प्रतिष्ठा की, तो दूसरी ओर उन्होंने काव्य के पक्षों पर नये विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने परम्परागत मृतभाषा के

पर जीवन जनमारा का प्रयोग उचित ममता । राक्षस के सम्मुख में निर्णय देने हुये तीन विषयों को युद्ध प्रेम और नीति-शौर्य को उगत घोषित किया । काव्य-शैली का भी उन्होंने नयी दृष्टिकोण में विश्लेषण करने हुए अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए । अन्तु दान्ते में वाच्यशास्त्र के कई पक्षों पर नए विचार प्रस्तुत किए, जो पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं ।

आधुनिक युग—वाच्यशास्त्र के क्षेत्र में आधुनिक युग का सूत्राग करने का श्रेय । अव्यक्तिगत विद्वानों को प्राप्त है—

फिलिप सिडनी

फिलिप सिडनी ने Defence of Poesy में मुद्यावधारियों के आक्षेपों का निराकरण करते हुए कहा कि कविता अनाचार और अनैतिकता का प्रचार करती है । आपने नीतिवादियों के आक्षेपों का गण्डन करने हुये कहा कि वाच्य मनुष्य को सभ्य और सुसमृद्ध बनाता है । वह भक्तिता की शिक्षा, प्रभावशाली ढंग में दे सकता है तथा यह आदर्श एवं श्रेष्ठ जगत् की कल्पना प्रस्तुत करता है । इस प्रकार 'सिडनी' ने अपने लेख के माध्यम से वाच्य सम्बन्धी परम्परागत दृष्टिकोणों को बदलने का स्तुत्य प्रयास किया ।

ड्राइडन

सत्रहवीं शताब्दी के आलोचकों में 'ड्राइडन' का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अनेक नूतन स्थापनायें प्रस्तुत की, जो इस प्रकार हैं—

1. कवि का कार्य जीवन को स्वाभाविक रूप में चित्रित करना है ।
2. कविता का मुख्य लक्ष्य आनन्द देना, शिक्षा देना गौण है ।
3. कवि विभवों के माध्यम से भावनाओं का चित्रण करता है ।
4. कवि कल्पना-शक्ति के आधार पर काव्य रचना करता है ।

अरस्तू के "सकलन-त्रय" का निर्वाह आवश्यक नहीं है ।

इन की इन नई मान्यताओं के कारण परम्परागत धारणाओं पर हुआ । विशेषतः कवि-कल्पना-सम्बन्धी मत से अरस्तू का अनुद्धि निराधार मिट्ट हो जाता है ।

पोप

अष्टादशवीं शती के साहित्य-चिन्तकों में पोप, जानसन, लेसिंग, गिल्लर [र गेटे का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पोप ने कविता में स्वाभाविकता एवं भावात्मना को प्रमुखता प्रदान की—“प्रकृति की भाँति कविता भी जो हमारे मन में प्रभावित करती है उसके पृथक्-पृथक् अंग प्रत्यगो की सुडौठता ही नहीं रही, बल्कि सौन्दर्य उन सबकी सम्मिश्रित शक्ति एवं निष्पन्न परिणाम की सजा।” पोप ने स्वाभाविकता एवं सहजता का अनुमोदन करते हुए भी काव्यात्मकता का समर्थन किया। इस प्रकार साहित्य की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

डा० जानसन

डा० जानसन अपने युग के सबसे अधिक प्रभावशाली आलोचक माने गये हैं। उन्होंने प्राचीन सिद्धान्तों को नये रूप में प्रस्तुत करते हुये उनका दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। उन्होंने कहा, “काव्य न केवल आनन्द प्रदान करता है, वह हमें शिक्षा भी प्रदान करता है।” प्राचीन और नवीन के बीच उन्होंने समन्वयवादी मार्ग अपनाया “लेखक का प्रथम प्रयाग प्रकृति और परम्परा में भेद करना होना चाहिए—इन दोनों का भेद उतने हृदयगम कर लेना चाहिए, जिससे वह नवीनता लाने की लालसा में अनिवार्य सिद्धान्तों का अतिक्रमण न करे।” अपनी नीतियों के कारण उन्होंने ‘त्रासदी’ और ‘कामदी’ आदि के सम्बन्ध में प्रचलित ओक रूढ़ियों का बहिष्कार निर्ममतापूर्वक किया।

लेसिंग, गेटे, गिल्लर आदि जर्मन आलोचक मूलतः साहित्य-सर्जन थे, किन्तु उन्होंने साहित्य की समस्याओं पर भी गौरवरूप से विचार किया है।

लेसिंग

लेसिंग ने कला की प्रेषणीयता पर अधिक बल दिया। गेटे ने काव्य के विभिन्न रूप-भेदों और उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करते हुये क्लासिक काव्य को स्वस्थ प्राणवान एवं आनन्दमयी तथा रोमांटिक काव्य को रग्गा, दुर्बल एवं विकृत सिद्ध किया। कविता की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में भी उन्होंने मौलिक सामग्री की अपेक्षा परम्परागत वस्तु को ही

पर जीवित जनभाषा का प्रयोग उचित समझा । काव्य के सम्बन्ध में निर्दिष्ट देने हुये तीन विषयों को युद्ध प्रेम और नैतिक-मोन्दर्य को उत्तम घोषित किया काव्य-शैली का भी उन्होंने निजी दृष्टिकोण से विदलेपण करते हुए अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए । अस्तु, दान्ते ने काव्यशास्त्र के कई पक्षों पर नविचार प्रस्तुत किए, जो पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं ।

आधुनिक युग—पाश्चात्य काव्यशास्त्र के क्षेत्र में आधुनिक युग का सूत्रांकन करने का श्रेय । अयोन्निखिन विद्वानों को प्राप्त है—

फिलिप सिडनी

फिलिप सिडनी ने Defence of Poesi में सुधारवादियों के आशयों का निराकरण करते हुए कहा कि कविता अनाचार और अनैतिकता का प्रभाव करती है । अपने नीतिवादियों के आशयों का स्पष्टन करने हुये कहा कि काव्य मनुष्य को शान्त और सुगन्धित बनाता है । वह नैतिकता की शिक्षा, प्रभावशाली ढंग में दे सकता है तथा यह आदर्श एवं श्रेष्ठ जगत् की कल्पना प्रस्तुत करता है । इस प्रकार 'सिडनी' ने अपने लेख के माध्यम से काव्य सम्बन्ध परम्परागत दृष्टिकोणों को बदलने का मनुष्य प्रयास किया ।

डाइडन

महात्मी सातवीं के आलोचकों में 'डाइडन' का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अनेक नूतन रचनात्मक प्रस्तुत की, जो इस प्रकार हैं—

- १ कवि का कार्य जीवन को स्वाभाविक रूप में चित्रित करना है ।
- २ कविता का मुख्य उद्देश्य आनन्द देना, शिक्षा देना शीघ्र है ।
- ३ कवि शिक्षा के माध्यम से धारणाओं का चित्रण करना है ।
- ४ कवि कल्पना-शक्ति के आधार पर काव्य रचना करता है ।
- ५ प्रकृत के 'महान-पद' का विशेष आनन्द नहीं है ।

डाइडन की इन नई धारणाओं के कारण परम्परागत धारणाओं का तीव्र-प्रहार हुआ । विशेषतः कवि-कल्पना-शक्ति का ये आशय कविता-विशेषज्ञ विद्वानों ने

डाइरी मनी के साहित्य-चिन्तकों में पोप, जानसन, लेसिंग, गिल्लर
 टे वा महत्वपूर्ण स्थान है। पोप ने कविता में स्वाभाविकता एवं भावनात्म-
 की प्रमुखता प्रदान की—“प्रकृति की भांति कविता भी जो हमारे मन
 की प्रकृति की भांति है, उससे पृथक्-पृथक् अंग प्रत्यंगों की सुडौलता ही नहीं
 बल्कि मीनदयं उन सबकी सम्मिश्रित शक्ति एवं निष्पन्न परिणाम की मज्जा
 पोप ने स्वाभाविकता एवं महजता का अनुमोदन करते हुए भी वाक्या-
 का समर्थन किया। इस प्रकार साहित्य की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध
 होने सम्बन्धवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

जानसन

डॉ० जानसन अपने युग के सबसे अधिक प्रभावशाली आलोचक माने गये
 उन्होंने प्राचीन सिद्धान्तों को नये रूप में प्रस्तुत करने लिये उनका दृढ़ता-
 समर्थन किया। उन्होंने कहा, “काव्य न केवल आनन्द प्रदान करता है,
 हमें शिक्षा भी प्रदान करता है।” प्राचीन और नवीन के बीच उन्होंने
 नए नए मार्ग अपनाये। “लेखक का प्रथम प्रयाग प्रकृति और परम्परा में
 करना होना चाहिए—इन दोनों का भेद उसे हृदयगम कर लेना चाहिए,
 उसे वह नवीनता लाने की लालसा में अनिवार्य सिद्धान्तों का अतिश्रमण न
 होना चाहिए।” अपनी नीतियों के कारण उन्होंने ‘त्रासदी’ और ‘कामेदी’ आदि
 सम्बन्ध में प्रचलित अनेक रुझानों का वहिष्कार निमंनतापूर्वक किया।

लेसिंग, गेटे, गिल्लर आदि जर्मन आलोचक मूलतः साहित्य-मार्जन थे, किन्तु
 उनके साहित्य की समस्याओं पर भी गौणरूप से विचार किया है।

लेसिंग

लेसिंग ने कला की प्रेषणीयता पर अधिक बल दिया। गेटे ने काव्य के
 नए नए भेदों और उनकी विभिन्न प्रकृतियों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण
 करने लिये क्लासिक काव्य को स्वस्थ प्राणवान एवं आनन्दमयी तथा रोमांटिक
 काव्य को रम्या, दुर्बल एवं विह्वल सिद्ध किया। कविता की विषय-वस्तु के
 अलावा भी उन्होंने मौलिक सामग्री की अपेक्षा परम्परागत वस्तु को ही

अपनाने की सलाह देते हुये नये कवियों को बताया कि उन्हें अपने आत्मत के अनुकूल ही विषय-वस्तु का चयन करना चाहिए । उन्होने अरस्तू के काव्यशास्त्र में नयामोड या परिशिष्ट जोड़कर अरस्तू के अनेक सदिग्ध मतों व्याख्या करने का भी प्रयास किया ।

'सिलर' मूलतः नाटककार था । उन्होने अपने प्रसिद्ध लेखों में सौन्दर्य सिद्धांतों के आधार पर काव्य-कला की व्याख्या तथा उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण प्रयास किया । इन जर्मन साहित्यकारों ने साहित्य की ध्यावहागिक-मस्यारों को युग परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में रख कर विचार किया ।

उन्नीसवीं शती में स्पष्टचिन्तनावादी आन्दोलन का प्रवर्तन एवं विस्तार हुआ जिससे अप्रगामी नेताओं में बर्हगवर्थ, कालगिज और 'शैली' का नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है । उन्होने साहित्य के क्षेत्र में रूढ़िवादिता, शास्त्रवादित नियमबद्धता, विचारान्मरुता एवं पूर्वाभ्यास की पद्धति का विरोध करते हुये नवीनता, स्पष्टचिन्ता, रचनात्मकता, भावात्मरुता एवं सहजता की प्रतिष्ठा की बर्हसयय

बर्हगवर्थ ने लोभभाषा को ही काव्य-भाषा के रूप में स्वीकार दिये जा सकने वाला माना और उन्होने काव्य को अभ्यास एवं कौशल द्वारा रचित मानकर शास्त्र-शास्त्रों के मात्र भावोद्देक के रूप में रचित स्वीकार किया । रचना के लिए निष्ठा, नीतिरुता एवं उपमा देन के बन्धन को उन्होने अनुचित बतलाया और आनन्द को ही काव्य का मूल लक्ष्य स्वीकार किया ।

कालरिज

दूसरी प्रस्ताव कालरिज ने रचना का विरोध गद्य में न मानकर कविता में माना । काव्य की ही रचना करनी अनिवार्य अनुवृत्ति है । दृग् स्थापना एवं रचना करने हुए लोभ भाषा सिद्धांत की प्रतिष्ठा की जिम्मे प्रस्तावित किया है कि काव्यभाषा ही ही के कारण काव्य को नूतन मूर्ति के रूप में स्थापित किया जा सकता है । शैली न भी बर्हगवर्थ एवं कालरिज का ही लक्ष्य नहीं थी । वे रचना के लिए नये विचारों को प्रस्तावित किया । अनुपमरुता का मान्यताओं

परिवर्तन एवं मगोचन करने की दृष्टि से स्वच्छन्दतावादी काव्य चिन्तकों का बहुत महत्त्व है ।

उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में कुछ ऐसे विचारकों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अति स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए स्वच्छन्दता वैयक्तिकता एवं आनन्द वादिता के स्थान पर पुनः मर्यादा, सामाजिकता एवं उपयोगिता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया—इनमें मैथ्यू आर्नाल्ड, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि प्रमुख थे ।

आर्नाल्ड

आर्नाल्ड ने साहित्य को जीवन की आलोचना के रूप में स्वीकार करते हुये नैतिक भून्वो एवं मानवहित को काव्य के लिये श्रेयस्कर सिद्ध किया । उन्होंने काव्य की विषय वस्तु के रूप में भी उदात्त-कार्यों एवं चिरन्तन भावनाओं को अपनाए जाने का समर्थन किया ।

आर्नाल्ड की ही भांति रस्किन और टॉल्स्टॉय ने भी कला और साहित्य को जीवन के उच्च आदर्शों में सम्बन्धित किया । जहाँ रस्किन ने कला को आध्यात्मिक एवं नैतिक तत्वों की अभिव्यक्ति के एक पवित्र माध्यम का रूप दिया, वहीं टॉल्स्टॉय ने उसे हमारी उदात्त भावनाओं के उद्देलन की शक्ति में 'युक्त' सिद्ध किया । अन्तु, इन आचार्यों ने काव्य की लोक-हितवादी दृष्टिकोण में ध्यानपूर्वक प्रस्तुत की ।

बीसवीं शताब्दी का काव्यशास्त्र विभिन्न वादों एवं बहुमुखी प्रवृत्तियों में प्रस्त रहता है । इनमें मुख्यतः कलावाद, अभिव्यक्ततावाद, प्रतीकवाद, विभ्य-वाद, मनोविश्लेषणवाद, समाजवादी या प्रगतिवादी-विधाग्राहक विवेक उल्लेखनीय है, इन वादों एवं प्रवृत्तियों के उत्पन्नकों में एकांगी-दृष्टिकोण में साहित्य की विभिन्न ध्यास्याएँ प्रस्तुत की, जो परस्पर विरोधी हैं । इनमें साहित्य का स्वरूप स्पष्ट बम हुआ है, उसके सम्बन्ध में सिद्धा ग्राहणों एवं भावियों का प्रचार अधिक हुआ है । इन मतान्तरों के कारण आज सभीशा के क्षेत्र में अराजकता की सी रिपति उत्पन्न हो गई थी । जिस तत्त्व को एक आचार्य गुण मानता था, उसी को दूसरा आचार्य दोष मानता था । ऐसी परिस्थिति में

आई० ए० रिचर्ड्स, हरबर्ट रीड, एफ० एल० न्यूमन जैसे विद्वानों ने साहित्यशास्त्र को विज्ञान एवं मनोविज्ञान के आधार पर व्यवस्थित रूप देने प्रयास किया । किन्तु इस क्षेत्र में अभी बहुत कार्य बारी है । श्री हरबर्ट रीड तथा अन्य कई साधियों ने साहित्य-समीक्षा को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न चलाया, जो वर्तमान परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल है । वस्तुतः साहित्यशास्त्र को देशकाल की सर्वांगीण सीमाओं से युक्त ऋणके व्यापक वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है । ऐसा होने पर भी साहित्यमूल्यों की पुनः स्थापना एवं साहित्यिक एवं असाहित्यिक तत्त्वों का निर्णय सम्यक् रूप से किया जा सकेगा ।

१ | आलोचना की परिभाषा

'आलोचना' शब्द 'आ' + 'लुच्' + 'लुच्' + 'टाच्' ।
लुच् का अर्थ है 'देखना' । इसे दृग् रूप में धरना लिया जाता है कि किसी कृति को देखना । देखना में अभिप्राय है कि उसकी व्याख्या करना एवं सम्यक मूल्यांकन करना ।

आलोचना के प्रागम्भिक काल में 'आलोचना' का अर्थ केवल छिद्रान्वेषण ही समझा जाता रहा है अर्थात् किसी कृति के दोष एवं न्यूनता मात्र को स्पष्ट कर लेना के एक संश्लेषा विरोधी दृष्टिकोण रखते हुए उसकी कृति पर आहार-प्रहार करना था । छिद्रान्वेषण का यह महत्त्वपूर्ण अर्थ आलोचना के क्षेत्र को अत्यन्त सीमित एवं उसके स्वरूप को अत्यन्त विरुद्ध बना देता था । इसी प्रतिक्रिया के रूप में नवीन विचारधारा के अनुसार आलोचना का अर्थ किसी रचना विशेष की विशेषताओं की ओर गंभीर धरके न्यूनताओं की ओर आवे फेरना ही नहीं, उस पर आवरण डालना ही आलोचना का धर्म समझा गया, पर इन धर्मपरिच्छेदों का मन भी सर्वमान्य न हो गया ।

एक वर्ग के विद्वानों द्वारा किसी रचना की मात्र विशेषताओं को स्पष्ट करना हितप्रद नहीं समझा गया, क्योंकि न्यूनताओं के प्रकाशन न होने से रचनाओं को श्रेष्ठता की सीमा में ही रखना माना जाता है । इसके विपरीत दूसरी विचारधारा के समर्थकों का कहना था कि यदि मात्र न्यूनताओं की ओर ही मकेन्द्र किया गया तो श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग में कभी नहीं हो सकेगी और लेखकों का दल अपनी रचना के पर्याप्त स्वागत न होने एवं उचित मूल्यांकन के अभाव में निराशा एवं कटुता के वातावरण में लेखन-कार्य में विमुख हो जायेगा । इस विरोधाभास की स्थिति में एक समन्वित-विचारधारा का प्रति-पादन किया गया, जिसमें अनुसार किसी कृति की विशेषताओं एवं न्यूनताओं

दोनों की ओर संकेत करना आलोचना का अर्थ समझा जाने लगा ।

कुछ समय पश्चात् आलोचना के अर्थ में परिवर्तन हुआ और यह मन निश्चित किया गया कि आलोचना को तुलनात्मक पद्धति अपनानी चाहिये । अर्थात् आलोचना का वास्तविक अर्थ यह होना चाहिए कि—

“आलोचना सिद्धान्तों के आधार पर, प्रचलित मान्यताओं के आधार पर और उसी क्षेत्र एव स्तर की दूसरी पुस्तक से किसी रचना विशेष की तुलना करके अच्छाई-बुराई के सम्बन्ध में अपना निर्णय मान दे दे ।”

परन्तु कुछ आलोचकों ने आलोचना का अर्थ यह भी समझाया कि कविता की परम ज्योती-रसों करने में ही आलोचना के अर्थ की चरम अभिव्यक्ति होती है । इसके साथ ही यह प्रश्न उठाया गया कि इस परम की कौटो क्या होनी चाहिए ? फिर इस प्रश्न का समुचित उत्तर न मिल सकने के कारण क्रम-तीव्र-भाव में यह प्रश्न उठाया गया था उसी गति में यह विचार-प्रस्तुत बाला-वरण में गमना हो गया ।

उत्सुक विचारधाराओं के अन्तारा एक अन्य विचारधारा भी प्रचलित हुई

“But criticism, real criticism is essentially the exercise of this very quality curiosity and disinterested love of a free play of mind it obeys an instinct prompting to try know the best is known and thought in the World”

—Mathue Arnold”

“वास्तविक आलोचना इस मूटि के मोच और प्राण्य के सर्वोत्तम स्वप्न का अन्वेषण करने का माधन है ।”

कम्युत विभिन्न-विचारधाराओं के मध्य प्रश्न उठता है कि आलोचना का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए ? आर्य सिद्धी आलोचना के क्षेत्र में अग्रगण्य का प्रमाण दृष्टिगोचर होता है । आलोचकों के अति-अती विचार-धाराओं का लेखन विभिन्न वर्गों का कर है । इस प्रकार मदीयानी आलोचकों के वर्ग का दृष्टि है, किन्तु यथार्थ आलोचना सिद्धी के विचार-धारा में सरण की अन्वेषण गति के रूप में प्रमाणित हो गयी है । सिद्धी लेखक की अन्वेषण-

गई और उसकी श्रेष्ठता का निर्णय आज इस आधार पर किया जाता है कि अमुक लेखक किस वर्ग अथवा स्कूल से सम्बन्ध रखता है और उस वर्ग अथवा स्कूल की महत्ता कितनी है ? प्रचार एवं प्रसार कितना है ?

हमारा आधुनिक साहित्य अधिक पुराना नहीं, मात्र अस्सी-नब्बे वर्ष पुराना है, जब कि विश्व तथा विशेषतया पाश्चात्य साहित्य में जिन प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं की स्थापना हो चुकी थी, उनका उत्थान और पतन वहाँ का साहित्य देख चुका था और आवश्यकतानुसार मंगोचन-पर्मिणोचन कर अथवा ममयानुकूल न होने पर सर्वथा नवीन धारणाओं को जन्म दे चुका था, वैसे स्थिति आज हमारे साहित्य की है ।

अतः आलोचना का ऐसी स्थिति में यह प्रमुख कार्य होना चाहिए कि प्रगतिशील जीवन मूल्यों को पूर्ण लेखकीय ईमानदारी के साथ मूर्त बलात्मकता में परिपूर्ण अभिव्यक्ति एवं प्राण प्रदान किए जाएँ ।

“The criticism to direct and dumb and efficacious. The valuation of the poet is expressed by the place he has voluntarily accorded in tribal society, the valuation of the poems by their repetition and survival”.—“Christopher Codwell”

साहित्य निर्माण का महान उत्तरदायित्व आलोचक एवं साहित्यकार दोनों पर है । अतः आलोचना का वास्तविक अर्थ होना चाहिए वह मूल्य-मर्मदायक शक्ति साहित्य की उपेक्षा कर (चाहे यह जिस किसी भी द्वारा किया गया हो) श्रेष्ठ निर्माणोन्मुख एवं प्रगतिशील तत्वों को आत्मगन्तु करने वाले साहित्य का उचित मूल्यांकन कर उसके रचनाकारों को उचित दिशा निर्दिष्टन करे । बला का कार्य केवल कर्तृत्व प्राप्त कर सका है और पाठक से ऊपर नहीं तक प्रभाव डाल सका है, इसे श्रेष्ठ करना ही आलोचना है ।

आलोचना का अर्थ आलोचक की अपनी शक्ति नहीं साहित्य की श्रेष्ठता एवं प्रगतिशील मानदण्ड होना चाहिए । श्रेष्ठ आलोचक श्रेष्ठ कृतियों को श्रेष्ठ घोषित करने में कभी संकोच नहीं करने और न सीमित परिधि में ही उसकी मर्मदा करके, चाहे वह उन्हें शक्तिवर प्रतीत हो या न हो ।

आलोचना के प्रकार

साधारणतया कहा जा सकता है कि जितने प्रकार के साहित्यिक विषय होंगे उतने ही प्रकार की आलोचना पद्धति भी होगी । निम्नी कृति की आलोचना करने समय आलोचक किस चीजों का विशेष ध्यान रखता है, उस रचना का उसके मन पर क्या प्रतिक्रिया होती है और किस सीमा तक वह उमंगे प्रभावित होता है । आलोचना का स्वरूप बहुत कुछ इसी भाव पर निर्भर करता है । ये सभी प्रश्न आलोचक के दृष्टिकोण से सम्बन्धित होते हैं और आलोचन के प्रकार आलोचक के इसी दृष्टिकोण की विभिन्नता के कारण निर्मित हो जाते हैं । इस प्रकार अनेक प्रकार की आलोचना पद्धतियों का जन्म होता है अतः आलोचना के वर्गीकरण की समस्या इसी दृष्टिकोण से सम्बन्धित है और यह दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक, वाच्यनिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्याख्यात्मक, तुलनात्मक, रचनात्मक, प्रभाव-अभिव्यक्त, समाजवादी, याकलावादी कुछ भी हो सकता है । आगे टिप्पणी में अनेक प्रकार की आलोचना पद्धतियों का प्रयोग हो रहा है जो इस प्रकार हैं—

१. ऐतिहासिक आलोचना-पद्धती
२. व्याख्यात्मक आलोचना-पद्धती
३. निर्णयान्तर आलोचना-पद्धती
४. वैज्ञानिक आलोचना-पद्धती
५. तुलनात्मक आलोचना-पद्धती
६. मनोवैज्ञानिक आलोचना-पद्धती
७. दार्शनिक आलोचना-पद्धती
८. व्याख्यात्मक आलोचना-पद्धती
९. प्रभाव-अभिव्यक्त आलोचना-पद्धती
१०. समाजवादी आलोचना-पद्धती
११. याकलावादी आलोचना-पद्धती

१४. प्रभावाभिध्वंजक आलोचना-प्रणाली
 १५. अभिध्वजनावादी आलोचना-प्रणाली
 १६. मनोविश्लेषणात्मक आलोचना-प्रणाली
 १७. प्रपत्तिवादी आलोचना-प्रणाली

१. ऐतिहासिक आलोचना-प्रणाली

इस आलोचना-प्रणाली का आधुनिक युग में खूब प्रचार एवं प्रसार हुआ है। साहित्य वस्तुनः जीवन की आलोचना करने के साथ ही समकालीन युग की परिस्थितियों से भी घनिष्ठ-रूप में प्रभावित होता है। व्यक्ति भी इन युगीन परिस्थितियों से अपने को पूर्णतया अलग-ग्यति में नहीं कर पाता। वह एक प्रकार से युग-नापेक्ष्य ही होता है और उग पर समकालीन परिस्थितियों का ही साहित्य की भाँति गहन प्रभाव पड़ता है। साहित्य और युग के मध्य परस्पर इन सम्बन्धों के स्पष्टीकरण करने का कार्य ऐतिहासिक आलोचना करती है।

ऐतिहासिक आलोचना-प्रणाली बालावरण तथा देहाकाल का पूर्ण विवरण अपने सामने रखकर आलोचना प्रक्रिया में मग्न होती है। इस आलोचना-प्रणाली का प्रयोग प्रमुख रूप से अंग्रेजी-साहित्य के प्रमुख इतिहासकार विद्वान 'टेन' Tenn ने किया है उन्होंने साहित्य के अध्ययन के लिए तीन तन्त्रों का विवेचन अवश्य माना है।

1. Race जाति
2. Milieu परिवेश
3. Moment समय-बिन्दु

'टेन' के इस सिद्धान्त के परस्पररूप साहित्य-आलोचन की नवीन भाव-सृष्टियाँ प्राप्त हुईं और युगीन परिस्थितियों में जातीय चेतना की पुष्टभूमि में साहित्य का अनुचित अध्ययन करने की श्रेणी प्राप्त हुई। इस समीक्षा प्रणाली में इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि किसी रचना ने युग के साहित्यिक, सांस्कृतिक, एवं सामाजिक वातावरण पर अपना प्रभाव किस अंश में डाला है। यदि वह प्रभाव अधिष्ठ पाया में है, तो निरक्षय ही वह कृति देखे है और यदि नहीं, तो वह कृति निम्न श्रेणी की है।

करी यह प्रश्न भी उत्पन्न हो सकता है कि ऐतिहासिक आलोचना प्रणाली के आलोचक का इतिहासकार होना भी आवश्यक है।

इतिहासकार और आलोचक का दोष बाधक में अन्त-अन्त है और यह आवश्यक नहीं कि श्रेष्ठ इतिहासकार आलोचक भी हो।

"The historian of a literature must be distinguished from the critic of literature"

इस आलोचना-प्रणाली का माध्यम इतना करने वाले को इतिहास का दृष्टिकोण में आशय दान करना पड़ता है। अर्थात् इस पद्धति के अन्तर्गत किसी रचना की समीक्षा करने समय रचनाकार को पूर्णतः तथा समरालीन इतिहास का प्रमुख रूप में ध्यान रखना पड़ता है।

इस प्रणाली की भी आलोचना की गई, क्योंकि किसी गालिये का संस्कृत में शब्द वातावरण अथवा देनापद ही नहीं होता। यदि ऐसा हो तो गालिये की वास्तविक विशेषता समाप्त हो जाय और कोई भी श्रेष्ठ गालिये असम्भव पद नहीं प्राप्त कर सकेगा।

अन्य दोष यह भी है कि रचना को उसके वास्तविक स्वरूप में न पर्य्य कर लेना कार्य का कार्य तथा वाक्य का सम्बन्ध निश्चित किया जाता है, जिसमें स्वयं रचना का मूल्य न्यून हो जाता है।

अन्य दोष यह भी है कि रचना, प्रक्रिया को पूर्ण परिस्थितियों के सदर्भ में मूल्यांकित किये जाने के परिणामस्वरूप शक्ति की भी पूर्ण उद्देश्य होती है। अतः ज्ञान, परिश्रम और समय-बिन्दु के साथ लेखकीय व्यक्तित्व को स्वीकार करने के उद्देश्य ही इस समीक्षा का तर्क समन रूप सामने आ सकता है।

इस प्रणाली का जन्म मध्ययुग में भारतवर्ष के वैदिक में हुआ और समुद्रना आचार्य शूल के संरक्षण में प्राप्त हुई।

२. व्याख्यात्मक आलोचना-प्रणाली

व्याख्यात्मक आलोचना-प्रणाली (Interpretative criticism) का जन्म जर्मनी के विचारकों के कारण हुआ। उन्होंने कला की अत्यन्त विस्तृत एवं सूक्ष्म व्याख्या कर इस आलोचना की उपयोगिता सिद्ध की और सीधे ही इसकी ओर

साहित्य विचारको एव चिन्तको का ध्यान जाने लगा और इसके फलस्वरूप प्रचार एव प्रसार तीव्रता में हुआ । इंग्लैण्ड में इसका प्रचार वॉल्टीर ने और ऑनरेन्द ने किया तथा लोडप्रिय बनाने में फेक्टर का प्रमुख हाथ रहा ।

इस आलोचना-प्रणाली ने आलोचको को इस बात का निर्देश दिया कि वे किसी रचना की आलोचना करने के पूर्व उसकी अन्तरात्मा में गहरे और सत्त्वनीयता पूर्वक बैठने का प्रयत्न करें और उस वातावरण एव अनुभवों का उद्घाटन करें; जिनही छाया में कलाकार ने उस रचना-विशेष का गूजन किया होगा और तभी वे आलोचना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण कर सकेंगे ।

यह आलोचना-प्रणाली समीक्षा के व्यक्तिगत मान-दण्डों की स्थापना पर बल देती है । यह रचनाओं में निर्णयात्मक आलोचना की भाँति ऊँच-नीच का भेद नहीं मानती । यह साहित्यकार या कलाकार की अपनी सृष्टि की विशेषताओं को अस्वीकार न कर उन्हें प्रोत्साहन देती है । यह नियमों को प्रगतिशील और परिवर्तनशीलता के नियमों में प्रभावित स्वीकार करती है । गोल्डन के अनुसार—

“व्याख्यात्मक आलोचना-प्रणाली में साहित्य की परीक्षा शुद्ध अन्वेषण के वातावरण में होती है इस आलोचना-प्रणाली का जन्म तभी होता है, जब किसी रचना की आलोचना करने के समय इतिहास का तथा उसमें भी पूर्व इतिहास का आश्रय ग्रहण कर उसकी रचना का मूल्यांकन किया जाता है ।”

यह प्रणाली प्रत्येक रचना को आलोचना के लिए न्यूनतम इकाई स्वीकार करती है । इस प्रणाली के दो मुख्य तत्व हैं—

१. वैज्ञानिक यथार्थ भाव
२. वैज्ञानिक तटस्थता

इस प्रणाली में आलोचक एक वैज्ञानिक की भाँति किसी रचना की आलोचना करता है और निरपेक्ष भाव में उसकी समीक्षा करता है । इसका कारण यह है कि कला की मूलश्रेणी, उद्देश्य प्राप्ति तथा उसकी श्रेष्ठता एव उपयोगिता का निर्णय केवल व्याख्या द्वारा ही सम्भव हो सकता है । अतः आलोचक जिन वृत्तियों को आलोचना के लिए उठाए वह उन्हीं उम उम रचना के मूलभावों

तक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए, जो स्वयं कलाकार की मानसिक स्थिति में पूर्ण-तादाम्य रखता हो और जिससे प्रेरणा ग्रहण करके कलाकार ने अपनी कला का सृजन किया हो। आलोचक में यह सामर्थ्य तभी सम्भव है, जब उसमें प्रेयगीयता के भावों के साथ उदारता एवं भावनात्मकता अनिवार्य रूप से विद्यमान हो। उसके व्यक्तित्व में उदात्तीकरण की अनुपम प्रवृत्ति होनी चाहिए तथा दूसरे के भावों एवं प्रेरणागन्धि के स्रोतों को ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। व्याख्यात्मक आलोचना में आलोचक अन्वेषक के रूप में होता है।

हिन्दी में आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल को व्याख्यात्मक आलोचना-प्रणाली का सूत्रपात करने का श्रेय प्राप्त है। सूर तुलसी और जायसी पर लिखी गई उनकी आलोचनाएँ इसी प्रकार की हैं। डा० लक्ष्मीसागर वाष्णोय वृत्त 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' आधुनिक युग में काव्यात्मक आलोचना-प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

३. निर्णयात्मक आलोचना-प्रणाली

मुनिश्चित शास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर किसी रचना का मूल्यांकन करना निर्णयात्मक आलोचना-प्रणाली कहलाती है। एक लेखक के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना उसी प्रकार अनिवार्य होता है। जिस प्रकार साधारण नागरिकों को शासकीय विधानों का पालन करना होता है। प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निर्णय करना है।

इस आलोचना-प्रणाली को स्वीकार करने वाले आलोचकों के दो वर्ग हैं— एक वर्ग परम्परागत आलोचकों का है, जो इस बात में विश्वास रखता है कि जो कुछ प्राचीन साहित्य में रचा गया है और प्राचीन साहित्यकार हुए हैं, वहीं श्रेष्ठ हैं अद्वितीय हैं, भविष्य में अथवा वर्तमान काल में न तो उनके श्रेष्ठ साहित्य की रचना ही हो सकती है और न उनके अद्वितीय साहित्यकार ही हो सकते हैं। ऐसे आलोचकों के अनुसार अब पुनः 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' की रचना नहीं हो सकती और न उनकी अद्वितीय रचनाएँ रची जा सकती। प्रस्तुत यहाँ स्वभावतः यह उद्घाटन है कि फिर क्या वर्तमानकाल अथवा भविष्य में ऐसी श्रेष्ठ रचनाएँ

क्या रचना का संकेत ? यदि रची जा सकती तो उसी रचना का आधार क्या होगा ? इस वर्ग के ज्ञानियों ने इसका उत्तर अपना विविध ढंग में दिया है । उनके अनुसार वर्तमान काल अथवा भविष्य के साहित्यकारों को इन प्राचीन साहित्यकारों का अनुसरण करना पड़ेगा । उनके द्वारा अपनाये गये मार्ग के अद्वयत्व से ही श्रेष्ठ साहित्य की रचना सम्भव हो सकती है । पर दूसरा वर्ग इस रुझान, परम्परागत आलोचकों की मान्यताओं से सहमत नहीं हुआ । इन वर्ग के अनुसार प्राचीन साहित्यकारों का ध्यान अद्वैतीय तो है, साथ ही उनके द्वारा रचा गया साहित्य भी श्रेष्ठ है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भविष्य में ऐसे श्रेष्ठ-साहित्य, की रचना नहीं हो सकती । इस सम्बन्ध में यह वर्ग निरगन्तावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता । यह वर्ग तो स्वीकार करता है कि इन श्रेष्ठ साहित्यकारों के मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, पर यह नहीं स्वीकार करता कि बिना उनके श्रेष्ठ साहित्य की रचना सम्भव ही नहीं है, इस अनुसरण के साथ यह वर्ग यह भी मानता है कि गौन्दयंपूर्ण मिथ्याओं का भी सम्भव किया जाना चाहिए, नभो श्रेष्ठ आलोचना सम्भव हो सकती है ।

दोष

निर्णयात्मक आलोचना-प्रणाली का बड़ा दोष तो यह हुआ कि उसमें साहित्यालोचन के क्षेत्र में जीवन, युग, वातावरण एवं समाजगत परिस्थितियों के परीक्षण आदि की ओर से आलोचकों का ध्यान हटा दिया और उन्हें साहित्य के कलापक्ष तक ही सीमित रहने के लिए बाध्य किया । जिसके फलस्वरूप साहित्य के कलापक्ष की ओर ही ध्यान देने के कारण यह आलोचना-प्रणाली एकांगी हो गई । इन आलोचकों ने कलापक्ष की ओर ध्यान दिये जाने का कारण यह बताया कि युगीन-परिस्थितियाँ और युग-मन्य तथा चेतना निरन्तर परिवर्तनशील हैं । भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिककाल में क्रम से निरन्तर युगीन-परिस्थितियाँ विभिन्न स्वरूप ग्रहण करती रही हैं । उनकी परिवर्तनशीलता के कारण उन्हें साहित्य का स्यायी मानदण्ड नहीं स्वीकार किया जा सकता और इसीलिए इन आधरों पर साहित्यालोचन भी नहीं किया जाना चाहिए ।

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और मिथ्र बन्धुओं ने इस आलोचना का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया था और आधुनिककाल में तो निर्णय देने की जगह एक सामान्य सी प्रवृत्ति ही आलोचकों में बन गई है। अतः कोई भी आलोचक जब तक निर्णय नहीं देता, तब तक वह अपने आलोचक धर्म को अपूर्ण समझता है। आधुनिककाल में निर्णय-रहित आलोचना का प्रयत्न खूब हुआ है।

४. नैसर्गिक आलोचना-प्रणाली

इस आलोचना-प्रणाली में आलोचक को नियमों अथवा विधानों का पालन नहीं करना पड़ना और उसे पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी है एक प्रकार से यह अपनी व्यक्तिगत रचि अथवा अरुचि पर ही किसी कृति की समीक्षा करता है। कोई कृति उसे बहुत अच्छी लगती है इतना ही यथेष्ट है और इसीलिए वह रचना आलोचना की कसौटी पर थोड़ा ठहराई जाती है। वह रचना आलोचक को मनों अच्छी लगती है और उसकी तुलना में दूसरी रचनाएँ कबो बुरी लगती हैं; इसका उत्तर देने के लिए आलोचक बाध्य नहीं होता है। वह तो बस इतना कह कर बात समाप्त कर देता है कि अमुक रचना ने उस पर गहरा प्रभाव डाला है और उसकी मन स्थिति को शक़्तोर दिया है। इसीलिए वह उस रचना को अन्य रचनाओं से थोड़ा ठहराता है।

इस प्रणाली के अन्तर्गत साहित्यकार का भावपक्ष किस प्रकार का है, रचनाकार ने कौन सा मदेश अपने पाठकों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है, उस मदेश की क्या उपयोगिता है, युगीन-जीवन, परिस्थितियों एवं वातावरण का चित्रण उसकी रचना में किस स्तर पर हुआ है और इन सबके प्रति कलाकार की ईमानदारी और सत्यता कितनी रही है अथवा साहित्य का कलापक्ष किस स्तर का है, भाषा-शैली और कलात्मकता का निर्वाह किस प्रकार हुआ है, यदि काव्य सुन्दर है तो अडकार, रम, छन्द और गिगल आदि के प्रयोग में मौन्दर्य योष की वृद्धि किस स्तर पर हुई है, यदि उपन्यास, नाटक आदि की पुस्तक है तो पात्र किस प्रकार के हैं, उनका चरित्र-चित्रण किस प्रकार का है कथानक विनय आदि का निर्वाह किस प्रकार हुआ है, आदि कुछ ऐसे मौन्दिक प्रश्न हैं जिनको और आलोचकों का ध्यान विन्मूल नहीं जाना। इनमें उनका कोई सम्बन्ध नहीं

होता । वह अपनी रुचि की ओर रचना के पड़ने वाले प्रभाव की माप करता है । यही नैसर्गिक आलोचना-प्रणाली है ।

५. परिचयप्रधान आलोचना-प्रणाली

पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः पुस्तक-समीक्षा का एक स्तम्भ होता है । जिसमें कृति की विनेयताओं एवं अभावों का विवरण दिया जाता है । यह परिचय प्रधान आलोचना कहलाती है । 'समालोचक', सुदर्शन, 'सरस्वती' आदि पत्रों के माध्यम में इस परिचयप्रधान आलोचना-प्रणाली का सूत्रपात हुआ ।

यह आलोचना का श्रेष्ठ रूप नहीं है । इसमें सम्भीरता की ही प्रधानता रहती है । इसका सम्बन्ध पत्रकारिता में अधिक होने के कारण इस प्रकार की आलोचना-वृद्धि पर पत्रकारिता शैली का अधिक प्रभाव पड़ा है । जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, इसमें परिचय की ही प्रधानता रहती है, आलोचना तो नाम मात्र की होती है आलोचक विनी भी कृति का परिचय पाठकों को और ग्राह्य क्षेत्र को करा देता है । आज का परिचयप्रधान आलोचना-प्रणाली का रूप अल्पतः दूषित हो गया है ।

पत्र-पत्रिकाओं में उन्ही पुस्तकों की 'समीक्षा' की जाती है, जो उस पत्र के सम्पादक के मित्रों या विनोदियों या उनके वर्ग के लेखकों द्वारा लिखी जाती है । इस प्रणाली में प्रसंगात् अत्यन्त प्रबल होता है, वैमिश्र-रंग की बातें की जाती हैं और विद्वत् की श्रेष्ठ कृतियों के समान स्तर पर रखकर उनके रचना-कार को महान् टटाराने का प्रयत्न किया जाता है । इसका दूरगम रूप भी तब प्रचलित होता है जब सम्पादक महोदय को अपने विनोदी वर्ग के लेखकों को गालियाँ गुनानी होती हैं ।

इस प्रणाली में तर्क-वृद्धि का कोई स्थान नहीं होता है और जो मन में आता है वह दिया जाता है । इस दृष्टि में यह नैसर्गिक-आलोचना-प्रणाली के निराट टटरती है । एक प्रकार में किसी रचना के सामान्य-परिचय के लिए यह प्रणाली यथेष्ट है ।

६. तुलनात्मक आलोचना-प्रणाली

इस प्रणाली में कवियों और लेखकों की रचनाओं की तुलना अन्य भाषा

और साहित्य के दूमरे कवियों एव लेखकों से की जाती है और उनकी विवेक-ताओं एव आभावों की समीक्षा की जाती है। दो कवियों अथवा लेखकों की परस्पर तुलना में पाठकों के मन में किसी कवि अथवा लेखक की श्रेष्ठता एव महानता का स्पष्टीकरण किया जाता है। इससे श्रेष्ठता सम्बन्धी प्रचलित धारितियों के निराकरण में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रणाली में तुलना के आधार पर एक कवि अथवा लेखक को न्यून महत्व का और दूसरे को उससे श्रेष्ठ महत्व का सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है।

इस आलोचना-प्रणाली में यदि आलोचक अपने को पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं कर पाता, तो कभी आलोचना के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। यही प्रवृत्ति इस आलोचना के न्याय-सगत एव तर्क-सगत रूप को कलुषित कर देती है, क्योंकि यह तो निश्चित है कि यदि आलोचक के मन में किसी कवि अथवा लेखक को श्रेष्ठ सिद्ध करने की भावना पहले से ही बनी हुई है तो वह कला एवं रचना-प्रक्रिया को गौण स्थान प्रदान करेगा।

इस प्रणाली में व्युत्पत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए आलोचक को विभिन्न कालों की युगीन-चेतना, साहित्यिक-प्रवृत्तियों, मानसिक एव आध्यात्मिक विकास सूत्रों का आकलन एवं चिन्तन करना पड़ता है। जब तक आलोचक का ज्ञान विशद एव व्यापक धरातल पर निर्मित नहीं होगा, वह इस प्रकार की आलोचना करने में सफल नहीं हो सकेगा और न आलोच्य कृति के साथ न्याय कर सकेगा।

यह आलोचना-प्रणाली यह स्वीकार करती है कि हिन्दी में इस प्रणाली का प्रारम्भ श्रेष्ठ ढंग से आचार्य पर्सासिंह शर्मा कृत 'बिहारी सतसई' की आलोचना से प्रारम्भ हुआ और आज तो इसका प्रयोग खूब होता है, पर तुलना करते समय जो बात सबसे अधिक ध्यान में रखने की है, वह यह कि तुलना के लिए चुने हुए या चुने गए दोनों लेखकों और रचनाओं का क्षेत्र एक ही हो, प्रवृत्तियाँ एक ही और विषयवस्तु में मूल-भूत समानता हो, इसकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है; इसलिए आज होने वाली तुलनात्मक-आलोचना बड़ी हल्की और शून्यास्पद प्रतीत होती है।

५. जीवन वृत्तान्तीय आलोचना-प्रणाली

इन आलोचना-प्रणाली में लेखकीय व्यक्तित्व का प्रमुख ध्यान रखा जाता है। इसके प्रवर्तक अंग्रेजी कवि और लेखक जॉन ड्राइडेन माने जाते हैं। इस आलोचना-प्रणाली में समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलाकार के व्यक्तित्व की माप की जाती है। इसका प्रारम्भ कवियों की जीवनी एवं आलोचना लिखने के मन्दर्भ में हुआ। इन प्रकार ऐतिहासिक आलोचना-प्रणाली के मुख्य दोष का परिहार कर कुछ अंशों में समाहार हो गया, जिसमें कलाकार के व्यक्तित्व की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी। इन आलोचकों ने यह प्रतिपादित किया कि जब तक किसी कवि या लेखक के जीवन वृत्तान्तों में हम पूर्णतया परिचित न हों तब तक आलोच्य कृति के माध्यम पूर्ण-रूप में न्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि कवि या लेखक जो जीवन जीता है उसका प्रभाव उसकी रचनाओं पर महत्तम रूपों में पड़ता है प्रेमचन्द के जीवन की कथा, उनकी आर्थिक विपन्नताएँ, उन्होंने जिस शोषण वृत्ति एवं अभिगाप को सहन किया था और अनमेल विवाह की जिस विभीषिका से गुजरे थे, उनका साहित्य इन तथ्यों में अछूना न रह सका।

अतः जीवनवृत्तान्तीय आलोचकों के अनुसार जब तक इस जीवन में सम्बद्ध परिस्थितियों एवं वातावरण का प्रामाणिक अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक उनकी की गई आलोचना एकांगी एवं दोषपूर्ण होती है। इस प्रकार इस आलोचना-प्रणाली में कला तथा कलाकार की विपन्नता पूर्ण-परिस्थितियों का समाहार होता है। और उनका समाधान समन्वयात्मक पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किया जाता है। इस आलोचना-प्रणाली के माध्यम में कलाकार और पाठक के बीच का व्यवधान समाप्त हो जाता है और कलाकार का वास्तविक स्वरूप उपयोगी ढंग में प्रस्तुत हो पाता है।

प्रायः लेखक निम्न करना चाहते हैं कि जो कुछ वे जीते हैं, भोगते हैं, कुंठा अवसाद, हर्ष एवं उन्माद की जिन परिस्थितियों में वे बनते-विगडते हैं टूटते-बिखरते हैं, उनके साहित्य का इसमें कोई सम्बन्ध नहीं। यह आलोचना-प्रणाली लेखकों के इन दावों और घोषणा की परीक्षा कर उनकी पर्दाफाश करती है।

और भाष्य के दूगरे कविता एवं लेखक के की जाती है और उसी विवेक-
 गापी एवं भाषावादी की भाषाशास्त्र को जाती है । जो कविता अथवा लेखक को
 परम्परा मूलना में पाठकों के मन में विवेक कवि अथवा लेखक को धेरेगा और
 मतागतता का स्थापितकरण किया जाता है । इसमें धेरेगा महत्त्वपूर्ण प्रकृति
 भाषावादी के निगमकरण में मतागतता प्राप्त होती है । इस प्रणाली में मूलना के
 आधार पर एक कवि अथवा लेखक को मूल मतागतता का और दूगरे को उनके
 धेरे मतागतता का सिद्ध करने की धेरेगा को जाती है ।

इस आलोचना-प्रणाली में यदि भाषावादी अथवा लेखकों में कुछ नहीं
 कर पाया, तो अभी आलोचना के माध्यम से ही कर सकेगा । यही प्रकृति
 इस आलोचना के स्थापनागत एवं महत्त्वपूर्ण रूप को कल्पित कर देती है।
 क्योंकि यह भी निश्चित है कि यदि भाषावादी के मन में विवेक कवि अथवा
 लेखक को धेरे सिद्ध करने की भावना पहले में ही नहीं हुई है तो यह क्या
 एवं रचना-प्रक्रिया को गीत स्थापन प्रदान करेगा ।

इस प्रणाली में व्युत्पत्ति पर विवेक ध्यान दिया जाता है । इसमें विवेक
 आलोचक को विभिन्न कालों की सुगीत-धेरेना, साहित्यिक-प्रकृतियों, मानविक
 एवं आध्यात्मिक विकास मूलों का आकलन एवं विवेक करना पड़ना है । जब
 तक आलोचक का ज्ञान विवेक एवं व्यापक पराक्रम पर निर्भर नहीं होगा, वह
 इस प्रकार की आलोचना करने में सफल नहीं हो सकेगा और न आलोच्य कृति
 के माध्यम से ही कर सकेगा ।

यह आ
 प्रारम्भ
 से
 " चूने
 ?

... २
 ...
 आज तो
 अधिक
 दोनो
 ... मे
 आज

करती है कि हिन्दी में इस प्रणाली का
 कृत 'बिहारी मतसई' की आलोचना
 ... खूब होना है, पर तुलना करते
 की है, वह यह कि तुलना के लिए
 ... का धेरे एक ही हो, प्रकृतियों
 ... ही, इसकी प्रायः उपेक्षा कर
 ... आलोचना बड़ी हल्की और

जीवन वृत्तान्तीय आलोचना-प्रणाली

इस आलोचना-प्रणाली में लेखक के व्यक्तित्व का प्रमुख ध्यान रखा गया है। इसके प्रयत्न अनेकों कवि और लेखक जिन द्वारा जिन माने जाते हैं। आलोचना-प्रणाली में समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलाकार के व्यक्तित्व की माप की जाती है। इसका प्रारम्भ कवियों की जीवनी एवं आलोचना लिखने के मन्दिरों में था। इस प्रकार ऐतिहासिक आलोचना-प्रणाली के मुख्य दोष का परिहार कर उ अन्त में समाहार होना जिसमें कलाकार के व्यक्तित्व की पूरा उद्देश्यता की जाती थी। इन आलोचकों ने यह प्रतिपादित किया कि जब तक किसी कवि या लेखक के जीवन वृत्तान्तों में हम पूर्णतया परिचित न हो तब तक उचित कृति के माप पूर्ण-रूप से न्याय नहीं किया जा सकता क्योंकि कवि या लेखक जो जीवन जीता है उसका प्रभाव उसकी रचनाओं पर गहनतम रूप में पड़ता है प्रेमचन्द के जीवन की कथा उनकी आधिक विषमताओं उन्हीं जैसा शोषण कृति एवं अभिगाप को गहन किया था और अनमेल विवाह की जैसा विभीषिका में गुजरे थे, उनका साहित्य इन तथ्यों में अछूना न रह सकता।

अतः जीवन्मुत्तान्तीय आलोचकों के अनुगार जब तक हम जीवन में सम्बद्ध परिस्थितियों एवं वातावरण का प्रामाणिक अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक उमकी ही गई आलोचना एकांगी एवं दोषपूर्ण होती है। इस प्रकार इस आलोचना-प्रणाली में कला तथा कलाकार की विषमता पूर्ण-परिस्थितियों का समाहार होना है। और उनका समाधान समन्वयात्मक पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किया जाता है। इस आलोचना-प्रणाली के माध्यम से कलाकार और पाठक के बीच का व्यवधान समाप्त हो जाता है और कलाकार का वास्तविक स्वरूप उपयोगी ढंग में प्रस्तुत हो पाता है।

प्रायः लेखक निम्न करना चाहते हैं कि जो कुछ वे जीते हैं, भोगते हैं, कुण्डा अवसाद, हर्ष एवं उल्लास की जिन परिस्थितियों में वे बनते-बिगडते हैं टूटने-बिखरते हैं, उनके साहित्य का हममें कोई सम्बन्ध नहीं। यह आलोचना-प्रणाली लेखकों के इस दावे और घोषणा की परीक्षा कर उसका पदांकाण करती है।

एक कथाकार के व्यक्तिगत जीवन को एक रूप में प्रस्तुत करे को ही कहते हैं। इस प्रकार कहना कि कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है। कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है। कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है। कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है।

इस आलोचना के अन्तर्गत हमें यह समझना पड़ेगा कि कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है। कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है। कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है। कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है।

इस आलोचना के अन्तर्गत हमें यह समझना पड़ेगा कि कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है। कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है। कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है। कथाकार का जीवन ही कथा है, यह ठीक नहीं है।

इस प्रकार इस आलोचना-प्रणाली में साहित्यिक तथ्यों पर कम, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है। अतः किसी कथा को वास्तविक मूल्यांकन मन्दित्र्य ही जाना है, शर्माजी यह आलोचना-प्रणाली अपना ही एक अङ्ग है।

८. सर्वोपजात्मक आलोचना-प्रणाली

हिन्दी में आलोचना के प्रारम्भ होने के पश्चात् इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि प्राचीन कवियों के जन्म स्थान, समय, जीवन-वर्षिकों, रचनाओं के प्रकाशन समय एवं रचना विषयों तथा उन पर तत्कालीन अथवा आधुनिक एवं राजनीतिक प्रभावों की सम्यक् परीक्षा एवं अन्वेषण

कर उनकी प्रामाणिकता निर्धारण की जाय-यह गरीबनाम्बक या अनुभवानात्मक कार्य गरीबनाम्बक आलोचना प्रणाली के अन्तर्गत ही आता है ।

इस आलोचना-पद्धति का प्रारम्भ पाश्चात्य दशक एवं पंद्रहवीं सदी के मध्य में ही माना जाना चाहिए । अनेक अनुभवान केन्द्रों एवं विश्वविद्यालयों में होने वाले शोधकार्य इसी प्रणाली (गरीबनाम्बक आलोचना-प्रणाली) के वास्तविक स्वप्न हैं ।

इस प्रणाली में अन्वेषण को बड़ा महत्व दिया जाता है । अर्थात् गये मन्त्रों, तथ्यों की खोज करना, जिनमें अभी तक साहित्य मगार अग्रगणित था, और जिनमें अभाव में अभी तक सम्बन्धित कवि अथवा लेखक की समीक्षा एकांगी थी, इस पद्धति के मुख्य कार्य हैं । इसमें वैज्ञानिकता का बड़ा प्रभाव पड़ता है और प्राप्त तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग में प्रस्तुत किया जाता है । इस प्रणाली की सफलता इसी में अन्तर्निहित रहती है ।

९. शास्त्रीय आलोचना-प्रणाली

सम्वृत अलंकार-शास्त्र के आदर्शों के अनुसार शास्त्रीय-पद्धति पर किसी कृति की आलोचना करना शास्त्रप्रधान-आलोचना कहलाती है । पुनरुत्थान काल में ही शास्त्रीय आलोचना-प्रणाली की स्थापना हुई । उस काल में ग्रीस और रोम में काव्यात्मक प्रतिभा अपने सर्वोच्चशिखर पर थी और उनका अनुकरण कर काव्य-रचना करने की प्रवृत्ति सामान्य रूप से कवियों में प्रचलित हो रही थी । इस काल में मध्ययुगीन काव्य, नाटक आदि की अवहेलना की गई और अरस्तू होरेस, क्विन्टीलियन आदि को महत्व प्रदान कर उनके द्वारा स्थापित विष्णु शास्त्रीय नियमों में प्रेरणा ग्रहण की गई । इस दृष्टि से अरस्तू के ग्रन्थ 'POETICS' का उल्लेखनीय स्थान है ।

इस प्रकार प्राचीन रचनाओं में प्रेरणा एवं आदर्श का अनुकरण कर काव्य-मीमांसा-नाम्न्यो ग्रन्थों की रचना हुई, जिसके फलस्वरूप शास्त्रीय परम्पराओं का अनुगमन करने और उगी के आधार पर रचनाओं के मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ । काव्य में इस प्रवृत्ति के अनुसार कलापक्ष पर विशेष जोर दिया जाने लगा और उक्ति-वैचित्र्य, रस, अलंकार इत्यादि

विगल, दास्य, समन्तार, वाचस्पत्योक्तता आदि वाच्य पदों को ही वाच्य की श्रेष्ठता की समीक्षा कर लिया गया और उन्हीं के आधार पर रचनाओं की श्रेष्ठता का निर्धारण किया जाना गया। इस प्रणाली का आलोचना-वाच्यत्व मूल्यों को वाच्य पदों पर आधारित करने वाला बताया है।

भारतवर्ष में वाच्यत्व आलोचना पद्धति का प्रचार एवं प्रसार बहुत प्राचीन है। उम्र समय स्यात्तु लिए गये साहित्य-वाच्यत्व मूल्यों निर्देशों के अनुसार उनमें प्रेरणा प्राप्त करने ही कवियों ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की थी। हिन्दी में इस आलोचनापद्धति के वाच्यत्व स्वयम् की प्रस्तुत करने का एक आधार महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा मिश्र कवियों को है। इस प्रणाली के अन्तर्गत 'विष्णुदेव चरित' 'नैषध चरित' 'हम्भीर हठ' की आलोचना का प्रमुग स्थान है।

पश्चिम में इस आलोचना-पद्धति को 'कलासिबल आलोचना पद्धति' भी कहा गया है। वहाँ श्रेष्ठ लेखकों को निःसकीर्ण कलासिबल लेखक और उनकी रचनाओं को कलासिबल रचनाएँ कहा गया। बाद में इस अर्थ का और प्रचार हुआ और उन लेखकों को भी इस वर्ग के अन्तर्गत रखा जाने लगा, जिनमें प्राचीन-मौरव, मर्यादा एव ससृति का चित्रण होता था। इस प्रकार के लेखकों में मन, बुद्धि, भाषा और शैली का श्रेष्ठ एव प्रौढ़ रूप होना अनिवार्य माना गया।

—“टी० एम० इलियट”

इस आलोचना प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि पहले ही यह स्वीकार कर लिया जाता है कि प्राचीन आधारों ने साहित्य के सम्बन्ध में जो मान्यताएँ निर्धारित कर दी थी वे एक प्रकार से अतिम हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई और मान्यता नहीं हो सकती। श्रेष्ठ-साहित्य का सृजन इन्हीं मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए। पर प्रायः ये नियम रुढ़िता एवं सकीर्णता का परिवेश अपने चारों ओर निर्मित कर लेते हैं और इन दोषों के अतिरिक्त उनका

सृजन साहित्य-प्रवाह की गतिशीलता एवं प्रगति को अवरुद्ध कर देता है।

साहित्य के गौरव एवं विकास के लिये हानिप्रद एवं दोषपूर्ण होता है।

१०. सिद्धान्तप्रधान आलोचना-प्रणाली

इस आलोचना-प्रणाली में पश्चात्य-साहित्य-सिद्धान्तों एवं संस्कृत साहित्य-

शास्त्र के सिद्धान्तों के परम्पर समन्वय के आधार पर किसी कृति की आलोचना की जाती है। इन दोनों ही प्रकार के सिद्धान्तों को प्रमुख-विशेषताओं एवं मान्यताओं के आधार पर ही किसी रचना की परम्परा की जाती है। इस दृष्टि से 'नदरम', 'अठकार प्रकाश', 'वाच्य वरपद्म' आदि महत्वपूर्ण हैं। ये ग्रन्थ भारत के रामदास, भामह, दण्डी, उद्भट और रदट के अठकारवाद वामन के रीतिवाद, कुन्तक के वक्रोक्तिवाद तथा आनन्दवर्द्धन के ध्वनिवाद के सिद्धान्तों के अनुसार रचे गये हैं। पश्चिमी सिद्धान्तों के आधार पर समालोचना करने की प्रवृत्ति जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' वृत्त 'समालोचनादर्श' में दृष्ट्य है। यह उनका मौलिक ग्रन्थ न होकर पोप के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ऐसे, आनन्वितिसिद्धि' का पश्चात्काल अनुवाद है। 'पद्मलाल पुत्रालाल दरशी' की पुस्तक 'विश्व-साहित्य' भी इसी प्रकार की पुस्तक है। जिसमें पश्चिमी समालोचनादर्श पर आधारित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने कई निबन्ध इसी आधार पर लिखे हैं।

११. अनुभावात्मक आलोचना-प्रणाली

निरीक्षण, विश्लेषण एवं वर्गीकरण के आधार पर की गई किसी रचना की आलोचना को अनुभावात्मक आलोचना-प्रणाली कहते हैं। यह आलोचना की सबसे पुरानी प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार यह सिद्ध किया जाता है कि प्रत्येक रचना का वैज्ञानिक मूल्यांकन सम्भव है, जिसका अनुगमन कर आलोचना साहित्यिक-नियम-विधानों का निर्माण कर सकती है।

इस प्रणाली के अनुकरण में सबसे प्रमुख कठिनाई यह अनुभव की गई कि वैज्ञानिक प्रयोगों में तो स्थायित्व ही सबूत है, पर साहित्य के क्षेत्र में यह स्थायित्व सम्भव नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र में किसी की बहकाने या बहकाने की गुंजाइश नहीं होती है। वहाँ दो और दो मिलकर हमेशा चार ही होंगे, तीन नहीं। पर साहित्य के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी धारणाएँ एवं मान्यताएँ होती हैं, जिनके आधार पर ही व्यक्तियों के मध्य परस्पर भिन्नता प्रतिपादन की जाती है। अपनी इन्हीं भिन्न मान्यताओं एवं धारणाओं के आधार पर

किमी रचना के सम्बन्ध में कोई आलोचक अपना निर्णय देगा ।

१२. रचनात्मक आलोचना-प्रणाली

जब आलोचक किसी रचना विशेष को अपनी अनुभूति के स्तर पर स्तर पर संबंधी भिन्न और नवीन रचनात्मक कृति की दृष्टि करता है, तब उसे आलोचक का व्यक्तित्व आलोचना के माध्यम प्रकट होता है, तो उसे रचनात्मक आलोचना कहते हैं ।

रचनात्मक-साहित्य ही यम्बुन जीवन को आलोचना है । आलोचक को अपने अध्ययन एवं यम्बुओं को मध्यम रूप में परगते की दृष्टि की दायता में ऐसी विचारधारा को जन्म देना चाहिए और उसका इतना प्रसार करना चाहिए कि रचनात्मक प्रतिभा को उत्तेजना, साथ ही नवीन जीवन तन्व प्राप्त हो—

आलोचना और रचना में कोई मौलिक भेद नहीं है और साहित्य के क्षेत्र में वे एक दूसरे के पूरक हैं । एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में उगने रचना और आलोचना दोनों की ही सम्भावनाएँ परिलक्षित की । किसी कलात्मक कृति की रूप सम्बन्धी व्यवस्था तभी सम्भव है, जब कलाकार में रचनात्मक-प्रतिभा भी हो ।

“इस आलोचना-प्रणाली की मान्यता है कि कोई भी कवि या लेखक तब महान बन सकता है जब वह महान आलोचक भी हो । “कला” रचनात्मक प्रक्रिया में आलोचनात्मक होती है और आलोचना कृति के पुनर्निर्माण में रचनात्मक होती है ।”

रचनात्मक आलोचना-प्रणाली के अनुसार आलोचक बाह्यजगत और अन्त-जगत का निरीक्षण करता है । कवि में भाव ग्रहण करने की अनुपम शक्ति होती और वह इस सृष्टि में प्रत्येक बात का अनुभव वास्तव रहित मन से करता है, पूर्वाग्रहों अथवा दुराग्रहों से पूर्णतया मुक्त होता है । बाह्यजगत तथा अन्त-के निरीक्षणोपरान्त वह जो भी अनुभव प्राप्त करता है उनका चिन्तन करता है, इसमें कवि में अन्तर्वर्गीय उत्कर्षण की अनुभूति होती है । तब रचना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है । इसी स्थिति में रचना

के विभिन्न-प्रकार प्रकटित होते हैं । दूसरे शब्दों में इसे 'सामाजिक-व्यक्तिगत' कहा जा सकता है जिसमें स्वभाव-व्यक्ति स्वभाव होती है । आदर्श के अनुसार हम के चेतन रूप है—अन्तर्गत चेतन और बाह्य-व्यक्ति । आलोचना-प्रक्रिया के अनुसार स्वभाव-व्यक्ति के अन्तर्गत चेतन और अन्तर्गत चेतन का सम्बन्ध बनता है, जिस पर अन्तर्गत-व्यक्ति का मान प्रभाव पड़ता है ।

रचनात्मक आलोचना के अन्तर्गत आलोचक किसी रचना की आलोचना में समझ पढ़ने या जानने का प्रयत्न करता है कि लेखक ने अपनी रचना-प्रक्रिया का आधार-स्वरूप कहीं में प्रकट किया है । इस निष्कर्ष को निकालकर वह अपनी रचना में उसे चिह्नित है और उस पर मनन एवं चिन्तन करता है । वह जो निष्कर्ष अन्तर्गत रूप में निकालता है उसे अपने सामने रखता है और यह वह विचार करता है कि इस रचना में ऐसा और क्या मूल्य कर दिया गया कि हमारी विवेकताओं और भी बढ़ जाये या नहीं उसकी मूल्य-व्यक्तियों का अन्तर्गत हो गये । दूसरे शब्दों में वह उस रचना का स्वरूप और भी मूल्य-व्यक्तियों बनाने और उसे अन्तर्गत-व्यक्ति के रूप में परिचालित करने के दिग्दर्शक प्रयत्नशील होता है वह उस रचना को एक मध्यम नवीन मंच में ढालने का प्रयत्न करता है । अर्थात् वह रचना का एक प्रकार में पुनर्निर्माण करता है । वही वस्तुतः रचनात्मक आलोचना-प्रणाली कहलाती है ।

रचनात्मक आलोचना में विवेकात्मक रूप से आलोचक भी वस्तुतः बाल्य-कार होता है और रचनात्मक बाल्य-कार में मात्र चयन की ही दृष्टि में भिन्न होता है । रचनात्मक बाल्य-कार जीवन और प्रकृति में सम्बन्धित दृश्यों का मनन, चिन्तन करके अपनी रचना-प्रक्रिया में दलित होता है । आलोचक उस रचनात्मक-बाल्य-कार की प्रक्रिया का मनन एवं चिन्तन करता है । दोनों के ही मनन एवं चिन्तन बाल्य-कार पृष्ठभूमि पर होते हैं । इस आलोचनात्मक-प्रणाली में किसी रचना का वैशेष ही मूल्य-व्यक्ति दिया जाता है जैसे किसी कलाकार के जीवन का ।

रचनात्मक आलोचना-प्रणाली में किसी कृति का स्वतन्त्र रूप में अवलोकन होता है । इसमें आलोचक की दृष्टि मुख्यतया कृति के पुनर्निर्माण की ओर

होती है। अतः यदि आत्मज्ञान में लक्ष्मी ही है तो अन्तर्यामिणी की कोई मूर्ति नहीं बनाये जाये। क्योंकि लक्ष्मी ही का आकार ही प्रकृतिक का आकार ही है।

इस प्रकार आत्मज्ञान के लक्ष्मी का आकार ही प्रकृतिक का आकार ही है। अतः यदि आत्मज्ञान में लक्ष्मी ही है तो अन्तर्यामिणी की कोई मूर्ति नहीं बनाये जाये। क्योंकि लक्ष्मी ही का आकार ही प्रकृतिक का आकार ही है।

१३. वैज्ञानिक आत्मज्ञान प्रणाली

इस आत्मज्ञान का क्रमशः आत्मज्ञान ही प्रकृतिक आकार ही है। अतः यदि आत्मज्ञान में लक्ष्मी ही है तो अन्तर्यामिणी की कोई मूर्ति नहीं बनाये जाये। क्योंकि लक्ष्मी ही का आकार ही प्रकृतिक का आकार ही है।

इस प्रणाली के अनुयायियों का बचन है कि किसी वृत्ति के दिग्गम ही अधिपत मन्त्रोक्त होने पर वृत्ति उठती ही श्रेष्ठ होगी। उदाहरणार्थ अनेक ही 'शेखर एन जीवनी' के उतने मतार्थ नहीं हुए हैं। अतः आजकल के प्रथम उदाहरणों के हुए हैं। तो क्या इन उदाहरणों की मन्त्रोक्तों के आधार पर 'शेखर : एन जीवनी' में श्रेष्ठ 'व्याख्या' स्वीकार कर लिया जाये ? आजकल काम्य ग्रन्थों की पढ़ने का प्रचलन कम हो गया है। इस प्रणाली को स्वीकार करने के पश्चात् आज फिर कोई काम्य-ग्रन्थ श्रेष्ठता के पद का अधिकारी नहीं बन सकेगा। यह इस पद्धति का प्रमुख दोष है।

एक अन्य मत के अनुयायी जो साहित्यकार सुगीत-जीवन, सामाजिक, दार्शनिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का जितना ही यथायं चिन्तन करता ९ उतना ही श्रेष्ठ लेखक माना जाता है, पर यह मत भी स्वीकार नहीं

या जा सकता । यह बुद्धि के दिवालियापन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । क्रेटो के समय से ही यह प्रश्न अत्यन्त विवाद-ग्रस्त रहा है कि साहित्य के क्षेत्र [वैज्ञानिक-प्रणाली का प्रयोग सम्भव है कि नहीं । विज्ञान तथा साहित्य एक जला में अन्तर है । रिचार्ड्स ने भी इस सम्बन्ध में काफी विचार किया है । इन्होंने पहले वैज्ञानिक आलोचना का अविभाज्य हो चुका था, पर वह बहुत स्पष्ट नहीं हो सकी । वैज्ञानिक आलोचना प्रणाली का प्रधान उद्देश्य यह था कि आलोचक द्वारा किये जाने वाले निर्णय व्यवस्थित-ज्ञान द्वारा समर्थित हों । यह प्रणाली अनर्थक एवं अतिशयपूर्ण बातों की अभिव्यक्ति के विरुद्ध है पर कोई वैज्ञानिक-प्रणाली साहित्य पर ज्यों की-त्यों आरोपित नहीं की जा सकती । इसमें करने बड़ी इतनी तो यह होगी कि साहित्य का स्थान गौण हो-जाएगा और विज्ञान प्रमुख स्थान ग्रहण कर लेगा ।

१४. प्रभाव-अभिव्यंजक आलोचना-प्रणाली

प्रभाव-अभिव्यंजक आलोचना-प्रणाली (Impressionist Criticism) में आत्मप्रधान-समीक्षा को महत्त्व प्रदान किया गया है । यह स्वच्छन्द-व्यक्तिवाद और आत्मचेतना पर आधारित आलोचना-प्रणाली है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि में किसी रचना के प्रति आलोचक की व्यक्तिगत प्रक्रिया क्या होती है, यह आलोचना उमें स्पष्ट करती है । महज आन्तरिक प्रतिश्रिता कृति का स्वच्छा पूर्वक ज्ञान और अन्त में उसका मूल्यांकन करना ही इस आलोचना-प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है ।

इस प्रणाली में आलोचना की किसी प्रचलित मान्यताओं को नहीं स्वीकार किया जाता । इसमें आलोचक अपनी व्यक्तिगत रसिक को अत्यधिक जाधर देना है । किसी रचना का जितना ही प्रभाव आलोचक पर अधिक पड़ता है वह उसी के आधार पर किसी रचना की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करता है । जहाँ ऊपर पढ़े हुए प्रभाव की बड़े मात्रा पड़ता है और मात्र के उम आधार पर अपनी आलोचना का महत्त्व निर्दिष्ट करता है । इस प्रकार इस आलोचना-प्रणाली में साहित्य की श्रेष्ठताओं को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है ।

इस प्रणाली में आलोचक के दो प्रधान बंधन माने जाते हैं --

१. किसी रचना को प्रेषणीयता ग्रहण करने की पूर्ण समर्थता ।

२. गृहीत प्रेषणीयता की उचित ढंग से माप एवं अभिव्यक्ति ।

अर्थात् किसी रचना के प्रभाव को ग्रहण करने, अभिव्यक्ति करने एवं दूसरे तक उस प्रभाव को पहुँचाने की शक्ति की श्रेष्ठता पर ही आलोचक की श्रेष्ठता निर्भर करती है ।

“इस प्रणाली में पुस्तक की साहित्यिक-विशेषताओं, उसकी कलात्मकता एवं गुणों की अपेक्षा आलोचक के ऊपर पड़े हुए प्रभावों एवं उसकी आत्म-समर्थताओं को अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है । —स्पिनगा

इस आलोचना-प्रणाली की अनेक सीमाएँ भी हैं । इस प्रवृत्ति का आलोचक कला-समीक्षा में स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाता है और किसी नियन्त्रण को स्वीकार करता । प्रत्येक आलोचक अपनी-अपनी दृष्टि अपनाने के लिए स्वतन्त्रता का अनुभव करता है, क्योंकि किसी मान्यता अथवा परम्परा या नियम का बन्धन स्वीकार करने के लिए वह बाध्य नहीं है ।

इससे एक ही कृति के सम्बन्ध में अनेकानेक मत उपस्थित हो जाते जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इससे समालोचक का निर्णय नहीं दे पाता वरन् आलोच्य कृति के मन पर पड़ने वाले प्रभाव को बुद्धिवादी रसानुभूति की प्रक्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है । यही अनुभूति है—और इस प्रणाली का दोष है, क्योंकि इसमें तर्क संगत या न्यायिक समीक्षा का स्वरूप नहीं उपस्थित हो पाता है ।

हिन्दी-साहित्य में प्रभावाभिव्यजक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण डॉ. भगवतशरण उपाध्याय द्वारा गुरुभक्त सिंह कृत ‘नूरजहाँ’ की समीक्षा में प्राप्त होता है ।

१५. अभिव्यजनावादी आलोचना-प्रणाली

अभिव्यजनावाद के जन्मदाता इटली के सौन्दर्यवादी चिन्तक “वेनेडेटो प्रोवे” हैं । उनकी धारणानुसार चरम मरत्य मानस है । सृष्टि की जो शक्तियाँ विभिन्न रूप ग्रहण करती हैं, उनकी आधार-शिला मानस ही है । मन की दो मूल-प्रवृत्तियाँ होती हैं ।

१. सैद्धान्तिक मूल प्रवृत्ति

२. व्यावहारिक मूल प्रवृत्ति

सैद्धान्तिक रूप का धीरे-धीरे ज्ञान है, व्यवहारिक रूप का धीरे-धीरे प्रिया है।

ज्ञान का आधार बुद्धि-तत्त्व नहीं बल्कि वह स्वतः उत्पन्न है। यही स्वतः उत्पन्न ज्ञान बन्धु-जगन् की शक्तियों को रूप प्रदान करता है। यह मानस में मूर्ति की कल्पना करता है जो मोन्दर्य-बोध का मूल तत्त्व है। यह प्राणिक अभिव्यक्ति ही मोन्दर्य है। हमारे मन्दों में मोन्दर्य ही अभिव्यक्ति है। श्रोत्र ने अभिव्यक्ति को वाच्य अथवा कला के रूप में स्वीकार किया है।

“अभिव्यक्ति आन्तरिक होती है एवं मानस में होती है। मोन्दर्य का आधार रूप Form है। वाच्य का एक मात्र उद्देश्य होता है कि वह मोन्दर्य की अभिव्यक्ति करे। उसके सम्बन्ध में नीति अथवा उपयोगिता की बातें निरर्थक होती हैं।” —वेनेडेरो क्रोचे

श्रोत्रे यद्यपि वस्तु को पूर्ण उपेक्षा नहीं करता, पर उसने अपेक्षाकृत अभिव्यक्ति को ही महत्व प्रदान किया है। अभिव्यक्ति के निम्नलिखित चार क्रम श्रोत्रे ने स्वीकार किए हैं —

१. मन सवेदना

२. मन सवेदना के उद्बोधन में हमारी आन्तरिक अभिव्यक्ति।

३. मुन्दर वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण में उत्पन्न आनन्दभाव।

४. मोन्दर्य बोध के तत्त्वों का भौतिक तथ्यों में अवतरण।

स्पष्ट है, श्रोत्रे की समस्त मान्यताएँ कलामात्र में सम्बन्धित हैं, कलाकृति में नहीं। उसने कला और कलाकृति में अन्तर स्वीकार किया है। उसने सहज-नुभूति और अभिव्यक्ति का मूलस्वरूप एक ही माना है, क्योंकि मोन्दर्य-भावना आकृति प्रदान है; इसमें आध्यात्मिक-मत्ता के तत्त्व सम्मिलित रहते हैं। श्रोत्रे ने मात्र वस्तु में रस-निष्पत्ति और मोन्दर्य-बोध को मत्ता स्वीकार की है। आकृति मोन्दर्य-बोध का आधार तत्त्व है, पर वस्तु की सत्ता की पूर्ण उपेक्षा भी उसने नहीं की है।

श्रोत्रे के अनुसार सत्य तथा यथार्थ का केवल एक ही केन्द्र है—‘मानस’

१. किसी रचना की प्रेषणीयता ग्रहण करने की पूर्ण समर्थता ।
 २. गृहीत प्रेषणीयता की उचित ढंग से माप एवं अभिव्यक्ति ।
- अर्थात् किसी रचना के प्रभाव को ग्रहण करने, अभिव्यक्ति करने एवं तब तक उस प्रभाव को पहुँचाने की शक्ति की श्रेष्ठता पर ही आलोचक की धेनि निर्भर करती है ।

“इस प्रणाली में पुस्तक की साहित्यिक-विशेषताओं, उसकी कलात्मकता एवं गुणों की अपेक्षा आलोचक के ऊपर पड़े हुए प्रभावों एवं उसकी आत्म-सुभूतियों को अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है । —स्विनबर्न

इस आलोचना-प्रणाली की अनेक सीमाएँ भी हैं । इस प्रवृत्ति का आलोचक कला-समीक्षा में स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाता है और किसी नियन्त्रण को नहीं स्वीकार करता । प्रत्येक आलोचक अपनी-अपनी दृष्टि अपनाने के लिए स्वतन्त्रता का अनुभव करता है, क्योंकि किसी मान्यता अथवा परम्परा या नियम का बन्धन स्वीकार करने के लिए वह बाध्य नहीं है ।

इससे एक ही कृति के सम्बन्ध में अनेकानेक मत उत्पन्न हो जाते हैं जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इससे समालोचक को निर्णय नहीं दे पाता वरन् आलोच्य कृति के मन पर पड़ने वाले प्रभाव को बुद्धिवादी रसानुभूति की प्रक्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है । यही अनुभूति है—और इस प्रणाली का दोष है, क्योंकि इसमें तर्क सगत या न्याय-समीक्षा का स्वरूप नहीं उपस्थित हो पाता है ।

हिन्दी-साहित्य में प्रभावाभिव्यञ्जक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण क. भगवतशरण उपाध्याय द्वारा गुरुभक्त मिट्ट कृत ‘नूरजहाँ’ की समीक्षा में प्राप्त होता है ।

१५. अभिव्यञ्जनावादी आलोचना-प्रणाली

अभिव्यञ्जनावाद के जन्मदाता इटली के सौन्दर्यवादी चिन्तक “वेनेडेटो प्रोपोर्त्ति” हैं । उनकी धारणानुसार चमत्कार मान्य है । मूर्ष्टि की जो शक्तियाँ विभिन्न रूप ग्रहण करती हैं, उनकी आधार-शिला मान्य ही है । मन की श्रेष्ठ अभिव्यञ्जना होती है ।

है। प्रेमचन्द का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था, जबकि जैनेन्द्र का व्यक्तित्व अन्तर्मुखी है। कलाकार की सृजनात्मक-प्रतिभा को उसके व्यक्तित्व की ये दो विशेषताएँ घनिष्ठ रूप से प्रभावित करती हैं।

मनोविश्लेषणवादी आलोचना-प्रणाली का प्रथम प्रयोग जेम्स ने 'हेमलेट' की आलोचना के माध्यम से किया था। इस आलोचना का मुख्य उद्देश्य रचना के पात्रों की मन स्थितियों एवं अन्त प्रेरणाओं का मनोविश्लेषण करना है। इस आलोचना-प्रणाली में नैतिकता, आदर्श अथवा मरुचि का महत्व पूर्णतया गौण होता है और वास्तविक महत्व आन्तरिक यथार्थ एवं प्रेरणाओं को प्रदान किया जाता है। इसमें कला-सृजन की प्रेरणा का श्रोत अन्तर्मन और मानव अवस्था की स्वीकार करके समीक्षा का प्रारम्भ होता है।

इस प्रणाली में आलोचक यह स्वीकार करता है कि औपन्यायिक नायक अथवा नायिका के व्यक्तित्व का निर्माण लेखक की अतृप्त आकांक्षाओं एवं अपूर्ण वासनाओं के प्रस्फुटीकरण के रूप में हुआ है। इस प्रकार किसी कलाकृति का सम्बन्ध कलाकार की चेतना और उसके अवचेतन मन से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया जाने लगा।

कवि अथवा कलाकार की कृतियाँ उमके अन्तःस्थल में दबी हुई भावनाओं का प्रतीक होती हैं। समीक्षा में मनोविश्लेषणशास्त्र के सिद्धान्तों का उपयोग उद्देश्य-विहीन और केवल पांडित्य प्रदर्शन की आकांक्षा मात्र नहीं है, ये सिद्धान्त काव्य के वास्तविक स्वरूप-निष्पन्न में तथा उमके स्वस्थ मार्ग का अवलम्बन करने की प्रेरणा देने में सहायक है। काव्य में अस्वस्थ वृत्तियों की प्रेरणा का उद्घाटन करके उमके स्वस्थ मार्ग पर लेकर चलाना ही इस समीक्षा की उपयोगिता है।

इस आलोचना-प्रणाली के अन्तर्गत रचना प्रक्रिया का वैयक्तिक दृष्टिकोण, विवेकान्त के परिणामस्वरूप स्वीकार किया जाता है। कलाकार एक बाह्य-पथ पर अग्रसर होने का प्रयत्न करता है, किन्तु उसके पथ का स्वरूप-निर्धारण बाह्य प्रक्रियाओं द्वारा निर्दिष्ट नहीं होता है। उमका निर्धारण कलाकार के अपने जीवन की परिस्थितियों, आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण के परिणाम उत्पन्न विवेकान्त के माध्यम में होता है। कलाकार की प्रेरणा शक्ति एवं

आलोचना का विकास

हिन्दी आलोचना का इतिहास भविष्य प्राचीन नहीं है। सर्वप्रथम ई. स. १९०० के आस-पास ही प्रारंभ हुआ। उसका प्रारंभ 'नन्ददास-मूकनाम' के विवरण में 'मूकनाम-नाम' इसी प्रकार 'नन्ददास' के विवरण में 'नन्ददास जडिया और गडिया आदि उक्तियों पर ही हुआ। इन उक्तियों का महत्व मात्र के ब्रह्म प्रदान-युग में भंग ही नहीं। किन्तु आलोचना के उद्भव के रूप में इनका ही निरूपण महत्व तो मानना ही होगा। इन मूक्तियों में यह एक बड़ा दोष है कि इनमें आलोचनात्मक नहीं है। उनकी वैयक्तिक प्रकृति भी कवि को उन्मादित करने में सहाय नहीं करती थी। उदाहरणार्थ 'मूकनाम' दुआँ भयं कवियन के मरुदार' इस उक्ति में मूकनाम के माथ गग कवि को निरुत्तरी उपहासात्मक प्रतीत होनी है? उक्त दोष के अनिश्चित यह भी दोष कि इस मूक्ति-पद्धति द्वारा कवि या लेखक को अन्य विरोधनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं पड़ना। केवल गुणात्मक पक्ष तो अपनी अनि मूकनाम शाही दिगता देना किन्तु दोष पक्ष सर्वथा अछूता रह जाता है।

वास्तव में हिन्दी आलोचना के जन्मदाता भास्करनाथ युगीन लेखक प० बा. कृष्ण भट्ट तथा बन्नीनागयण चौधरी मान जाते हैं। इस काल में 'आनन्दनारायण' नामक आलोचनात्मक-पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जिसमें मूक्ति-पद्धति आगे चलकर इन आलोचकों ने विचारात्मक-पक्ष प्रारम्भ किया।

जहाँ तक पुस्तकाकार आलोचना का प्रश्न है, इसका श्री गणेश, "द्विवेदी-युग" से माना जाता है। स्वयं द्विवेदी जी एक उच्चकोटि के आलोचक थे। इनके समय में आलोचना के निष्पत्तिमक तथा परिचयात्मक, ये दो रूप विरोध प्रकृति हुए। निष्पत्तिमक-आलोचना के रूप में "कालिदास की निरकुशता" और 'परिचयात्मक-आलोचना' के रूप में "नैपथ्यचर्चा" शीर्षक लेख महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अनिश्चित 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने स्वयं एक वैज्ञानिक आलोचना की परम्परा को जन्म देकर उसका सम्बर्द्धन किया।

द्विवेदी जी के अनन्तर मिथ वन्धुओं का प्रयास इस दिशा की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। इन्होंने अपने 'हिन्दी त्वरतन' नामक ग्रन्थ में हिन्दी के

'व्यङ्ग्यप्रतिष्ठा' नव कवियों की आलोचना लिखायी । इसमें इन्होंने कवियों के गुण ग श्लोको के अतिरिक्त अपनी निष्कर्षात्मक गति का भी परिचय दिया किन्तु स्पष्टता अथवा विरूपेक्षिता का गुण इन आलोचकों में भी नहीं प्राप्त होता है ।

मिथ धन्नुजों के पश्चात् 'परमिह शर्मा ने 'विहारी-मनसई' की भूमिका में 'हारी को गीतकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया इसकी प्रतिक्रिया आलोचक 'कृष्ण-विहारी' ने 'देव और विहारी' नामक पुस्तक लिखकर विहारी 'देव'को ऊँचा उठा दिया । जिसकी प्रतिक्रिया में लालाभगवान दीन ने 'विहारी और देव' नामक पुस्तक की रचना कर पुन 'विहारी की श्रेष्ठता का प्रति-पदन कर दिया । इस प्रकार यही में तुलनात्मक-आलोचना का सूत्रपात हुआ ।

वास्तव में ध्यानात्मक एवं सैद्धान्तिक समीक्षक के रूप में आलोचक प्रवर रामचन्द्र शुक्ल ने वैज्ञानिक-आलोचना का विधिवत सूत्र पात हुआ । इन्होंने 'तुलसी ग्रन्थावली' 'भ्रमरगीत सार' और 'जायमी ग्रन्थावली की भूमिकाओं में क्रमशः तुलसी, मूर, तथा जायमी की जो विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की है, वह आज भी महत्वपूर्ण है । इनके अतिरिक्त "हिन्दी-साहित्य का इतिहास" ग्रन्थ में शुक्ल जी की वैज्ञानिक समीक्षा-शैली के दर्शन होने हैं । 'चिन्तामणि भाग-२' में शुक्ल जी के सैद्धान्तिक-समीक्षा-सम्बन्धी-निबन्ध संगृहीत हैं । प्राच्य एवं पाश्चात्य आलोचना-शैली का जो समन्वय शुक्ल जी में मिलता है, वह अन्य समीक्षकों में नहीं मिलता । अयोध्यासिंह

आलोचना लिखकर वह

आधुनिक युग के नवीन अ. ३०

पूर्ण स्वयं है । इन्होंने ऐतिहासिक

ने भी कवीर की विस्तृत परिचय दिया है ।

मुन्दर दाम का महत्व-विरोध ध्यान दिया है

है । इसके अतिरिक्त

लिखी है और 'हिन्दी-

आलोचना-जगत का बड़ा

राये हैं, जिनमें वावू-

साल, आचार्य

प्रसाद द्विवेदी, डा० मर्येन्द्र कृष्णदास शर्मा, आचार्य विद्वनाथ प्रसाद, नन्ददुलारे पात्रोपेयी, शान्तिप्रिय द्विवेदी, डा० नगेन्द्र, डा० रामरिनाम जने प्रकाश पन्डरगुप्त, आदि की रचनाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। जहाँ तक पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रश्न है उनमें 'आलोचना कल्पना' माधर्म' माधर्म प्रचारित पत्रिका तथा 'गम्मेलन पत्रिका' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

आलोचना का महत्त्व

आलोचना का उद्देश्य कठुना प्रसार, छिद्रान्वेषण एवं आरोपण-प्रत्यारोप नहीं है, दिग्ग-निर्माण का है, मोन्दय एवं मून्यों की प्रतिष्ठा का है। वाग्ना के आलोचना किमी कृति में कवि अथवा लेखक के उद्देश्यों का अन्वेषण करती है। आलोचना के तीन प्रमुख उद्देश्य माने गये हैं। —

१—रचना CREATION

२—व्याख्या INTERPRETATION

३—निर्णय JUDGEMENT

"The ultimate end of criticism is much more to establish principles of writing than to furnish rules to pass judgement on what has been written by others" Carlylle"

मूर, तुलसी, कबीर, प्रसाद, प्रेमचन्द आदि ने क्या अपनी रचनाओं के प्रारम्भ करने के पूर्व काव्य, नाटक, उपन्यास, महाकाव्य आदि के रचना-सिद्धान्तों का गहन अध्ययन किया ? कभी नहीं। श्रेष्ठ साहित्यकार स्वयं ही सिद्धान्तों का निर्माण करते हैं।

आलोचना का सर्वप्रमुख उद्देश्य किसी कृति की विशेषताओं एवं उसके अभावों को सतुलित एवं तटस्थ दृष्टि से स्पष्ट करना तथा ऐसी स्थिति का निर्माण करना है, जिससे पाठकों की रुचि परिष्कृत होकर साहित्य-निर्माण एवं विकास पथ की ओर अप्रसर हो सके।

आलोचना का मुख्य उद्देश्य है कि वह ध्येयतम् रूप में साहित्य द्वारा किया जाने वाले इस जीवन की व्याख्या की व्याख्या करे।

सौंदर्य के माध्यम से अनेकरूप वातावरण में एकरूपता की स्थिति

उत्तम चरमा आलोचना का उद्देश्य है ।

४ आलोचना का उद्देश्य है कि वह किसी रचना में छिपे हुए गोप्य-तत्वों का अन्वेषण करे और इन तत्वों को स्पष्ट करे, जो मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं, गह्र मानवीय संवेदनाओं को गौरव प्रदान करते हैं और शोषण एवं महार जैसी प्रकृति की अवरोधक शक्तियों को समूल नष्ट करने के महात्मीय मन्त्रों से उद्भूत हीन गतिनीय होने हैं ।

५. आलोचना का उद्देश्य ऐसे मानव्य की प्रतिष्ठा करना है जो मनुष्य जीवन की स्यायनाओं का इमानदारी में चित्रण कर समाजवादी रचना प्रक्रिया में योगदान देता है ।

६. आलोचक समाज का प्रतिनिधि बन कृति को देखता है, समाज को उस कृति के मूल्यांकन तथ्यों में परिचित करता है और लोकहित की दृष्टि में उसका मूल्यांकन कर लेखक को भी दिशा-निर्देश करता है । आलोचक, लेखक और पाठक के बीच दुर्भाषिये-बा-सा काम करता है और समाज तथा कला-कारों को पारस्परिक सम्पर्क में लाकर लेखक के साथ ही नये विचारों और भावों को चलने देने में सहयोग प्रदान करता है ।

राजशेखर-१—मा च कवे श्रममभिप्राय च भावयति । नया खलु फलित, कवेर्न्यापारतरु ।”

मैथ्यू ऐरनारड-१—Simply to know the best that is known and thought is the world and in its turn making this known to create a current of true and fresh ideas.”

साहित्य के क्षेत्र में आलोचना का विभिन्न महत्व है । आलोचना के द्वारा कोई भी कृति प्रकाश में आती है और पाठक आलोचना पढ़कर ही उसके अध्ययन में प्रवृत्त होने हैं अथवा निवृत्त होने हैं ।

यदि ग्रन्थ की स्वस्थ आलोचना की जाती है तो निश्चय ही उससे पाठको का परम उपकार होता है । आलोचना के अभाव में हम किसी भी कृति को पढ़ने में मलिन हो जाते हैं और कभी-कभी पढ़ने के पश्चात् ऐसा अनुभव होता है कि एक पुस्तक दो कौड़ी की है और इसके अध्ययन में हमने अपना अमूल्य

समय व्यर्थ कर दिया है। इसके अनिश्चित यदि वह पुस्तक स्वयं कीत की गई है तो आर्थिक हानि का भी परचात्ताप होने लगता है। आलोचना हमें इस आर्थिक अपव्यय एवं सामयिक क्षति से बचाने का काम करती है।

आलोचना के माध्यम में ऐसी उत्तम-कृतियाँ प्रकाश में आ जाती हैं, जो प्रचार के अभाव में विद्वानों के समक्ष नहीं आ पातीं। उदाहरणार्थ यदि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में जायसी के 'पद्मावत' को इतना न सराहा होता तो क्या जायसी हिन्दी के महाकवियों की श्रेणी में स्थान पा सकते थे और क्या पद्मावत को हिन्दी के महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त हो सकता था? यह आलोचना की ही महत्ता है कि जिसने ग्रन्थ रत्न "पद्मावत" को अन्धकार के गतं से निकालकर साहित्य-गगन के जाज्वल्यमान नभरागण में प्रतिष्ठित कर दिया।

आलोचना में इतनी महती शक्ति होती है कि वह उत्कृष्ट रचना को भी एकांगी सिद्ध कर सकती है और कविमूर्खन्वय को भी सामान्य कवियों की श्रेणी में बिठा सकती है। उदाहरणार्थ महाकवि केशव की 'रामचन्द्रिका' को आचार्य शुक्ल की आलोचना ने 'छन्दो का अजायब घर' सिद्ध कर दिया और महाकवि केशव को 'कठिन काव्य का प्रेत' बना दिया। साराण यह कि आलोचना साहित्य जगत् अति आदरास्पद है। उससे कवियों और लेखकों को प्रोत्साहन मिलता है, दूषित कृतियाँ नहीं पनपने पाती, सत् साहित्य की सृष्टि होती है। सामयिक माँग के अनुसार साहित्य का सृजन होता है। वह कला और कलाकार दोनों को सजग रखती है। किसी भी कृति के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। कवि तथा पाठक के बीच में एक शृङ्खला बन कर दोनों में तादात्म्य स्थापित करती है। पाठक के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करती है। कला में सौन्दर्याभिव्यक्ति को प्राधान्य प्रदान कराती है। इस प्रकार साहित्य के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में आलोचना का विनिष्ट महत्व है।

समालोचक के कर्तव्य और गुण

त्रिम प्रकार 'यस्यै' 'अर्थवृत्ते' 'अत्रहारविदे' 'गिबेतरक्षतये' आदि काव्य उद्देश्य बतलाये गये हैं उसी प्रकार आलोचना के कई उद्देश्य हैं।

समालोचक का मुख्य उद्देश्य तो पुस्तक का विवेचनापूर्ण परिचय कराकर उसके समास्वादन में पाठको की सहायता करना है । समालोचक इस कार्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार के साधनों का उपयोग करने है और काव्य की उत्तमता के निर्णय करने में कई प्रकार की कमीटियों से काम लेते हैं । इसके अनिरीक्त कुछ लोग तो यम के लिए ही समालोचनाएँ करने हैं । दूसरों के गुण-दोष निकालने में लोग सहज में जनता का चित्त आकर्षित कर लेते हैं । इसके अनिरीक्त कुछ लोग 'स्वान्त गुणवाच' के ऊँचे उद्देश्य में भी समालोचना करने हैं ।

समालोचना के लिए समालोचक को ऊँचे उद्देश्यो को ही लेकर प्रवृत्त होना चाहिए, किन्तु समालोचक का ऊँचा उद्देश्य होने हुए भी वह अपनी व्यो-
म्यना के कारण लेखक के प्रति अन्याय कर सकता है । इसलिए जब तक अपने कार्य में क्षमता न हो, समालोचक को किसी की समालोचना करने की अना-
धिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए ।

समालोचक के आवश्यक गुण :—

समालोचक के कुछ आवश्यक गुणों का वर्णन हम प्रचार है —

१—अनर्द्धृष्टि या पैठ २—सहानुभूति ३—बहुजनता ४—वैयं और निष्पक्षता की वैज्ञानिक मनोवृत्ति ५—औचित्य का ज्ञान ६—प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति ।

१—अनर्द्धृष्टि या पैठ (Insight) यह बहुत अम में देवीदेव होती है । जिग प्रकार कविता के लिए दानि या 'प्रतिभा' आवश्यक है उगी प्रकार 'मायक' या समालोचक होने के लिये पैठ का होना आवश्यक है पैठ वाला मनुष्य मात्र ही कवि के अभिप्राय को ग्रहण कर सकता है जिग प्रकार कवि मानव-देवीदेव की अन्ततम गुणाओं में प्रकाश टालकर "जहाँ न जाय कवि वहाँ जाय कवि की लोकोक्ति को साधक कर देता है, उगी प्रकार मायक या समालोचक कवि के अन्ततम में प्रवेश कर उगमे रकी हृदे रगते का प्रकाश में लाता है । यह गुण यदाय देवीदेव के रूप में प्राप्त होता है तयायि अत्यन्त और मरम में भी मोटा बहुत मिल सकता है । इस पैठ के लिए प्रकृत संकाशों व साध अत्यन्त और मरम में प्राप्त रगितना आवश्यक है ।

रगित हुए बिना कविता का समास्वादन होना बलिन ही नहीं अत्यन्त है ।

बहुत समालोचक जिन्हें यदि का लेखक की कृति पर विचार करते हुए भी जान पड़े कि उसने जहाँ तक सम्भव हो सका है और जहाँ तक जिम्मे जिम्मे यदि की जिम्मे शान की चोरी की है, जो जाने साहित्य-कार की सम्पत्ति है। उनका विचारना चाहे सम्भव का अभाव समझ लिया गये, किन्तु चोरी नहीं करना समझा। वह अन्य की चोरी नहीं करना निन्दा सम्पत्ति की ही चोरी करना है।

बहुत समालोचक न भी किसी कवि से मात्र से प्रभावित होगा और न वह पत्र में ही किसी की चोरी करेगा। जहाँ समालोचक लिखे हुए रत्नों की पोज करेगा, उनमें रत्नों पर मुख हो जायेगा किन्तु वह साधारण रत्नों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। जिसने बहुत नहीं पढ़ा है वह साधारण से साधारण बात को अद्भुत करने की तैयार हो जायेगा। समालोचक की बहुजनता 'अदम्यमनीषिता' (Niladmirari) अर्थात् किसी की प्रशंसा में करने की मनो-वृत्ति में परिवर्तन न होनी चाहिए। आलोचक को उम सम्बन्ध में बहुत गन्तु-लिय रहना चाहिए। आलोचक जहाँ तक हो सृष्टि न हो, नहीं तो वह अपनी कृति के आगे अन्य की कृति को महत्व नहीं देगा। समालोचक के लिए बहुजनता के अनिश्चित विरोधजना की भी आवश्यकता है। प्रत्येक समालोचक प्रत्येक कृति की समालोचना नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ अर्धशास्त्र सम्बन्धी पुस्तक की समालोचना के लिये अर्धशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है।

४-धैर्य और निष्पक्षता की वैज्ञानिक मनोवृत्ति—यह समालोचक के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए समालोचक को वैज्ञानिक और दार्शनिक की मनोवृत्ति रखनी चाहिए। वैज्ञानिक हमें यही देखा है कि वह अपने उरसाह में भूल तो नहीं कर रहा है, वह अपनी कृति का बिल्कुल निराकरण कर देता है। वह अपने पद के विपरीत उदाहरणों को उभी सतपरता में देखता है, जिससे

अनुरूप उदाहरणों को । समालोचक को सामाजिक की भाँति सामान्य ही होना चाहिए । समालोचक को बलीय बली के आराधना नहीं । यदि बलीय बने तो अपनी बला ही न करे । लेखक की बला ही करने से दूसरा ही न समालोचक के लिए दरबारी बना स्थितिगत बात होने के भावों को ही दूर रखना सामाजिक है ।

उगरी गडक की भाँति न तास भाँस्ये, यो बलीय रवि और कोर
माय मावस्य के कास्य भास्ये जोर कीपर के सासरे से कीपर को बल
भोसा खेस्य बासा से ।

५-भौतिक्य का ज्ञान - बहूतया जोर विवेचना के माय समानोच
भौतिक्य का ज्ञान होना आवश्यक है । उगरी गडि (Movement) इ
(Preparation) और (Unit) भौतिक्य की जीव करने का अन्तर्गत
आवश्यक है, जिसमें बल गत बल गते कि अमुर स्थित में अमुर आस्य
के दिने कम स्थान दिया गया है और अनावस्य वायो को आस्यकति
दे दिया गया है । भौतिक्य, संगति या निर्वाह का मूल तो मभी रख
होना चाहिए । विवेचनात्मक ज्ञानों के दिने मो समालोचक को महं-ज्ञान
ज्ञान होना भी आवश्यक है । वाच्य के समालोचक को वाच्य नियम तथा
दोषों और पारिभाषिक तर्कों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है तभी वह
लोचक सफल समालोचना कर सकेगा ।

६-प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति-समालोचक स्वयं एक प्रकार का
और बलाकार होता है । वह कृति का स्वयं ही अध्ययन नहीं करता,
दूसरों को भी कराता है । कवि के हृदयगत रस को दूसरे के आस्वाद का
बनाना सहज कार्य नहीं अपने हृदय के रस को दूसरे तक पहुँचाना भी ।
कला है, चिन्तु दूसरे के हृदय के रस को तीसरे तक पहुँचाना और भी ऊँ
की कला है ।

अन्त में सबसे बड़ी बात जो आलोचक में होनी चाहिये यह है 'निःस
विषय की विवेचना में उसे अपने व्यक्तिगत विशेषत्व को नहीं लादना का
जसे इस बात की पूरीतरता बनाए रखनी चाहिए कि वह अपनी व्य

सन्तुष्टियों और मान्यताओं को अपनी विवेचना की आधार मिला न स्वीकार करे । जो जीवन और जगत् माहित्यकार द्वारा निर्मित है उसके भीतर वह इस प्रकार प्रवेश करे कि अपनी भावनाओं और अपनी सम्पूर्ण बनावट के कुम्भकाल में कवि कृति की कोमलता छिन्न-भिन्न न कर डाले । उसे तो समकालीन रूप धारण कर अपनी सीमा मोतनी चाहिए । ध्यावहारिक विचार में उस कोटि की योग्यता बड़ी बठिन है और इसके बिना काम नहीं चल सकता । इसके अभाव में वाच्य निर्माता पीछे छिप जायेगा और आलोचक ऊपर उभर जायेगा । इस प्रकार मारा प्रयाग ही विकृत हो उठेगा । पाश्चात्य विवेचकों ने इस योग्यता की बड़ी महत्ता बनाई है और है भी बड़े मर्म की बात, पर इसके विषय में मार्क्स-भेद के लिए बड़ी शू जाइस दिखाई पड़ती है ।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी समर्थ और योग्य समीक्षक में प्रतिभा और महदयता के अतिरिक्त व्युत्पत्ति एवं दार्शनिकतापूर्ण निगमना का होना अति आवश्यक है ।

परिभाषा

सामान्यतया 'साहित्य' शब्द की व्याख्या करने में 'सहित' शब्द का आशय लिया जाता है, किन्तु इसमें भी सूक्ष्म-उपाय क्या हो सकता है; इसको साहित्यचिन्तको का ध्यान नहीं गया, वास्तव में 'सहित' शब्द ही व्याख्येय है। यह शब्द 'स + हित' इन दो अवयवों में निष्पन्न प्रतीत होता है। 'हित' शब्द ससृत्त की 'घा' धातु से 'क्त' प्रत्यय करने पर निर्मित होता है। इस प्रकार 'हित' का ध्युत्पत्तिलभ्य-अर्थ 'दधाति इति हितम्' अर्थात् जो धारण करता है, उसे 'हित' कहते हैं, यह सिद्ध होता है। 'सहित' शब्द में 'हित' को पूर्ववर्ती 'सकार' का 'सह' या साथ अर्थ है। इस प्रकार 'सहित' शब्द का समुचित अर्थ हुआ—“साथ धारण करने वाला।” अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 'किसका साथ धारण करने वाला' उत्तर में यह कहा जा सकता है कि प्रसंगवशात् “शब्द और अर्थ” का ही साथ धारण करने वाला, 'सहित' पदवाच्य होना चाहिए, क्योंकि 'प्रकरण' या 'प्रसंग' भी अर्थ निर्णायक तत्त्वों में माना जाता है। यथा.—“अर्थ प्रकरण लिङ्ग” (मम्मट-काव्य-प्रकाश)

'सहित' शब्द की इतनी व्युत्पत्ति कर लेने के पश्चात् 'सहितस्य भावः कर्मबा = 'साहित्यम्' अर्थात् 'सहित' के भाव अथवा कर्म का नाम 'साहित्य' है, यह व्युत्पत्ति पूर्ण होती है। इस प्रकार जब 'साहित्य' की प्रथम-व्याख्या की जायगी, तब उसका यह रूप होगा—“शब्द और अर्थ का साथ धारण करने वाला भाव साहित्य है।” इसकी कर्मपरक द्वितीय-व्याख्या का स्वरूप यह होगा—“शब्द और अर्थ का साथ धारण करने वाला कर्म साहित्य है।” प्रथम-व्याख्या एवं द्वितीय-व्याख्या में 'भाव' एवं 'कर्म' को समझने से दोनों में सूक्ष्म-पार्यन्त ही होता है। प्रथम व्याख्या के अनुसार 'साहित्य' और 'काव्य' परस्पर ही होते हैं, क्योंकि 'काव्य' में शब्द और अर्थ का साथ धारण करने

का भाव विद्यमान रहता है। द्वितीय-व्याख्या के अनुसार 'साहित्य' शब्द 'वाङ्मय' का पर्याय प्रतीत होता है क्योंकि शब्द और अर्थ का साथ धारण करने वाला काम अत्यन्त व्यापक है। इसके अन्तर्गत इतिहासादि विषय भी सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे अंग्रेजी का 'लिटरेचर' (Literature) शब्द अपने मनुचिन्त अर्थ में 'काव्यादि' का वाचक है और विस्तृत अर्थ में मन्त्र वाङ्मय का वाचक है, वैसे ही 'साहित्य' शब्द भी उभयार्थों में प्रयुक्त होता है।

'वाङ्मय' शब्द तो अतिप्राचीन है, किन्तु 'काव्य' के अर्थ में 'साहित्य' शब्द का प्रयोग ८वीं शताब्दी के लगभग प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता है। आचार्य कुन्तक ने 'साहित्यार्थमुधामिन्धो गारमुन्मीलयाग्यहम्' (अर्थात् साहित्यार्थ के मुधामिन्धु का गार उन्मीलित कर रहा हूँ।) की प्रतिज्ञा की थी। उनका उल्लेख उनके प्रसिद्धग्रन्थ 'वक्रोक्ति-जीविनम्' में प्राप्त होता है। इसी प्रकार 'राजशेखर' ने शब्द और अर्थ के यथावत् महभाव की विद्या को 'साहित्यविद्या' की सज्ञा प्रदान की है —

‘शब्दार्थयो यथावत् सहभावेन विद्या साहित्यविद्या’

कुछ लोग 'साहित्य' शब्द की व्याख्या में 'हित' शब्द का लोकप्रचलित अर्थ 'वत्याण' या 'मंगल' अथवा 'शिव' लेते हैं। तदनुसार 'हित' के भावों से पूर्ण शब्द और अर्थ को साहित्य कहते हैं। यह व्युत्पत्ति काव्य के 'शिव' तत्त्व को प्रथम देती है, किन्तु इसके अतिरिक्त समस्त-वाङ्मय भी तो लोकहितकारी है? इस प्रकार इस व्युत्पत्ति में भी 'साहित्य' के दोनों अर्थ (काव्य तथा वाङ्मय) निकल आते हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने भी 'साहित्य' ('लिटरेचर') की अनेक व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं, जिनका संक्षिप्त-विवरण इस प्रकार है —

'हेनरी हडसन' नामक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान ने (Study of Literature) नामक पुस्तक में 'साहित्य' की व्याख्या इस प्रकार की है —

“Literature is only one of the many Channels in which the Energy of age discharges itself in its Political movement,

a religious thought, Philosophical speculation and art We have the same energy overflowing into other forms of expression." अर्थात् विभिन्न साधनों में साहित्य ही केवल ऐसा साधन है, जिसे युग-शक्ति की स्वतः अभिव्यक्ति होती है। यही शक्ति परिष्कृत होकर राजनीतिक-आन्दोलन, धार्मिक विचार, दार्शनिक विवेचन और कला के रूपों में प्रकट होती है। अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में हमारे पास वही परिष्कृत शक्ति है।

उक्त परिभाषा के अनुसार 'साहित्य' युगविशेष की स्फूर्ति है, जिनमें राजनीति, धर्म दर्शन एवं कला भी स्फूर्ति ग्रहण करती हैं। इस प्रकार सामाजिक स्फूर्ति एवं प्रेरणाशक्ति को इस परिभाषा में अधिक महत्व प्रदान किया गया है।

प्रो० एम० जी० भाटे ने (लिट्रेचर एण्ड लिट्रेरी क्रिटिसिज्म) Literature and Literary criticism नामक पुस्तक में 'साहित्य' की यह परिभाषा दी है: Literature is the music which streams out of the attempt of man attune himself to life on the key-board of Language अर्थात् साहित्य वह संगीत है, जो मानव के अन्तस्सल से निःसृत होता है और भाषा माध्यम से अभिव्यक्त होकर जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।

विचार करने पर उक्त परिभाषा में कलात्मकता और जीवन का समन्वय किया गया प्रतीत होता है यदि पूर्व परिभाषा में जीवनतत्त्व की प्रधानता रखी गई है, तो इस परिभाषा में 'कला' तत्त्व की प्रधानता रखी गई है।

इसी प्रकार अन्य परिभाषायें भी हैं, जिनमें किसी में 'कला कला के लिए' और किसी में 'कला जीवन के लिए' सिद्धान्त को मान्य प्रदान की गई है यथा 'साहित्य समाज का दर्पण है' (Literature is the mirror of society) 'साहित्य जीवन की आलोचना है' (Literature is a criticism of life)

हिन्दी के आचार्यों ने भी अपने-अपने विचारों के आधार पर 'साहित्य' की परिभाषायें दी हैं।

महावीरप्रसाद द्विवेदी - "ज्ञानराशि के सचिन-कोष का नाम साहित्य है।"

डा० श्यामसुन्दरदास - "विभीषण पुस्तक को हम साहित्य या काव्य व

जानि नहीं दे सकते हैं, जब जो कुछ उसमें लिखा गया है, वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है।”

शुंशी प्रेमचन्द - “साहित्य की बहुत सी परिभाषायें की गई हैं, पर मेरे विचार में उसकी सर्वोत्तम परिभाषा ‘जीवन की आलोचना’ है।”

वस्तुतः कव्य, गद्य और मुद्ररम् का समन्वित रूप ही साहित्य है। यदि हम अपने विचारों के आधार पर ‘साहित्य’ शब्द की परिभाषा करें तो इस प्रकार होगी - ‘आदर्शिक भाषानैली में सरमभावों की अभिव्यक्ति ही ‘साहित्य’ है।

साहित्य-निर्माण में हेतु

सभी व्यक्ति चाहें कि वे साहित्य की रचना कर लें, तो ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है। साहित्य-निर्माण एक अद्भुत कौशल है, जिसके लिए “नैसर्गिक-साहित्य-प्रतिभा” आवश्यक होती है। यद्यपि अधिकांश साहित्यकार केवल अध्ययन एवं परिश्रम का आश्रय लेकर ही साहित्यिक बनने की चेष्टा करते हैं, किन्तु उन्हें प्राणिम-साहित्यकार का गौरव कभी नहीं प्राप्त हो सता। यथा -

यत्कारम्बलवैभव गुरुतृपापीयूषपायोद्भव,

तन्लभ्य कविनैव नैव हृत्त पाठप्रनिष्ठाञ्जुषाम् ।

कासारे दिवस वसन्नपि पय पूर पर पङ्किल,

कुर्वाण कमलाकरस्य लभते कि सौरभ मैरिभ ॥

अर्थात् जिसे ‘मासम्बलवैभव’ (कवित्व शक्ति) कहते हैं, वह गुरुतृपाकृपी अमृत के पाक में उत्पन्न होता है। उसे कवि ही प्राप्त कर सकता है, पढ़कर प्रनिष्ठा अर्जित करने वाले धरति नहीं प्राप्त कर सकते। जिस प्रकार भ्रंसा सरोवर में दिन भर घमना हुआ जलराशि को अधिक मलिन बनाना रहता है, किन्तु वशा कमलाकर की गुणधि को प्राप्त कर पाना है? अर्थात् नहीं। इसी प्रकार नैसर्गिक प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति केवल अध्ययन एवं परिश्रम के बल पर सफल-कवि नहीं बन सकता।

आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास, इन तीन कारणों को समुदित रूप में वाध्य (साहित्य) के प्रति हेतु स्वीकार किया है -

शक्ति निपुणतालोककाव्यशास्त्राद्यपेक्षणात् ।

काव्यज्ञानिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥

उक्त तीन कारणों में सर्वप्रथम एव मुख्य कारण 'कवित्वशक्ति' का होना है । यह शक्ति जन्मजात होती है, अध्ययन प्रमूत नहीं । इसकी इसी दुर्लभता की ओर संकेत करते हुए कहा गया है -

'कवित्व दुर्लभ लोके शक्तिस्तत्र मुदुर्लभा ।'

अर्थात् लोक में 'कवित्व' दुर्लभ है और कवित्व-शक्ति तो और भी दुर्लभ है । उक्त प्रथम कारण के पश्चात् द्वितीय कारण 'निपुणता' है । यह निपुणता या चातुरी लौकिक-ज्ञान, अनेक काव्यों तथा शास्त्रादि के अध्ययन से उत्पन्न होती है । इसके अभाव में प्रतिभा-सम्पन्न कवि भी अपनी रचना में सफल नहीं हो सकता । कवि या साहित्यकार को अनेक विषयों का ज्ञान अपेक्षित होता है । देश, काल तथा परिस्थिति से अपरिचित या स्वल्प परिचित कवि हास्यास्पद बन जाता है ।

तृतीय कारण 'अभ्यास' है । इस अभ्यास की प्राप्ति के लिए साहित्यकार को किसी ऐसे अधिष्ठित साहित्यमहारथी से शिक्षा लेनी पड़ती है, जो स्वयं इस विषय का मर्मज्ञ हो । तत्पश्चात् उसके मार्ग-दर्शन में उसे साहित्य-रचना का अनवरत-अभ्यास करना पड़ता है । अभ्यास के अभाव में प्रतिभा सम्पन्न, लोक-काव्यशास्त्रादि ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति भी साहित्य-रचना में पूर्ण सफल नहीं हो सकता, उसे रचनाकाल में पर्याप्त विलम्ब लगेगा और विचारों की अविच्छिन्न शृंखला की स्पष्ट अभिव्यक्ति में भी बाधा प्रतीत होगी ।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 'शक्ति' 'निपुणता' और 'अभ्यास' ये तीनों कारण सामूहिक रूप से साहित्य रचना के हेतु हैं । इनमें से एक के भी अभाव में प्रभविष्णु एव सफल-साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता ।

साहित्य-सृजन की मूल प्रेरणाएँ

साहित्य की गौरव-गरिमा का गायन करते हुए प्रायः लोग कहा करते हैं वह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की कन्धु है, किन्तु वास्तव में साहित्यिक की प्रियता की-भी नहीं है । विद्वानों की भाँति साहित्यकार अपने यजमान

ने स्नेह से मदेह स्वर्गं पहुँचाने का दावा नहीं करता, वरन् वह अपने योगबल । इसी पृथ्वी पर ही स्वर्ग की प्रतिष्ठा कर देना है । पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग तो बना मरे नहीं प्राप्त होता है । किसी वस्तु को स्वर्गिक वस्तु तुल्य वह कर प्रतिष्ठा देना इस लोक का अग्रमान करना है । साहित्य इसी लोक की किन्तु प्रमाधारण वस्तु है और उसके मूल-तन्त्रु जीवन से ही रस ग्रहण करते हैं ।

‘साहित्य’ जीवन से भिन्न नहीं है, वरन् वह उसका ही मुखरित-रूप है । वह जीवन के महासागर में उठी हुई उच्चतम तरंग है, मानव-जाति के विचारों और सबलों की आत्मकथा साहित्य के रूप में प्रसारित होती है । ‘साहित्य’ जीवन-विटप का मधुमय सुमन है, वह जीवन का चरम-विकास है, किन्तु जीवन से बाहर उसका अस्तित्व नहीं । उसमें पाचन (Assimilation) वृद्धि (Growth) गति और पुनरुत्पादन (Reproduction) आदि जीवन की सभी क्रियाएँ मिलती हैं । ‘अग-अगी में भिन्न गुणवाला नहीं होता, इसलिए जीवन की मूल प्रेरणाएँ ही साहित्य की मूल प्रेरक शक्तियाँ हैं । जो वृत्तियाँ जीवन की और सब क्रियाओं की मूल श्रोत्र हैं, वे ही साहित्य को भी जन्म देती हैं ।

जीवन की प्रेरणाएँ या साहित्य की मूलभूत प्रेरणाएँ—

साहित्य का जीवन से तथा जीवन का साहित्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है । दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं । ‘हृदयन’ ने साहित्य को जन्म देने वाली चार मूलभूत-प्रेरणाओं को माना है, जो इस प्रकार हैं —

- १- Our desire for self-expression अर्थात् आत्माभिव्यक्ति की कामना ।
- २- Our interest in people and their doings मनुष्य और उनके कार्यों के प्रति हमारा लगाव ।
- ३- Our interest in the world of reality in which we live and in the world of imagination which we conjure in to exist अन्तः-यर्थात्-जगत् के प्रति हमारा आकर्षण और कल्पना जगत् के निर्माण की प्रवृत्ति ।
- ४- Our love of form as form. रूप-विधान की कामना ।

उपयुक्त चार मूल-प्रेम्णाओं के अतिरिक्त साहित्य को जन्म देने के लिए कुछ और बातें भी होनी चाहिए। हमारी गमज में साहित्य की मूलभूत-प्रवृत्ति अनेकता में एकता उपस्थित करने की और एकता में अनेकता देखने की भाँति है। संस्कृत में 'साहित्य' शब्द का जो व्युत्पत्तिमूलक विग्रह किया जाता है उससे भी इस बात की व्यञ्जना होनी है।

प्रकृति और है। मानव ज्यो-ज्यो मग्न होता जा भी परिष्कृत होती जाती है। उसकी रूचि त्रितनी परिष्कृत होना उसका साहित्य भी उतना ही उदात्त होता जाता है। भावना भी साहित्य के निर्माण में वर्तमान रहती है।

कुछ मानव की सत्यनिष्ठा से भी प्रणोदित होती है। जीवन सत्यो को सुन्दर सुन्दर ढंग, सुन्दर से सुन्दर रूप में साहित्य ही प्रस्तुत करता है। इससे यह प्रकट है कि मानव की सत्य-निष्ठा ने भी साहित्य-सर्जना में योग दिया है।

साहित्योत्पत्ति का एक कारण तन्मयता भी होती है। जिस प्रकार तन्मय के मूल में जिगीषा की भावना रहती है, उसी प्रकार साहित्य के मूल में तन्मय की भावना काम करती है। आदि-मानव ने जब सृष्टि के अभिनव पदार्थों पर पहल देखें होंगे, तो वह उन्हें देखकर विस्मयाभिभूत हुआ ही होगा। विस्मयाभिभूति के पश्चात् रमणीय पदार्थों ने उसकी बुद्धि और चेतना तन्मय कर लिया होगा। तन्मयता की इसी स्थिति से उठकर (जगकर) अपनी अनुभूतियों को काव्य, नाटक, कहानी आदि विविध साहित्य-विधानों व्यक्त करने के लिए आकुल हो उठा होगा। आज का साहित्य उसकी आरुता का लिपिबद्ध-इतिहास कहा जा सकता है और चाहे हम ज्ञान-राशि संचित कोष कहे, चाहे काव्य कहे और चाहे कोई भी अभिधान दें, तन्मयता की स्थिति में उद्भूत भावनाओं की साकार अभिव्यक्ति साहित्य कहलाएगी।

साहित्य-सर्जना में जीवन और जगत् का द्विमुखी प्रभाव दिखाई पड़ता है। समाज का, दूसरे जीवन की प्रेरणाओं का। समाज पर साहित्य का व

त्र पटना है हम विषय को लेकर पादशास्त्र विद्वानों ने बहुत विचार-विमर्श
 रा है । दोनों के पारम्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालने का श्रेय ग्रीक विद्वान
 रीयोडोटम" को दिया जाता है । इसके बाद उन्नीसवीं शताब्दी में 'टेन'
 क आचार्य ने भी हम दिशा में अच्छा अध्ययन किया है । इसके अतिरिक्त
 डवेल नामक विद्वान ने अपने Illusion and Reality. A study of
 sources of Poetry नामक रचना में तथा अन्य विद्वानों ने साहित्य और
 राज के पारम्परिक सम्बन्धों को बड़ी सूक्ष्म और अनुसन्धानपूर्ण व्याख्या की
 और यह प्रमाणित कर दिया है कि साहित्य को जीवन और जगत् से निरपेक्ष
 रके निरूपित नहीं कर सकते । सच तो यह है कि साहित्य जीवन और जगत्
 प्रेरणा (चेतना) ग्रहण कर सकता है । अतएव यह कहना अनुचित न होगा
 साहित्य की प्रेरणाएँ वे होंगी जो जीवन की प्रेरणाएँ नहीं जानी हैं ।

जीवन की प्रेरणाओं के सम्बन्ध में हमारे यहाँ उपनिषद् ग्रन्थों में सार-पूर्ण
 त्तें कहीं गई हैं । बृहदारण्यकोपनिषद् में तो जीवन की उन प्रेरणाओं का
 वन्तार में उल्लेख किया गया है । उसके अनुसार वे प्रेरणाएँ प्रधान रूप में
 तीन हैं :—

१- पुत्रपणा २- विनैपणा । ३- लोकपणा ।

साहित्य की उद्भावना में वह त्रिविध ईपणाएँ भी महायक होती हैं, किन्तु
 इन प्रेरणाओं को हम मुख्य न मानकर गौण ही कहेंगे । योगोपीय विद्वानों ने
 जीवन की प्रेरणाओं पर और भी विस्तार से विचार किया है । इनमें फ्रायड
 एडलर, युग आदि आते हैं । फ्रायड ने जीवन की समस्त-क्रियाओं की मूलप्रेरणा
 'वासना' ही मानी है । उसका मत है कि साहित्य की आधार-भूमि भी 'वासना'
 ही है । फ्रायड के समान भारतीयों ने भी साहित्य की अभिव्यक्ति का मूल प्रेरक
 आदि 'रग' ही माना है । यह आदि-रग और कुछ नहीं 'वासना' ही है ।

कालिदास — "क्रियाणाम् खलु घमाणाम् मूलतन्व्यो मूल कारणम्"

यह लिखकर कालिदास ने पूर्ति कर दी ।

अन्य विद्वान 'एडलर' ने अभाव क्षति की पूर्ति को ही जीवन की मूल-
 प्रेरणा माना है । यह अभाव या क्षति-पूर्ति की भावना साहित्योत्पत्ति में भी गौण

का से सहायक होती है। इस बात के प्रमाण स्वरूप 'गूरदाम' तथा निम्न उद्धृत किये जा सकते हैं। उन्हें दुष्टि का अभाव था। उम अभाव की ही उन्होंने बरुणामूलक दुष्टि की गहायना मे की। यही बात 'जायमी' जैसे मय कवि के सम्बन्ध में लागू हो सकती है।

'एहतर' के इस मिथ्यान्त के मूळ में हमें प्रभुत्व-कामना की प्रवृत्ति का एक दिखाई पड़ती है। जिन लोगों में यह प्रवृत्ति जिननी तीव्र होती है, सम्म बनकी प्रतिभा भी उतनी ही प्रबल होती है। ये ही साहित्य-क्षेत्र में भी मय कार्य कर पाते हैं। सम्भवतः यही कारण है कि कविद्वय के महान् प्रतिभावा कवियों और विद्वानों ने अपनी प्रशंसा स्वयं की है। कालिदास, मेघदूत कबीर आदि के उदाहरण हैं। इस प्रकार स्पष्ट है, किसी हीनता-भाव से उ होने वाली किसी भी प्रकार के प्रभुत्व की भावना भी साहित्य की एक प्र प्रेरिका हो सकती है।

एक दूसरे अंग्रेज 'युग' ने इन दोनों मतों में सामञ्जस्य स्थापित करने चेष्टा की है। उनका मत है कि साहित्य का जन्म काम-वासना और प्र वासना इन दोनों प्रवृत्तियों की प्रेरणा से ही होता है।

बाबू गुलाबराय ने उपर्युक्त मत को ही भारतीय दृष्टिकोण से समझ की चेष्टा की है। उनके मतानुसार त्रिविध एषणाएँ ही साहित्य की मूळ प्रेरि होती हैं। उन्होंने कहा—जो भी हो, इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा यदि साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, तो यह त्रिविध एषणाएँ भी उसे किन्त किसी रूप में बल अवश्य प्रदान करेगी।

साहित्य के निर्माण में एक और मनोवैज्ञानिक-प्रवृत्ति कार्य करती दिखाई पड़ती है। सम्य मानव प्रायः अपने स्वार्थों को परार्थ के आवरण छिपाकर व्यक्त करना चाहता है। साहित्य की उद्भावना में मानव की प्रवृत्ति भी प्रच्छन्न-रूप से क्रियाशील रहती है। इसीलिए उससे स्वार्थ अ परार्थ दोनों की सिद्धि होती है।

आचार्य मम्मट ने साहित्य-साधना के उद्देश्य या प्रयोजन बतलाये हैं :

वाच्य यगमेऽर्थवृत्ते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

मय. परनिवृत्तमे वाग्ना सम्मिततयोपदेगपुत्रे ॥

(१) यगोलिप्सा (२) अर्थलाभ (३) व्यवहार ज्ञानार्थ (४) कल्याण तथा (५) शीघ्र ही आनन्द की अनुभूति कराना (६) मधुर-उपदेश ।

बसुंत्तज्जगिन उद्देश्यो में से अधिकांश इन्हीं में अन्तर्भूत हो जाते हैं ।

अतः सक्षेप में हम कह सकते हैं कि साहित्य-मृजन में मूल प्रेरणाएँ आत्मा-व्यक्ति, मनुष्य तथा उनके कार्यों के प्रति लगाव, यथार्थ जगत् के प्रति आकर्षण और कल्पना जगत् के प्रति निर्माण, रूप-विधान, अनेकता में एकता स्थापन करने की प्रवृत्ति, तन्मयता त्रिविध एषणाएँ (पुनर्षणा, विसर्षणा, लोर्षणा) तम-भावना, प्रभुत्व-भावना तथा स्वार्थ और परार्थ की सिद्धि हैं । साहित्यकार इन्हीं प्रेरणाओं से प्रेरित होकर साहित्य-मृजन करता है ।

साहित्य और समाज

साहित्य और समाज का पारस्परिक घनिष्ठ-सम्बन्ध है । साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, अपितु उमका मार्ग निर्देशक भी है । यदि समाज अपनी अचित विशेषताओं को चुन-चुनकर 'साहित्य' का श्रृंगार करता है, तो साहित्य भी अपनी सरमना द्वारा समाज के अन्तःकरण को सरस एवं कोमल बनाता हुआ, उसमें मानवीय विशेषताओं की अभिवृद्धि करता है । इस प्रकार कवि और समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । यथा—

'Poet avol age react upon each other' कोई भी 'साहित्य' समाज की उपेक्षा करके चिरञ्जीवी नहीं हो सकता । यह बात दूमरी है कि कुछ उच्चकोटि के साहित्यकार देश-वाल की सीमा में ऊँचे उठकर चिरन्तन अधवा 'शाश्वत-सत्य' का चित्रण करते हैं और उनका वह दिव्य-संदेश प्रत्येक समय और परिस्थिति में नवीन प्रनीत होता है, किन्तु सभी साहित्यकार ऐंसे नहीं हो सकते ।

साहित्य का समाज के साथ दो रूपों में सम्बन्ध होता है—प्रथम प्रकार का साहित्य सामयिकलोक-प्रियता प्राप्त कर जनता का मनोरजन करता है और द्वितीय प्रकार यह है कि वह समाज की वर्तमान मान्यताओं एवं गति विधियों की उपेक्षा करता हुआ स्वच्छन्दरीति से गतिशील रहता है । इस प्रकार

साहित्य की उभयधारायें समाज-व्यापण में ही तत्पर रहती हैं। यदि एते समाज की वर्तमान स्थिति का पोषण होता है, तो द्वितीय से भावी-समाज रूपरेखा तैयार होती है।

पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के साथ समाज का सम्बन्ध होना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर बहुत विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं। 'मैथ्यू आर्नोल्ड' के मत से 'साहित्य जीवन की आलोचना है।' इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी प्रकार आलोचना में किसी कृति के गुण-दोषों का समुचित-विवेचन होता है उसी प्रकार साहित्य में भी समाज या मानवजीवन के गुण-दोषों का विवेचन होना चाहिए। ऐसा करने से साहित्य में 'आदर्श' और 'यथार्थ' दोनों का चित्रण सम्भव हो सकेगा। 'वर्द्ध' 'सर्वथ' ने भी इस विषय का प्रतिपादन निम्न लिखित शब्दों में किया है—

"केवल जीवन की यथार्थ भावनाओं का निरूपण ही साहित्य नहीं है इसके साथ ही भावनाओं का परिष्कार तथा अक्षय-प्रकृति का जीवन के साथ सामंजस्य भी है।"

उपर्युक्त मत के विपरीत 'कला कला के लिये' का सिद्धान्त मानने वाले विद्वानों ने साहित्य को 'आत्मभिव्यक्ति' का साधन माना है। वे साहित्य को समाज या जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं मानते। 'आस्कर वाइल्ड' ने स्पष्ट कहा है—*Emotion for the sake of emotion is the aim of art* अर्थात् 'कला का लक्ष्य अनुभूति अनुभूति के लिए' है।

सतुलित दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि कवि अपनी अनुभूतियों को समाज से ही ग्रहण करता है, क्योंकि सभी मनुष्यों की भाँति वह भी एक सामाजिक प्राणी है। अतः सामाजिक अनुभूतियों से बहिर्भूत जो भी रचना होगी, कोरी काल्पनिक होगी। साहित्यकार का यह दायित्व है कि वह 'साहित्य' में समाज का इतना ही चित्रण करे, जिसमें उसकी रसात्मकता में व्यापान न उपस्थित हो और इसी प्रकार कलात्मकता का पोषण इस मात्रा तक करे कि समाज उपेक्षित न रहे जाय। तात्पर्य यह कि साहित्यकार का यह कार्य है कि वह कला और जीवन में सामंजस्य स्थापित करे।

साहित्य की उत्पत्ति

दिल्लेखना, खान तक कोई भी साहित्यिक पैसा खलप कायं नहीं कर गया ।

इस प्रकार साहित्यकार के लिये एक खलपकी नीति है । वह अपने साहित्य के माध्यम से मानवीय गुणों की सुरक्षा करता है । नव-व्यवस्था की ज्योति खलपना है और अपनी गरमता द्वारा भौतिकता के साथ से खलप मानव-हृदय में जीत-लगा का सुधार करता है । साहित्य में ही अपनी क्षमता है कि वह गरमता क्यों तक अर्थात् वे गरमता दुःखों की सुरक्षा करता है । इतिहास को केवल मानवता के अग्नि-कबाल की ही सुरक्षा करता है किन्तु साहित्य अपनी जीवनी शक्ति को भी बनाये रहता है । जिनके अन्तगत पर्याप्त गरमता, ज्ञान-विज्ञान, आचार-व्यवहार आदि सभी का लेना ज्ञान रहता है । यदि आज 'शुद्धेद' उपलब्ध न होता, तो हम अपने प्राचीन श्रुतियाँ की गरमता-माधता, गूढ-चिन्तन और उनके जीवन का जलना प्रागाणिक-ज्ञान कहीं से अर्जित करते ? इस प्रकार साहित्य अपनी का दशक, वतमान का चित्रक और भविष्य का पथ-प्रदर्शक होता है ।

साहित्य में आदर्श और यथायं

काव्य में आदर्शवाद

मानव के आदर्शवादी विचारों के परिणाम स्वरूप ही साहित्य में आदर्श

वाद का प्रवर्तन हुआ है आदर्शवादी विचारों का मध्यम घर्म और सीते अधिक रहता है । जो लोग साहित्य का मध्यम घर्म और सदाचार में स्पर्श करते हैं, आदर्शवाद उन्हीं की देन है । भारत मदा में ही आचार-प्रवण ई घर्म-प्रधान देश है इसीलिए उसकी सामान्य-प्रवृत्ति आदर्शवाद की ओर रही । साहित्य के आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने भी आदर्शवाद के प्रवर्तन और प्रचार योगदान दिया है । बृहदारण्य कोपनिषद में ।

'अय पुरुषः वाङ्मयः' कह कर द्रष्टा ने साहित्य की आध्यात्मिकता ओर संकेत किया है । पुरुष आदर्श रूप है । अतएव यहाँ के साहित्य में आदर्शवाद का प्राधान्य होना स्वाभाविक है । साहित्य में उपदेशात्मकता आते उसकी प्रवृत्ति आदर्शवाद की ओर हो जाती है । इसीलिये हमारे मदा में आदर्शवाद का प्रचार बहुत अधिक हुआ ।

पाश्चात्य-साहित्य में आदर्शवादों का स्थान

पाश्चात्य-साहित्य में प्रमुख रूप से दो बातों पर ध्यान दिया गया ।

१-कला कला के लिए

२-कला जीवन के लिए

एक सम्प्रदाय तो भारतीय हितवाद का समर्यक कहा जा सकता है और दूसरा सम्प्रदाय कलावाद का अनुयायी है । कलावाद के अनुयायियों में क्रोचे बहुत प्रसिद्ध हैं । उन्होंने काव्य को मन की 'कल्पना' नामक प्रक्रिया की अति व्यक्ति माना है । वे उसे घर्म से भिन्न मानते हैं । पाश्चात्य हितवादी-सम्प्रदाय काव्य-कला को नीति सदाचार से सम्बन्धित सिद्ध करने का प्रयास करता है । इसीलिए उसमें आदर्शवाद की प्रतिष्ठा स्वतः हो गई है । क्रोचे की विचारधारा में भी आदर्शवाद का एक रूप मिलता है ।

जो कुछ अद्वैत है वही आदर्श है । इस दृष्टि से हम क्रोचे के सिद्धान्त को कलावादी आदर्शवाद का अभिधान दे सकते हैं । पाश्चात्य देशों में एक प्रकार का आदर्शवाद और मिलता है ग्रीक साहित्य में दुस्तान्त नाटकों की बहुलता है, इन दुस्तान्त नाटकों की रचना अधिकतर आदर्शात्मक सिद्धान्तों पर हुई है । आदर्शात्मक सिद्धान्तों पर जीवन की यथार्थता प्रतिष्ठित की जाने के कारण

से हम यथार्थवादी आदर्शवाद कह सकते हैं। इस प्रकार हमें भारतीय और
विदेशीय काव्य क्षेत्र में तीन प्रकार के आदर्शवाद देख पड़ते हैं।

१. सदाचार और धर्ममूलक आदर्शवाद।
२. कलावादी आदर्शवाद।
३. यथार्थवादी आदर्शवाद।

आदर्शवाद क्या है ? काव्य या किसी अन्य साहित्यिक-रचना करते समय
कवि अथवा लेखक अपनी भावाभिव्यक्ति में दो पद्धतियाँ स्वीकार करता है।
पहली यह है कि वह तत्कालीन-समाज को जिन रूप में देखता है, उसका
उसी रूप में चित्रण कर देता है, स्वयं उममें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं
करता। इस विधि में वह यथार्थवादी कहलाता है। द्वितीय-पद्धति यह है कि
वह (कवि या लेखक) कल्पना का आश्रय लेकर समाज के मुन्दररूप का चित्रण
करता है, जो प्रत्यक्ष जगत् में दृष्टिगोचर नहीं होता। इस विधि में वह आदर्श
वादी कहलाता है। आदर्शवाद समाज के कटु-यथार्थ में ऊबे हुए व्यक्तियों के
लिए सान्त्वना प्रद होना है। हम ऐहिक-जगत् में अन्याय, प्रपीडन, शोषण,
अत्याचार एवं विद्रोह आदि को देखकर ऊब जाते हैं। यदि यही बातें हमें
साहित्य में भी मिलेंगी, तो साहित्य के अध्ययन में विरक्ति हो जायगी। इस
दृष्टि से साहित्य में 'आदर्शवाद' की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसके चित्रण
में कवि या लेखक को कल्पना की सहायता लेनी पड़नी है, क्योंकि दृश्य जगत्
इतना सुन्दर नहीं है। इस प्रकार कवि या लेखक का अन्तःकरण अपनी कल्पना
द्वारा ही उत्तमोत्तम भावों की सृष्टि करता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि
जैसा हो रहा है, वैसा ही चित्रण करना यथार्थ है और वस्तुतः 'जैसा होता
था' यह आदर्श है।

आदर्श का आंशिक प्रत्यक्ष तो हो जाता है, किन्तु सभी आदर्श प्रत्यक्ष होने
में नहीं दिखलाई पड़ते। उदाहरणार्थ—यदि कोई कवि या लेखक ऐसे समाज का
चित्रण करता है, जिसमें गुण ही गुण हैं, दान्ति ही दान्ति हैं, तो यह बोरो
आदर्शवाद कहलायेगा, क्योंकि दृश्य-जगत् में वही पर ऐसा नहीं दिखलाई
पड़ता। इस प्रकार अविनाश आदर्श स्वप्नलोक या कल्पनालोक में ही अस्तित्व

रखते हैं। इतना होने पर भी 'आदर्शवाद' आवश्यक है, क्योंकि यदि हम के माध्यम से हम उमाना अध्ययन करने हैं, तो निश्चिन्तरूप में हमारे उसका कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ना है और हम कुत्सित कार्यों में दूर रह कर आदर्शों की ओर अप्रसर होने की चेष्टा करते हैं। साहित्य में आदर्श आवश्यकता के निपण पर बल देने हुए हमारे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण ने लिया है—

हो रहा है जो वहाँ गो हो रहा,
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा ।
किन्तु होना चाहिए कब क्या कहा
व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ ॥

'माकेत' (प्रयत्न)

यह आदर्शवाद हमारे चित्त में निराशावाद की तमिस्रा को हटाकर 'आदर्शवाद' का नव-प्रकाश फैलाता है। वैदिक मन्त्रों में देखिये—“तमसो मा ज्यै गमय”, “असतो मा सद् गमय” आदि में इसी आदर्शों की ओर जाने का प्रयत्न मिलता है। हमारा प्राचीन-साहित्य आदर्शवाद की आचार शिलाओं पर टिका हुआ है। आदर्श हमें जीवन की पूर्णता की ओर अप्रसर करता है, जो कमनीय प्रेरणा देता है। हमारे साहित्य में राम, कृष्ण और बुद्ध आदर्शरूप चित्रित हैं, वह आज भी समाज का पथ-प्रदर्शक बना हुआ है। आदर्शवाद के सम्बन्ध में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का यह विशेष महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है—

“आदर्शवादी आदर्शपात्रों का शील और स्वरूप अभिव्यक्त करने के आदर्शोन्मुख-रचनाओं में स्पष्ट ही दो पक्ष रखते हैं। एक होता है 'सत्य' और दूसरा 'असत्यपक्ष'। उमी असत्यपक्ष का विस्तार के साथ ऐसा वर्णन जाता है कि जिससे उसके प्रति घृणा या विरक्ति उत्पन्न हो जाय। परिपुष्ट करना। अन्त में इन काव्यों का लक्ष्य यही निकलता है कि सत्य-व्यक्ति-वर्णन करना चाहिए, दुर्जनवत् नहीं।”

इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि आदर्शवाद हमें जीवन के उज्ज्वल

के अन्तर्गत है। यह हमारे सामाजिक ज्ञान की सम्भावनाएँ प्रकट है। सुदृशी
 'आदर्श' नाम के आदर्शवाद के विषय के कारण ही आज विषय में अन्तर है।

जहाँ यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि आदर्शवाद की कुछ सीमा भी है,
 साहित्य के उमका विषय किस माथा में हो। क्या कवि या लेखक को अपनी
 साहित्यिक-कल्पना में आदर्शवाद की प्रतिक्रियाएँ उपदेश देने का भी अधिकार है?
 यह से यह कहना होगा कि नहीं। साहित्य में तो आदर्श के माध्यम से उपदेश
 दान होता चाहिए। इसी को सम्मत में 'वाग्दानमय उपदेश' की मजा
 दान की है।

आदर्श की अपनी सीमाएँ हैं—उसे 'अविवाद' में बचना चाहिए। जहाँ वह
 विह्वल जीवन को सुख-वैविध्य प्रदान करता है, वहाँ उसे 'समाधानवाद' में भी
 रचना चाहिए। आदर्श का विषय उसी मात्रा में उचित होता है, जहाँ तक
 कि जीवन में सम्मत्त बनाये रहे। कौन आदर्श तो स्वयं बन जाता है, उसकी
 प्राप्ति देखकर मानव की आस्था जीवन की परिधि में इटने लगती है। मूनी
 रामचन्द्र जी ने लिखा है—

"यथार्थं यदि हमारे आँसे गोल देना है, तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी
 अनोखे स्थान में पहुँचा देना है। लेकिन जहाँ आदर्शवाद में यह गुण है, वहाँ
 इस बात की भी शक्यता है कि हम ऐसे विषयों को न चिन्तित कर बैठें, जो सिद्धान्तों
 की मूर्तिमात्र हो, जिनमें जीवन न हो।"

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि हमारे आदर्शों को सम्भावना की सीमा
 में बहिष्कृत नहीं होना चाहिए, तभी 'आदर्शवाद' की यह परिभाषा सार्थक
 सिद्ध हो सकती है—

"कल्याण के आधार पर जीवन का सुधरा हुआ रूप उपस्थिति करना
 'आदर्शवाद' है।"

भारतीय-साहित्य एवं पाश्चात्य-साहित्य में आदर्शवाद

भारतीय-साहित्य में आदर्शवाद का उदय वैदिक-काल में ही हो गया था।
 यद्यपि ऋग्वेद संहिता में हमें आदर्श के स्थान पर यथार्थ की ही प्रतिष्ठा मिलती
 है। किन्तु उसका मूलस्वर आदर्शवादी है। उपनिषद्-साहित्य में हमें उस मूल

स्वर का आदर्शवाद के रूप में पूर्ण प्रस्थापन मिलना है। उपनिषद् के जन्म रामायण और महाभारत-काल आता है। रामायण में आदर्शवाद की ही छवि पटा मिलती है। महाभारत में यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यथार्थवाद की ही छवि दिखाई पड़ती है, किन्तु उसकी भी आधार-भूमि आदर्शवाद है। भारत नाटक-साहित्य में हमें सर्वत्र आदर्शवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रकार आदर्शवाद के प्रभाव के कारण ही हमें एकाग्र को छोड़कर कोई भी दुखान्त नाटक नहीं मिलता। संस्कृत-साहित्य का रीति-युग भी आदर्शवाद के प्रभाव से न बच सका। इस युग की रचनाओं में सर्वत्र कलावादी आदर्शवाद के दर्शन होते हैं।

हिन्दी-साहित्य पर भी आदर्शवाद का बहुत बड़ा प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन वैष्णव-साहित्य पर आदर्शवाद की छाया झलकती है। मध्य-युग की सूफी और और निर्गुण-काव्य-धाराओं में तो आदर्शवाद मानो मूर्तिमान हो उठा है। छायावादी-युग कलात्मक आदर्शवाद के लिए प्रसिद्ध है ही।

पाश्चात्य साहित्य में भी आदर्शवाद के दर्शन होते हैं। प्रारम्भ में उन्हें कहीं-कहीं धार्मिक-आदर्शवाद की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है, किन्तु परवर्ती साहित्य पर सर्वत्र कलावादी आदर्शवाद की ही झलक मिलेगी। रोमांटिक युग अपने कलावादी-आदर्शवाद के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम देखते हैं भारतीय-साहित्य ही नहीं पाश्चात्य-साहित्य भी आदर्शवाद से अनुप्राणित है।

काव्य में यथार्थवाद

यथार्थवाद की मूल प्रेरिका ऐहिकता है। जब मानव "एकोऽहम् बहुस्याम्" की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर विकासी-मुख होने लगता है, तभी से वह यथार्थवादी बन जाता है। यथार्थवाद के मूल में यही भौतिकता और वैज्ञानिकता है। जीवन और जगत् की जैसी अनुभूति हमारी स्थूल इन्द्रियों को हुआ करता है, उनको उसी रूप में चित्रित कर देना 'यथार्थवाद' है। दूसरे शब्दों में यथार्थवाद की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं। उसे अपरोक्ष की प्रत्यक्ष मान सकते हैं, प्रतीति लिए उसका दूसरा नाम प्रकृतिवाद भी प्रसिद्ध है। पाश्चात्य-देशों में 'यथार्थवाद' की बड़ी धूम है। इसका कारण यह है कि

नका दृष्टिकोण भौतिक रहा है। ऐपिक्यूरियन-दर्शन, हेगेल का जड़ाहैतवाद, ष्ट का भौतिक-इष्ट्युशन आदि दार्शनिक तथ्यों ने पाश्चात्य-साहित्य में यथार्थवाद को प्रेरणा प्रदान की है। बर्गमा ने भी 'इष्ट्युशन' का जो निरूपण किया है, वह बहुत ही भौतिक और स्थूल है। इन भौतिक दर्शनों के प्रभाव से पश्चात्य-साहित्य में 'यथार्थवाद' का विकास हुआ।

यथार्थवाद का स्वरूप निरूपण और विशेषताएँ—

१. यथार्थवाद की सबसे पहली प्रवृत्ति एकत्व से अनेकत्व की ओर जाना है। श्री नन्ददुलारे ने कहा—यथार्थवाद वस्तुओं की पृथक्-पृथक् सत्ता का उन्मूलक है। वह समष्टि की अपेक्षा व्यष्टि की ओर अधिक उन्मुख रहता है।
 २. यथार्थवादी साहित्य का सम्बन्ध प्रत्यक्ष वस्तुजगत् में रहता है।
 ३. नैतिकता और धर्म से यथार्थवाद विशेष सम्बन्धित नहीं है।
 ४. यथार्थवाद में जीवन की ज्यों की त्यों अभिव्यक्ति मिलती है। जीवन में तमोगुण, रजोगुण, और तमोगुण तीनों की अभिव्यक्ति मिलती है, इसीलिए उसमें तीनों का चित्रण किया जाता है।
 ५. इसमें मानव की सबलताओं और दुर्बलताओं का सन्तुलित चित्रमिलता है।
 ६. यथार्थवाद में जीवन के सापेक्ष सत्य की प्रतिष्ठा मिलती है।
 ७. यथार्थवाद में सत् और असत् का द्वन्द्व दिखाते हुए या तो बीच में ही छोट देते हैं या असत् की विजय दिखाते हैं।
 ८. यथार्थ हमारी वृत्तियों के विस्तार में समर्थ होता है।
 ९. यथार्थवाद का सम्बन्ध स्थूल-जगत् और स्थूल-अभिव्यक्ति से अधिक रहता है।
 १०. यथार्थवाद में सत्य की प्रतिष्ठा मिलेगी, किन्तु वह सत्य लौकिक-सत्य से अधिक निकट होगा।
- काव्य-जगत् के सत्य से थोड़ा दूर उसमें सत्य के साथ-साथ 'निर्व' तत्व भी पाया जाता है। किन्तु सौन्दर्य-तत्त्व का जो स्वरूप उसमें प्रतिष्ठित रहता है; वह द्वन्द्वारमक रहा जा सकता है। यथार्थवाद के सौन्दर्य में जीवन के सुन्दर और असुन्दर का सुन्दर-असम्बन्ध देखा जा सकता है। यथार्थवाद की शैलियाँ

योगात्म्य और वैज्ञानिक अधिक रहती हैं ।

१२ यथार्थवाद में आत्मा-निराणा का दृष्टि दिशाओं पड़ना है ।

१३ यथार्थवाद में जीवन का गन्तुलित-चित्र चित्रित किया जाता है ।

१४ यथार्थवाद का लक्ष्य मानव को मानव बनाना होता है ।

१५ यथार्थवाद को महादेवी के मन्दो में "जट की मचेतन अन्तिम वक्र मकते हैं ।"

१६ यथार्थवाद अपूर्णता का प्रतिबिम्ब होता है ।

यथार्थवाद का विकास

भारत में यथार्थवाद की प्रतिष्ठा न्यून रही है और जब कभी यथार्थवाद का चित्रण भी किया गया, तो उसके मूल में 'आदर्शवाद' की भावना अन्तःप्रतिष्ठित की गई । सच तो यह है कि भारत में सर्वथा आदर्श की भूमिका पर ही यथार्थ का चित्रण किया गया है । केवल कुछ धर्मवादी और भक्तिवादी ही ऐसे थे; जिन्होंने कोरे आदर्शवाद का डका पीटा । इतना होते हुए भी भारत में यथार्थवादी-साहित्य का अभाव नहीं कहा जा सकता । ऋग्वेद में ही 'यथार्थवाद' का स्वयं-चित्रण मिलता है । महाभारत यथार्थवाद का प्राचीन ग्रंथ है । संस्कृत के गीत-साहित्य का सम्बन्ध भी यथार्थवाद में स्थापित किया जा सकता है । यथार्थवाद का प्रथम संकेत वीरगाथाकाल में मिलता है । आधुनिक प्रगतिवाद भी यथार्थवाद का ही प्रतिरूप कहा जा सकता है । निम्न उसे हम यथार्थवाद का स्वस्थ स्वरूप नहीं मान सकते । वर्तमान युगीन 'मार्क्सवाद' और 'लेनिन' के समाज-सम्बन्धी विचार यथार्थवाद के अन्तर्गत आते हैं । मार्क्सवाद को वैज्ञानिक एव भौतिक-यथार्थवाद कहा जाता है । मार्क्सवादो-साहित्यिक इस बात का आग्रह करते हैं कि उनके साहित्य का सम्बन्ध कल्पना और आदर्श में नहीं, ठोस व्यावहारिक सत्य से है ।

'मार्क्सवाद' के भौतिक-सिद्धान्त के नितान्त विरोधी अन्तर्चेतनावादी लेखक और कवि भी अपने को यथार्थवादी ही कहते हैं । उनका यथार्थवाद अन्तर्चेतना का यथार्थवाद है । इस मत के पोषक भी यही कहते हैं कि काव्य हमारी अन्तर्चेतना की वागनाओ का चित्र होता है । मार्क्सवाद और अन्तर्चेतना

दृष्टि को भीषित है। अन्तर्देवता शून्य है कि एक वाच्य-
 शक्ति को अन्तर्गत मानकर शून्य है दूसरा अन्तर्गत शक्ति का विरोधना
 का है। एक का अन्तर्गत सामाजिक-विकास का दृष्टिकोण बनना है और दूसरे
 अन्तर्गत के अन्तर्गत का शक्ति-विक्रम विज्ञित करना। एक मूल्य समष्टि को
 एक वाच्य है दूसरा समष्टि के अन्तर्गत अन्तर्गत की व्याख्या करना है।

अन्तर्देवतावादियों ने वाच्य सम्प्रदायी धारणा ही पकट ली है। उनका
 मतवाक्य है कि कवि अपनी कल्पना में यथार्थ-अनुभूतियों को सामाजिक प्रति-
 स्थितियों के कारण व्यक्त नहीं कर पाता है। अतः उनकी अभिव्यक्ति के लिए वह
 अन्तर्गत चुनता है। अपनी इन बातों एवं यथार्थ-अन्तर्गत वृत्तियों के प्रकाशन के
 लिए वह नग-नग उपमानों और प्रतीकों की योजना करता है। ये उपमान और
 प्रतीक उनके हृदय के निर्वाह-उद्धार होते हैं इनका महत्व मानव-विरोधना के
 द्वारा समझा जा सकता है। वाच्यसामग्र्य के अन्तर्गत नहीं। ये लोग कविता को
 वेगों प्रकार की कला नहीं मानते। इनके मतानुसार वह केवल कवि के 'अन्त-
 र्गत मधुपर्क' का विस्फोट है। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि क्या हम कविता
 में किमी प्रकार का मध्य भी अन्तर्निहित रहता है? हमके उत्तर में वे लोग
 कहते हैं कि मानव की अन्तर्देवता के मध्य की प्रगल्भता ही हमारे वाच्य का
 प्राण है।

माधुपर्कवादी-यथार्थवादी की विचारधारा अन्तर्देवतावादियों में भिन्न होती
 है। ये लोग वाच्य का मार्ग महत्त्व वर्ग-मधुपर्क के प्रकाश में आकरते हैं। इनकी
 दृष्टि में वाच्य-मध्य कोई महत्त्व नहीं रखता। वह कवि कल्पना की वस्तु है।
 वाच्य का मूल लक्ष्य उन सामाजिक मन्थनशो का उद्घाटन करना है, जो
 प्रत्यक्ष-जीवन में अनुभूत होते हैं।

यथार्थवाद की इन दोनों आधुनिक-धाराओं का अध्ययन करने में अनुभव
 होता है कि काव्य-क्षेत्र में आदर्शवाद की प्रतिक्रियाएँ बड़ा विकृत-रूप धारण
 कर रही हैं। ये दोनों ही धाराएँ हिन्दी में योरोप में आई हैं। वे योरोपीय-
 मस्कृति के लिए चाहे टिक्कर रही हो, किन्तु भारतीय-मस्कृति के विरोध में
 होने के कारण वे भारत के लिए कल्याणकर नहीं कही जा सकती। इनमें

“माक्सपद्धतीय-समाजवादी यथार्थवाद को युग-भाग समझकर हनक कर सकते हैं, किन्तु अन्तश्चेतनावादियों का विकास हमारे जीवन और देश लिए घातक हो सकता है। दूसरे देशों की नकल करने वाले कवियों के यह अपेक्षित है कि भारतभूमि में विविध प्रकार की नई आदर्शवादी का प्रवर्तन करें। इसमें इनकी मौलिकता भी होगी और देश के सर्व कल्याण भी होगा। इस दृष्टि से ‘पन्त’ ने अरविन्द-दर्शन की ओर हुए पथ-प्रदर्शन किया, वह सराहनीय और अनुकरणीय है।

आदर्श और यथार्थ में अन्तर

‘आदर्श’ कल्पना के आधार पर जीवन के सुघरे हुए रूप का निरूपण है, किन्तु ‘यथार्थ’ बिना कल्पना का रंग चढ़ाये हुए जीवन का यथार्थ प्रति-प्रस्तुत करता है। यदि ‘यथार्थ’ जीवन के नग्न सत्य का उद्घाटन करता है, आदर्श ‘स्वप्नलोक’ को साकार करने की बात करता है। यदि यथार्थ नग्नसत्य के कुत्सित-चित्र उतारता है, तो आदर्श घरा में ही स्वर्ग उतार की बात करता है। यदि आदर्श समाज-कल्याण की भावना से सत्पवृत्तियों का प्रचार करता है, तो यथार्थ जीवन के कुत्सित चित्रों का प्रदर्शन कर कर को इनसे दूर रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। वस्तुतः यथार्थवाद का नियेषात्मक रूप अच्छा नहीं प्रतीत होता। यदि साहित्य में कुत्सित पात्रों भरमार हो जायगी, तो इसका दुष्प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा और कुत्सितों को पोषण मिलेगा।

इस प्रकार मुसी प्रेमचन्द जी के शब्दों में दोनों में समन्वय आवश्यक है—
 “आदर्शों की सजीव बनाने के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए।”
 यथार्थ की आकर्षक बनाने के लिए थोड़े चुनाव की आवश्यकता है। साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह केवल बुराइयों का उद्घाटन कर पाठक की मानसमात्र में आस्था न उठा दे और घृणा का प्रचारक न बन जाय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वही साहित्य जीवन के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है, जिसमें यथार्थ और आदर्श का समन्वय प्रस्तुत किया हो।

कला

कला की व्युत्पत्ति

अभिव्यक्ति की व्यग्रता, ही कला के जन्म का मूल कारण है। मनुष्य एक अन्तर्जालील प्राणी है, उममे सदैव आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। वह आदिम-ग से अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिये व्यग्र होता आया है, भाषा भी उसी व्यग्रता का परिणाम है। भाषा के माध्यम से जब वह अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, तो वह अन्य साधनों को अपनाता है। मनो-भावों को व्यक्त करने की यही अदम्य और शाश्वत-भावना—'कला' की जननी मानी जाती है। एक भावुक हृदय साधारण सी घटना से व्याकुल हो उठता है। उदाहरणार्थ—'कौचदध' को देखकर आदि कवि के मुत से इसी करणा के कारण सरस्वती का आदि-रूप प्रस्फुटित हो उठा।

कला की परिभाषा

कला की समन्वित परिभाषा के लिये भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मतों को जान लेना अति आवश्यक है। कला के सम्बन्ध में पाश्चात्य देशों में सैद्धान्तिक विवेचन अधिक हुआ है, जबकि भारतवर्ष में कला के सम्बन्ध में व्यावहारिक विवेचन की ओर अधिक प्रवृत्ति रही है। पाश्चात्य देशों में कला की परिभाषाएँ वास्तु में अन्तर की ओर हैं। अर्थात् उनमें प्राकृतिक अनुकरण के साथ मानसिक पक्ष की ओर गंभीरता भी मिलना है। अरस्तू और दान्ते के मतानुसार—कला का मूल मानव की अनुकरण करने की प्रवृत्ति में निहित है, और इस अनुकरण का विषय मौलिकता की दृष्टि में प्रकृति है, दान्ते ने अपने महाकाव्य 'दिव्यदत्ता काभेदिया' में कला के विषय में इस प्रकार कहा है —

"Art, as far as it is able, follows nature, as a pupil imitates his master, thus your art must be, as it were, God's grandchild." दान्ते ने कला का सम्बन्ध ईश्वर और प्रकृति में माना है। परन्तु कला-प्रकृति न केवल प्रकृति के अनुकरण में ही सीमित है, और न केवल ईश्वर के अनुमोदन में ही। मनुष्य का 'एव' इन दोनों का स्वागत करते हुए

भी इनसे स्वतन्त्र रचना करता है। उसका यही 'स्व' पूर्णता को आत्म-
कर सर्वोपरि हो उठता है। कला का मूलन इसी 'स्व' के कारण ही होता है।

एक अन्य पाश्चात्य निचारक 'क्रोचे' कला-उद्भावना के सम्बन्ध में कुछ
अधिक मानवीय गौरव की रक्षा कर सके हैं और उन्होंने एक अर्थ में 'अनुकृति
वाद' के मनोवैज्ञानिक-पक्ष की विकसित दशा प्रस्तुत की है। वह 'मार्नि
अभिव्यक्ति' को कला मानता है। अनुकृतिवाद में मानव-मन की अविरति
अवस्था विस्मय या कौतूहल की प्रेरणा से अनुकरणशील मानी गई है।
अवस्था एक सतत-चेतन प्रगति में विकास की विशेषताओं को एक ही
आकर्षण और जिज्ञासा की प्रेरणा में स्वभावतः अभिव्यक्तिशील ममती गई है।
यही क्रोचे का 'अभिव्यक्तिवाद' कहलाता है। इस प्रकार दान्ते की परिभाषा
'आत्म-प्रकाशन' पर तथा क्रोचे की परिभाषा 'अभिव्यक्ति' पर बल देनी है।
परन्तु भारतीय विचारकों का दृष्टिकोण सैद्धान्तिक न होकर व्यावहारिक
अधिक है, भारतीय विद्वानों ने कलाओं की उपविधाओं के रूप में माना है।
भूँदरि का सुप्रसिद्ध वाक्यांश इस कथन की पुष्टि करता है—

'साहित्यमगीतकलाविहीन'

आचार्य दण्डी ने भी देव-वाक्य-विरोध की भाँति कला-विरोध भी एक
दोष माना है। इसी प्रसंग में उन्होंने कला को 'कामार्थसधमा' कहा है और
नृत्य, गीत, वाद्य आदि कलाओं को उसके अन्तर्गत माना है—

"नृत्यगीतप्रभृतयः कलाः कामार्थसधमा"

—वाच्यादरी (३१११)

भारतीय विद्वानों ने शीघ्र ही कलाओं को माना है। उन्होंने कलाओं को एक
प्रकार में विदग्ध दृष्टियों का विषय भी गिना का अर्थ माना है। जिनके अर्थ
मन नाचना, गाना, नृत्य, चित्र बनाना, आदि धार्मिक परिगणित हैं।

प्रसंग ही में अनेक 'कला' और 'कला' शीर्षक निबन्ध में कला की की
अन्तर्गत इस प्रकार की है— "नृत्य, गीत, वाद्य, चित्र, वाक्-प्रयोग, साहित्य-मार्मिक, वाक्-
से वा प्रयोग में 'स्व' का अर्थ को परिगणित कर में प्रकट करती है, इसे
'कला' नाम देना है।"

वाक्य और कला दृष्ट ६१

प्रमाद जी के मन में ईश्वर की बसुंध-शक्ति का मनुष्यित रूप जो हमको ज्ञान के लिये मिलता है, बनी बना है।

नेटवर्क

उपरोक्त भाग्यी एव पाश्चात्य विद्वानों द्वारा की गई कला की परिभाषा का विवेचन करते हैं परन्तु हम इस विषय पर पहुँचते हैं कि—मनुष्य ने विश्व-मौन्दर्य के रूप में वस्तु चिरन्तन आनन्द की आत्मानुभूति को जीवन के प्रति आस्था शक्ति और प्रापकता के प्रसार के लिए व्यक्त कर देने की आवश्यकता पहिचानी। यही आवश्यकता कला की जननी हुई। अतः हम यह कहते हैं—

“विश्व-मौन्दर्य द्वारा प्राण आनन्द-बोध की स्वानुभूति को मनुष्य ने सन्नेष्ट होकर त्रिभुज क्षमता के माध्यम से व्यक्त की वही 'कला' है।

निम्न ही कला के मूल में मौन्दर्य-भावना की प्रधानता है। कला, कला के लिये न होकर, जीवन से पराधन के लिए न होकर—जीवन के लिए ही होती है। इसीलिये मानव जीवन में कला का महत्वपूर्ण स्थान है।

कलाओं का वर्गीकरण

कलाओं का वर्गीकरण प्रधानतया भौतिक तथा मानसिक दो पक्षों के आधार पर किया जा सकता है। कला की उपयोगिता भौतिक पक्ष में सम्बन्धित है, जब कि कला की मौन्दर्य बोधकता मानसिक पक्ष से सम्बन्धित है। इस प्रकार मोटे तौर पर कला के दो मुख्य भेद हुये—एक तो उपयोगी कलाएँ और दूसरी वे कलाएँ जिनका सम्बन्ध मानसिक पक्ष में अधिक है, जिन्हे 'ललित कलाएँ' कहा जा सकता है। इस प्रकार कला के—उपयोगी कलाएँ और ललित कलाएँ, दो मुख्य भेद हुये। विद्वानों ने इनके भी कई भेद किये हैं—यह विभाजन पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार किया गया है।

कला

उपयोगी कलाएँ

(बर्तई, लुहार, सुनार आदि की
उपयोगी वस्तु निर्माण-कलाएँ)

ललित कलाएँ

वास्तुकला

मूर्तिकला

चित्रकला

संगीतकला

काव्य-कला

उपयोगी कलाएँ

बर्तई, लुहार, कुम्हार, सुनार आदि की कलाओं को हम आनन्द की रीति-रिवाज से व्यक्त नहीं कह सकते हैं। परन्तु उनमें भी आनन्द की अभिव्यक्ति हो सकती है जब कलाकार वस्तुओं का निर्माण मात्र उपयोग के लिये न कर उनमें एक-एक चमत्कार लाने का भी प्रयास करें तभी वे कलात्मक कृतियाँ बन सकती हैं। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो वस्तुएँ साधन-रूप से सुव्यवस्था में सम्पादन करें, वे उपयोगी कलाएँ कहलाती हैं, इनके अन्तर्गत बर्तई, लुहार, कुम्हार, सुनार आदि की वस्तुनिर्माण कलाएँ आती हैं। उपयोगी कलाओं में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके शारीरिक और आर्थिक विषयों में सहायता मिलती है।

ललित कलाएँ

'ललित कला' द्वारा मानसिक विकास और अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है, जिनमें भावों का उदात्तीकरण होता है। भावों का उदात्तीकरण निश्चय ही समाज के लिये शुभ होता है। ललित कलाओं के अन्तर्गत वे कलाएँ आती हैं, जिनका हमारे मानसिक और लौकिक जीवन में सम्बन्ध है। वे अवस्था के समय हमारे मन में एक अद्भुत आनन्द की मूर्ति कर हमें—एक ऐसी भोग्य अवस्था में पहुँचा देती हैं, जो ब्रह्मानन्द सहोदर मानी गयी है। कोशे के मन में कला का जन्म कलाकार के अन्तःकरण में होता है। वहाँ पर विभाजन का कोई प्रश्न नहीं उठता। विभाजन कला का नहीं, वरन् कला-

तयो का, जो भ्रान्तरिक कला के बाह्य रूप हैं, उनका होता है। सामग्री और अभिव्यक्ति के माध्यम के भेद से कलाओं में भेद माना गया है। ललित कलाओं में वर्गीकरण में पादचात्य विद्वानों की विचारधाराओं का गहरा प्रभाव है। उन्हीं के मतों के आधार पर ललित कलाओं के पाँच मुख्य वर्ग किये हैं— (१) वास्तुकला (२) मूर्तिकला (३) चित्रकला (४) मंगीतकला (५) नृत्य-कला आदि इनका विवरण इस प्रकार है :

स्तु-कला

'वास्तुकला' में भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। वास्तुकला निर्माण स्थूल पदार्थों से होता है, इसीलिये इसमें स्थूलता का आधिक्य होता है, जबकि भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये सूक्ष्मता आवश्यक है। इसका लाभ यह है कि बेडौल स्थूल वस्तुओं को विवेक के अनुसार सुडौल कृति में बनाया जाता है। वस्तु आवश्यक बनाने की भावना मानव में आदि ल में चली आ रही है, इसी भावना ने इस कला को जन्म दिया। इसे गृहनिर्माण कला भी कह सकते हैं।

मूर्तिकला

मूर्तिकला वस्तुतः सांख्यिक कला का प्रमुख उदाहरण है। इस कला के लिये स्थूल वस्तु को चेतन मन के अनुरूप ढाला जाता है। अर्थात् अचेतन चेतन का आगेप इस कला का आधार है। मूर्तिकार पत्थर, धातु, मिट्टी लकड़ी के अचेतन स्थूल टुकड़ों को चेतन-मन के कल्पनानुसार रूप प्रदान करने का प्रयास करता है। इस कला के गुण में जिन भौतिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है उनकी मात्रा वास्तुकला में उपयोग होने वाले भौतिक उपकरणों में बहुत कम होती है। इसीलिये मूर्तिकार एक वास्तुकार से श्रेष्ठ माना जाता है, और मूर्तिकला भी वास्तुकला में श्रेष्ठ मानी जाती है। मूर्तिकला के द्वारा एक प्रस्तर-ग्रन्थ या धातु-ग्रन्थ में जीवधारियों की प्रतिच्छाया की ही गृहमत्ता में मगठित की जा सकती है। यही कारण है कि मूर्तिकला ही अचेतन में चेतन की सुन्दरता या प्राकृतिक सुन्दरता प्रदर्शित करती है।

चित्रकला

चित्रकला की सबसे बड़ी सफलता इस बात में है कि हमारे इन
 में-काम भौतिक उपकरणों का प्रयोग कर अधिक-से-अधिक सम्भोषण
 की अभिव्यक्ति की जा सकती है। चित्रकला की अपेक्षा चित्रकला में
 भावों का अथवा अधिक सफलता और प्रभविष्णुता के माप दिया जा
 है। यदि कारण है कि चित्रकला में मर्मता कम और मानगिरता प्रसिद्ध
 है। चित्रकला में मूर्त्तियों के स्थान पर मानगिरता या सुन्दरता का प्र
 होता है बड़ी कला थोड़ा कला कहलाती है। इस दृष्टि में चित्रकला
 की सुन्दरता में निश्चय ही थोड़ा कम है। चित्रकला की उत्कृष्ट कला
 के माप ही उगरी अपनी कुछ सीमाएँ भी है। चित्रकार किसी भाव
 के ब्यक्त एक क्षण का ही चित्रण कर सकता है। उगरी गतिशीलता का
 अस्पष्ट है। परन्तु चित्रण क्षण का वह चित्रण प्रस्तुत करता है जो
 और भाव की दृष्टि में अनुभव होता है। चित्रकला में कला के
 भावों चित्रकार की मूर्त्त अनुभूतियों को व्यक्त करने में पूर्ण महत्त्व है।
 शांतिव्यक्त

वाच्य-कला

वाच्य-कला में भौतिक उपकरणों के स्थान पर भावों का आधिक्य है ।
 ललित-कला के लिये भौतिक उपकरण अनिवार्य नहीं हैं । वाच्य का वास्तविक
 धार साहित्यिक मन्त्र या अक्षर है, मन्त्रिक को इनका ज्ञान आँसु और
 लो द्वारा होता है । इसमें माध्यम में पत्यश जीवन की घटनाओं और प्राकृ-
 तिक दृश्यों का वाच्यनिरूपण मन्त्रिक में मग्नता में अतिरूकिया जा सकता
 है । ललित-कलाओं में ज्यों-ज्यों हम उच्चता की ओर बढ़ते हैं, त्यों-त्यों उनका
 नै-आधार कम होता जाता है । वाच्य-कला में मूर्त आधार की आवश्यकता
 नहीं है । इसीलिये ललित-कलाओं में वाच्य-कला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ।

उपर्युक्त मक्षिण विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि
 ललितकलाओं में वाच्य-कला ही सर्वश्रेष्ठ कला है । कलाओं का मनुष्य
 जीवन में घनिष्ठ सम्बन्ध है, वे प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों ही रूपों में मनुष्य
 जीवन को प्रभावित करती रहती हैं । कलाएँ हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव
 डालती हैं ? यह प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । इस प्रश्न का समाधान
 देने में विद्वानों के दो प्रमुख वर्ग देने जाते हैं । एक वर्ग के विद्वान ललित
 कला का मूल उद्देश्य—आनन्द देना मानते हैं । इस वर्ग के विद्वानों को 'आनन्द-
 शायी' भी कह सकते हैं । परन्तु दूसरे वर्ग के विद्वान ललित कलाओं में उप-
 योगिताओं की खोज करने हैं । इस वर्ग के विद्वानों को 'उपयोगितावादी' भी
 कहा जा सकता है । इस प्रकार कला के विषय में दो मत बन गये हैं ।

१. 'कला कला के लिये'

२. 'कला जीवन के लिये'

कुछ भी नहीं, किन्तु इतना तो सभी आचार्य स्वीकार करते हैं कि —
 'ललितकलाएँ' मानसिक दृष्टि में सौंदर्य का प्रत्यक्षीकरण हैं । जहाँ तक कला
 की श्रेष्ठता के मापने का प्रश्न है, यह बिन्बुल स्पष्ट है कि जिस कला में
 मूर्त आधार जितना हो कम होगा और मन को प्रभावित करने की जितनी
 अधिक शक्ति होगी, वह कला उतनी ही श्रेष्ठ मानी जायगी ।

उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर विवेचन करने में ही 'समीतकला' और

'काव्यकला' अन्य कलाओं में श्रेष्ठ गिद्य होती है और गंगीय में तो कुछ आधार (गण्य स्वर आदि) होता भी है, किन्तु काव्य में वह भी नहीं है। अतः काव्यकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। काव्य में के लिए व्यापक स्थान होता है, यह मानव जीवन के भूत और वर्तमान विपन्न कर भविष्य की शोधी प्रस्तुत कर देता है। इतना महनीय कार्य कोई कला नहीं पूर्ण कर पाती, अतः कलाओं में काव्यकला का सर्वोच्च है।

कला के प्रयोजन

'मानव द्वारा अपने भावों को स्पष्टता देने की भावना ने साहित्य जन्म दिया'—पारचात्य विद्वानों ने साहित्य को ललित कलाओं के वर्ग माना है, और उन्होंने कला के विवेचन में साहित्य के प्रयोजनों का विवेक किया है। इस प्रकार उन्होंने कला के अनेक प्रयोजन माने हैं। उनमें प्रेरणा-रूप आन्तरिक हैं और कुछ प्रयोजन-रूप बाह्य हैं। भविष्य में नि प्रेरणाएँ ही प्रयोजन बना करती हैं। कुछ का सम्बन्ध सृष्टि से होता है और कुछ का सम्बन्ध आस्वादक से होता है। विद्वानों ने कला के ९ प्रमुख प्रयोजन माने हैं :—

१. कला कला के लिये—Art for art's sake.
२. कला जीवन के लिये—Art for life's sake.
३. कला जीवन से पलायन के लिये—Art for an escape from life.
४. कला जीवन में प्रवेश के लिये—Art for an escape into life.
५. कला सेवा के लिये—Art for service's sake.
६. कला आत्मानुभूति के लिये—Art for self recreation.
७. कला आनन्द के लिये—Art for Joy.
८. कला मनोरंजन के लिये—Art for realisation.
९. कला सृजन की आवश्यकता पूर्ति के लिये—Art for creative necessity.

उपर्युक्त वर्णित प्रयोजनों में दृष्टिकोण की भिन्नता तो अवश्य है परन्तु ये प्रयोजन एक दूसरे से नितान्त भिन्न नहीं हैं। इन सभी प्रयोजनों को दो-दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। (१) वह वर्ग, जो कला को न के लिये आवश्यक एक आचार और नैतिकता का कलात्मक माध्यम मानता इस वर्ग के अन्तर्गत कला कला के लिये, कला जीवन में पलायन लिये, कला आनन्द के लिये, कला मनोरंजन के लिये कला गृहण की आवश्यकता पूर्ति के लिये आदि सभी प्रयोजन आते हैं।

(२) वह वर्ग, जो कला को जीवन की उत्पत्ति और नैतिक मर्यादाओं की पूर्ति के हेतु अत्यन्त आवश्यक और प्रधान सहायक मानता है। इसमें लोक-जीवन की भावना प्रधान होती है, इसके अन्तर्गत कला जीवन के लिये, कला जीवन में प्रवेग के लिये, कला सेवा के लिये, कला आत्मानुभूति के लिये आदि सभी प्रयोजन आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रमुख दो वर्ग (१) का कला के लिये (२) कला जीवन के लिये ही विवेक्ष्य है, जिनका अन्तर्गत विवेचन इस प्रकार है।

कला कला के लिये

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक 'प्लेटो' ने किया। उन्होंने कला को जीवन की अनुकृति माना, उनके मतानुसार कलाकृतियों में जीवन का 'अनुकरण' ही सम्भव है, जीवन की 'प्रतिकृति' सम्भव नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त के पोंपक आस्कर वाइल्ड, जे० ई० स्पिनगर्न टी० एम० ग्लियट तथा ब्रैंडेल आदि पाश्चात्य विचारक भी माने जाते हैं।

इस सिद्धान्त के प्रबल समर्थक आस्कर वाइल्ड कला के क्षेत्र में वाक्य-कला को सर्वश्रेष्ठ कला मानते हुये, वाक्य-कला में शब्द की प्रभावशाली शक्ति को स्वीकार करते हैं। उनके शब्दों में "वाक्य मर्यादा अथवा सुराचार की प्रतिपादिका कोई पुस्तक नहीं है। जो कुछ है, वह दाना ही कि कोई पुस्तक

समावर्ती प्रमुख विचारक

१. आस्कर वाइल्ड

अच्छे ढंग में लिगी गई है, या बुरे ढंग में लिगी गई है। त्रिक महानुभूति की भावना अक्षम्य है। सम्पूर्ण कला इस प्रकार आम्कर याइन्ड 'कला' तथा 'आचार' की दमी प्रकार प्रमुग कलावादी विचारक जे० ई० स्पिंगर्न की नीय हैं। "शुद्ध काव्य के भीतर मदाचार या दुःख जैसा कि रेग्नागणित के ममचाहु त्रिभुज को सदाचारपू त्रिभुज को दुराचारगणन कलना।" अतः स्पिंगर्न महोदय क व्यापक विरोध करते हैं। कलावादी दृष्टि के एक अर्थ एव अग्रेजी के प्रसिद्ध कवि टी० एम० इलियट के विचार भी शब्दों के भयानक दुष्प्रयोग के विना यह कहना असम्भव है की शिक्षा, राजनीति मार्ग-दर्शन, धार्मिकता या उनकी अतः इलियट महोदय भी नैतिक दृष्टि में कला की परीक्षा परम्परा मानते हैं।

उपर्युक्त विचारधाराओं के अतिरिक्त पाश्चात्य कुछ अन्य विचारधाराएँ जैसे फ्रायड का 'स्वप्न-सिद्धान्त', 'व्यर्थवाद', अभिव्यजनावाद आदि भी कला कला के लिये सिद्धान्त की समर्थक फ्रायड कल्पना को ही काव्य का मूलाधार मानते हैं, उनका मनुष्य जिन अवरुद्ध वासनाओं की पूर्ति जागृत-लोक में नहीं कर पाता पूर्ति स्वप्न के कल्पना-लोक में करता है। अतः कलाकार अपनी कलाकृतियों में उन्हीं अवरुद्ध वासनाओं का प्रदर्शन करते हैं। परन्तु ऐतिहासिक विवेचन के आधार पर फ्रायड का यह सिद्धान्त धर्मपूर्ण निष्ठावान व्यक्तियों द्वारा ही प्रतिपादित की गई है।

यथार्थवादी—आहार निद्रा, भय और मृत्यु को ही मानव की

मानते हैं। मनुष्य की प्राकृतिक वृत्तियाँ ही कृतियों में सजीव होती
 आहार, निद्रा, भय और मंथन ही समस्त कलाकृतियों का मूलाधार
 न्तु यह सिद्धान्त भी अधिक तर्कमग्न प्रतीत नहीं होता, क्योंकि
 (क) विवेकशील प्राणी है। वह हृदय में अनुभव करता है और मस्तिष्क
 । कला सभ्यता की प्रतीक है। अतः उगने मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों
 माय उदात्त-प्रवृत्तियों का भी अभिव्यक्तीकरण होना नितान्त स्वाभा-
 । हृदय और मस्तिष्क दोनों के ही सहयोग में कला का सृजन होता है।
 जिसे 'अभिव्यक्ति' को ही कला का मूलाधार मानने हैं। परन्तु वह
 गीय है कि जब तक अनुभूति ही नहीं होगी तब तक अभिव्यक्ति का क्या
 ही संभवता है। अभिव्यक्ति की ही अभिव्यक्ति तो केवल साधन मात्र है,
 नु का रूप या गुण नहीं धारण कर सकती है। अतः इस सन्दर्भ में
 न मन भी अमग्न और अपूर्ण ठहरता है।

१

नुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज का आधार सदाचार है। कलाकार
 दाचार का कलात्मक स्वरूप अपनी कलाकृतियों में प्रस्तुत करता है।
 ला जादू के मैल की भाँति चमत्कार उत्पन्न कर लोगो, को आश्चर्यचकित-
 ही कर देती है, तो वह स्थायी समात्मकता नहीं उत्पन्न कर सकती,
 समात्मकता तो अनुभूति को गहराई में उत्पन्न होती है। 'कला कला
 के' सिद्धान्त कला में अनुभूति-पक्ष में संबंधा रहित है, वह अभिव्यक्ति
 अभिव्यक्ति मात्र है। अतः यह सिद्धान्त एकामी और अपूर्ण प्रतीत होता
 ला में केवल नग्न सुन्द
 द्रम् के माय

निव भी अनिवार्य है, कलाकार
 होना चाहिये।

कला के उपयोगितावादी दृष्टि को अपनाया है, उन्होंने कला में मुद्रा साथ-साथ शिव पर भी विशेष बल दिया है। यहाँ के विद्वानों ने कला उदय जीवन से माना है, कला का उद्देश्य जीवन को व्याख्या ही नहीं बल्कि दिशा भी देना है। कला जीवन को जीवन प्रदान करती है, और जोर योग्य बनाकर उसे ऊँचा उठाती है। वह जीवन में नए आदर्शों को प्रचार कर उनका प्रचार करती है। इस मत के समर्थकों में मैथ्यू आर्नोल्ड, आर्चबिशप रिचर्ड्स, एवर क्राम्बी, कार्लाइल, दोली तथा मिल्टन आदि प्रमुख हैं। विद्वानों ने कला में लोक-पक्ष, धर्ममिश्रित कलावाद, उपयोगितावाद तथा निर्धारणवाद आदि सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। कला में नैतिक महत्व को स्पष्ट करते हुये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है—

“जो काव्य नैतिकता के प्रति विद्रोही है वह स्वयं जीवन के प्रति जो पूर्ण है।”

इसी प्रकार कार्लाइल ने भी कला में कलावाजी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की है। “A Pack of lies that fowl creature write for diversion” बड्सवर्थ ने लिखा है—“स्वभावगत प्रेरणाओं के यांत्रिक अनुशासन का अर्थ—प्रकृति की ओर मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसे और यह दौड़ता ही है, परन्तु कवि का कृतित्व उस प्रवृत्ति को ही पवित्र करता है।” अतः कला वही है जो अपनी कलात्मक निकाई से जन-जीवन को लोक-दर्श के अनुकूल बना सके। दोली का मत भी भारतीय रस-दर्शन वादी संक है।

कला में उपयोगितावादी दृष्टिकोण के पारश्चात्य समर्थक ।

१. मैथ्यू आर्नोल्ड
२. कार्लाइल
३. बड्सवर्थ
४. मिल्टन
५. दोली आदि ।

अभिप्रेत भारतीय साहित्यकार एवं विचारक भी क्या मे उपयोगितावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द ने साहित्य को उपयोगी करने हुये कहा है—“साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और सुन्दर बनाना। हमारे मनो में, हमें की कशोदन मन का मन्कार होगा है। यही उमका रूप उद्देश्य है।” बकिम दावू बजाकार को मार्ग-दृष्टा मानते हैं, उनका दृष्टिकोण है कि बजाकार क्या के माध्यम से समाज की भ्रष्टताओं का परि-कारण कर उन्हें सम्कारित करता है। उनके मनो में “कवि समाज के शिक्षक हैं, किन्तु नीति की व्याख्या करने शिक्षा नहीं देते। वे मोक्ष की चरम मूर्ति उनके समाज का चित्र-सृष्टि करते हैं। यही मोक्ष की चरमोत्कर्ष माध्यम मूर्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। नूतनी ने ‘मानव की रचना स्वान्त गुणाय की थी, किन्तु नूतमी का मुख उनका अन्तः व्यक्तित्व मुख नहीं था मानव-मात्र का मुख था। इसीप्रिये उनकी कृति श्रेष्ठ कलाकृति और वे श्रेष्ठ कलाकार हो गये। कला के वास्तविक रूप की व्याख्या बकिवर मैथिलीशरण गुप्त ने भी इस प्रकार की है—

“हो रहा है जो जहाँ गो हो रहा,
यदि यही हमने कहा तो क्या बहना ?
किन्तु होता चाहिए क्या क्या कही,
व्यक्त करनी है कला ही वह यही।”

समाज के प्राय सभी समाजमुधारकों, नेताओं और महापुरुषों ने कला की उपयोगिता पर सबसे अधिक बल दिया है। महात्मा गांधी, लेनिन, टाल्स्टॉय

कला में उपयोगितावादी दृष्टिकोण के प्रमुख भारतीय समर्थक

१. मुर्ती प्रेमचन्द
२. बकिम दावू
३. आचार्य मम्मट
४. महात्मा गांधी
५. मैथिलीशरण गुप्त आदि।

आदि सभी इनके समर्थक रहे हैं ।

समीक्षा

'कला जीवन के लिये' सिद्धांत को मानने वाले कला के माध्यम के सिद्धांत में सर्वत्र व्याप्त सत्य की खोज करते हैं । सत्य ही ईश्वर है । इमीतिरेक और शिव में कोई अन्तर नहीं, क्योंकि ईश्वर ही शिव है । अतः जो सत्य ही शिव है, वह सुन्दर भी स्वतः ही है । इस प्रकार 'कला जीवन के लिये' सिद्धांत में सत्य, शिव और सुन्दरम् तीनों ही निहित हैं, जबकि 'कला कला के सिद्धांत' में सुन्दरम् की ही प्रधानता है । अतः यह एकांगी दृष्टिकोण प्रकट करता है ।

निष्कर्ष

शास्त्र कला वह कला है जो मनुष्य की सहज भावनाओं और प्रवृत्तियों पर आधारित होती है । जब शास्त्र भावनाएँ कला के अन्तर्गत मूर्त-रूप में प्रकट कर लेती हैं तब कला सांस्कृतिक कला बन जाती है । मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों आनन्द, क्रोध, घृणा, प्रेम आदि की अभिव्यक्ति कला में जब सहज प्रकट पूर्वक होती है तो वह समय, देश और जाति के बंधन में न बंधकर सांस्कृतिक और सांस्कृतिक हो जाती है, यही शास्त्र कला है । इसका सृष्टा बन्धन भी अमर हो जाता है । बाल्मीकि, कालिदास, सूर तुलसी आदि इतने कला अमर हैं ।

मरण में कला न तो एकदम जीवन से पृथक ही हो और न जनता के प्रचार का माधन मात्र ही बने । अतः कला को मध्यम मार्ग का ही अनुसरण चाहिए ।

काव्य की आत्मा

भारतीय साहित्य-शास्त्र में लगभग दस या बारह शताब्दियों पूर्व एक त्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था कि साहित्य या काव्य की आत्मा क्या है ? मान्यत 'आत्मा' शब्द का अर्थ है—विश्व का वह सार तत्व जो सभी जियों में निवास करता है, तथा जिसके अभाव में कोई प्राणी जीवित नहीं सकता। यहाँ 'आत्मा' का तात्पर्य है कि जिसके कारण कोई रचना साहित्य श्रेणी में आती है तथा जिसके अभाव में किसी भी रचना को साहित्य ही कहा जा सकता। इस प्रकार यहाँ 'आत्मा' शब्द का लाक्षणिक अर्थ या 'मूल-शक्ति'।

प्राचीन दर्शन-शास्त्र में जो स्थान 'आत्मा' का था, वही स्थान लगभग आधुनिक विज्ञान में 'शक्ति' का है। भरतमुनि ने लेकर पण्डित राज जगन्नाथ क लगभग दो हजार वर्षों में इस विषय को लेकर मुख्यत छ सम्प्रदायों का विर्भाव हुआ जो इस प्रकार है।

भारतीय मत १ रम सम्प्रदाय २ अलङ्कार-सम्प्रदाय ३ रीति-सम्प्रदाय
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय ५ ध्वनि-सम्प्रदाय ६ औचित्य-सम्प्रदाय

१. रस काव्यात्मा के रूप में

रम-सम्प्रदाय के कुछ आचार्यों के अनुसार काव्य की आत्मा रम है। रम-सम्प्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने—“आरवादन आना ही त है।” यह माना है। भरतपरवर्ती आचार्यों—धनजय, जमिनदगुप्त, मष्ट एव विश्वनाथ ने भी इसका सम्बन्ध 'आरवादन' या 'काव्यास्वादन' में स्थापित किया है। अर्थात् काव्य के आरवादन में पाठक को जिस आनन्द की सुभूति होती है वही रम है।

- भरत- गति रगाद्युभे कविबद्धं प्रवर्तते ।
 राजनेत्तर- गच्छाती न गतिर रम भवथा ।
 विदधनाथ- वाचर रगात्पर काव्यम् ।
 जगन्नाथ- रगनोवायं प्रतिपादक गच्छ काव्यम् ।
 भारतेन्दु- तामे वल्लु रम गीत है गद्य तानि गद्यकोर ।
 वाग अनुष्टी पाणिप भाषा कोरु होर ॥

इस प्रकार इस सम्प्रदाय के समर्थकों ने रम ही कविता का प्रतीक जो यथार्थ कवि है उसकी कविता में रम अवश्य होता है, नौरम का कविता नहीं। यह मान्यता स्थापित की है।

आक्षेप

रम कोई वाध्यता नहीं है, रस तो काव्यात्मदान की प्रकृति उत्पन्न वाता गन्ध है जिसकी स्थिति मद्दय पाठक में मानी गई है ऐसी स्थिति में रम को साध्य की आगम्य स्थिति करना युक्ति-मग्न नहीं है। अतः तत्त्व का अनुसंधान करना है, जो रम उत्पन्न करता है, अर्थात् रसोत्पादन। इस रम के उत्पादक या आधारभूत कारण के सम्बन्ध में विभिन्न आवृत्तों, एक मत होकर 'स्थायीभाव' को ही रम का आधारभूत तत्त्व माना है। स्थायी भाव अपने व्यञ्जक तत्त्व-विभाव, अनुभाव, सचारी भाव आदि में निरंतर सौन्दर्य करते हैं। कुछ आचार्यों ने सचारीभाव को ही साध्य की रूप माना है। परन्तु ऐसा उचित नहीं, साधन को साध्य नहीं माना जा सकता है। रस यदि उम आत्मा या शक्ति का कार्य है, तो स्थायीभाव उसका साधन है। अतः विभावानुभाव, सचारी या व्यभिचारी भावों आदि के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, जो मद्दय पाठक के हृदय को प्रभावित करती है। अतः रस को रसवादियों ने काव्यात्मा माना है।

२. अलंकार काव्यात्मा के रूप में

रस-सम्प्रदाय के परचान् अलंकार-सम्प्रदाय की स्थापना हुई। इस युग के प्रमुख आचार्य भामह, दण्डी और जयदेव हैं। भामह ने कहा कि

गर कोई नारी कितनी ही सौंदर्ययुक्त क्यों न हो, यदि अलंकार विहीन है, शोभा सम्पन्न नहीं बही जा सकती । इसी प्रकार वाक्य में चाहे कितने ही ग क्यो न हो, यदि उसमें अलंकारों की योजना नहीं है तो वह आत्हादकारी ही हो सकता ।

“न कान्तमपि निभूँष विभाति वनिता मुखम् ।”

हिन्दी आचार्यों पर इस सम्प्रदाय का अधिक प्रभाव नहीं पडा रीतिकाल केवल आचार्य बेगमदास ही एक मात्र ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस मत समर्थन किया ।

“अदपि मुजाति गुलच्छनी, गुदरन सरग मुखत
भूपन दिनु न विराजई, कविता वनिता मित्त ।”

कुछ आचार्यों ने अलंकारों का आधारभूत तात्व 'वत्रोक्ति' माना है उनका यह वाणी में चारता उत्पन्न करने का है ।

संक्षेप

अलंकार और सौंदर्य की सत्ता अलग-अलग नहीं है या एक है । एक पान पर वामन ने कहा “सौन्दर्यमलंकार” अर्थात् अलंकार ही सौंदर्य है या सौंदर्य ही अलंकार है यदि अलंकार और सौंदर्य एक है तो यह अलंकारवादियों की कृते की आवश्यकता क्यों हुई कि अलंकारों में वाक्य में शोभा उत्पन्न होनी है । स्पष्टतः यहाँ 'अलंकार' और 'शोभा' दो अलग-अलग मत्ताएँ हैं, जिनका सम्बन्ध परस्पर-साध्य सम्बन्ध है । यदि व्यावहारिक दृष्टि में देखें, तो भी सौंदर्य और अलंकार अभिन्न सिद्ध नहीं होने । सौंदर्य-रहित अलंकार और अलंकार-रहित सौंदर्य दोनों के ही अस्तित्व का विरोध नहीं किया जा सकता । अतः ऐसी स्थिति में 'सौंदर्य' में 'अलंकार' का प्रतिनिधित्व स्वतः ही हो जाता है । इस प्रकार अलंकार वाक्यात्मा नहीं है ।

३. रीति वाक्यात्मा के रूप में

अलंकार-सम्प्रदाय के पक्षान्तर रीति-सम्प्रदाय का आविर्भाव हुआ । इस सम्प्रदाय के महापुरुष आचार्य 'वामन' हैं । वामन ने रस और अलंकारों के

वैश्यान् वरुणां चोत्तमः ।
 १०००००

१०००००

विभीषण प्रदाय भीष्म रथात् ही शीतं चैव तदा शतं चैव
 धाम मे हे । इमं प्रदाय 'सुप्त' मन्त्रान् प्रदात्त ही शीतं चैव ही
 वामन ने सुप्त की वाग्भ्याम् कर्त्तुं कृत्वा "वाग्भ्याम्" वाग्भ्याम् वाग्भ्याम्
 अर्थात् वाग्भ्याम् म गोत्रात् उत्पन्न कर्त्तुं वाग्भ्याम् ही सुप्त है । सुप्त
 ही सुप्त को वही मन्त्र प्रदान किया गया था कि भद्रकार यज्ञियों ने
 भी दिया था । भद्रकार की भीष्म ही सुप्त भी वाग्भ्याम् गोत्रात्
 जनोत्पन्न गोत्रिय है, अतः वाग्भ्याम् की वाग्भ्याम् मानना उचित होगा ।

यदि ध्यायद्वाग्भ्याम् दृष्टि मे भी दया या शीत मे अतः ऐमी ध्यायद्वाग्भ्याम्
 दृष्टिमी है, जिगने उमे वाग्भ्याम् मन्त्री ध्यायद्वाग्भ्याम् किया जा सकता । प्र
 'गीता' मे ऐमे सुप्ता की यथा भी मन्त्र है या वाग्भ्याम् मे मन्त्र नही है । वं
 (स्पष्टता) माधुर्य आदि । वामन न सुप्ता की मन्त्रा धीम तत्र सुप्ता ही
 उन्हे व्यापक बनाने का प्रयास किया, किन्तु व अर्थात् अन्वयता एव
 दार्ष्टिकता के कारण प्रवृत्ति नहीं हो पाये ।

अतः सुप्त, भद्रकार, शीत-सुप्ता आदि शीत के साधनमात्र है
 साध्य काव्य मे गोत्रिय की उत्पत्ति करना है, अतः इन साधनों की अनेक
 साध्य गोत्रिय की वाग्भ्याम् की वाग्भ्याम् मानना उचित होगा ।

४. ध्वनि काव्यात्मा के रूप में

ध्वनि-सम्प्रदाय के उन्नायकों ने 'ध्वनि' को काव्य की आत्मा के
 प्रतिष्ठित किया है । इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक सम्प्रदायक आनन्दरत्नाचार्य

"काव्यस्यात्मा ध्वनि ।" — ध

आचार्य अभिनवगुप्त ने 'ध्वनि' शब्द के पाँच अर्थ माने हैं । (१)
 (२) व्यञ्जक अर्थ (३) व्यञ्जना शक्ति (४) व्यङ्ग्यार्थ (५) व्यङ्ग्यार्थ
 । इस प्रकार व्यञ्जना शक्ति से सम्बन्धित सभी तत्वों-शब्द, अ
 र्थ को ध्वनि मान लिया गया है । किन्तु सामान्यतः जहाँ उक्ति में

ध्वनि-सम्प्रदाय जिनके गुरु हो उमे ही ध्वनि कहा जाता है । इसी प्रकार वाच्य तीन भेद किये गये हैं (१) ध्वनि वाच्य (२) गुणीभूतव्यंग्य वाच्य (३) जग वाच्य । जिस वाच्य में अभिप्राय की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, उमे ध्वनि वाच्य कहते हैं । जिस वाच्य में व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ समान होते हैं उमे 'गुणीभूत-व्यंग्य-वाच्य' कहते हैं और जिस वाच्य में वाच्य चित्रोपमात्मक होना है उमे 'चित्रवाच्य' कहते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि इस वाच्य वही होता है जिसमें ध्वनि मुख्य होती है । अर्थ के साथ ध्वनि का साहचर्य उमे महत्ता का सूचक है, जो गुरु रमणियों के गौन्दर्य के लक्षण होता है ।

ध्वनि सिद्धान्त में वाच्य के गौन्दर्य के एक विशेष एक अनिवर्चनीय सादान की ओर मन्त्रित किया गया है । इसीलिये यह सम्प्रदाय रस-सम्प्रदाय अनिश्चित अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय रहा है । यह सच है कि इस सम्प्रदाय के विरोध में भी अनेक ग्रन्थों की रचना हुई, परन्तु विरोधों पर डर यह सिद्धान्त और चमकता गया ।

हिन्दी में भी इस सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव पडा । आचार्य बलपति, तापमाहि आदि ने इसकी मान्यता की स्वीकार किया है । रमण सम्प्रदायों की भाँति इस सम्प्रदाय के विषय में भी यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वाच्य में ध्वनि का महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु इसे वाच्य-आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । वस्तुतः ध्वनि में भी 'रसध्वनि' सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, अतः रस की मुख्यता स्वन सिद्ध है, यह बात हमारी है कि ध्वनि का रस के साथ विनिष्ट सम्बन्ध है ।

५. वक्रोक्ति काव्यात्मा के रूप में

साहित्य में ध्वनि सिद्धान्त के दृढ़ स्थापन काल में ही वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का जन्म हुआ । इस सम्प्रदाय के प्रस्थापक आचार्य कुन्तक है । कुन्तक के समय में आनन्दवर्धनाचार्य के 'ध्वनि-सिद्धान्त' की महत्ता प्रायः सभी आचार्यों ने स्वीकार कर ली थी । पूर्वोक्तों द्वारा प्रस्थापित अलंकार, रीति, रस, औचित्य आदि सम्प्रदायों का अन्तर्भाव ध्वनि-सम्प्रदाय में ही करके आनन्दवर्धनाचार्य ने

उन सभी काव्य तन्त्रों की निश्चित हाररेता और महत्व निर्य कर सिद्ध
 हिन्दु आचार्य कुन्तक ने धर्म के दृग व्यापक विद्वान् का विरोध
 'वक्रोक्ति काव्यजीविनम्' की उद्घोषणा की । भारतीय-साहित्य में वक्र
 प्राचीनकाल से ही किसी न किसी रूप में प्रयुक्त थी । कुन्तक ने इसे व
 रूप देकर सम्प्रदाय विरोध के रूप में प्रतिष्ठित किया ।

वक्रोक्तिवादी आचार्य इस उक्ति-वैचित्र्य को शब्द-गन, अर्थगन और रस
 उभयगत मानते हैं । शब्द और अर्थ के वैचित्र्य के बिना काव्य के उद्देश्य का
 का पूर्ण प्रसार नहीं हो सकता । आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति के ६ भेद मते

१. वर्ण-विन्यास वक्रता
२. पद-पूर्वाह्न वक्रता
३. पद-परार्द्ध वक्रता
४. वाक्य वक्रता
५. प्रकरण वक्रता
६. प्रबन्ध-वक्रता ।

प्रसिद्ध कथन से भिन्न अभिधा, अर्थात् वर्णन-शैली ही वक्रोक्ति है । वर्ण
 पूर्ण शैली द्वारा उक्ति है । 'वैदग्ध्य' का अर्थ है विदग्धता, कविकर्म की
 उसकी भगिमा या शोभा उसके द्वारा उक्ति, विचित्र अभिधा की वर्णन
 को ही वक्रोक्ति बहने है । वक्रोक्ति को 'काव्यात्मा' स्वीकार करने पर
 कुन्तक रस की उपेक्षा नहीं कर सके । उन्होंने रस की महत्ता के साथ
 वक्रोक्ति को भी महत्व प्रदान किया । वस्तुतः यह काव्य का शरीर पर
 वक्रोक्ति परवर्ती आचार्यों ने इसे अलकार माना है । अस्तु, इसे काव्यात्मा
 कह सकते ।

६. औचित्य काव्यात्मा के रूप में

आचार्य 'धोमेन्द्र' इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । उन्होंने इसे
 का प्राण घोषित किया है । उन्होंने परिभाषा करते हुये कहा जो जिसके योग
 अनुरूप हो, आचार्य लोग उसे उचित बहते हैं इस उचित का भाव ही 'औ
 है । दूररे शब्दों में प्रत्येक वस्तु का उचित रूप में वर्णन ही औचित्य
 साहित्य के बाहर भी औचित्य की प्रतिष्ठा है । इतिहास, नीति,
 की पुस्तकों में भी औचित्य की प्रतिष्ठा मिलती है, जबकि ये काव्यश
 'त्मा के बाहर के हैं । 'औचित्य' काव्य क्षेत्र की सीमा के बाहर परत
 'चित्य' काव्य-मौदय के विभिन्न साधनों में से एक है । वह काव्य व

हत्व तो है किन्तु आधारभूत तत्त्व नहीं । उपर्युक्त उद्धरणों में स्पष्ट है नीचिय वाच्य की शोभा, धारणा, रुचिरता के मापक मानकों में से एक है, न साध्य गौणद्वय है ।

।दासों का समन्वय

उपर्युक्त अध्ययन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचने हैं—

१. प्रायः प्रत्येक सम्प्रदाय ने अपने सम्प्रदाय को सर्वश्रेष्ठ मानकर उभका येन किया है ।

२. ध्यान में देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि अलङ्कार, रीति और बबोनि-सम्प्रदाय वाच्य के दार्ष्टिक पक्ष को मान्यता देने हैं ।

३. ध्वनि, रस, और औचित्य सम्प्रदाय वाच्य के अन्तर्ग पक्ष को प्रधानता है ।

अतः सम्प्रदायों को दो पक्षों में बाँटा जा सकता है पहला एक दार्ष्टिकवादी देववादी और दूसरा अन्तर्गवादी वा अन्तर्गवादी । अलङ्कार सम्प्रदाय रीति-सम्प्रदाय, और बबोनि-सम्प्रदाय देववादी है और ध्वनि तथा रस सम्प्रदाय अन्तर्गवादी है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दार्ष्टिक के गौणत्व की अवस्था तथा वा अन्तर्गत्व अनिवार्य है । आत्मा की अनुपस्थिति में दार्ष्टिक का गौणत्व हो जाता है । अतः आत्मवादी सम्प्रदाय का स्थान श्रेष्ठ है ।

अलङ्कार रीति ध्वनि आदि सभी तत्त्व वाच्य में गौणत्व पाया जा सकता मणीयता आदि के उपरान्त के मान्यता है—उनका मापक है—गौणत्व शोभा शक्ति, रुचिरता आदि जो सम्पूर्ण तत्त्व ही तत्त्व की विशिष्ट विशेषताओं के लक्षण हैं । अतः इन तत्त्वों के स्थान पर रीति तथा साधारण मनुष्य का प्रयोग करने हुए सम्भव स्थिति में बिना जा सकता है । इस स्थिति में व उपरान्त प्राकारण दार्ष्टिक ही ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है जो दार्ष्टिक को प्रधानता का मान ले सकता है । अलङ्कार रीति, दार्ष्टिक ध्वनि औचित्य आदि उपरान्त प्राकारण या साधारण तत्त्व है । अतः आत्मवादी दार्ष्टिकता में अलङ्कार दार्ष्टिक ही वाच्य की आत्मा माना जा सकता है । यह आलङ्कार, दार्ष्टिक, अन्तर्गत्व ही है जिसे 'रस' की शक्ति मान्य है । इस प्रकार रस को ही वाच्यता का मान्य

गगा प्रतीत होता है ।

विशेष :- भाग्योप काव्यनाम्न में गुप्तसिद्ध पद सम्प्रदायों का महत्त्व देने के पश्चात् इनका पृथक् सिम्बुल-विनय भी दिया जाता था प्रतीत होता है, आ अगते पृष्ठों में क्रमशः अलङ्कार, वक्रोक्ति, रीति, रस तथा औचिग्र्य-सम्प्रदाय का सिम्बुल-विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

काव्य-सम्प्रदाय

काव्य के क्षेत्र में भारतीयों अथि प्राचीनकाल में ही गौरवास्पद स्थिति में भारतीय आचार्यों ने पर्याप्त चिन्तन एवं मनन किया है । इन विद्वानों के विभिन्न चिन्तन-क्षेत्र रहे हैं । इनके चिन्तन को ६ भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो काव्य-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये सभी काव्य की आत्मा से सम्बन्ध रखते हैं । इनके नाम इस प्रकार हैं :-

१ अलङ्कार-सम्प्रदाय २ वक्रोक्ति-सम्प्रदाय ३ रीति-सम्प्रदाय ४ सम्प्रदाय ५ रस-सम्प्रदाय ६ औचिग्र्य-सम्प्रदाय

उपर्युक्त सभी सम्प्रदायों का विशेष-विवरण अपेक्षित है । यहाँ प्रथम में हम उक्त सभी सम्प्रदायों का समीक्षात्मक-परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं ।

अलङ्कार-सम्प्रदाय

अलङ्कारों का प्रयोग वैदिक-साहित्य से ही देखने को मिलता है, किन्तु काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों का प्रश्न है, आचार्य भरत का 'नाट्यशास्त्र' शास्त्र का प्रथम ग्रन्थ है, जिससे उपमा, रूपक, दीपक, और यमक, अलङ्कारों का उल्लेख मिलता है । इसके अनन्तर अग्निपुराण में ११ अलङ्कारों की वर्षा मिलती है, तदनन्तर अलङ्कार-सम्प्रदाय के प्रवर्तक भामह ने अपने गुप्तसिद्ध ग्रन्थ 'काव्यालङ्कार' में ३८ अलङ्कारों का विवेचन किया है । इनके पश्चात् आचार्य दण्डी ने अपेक्षाकृत अधिक सरल-शुद्ध

रूपों का विवेचन किया है । भामह के द्वारा स्वीकृत दो-तीन

नहीं माने । उदाहरणार्थ इन्होंने प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार को

१० की । भामह ने वक्रोक्ति को अलङ्कारों का मूल बताया था पर

अनिगमोक्ति को अलंकारों का सूत्र मिद्ध किया। इनके अनन्तर आचार्य
भट्ट ने ४१ अलंकारों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया। इनका काव्यशास्त्र
ग्रन्थ "वाचस्पत्यकार भाग्य मन्त्रह" के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन यह
इन्होंने सनुप्रास के दो नये भेदों की रचना की, इत्ये अलंकार को अर्था-
कार के ३२ में माग्यता दी और दृष्टान्त, काव्यलिङ्ग एव पुनरुक्तवदाभास,
तीन अलंकारों की नूतन-उद्भावना की। इनके अनन्तर लगभग ९ वीं शताब्दी
आचार्य रट्ट ने ५० से भी अधिक अलंकारों का विवेचन 'काव्यालंकार'
नामक ग्रन्थ में किया। इसकी मुख्य देन यह है कि इन्होंने सर्व प्रथम अलंकारों
को चतुर्धा वर्गीकरण किया—

१. वास्तव, २. औपम्य, ३. अनिगम, ४. इत्ये। इन्होंने अलंकारों में
हिर्भुंति रस की मता स्वीकार की। इनके पदचान् लगभग १० वीं शताब्दी में
भोजराज ने २४ शब्दालंकार २४ अर्थालंकार और २४ उभयालंकार माने।
रसवादी आचार्य होने पर भी इन्होंने अलंकारों के महत्त्व को स्वीकार किया।
'रम्बतीचठाभरण' इनका प्रसिद्ध अलंकार ग्रन्थ माना जाता है। भोज के अन-
न्तर आचार्य 'सम्मट' ने आठ शब्दालंकारों और ६० अर्थालंकारों पर विद्वत्ता-
पूर्ण विचार प्रस्तुत किया इनका 'काव्य प्रकाश' ग्रन्थ उम दिना में अत्यन्त मह-
तीय माना जाता है।

द्वादश शतक में आचार्य रम्यक ने १० शब्दालंकारों और ३५ अर्था-
लंकारों का सूक्ष्म विवेचन 'अलंकार-सर्वस्व' नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है।
य अलंकारवादी आचार्य थे, इन्होंने अलंकारों का जो वर्गीकरण किया है वह
पूर्व आचार्यों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। द्वादश शताब्दी में कविवर जयदेव ने
अपने 'चन्द्रलोक' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में ४ शब्दालंकारों तथा १०० अर्था-
लंकारों का विवेचन प्रस्तुत किया है। इसकी माग्यता है कि बिना अलंकारों के
काव्य की रचना सम्भव ही नहीं है। इनके अनन्तर रसवादी आचार्य विद्वनाथ
ने भी साहित्य दर्पण में अलंकारों का सूक्ष्म-विवेचन प्रस्तुत किया है। इनके
अनन्तर आचार्य जयदेव दीक्षित ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'बुदबुदालंकार' में १०८
अर्थालंकारों का विद्वत्पूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है। अलंकार शास्त्र की

म प्रसिद्ध है। उन्हीं समय काव्य के रीति नक्षत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है यही कारण है कि भामहू ने काव्य में अन्तर्गतों का स्थान सर्वोपरि बताया है। जिस प्रकार ग्यो वा मुग्ध गुन्दर होने पर भी बिना आभूषणों के शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार वाच्य क्लृप्ता भी गुन्दर क्यों न हो, तिनमें अन्तर्गतों के अभाव में वह शोभायमान नहीं हो सकता।

“न बालमपि निर्भूष विमानि वनितामुग्धम् ।”

भामहू के मन में अन्तर्गतों का मूल ‘वचन वैचित्र्य’ है जो सामान्यतया लोक वक्त्रिण वचनावली में भिन्न हो इन प्रकार इन्होंने ‘वक्त्र’ शब्द और ‘वक्त्र’ अर्थों को ही वाच्य माना है। भामहू की यह दृष्टि है कि इन्होंने गुणों की अपेक्षा अर्थ-रत्ना-मुक्त अन्तर्गतों को अधिक मान्यता दी है। विचार करने से यह प्रतीत होता है कि भामहू की दृष्टि काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष तक ही सीमित रही है। इन्होंने अनुभूति पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणामतः ‘रस’ जैसी महत्वपूर्ण वस्तु उपेक्षित ही रह गई है।

दण्डी

इन्होंने ‘वाच्यार्थ’ में अन्तर्गतों की परिभाषा इस प्रकार की है।

“वाच्यसोभाकृत्तान् धर्मान्तरागन् प्रचक्षते ।”

अर्थात् वाच्य की शोभा उत्पन्न करने वाले धर्मों (आन्तरिक तत्वों) को अलंकार कहते हैं। दण्डी ने भी रस की स्वतन्त्र मत्ता नहीं स्वीकार की है, अपितु रसवन्, प्रेय, और ऊर्जस्वि अन्तर्गतों के रूप में अन्तर्भावित किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने नाटक की मन्त्रियों और वृत्तियों को भी अलंकार की सीमा में निमेट लिया है, क्योंकि इन सभी उपकरणों के द्वारा वाच्य की शोभा में वृद्धि होती है। इन्होंने भामहू के विरुद्ध एक नवीन मान्यता यह स्थापित की है कि अन्तर्गतों का मूल वक्त्रोक्ति (वचन वैचित्र्य) नहीं, अपितु अतिशयोक्ति है। इस प्रकार दण्डी ने भी वाच्य शरीर तक ही अपनी विचार दृष्टि रखी है वाच्यान्ता पर उनका ध्यान नहीं गया।

वामन

यद्यपि आचार्य वामन शुद्ध अन्तर्गतवादी नहीं माने जाते, क्योंकि इन्होंने

का परम्परा बलिष्ठ मात्र प्रयत्नः' एक प्रचलित गी और जो
 भेदों उपभोग का निष्पन्न विधा बना ।

अलंकार दो परिभाषा

अलंकारों के विवेकन में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठना सामान्य है कि
 'कार' शब्द का क्या अर्थ है । यह विद्वान् इगरी को प्रकार ही मानते
 हैं- 'अलंकारो गीति अलंकार अर्थात् जो अलंकार करे उसे अलंकार ही
 द्वितीय व्याख्या है, 'प्रत्यक्षितो प्रोच इति अलंकार अर्थात् क्रियते इति
 विधा जाय, यह अलंकार है । इन दोनों व्याख्याओं में कोई भिन्न
 नहीं है, किन्तु मूढम ज्ञान यह है कि प्रथम में अलंकार में शब्द
 और दूसरे में अलंकार माधन मात्र निश्च होते हैं । जिन प्रकार आभूषण,
 शरीर को लकृत करने हैं उसी प्रकार अलंकार भी वाच्य को अलंकार
 है । अलंकारवादी आचार्यों (भामह, दण्डी, वट्ट आदि) ने अलंकार को
 की शोभा बढ़ाने वाले महज धर्म के रूप में मान्यता दी है । इनका यह
 कि कवि अपना अनुभूतियों को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने के लिये
 यारों का आशय देना है । सामान्य वचन में वाच्य में प्रभाव नहीं
 होता है । किन्तु यदि उसी बात को उपमा आदि अलंकारों के माध्यम से
 तो उसी बात में एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न हो जायेगा और
 रमणीयता में भी वृद्धि होगी । वाच्य में अलंकार को अनिवार्य तत्व मानने
 आचार्य 'जगदेव' ने लिखा है । "कि जो व्यक्ति काव्य को अलंकार रहित
 है । वह अग्नि को भी ऊष्मा रहित क्यों नहीं मानता ।"

अङ्गीकरोति य काव्य शब्दायोजनलक्ष्मी ।

अती न मन्यते कस्मादनुष्णमनलाहृती ॥

— चन्द्र

अग्निपुराण में भी अलंकार को काव्य का मूल तत्व स्वीकार किया है
 है । 'यथा अलंकार रहिता विधवेव सरम्बती', अर्थात् अलंकारों से शून्य वा
 विधवा के समान है ।

भामह-अलंकार-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापरु आचार्य के रूप में भामह का नाम

स प्रतिष्ठ है। उसी समय वाच्य के ही ही तन्त्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है यही वाच्य है कि भासने के वाच्य में आकारों का ध्यान सर्वो-
 के दिया है। जिस प्रकार स्त्री का मुख सुन्दर होने पर भी जिना आभू-
 नों के शोभायमान नहीं होना, उनी प्रकार वाच्य विचारा भी सुन्दर बगो न
 है, किन्तु आकारों के अभाव में यह शोभायमान नहीं हो सकता।

“न वाच्यमपि निर्भूय विभानि वनितामुगम् ।”

भास के मत में अलंकार का मूल ‘वचन वैचित्र्य’ है जो सामान्यतया लोक-
 चर्चित वचनवादी में भिन्न हो इन प्रकार इन्होंने ‘वक्र’ शब्द और ‘वक्र’ अर्थ
 तो ही वाच्य माना है। भास की यह देन है कि इन्होंने गुणों की अपेक्षा अर्थ-
 शक्त-युक्त अलंकार को अधिक मान्यता दी है। विचार करने में यह प्रतीत
 होता है कि भास की दृष्टि वाच्य के अभिव्यक्ति पक्ष तक ही सीमित रही है।
 उन्होंने अनुमति पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणामतः ‘रस’ जमी महत्व-
 पूर्ण वस्तु उपेक्षित हो रह गई है।

दण्डी

इन्होंने ‘वाच्यदर्शन’ में आकारों की परिभाषा इस प्रकार दी है।

“वाच्यशोभायान् घर्मानलकारान् प्रवक्षते ।”

अर्थात् वाच्य की शोभा उत्पन्न करने वाले घर्मों (आन्तरिक तन्त्रों) को
 अलंकार कहते हैं। दण्डी ने भी रस की म्यतत्र सत्ता नहीं स्वीकार की है,
 अपितु रसकत्, प्रेय, और ऊर्जस्वि अलंकारों के रूप में अन्तर्भावित किया है।
 इतना ही नहीं, इन्होंने नाटक की मन्धियों और वृत्तियों को भी अलंकार की
 सीमा में सिनेट दिया है, क्योंकि इन सभी उपकरणों के द्वारा वाच्य की शोभा
 में वृद्धि होती है। इन्होंने भास के विरुद्ध एक नवीन मान्यता यह स्थापित की
 है कि अलंकार का मूल वक्रोक्ति (वचन वैचित्र्य) नहीं, अपितु अनिगमोक्ति है।
 इस प्रकार दण्डी ने भी वाच्य शरीर तक ही अपनी विचार दृष्टि रखी है
 वाच्यारम्भ पर उनका ध्यान नहीं गया।

वामन

यद्यपि आचार्य वामन शुद्ध अलंकारवादी नहीं माने जाते, क्योंकि इन्होंने

न प्रसिद्ध है। उन्हीं समय काव्य के शीर्ष तन्त्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि भामह ने काव्य में अंगकारों का स्थान सर्वोच्च बताया है। दिन प्रकार स्त्री का मुख सुन्दर होने पर भी बिना आभूषणों के शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार काव्य जितना भी सुन्दर क्यों न, किन्तु अलंकारों के अभाव में वह शोभायमान नहीं हो सकता।

“न काल्पयि निभृष विभानि वनितामुग्मम् ।”

भामह के मत में अंगकार का मूल 'वचन वैचित्र्य' है जो सामान्यतया लोक-चलित वचनादायी से भिन्न हो इस प्रकार इन्होंने 'वक्र' शब्द और 'वक्र' अर्थों ही काव्य माना है। भामह की यह देन है कि इन्होंने गुणों की अपेक्षा अर्थ-रूपायुक्त अंगकार को अधिक मान्यता दी है। विचार करने में यह प्रतीत होता है कि भामह की दृष्टि काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष तक ही सीमित रही है। इन्होंने अनुभूति पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणामतः 'रस' जैसी महत्वपूर्ण वस्तु उपेक्षित ही रह गई है।

दण्डी

इन्होंने 'काव्यादर्श' में अलंकारों की परिभाषा इस प्रकार दी है।

“काव्यशोभाकरान् धर्मानलकारान् प्रचक्षते ।”

अर्थात् काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाले धर्मों (आन्तरिक तत्वों) को अलंकार कहते हैं। दण्डी ने भी रस की स्वतंत्र सत्ता नहीं स्वीकार की है, अपितु रसवत्, प्रेय, और ऊर्जन्वि अलंकारों के रूप में अन्तर्भावित किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने नाटक की मन्थियों और वृत्तियों को भी अलंकार की सीमा में सिमेट लिया है, क्योंकि इन सभी उपकरणों के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। इन्होंने भामह के विरुद्ध एक नवीन मान्यता यह स्थापित की है कि अंगकार का मूल वक्रोक्ति (वचन वैचित्र्य) नहीं, अपितु अतिशयोक्ति है। इस प्रकार दण्डी ने भी काव्य शरीर तक ही अपनी विचार दृष्टि रक्खी है काव्यात्मा पर उनका ध्यान नहीं गया।

वामन

यद्यपि आचार्य वामन शुद्ध अलंकारवादी नहीं माने जाते, क्योंकि इन्होंने

रीति-मन्त्रदाय की प्रतिष्ठा की है और वे अनंतर की गुण का मान्यता का नव्य मानते हैं। इनकी भावना है कि अनंतर की महात्ता के प्रति प्राप्त बगला है।

"साध्य प्रात्यमङ्कारान् ।"

अथ स्फुटिक :-अङ्कार-मन्त्रदाय में आचार्य उद्भूत भानु के मायी माने जाते हैं। इन्होंने अधिक मौलिकता तो नहीं प्रदर्शित वृष्टान्त काव्यालम्ब आदि विविध नवीन अङ्कारों की स्थापना अथवा अलंकार शास्त्रियों में आचार्य स्फुट का विशेष महत्व माना जाता है रस को अलंकार की सीमा में परिवर्द्ध नहीं किया, अतः उन्हे स्वयं प्रदान की है। इनकी मुख्य देन यह है कि इन्होंने वास्तव, औपम्य, और श्लेष आदि के आधार पर अलंकारों का सूक्ष्म वर्गीकरण प्र है। यद्यपि इनके अनन्तर 'रघुपक, जयदेव, अप्पय दीक्षित आदि आ ने अलंकार-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है, किन्तु रस एव ध्वनिवादी ३ समक्ष इनकी मान्यताएँ नहीं टिक सकी।

अङ्कार के विषय में रसवादी आचार्यों की मान्यता

रसवादी आचार्यों ने अलंकार को अभिव्यक्ति की विशेष पद्धति मान्यता दी है। वे अलंकार को साध्य नहीं, काव्य का साधन मानते। उचित स्थान एवं उचित कथय के लिये अलंकारों का प्रयोग शोभ माना है। इनके मत से अलंकार शब्द और अर्थ के अनित्य धर्म हैं। अलंकार न भी हो, तब भी काव्यत्व के अस्तित्व में बाधा नहीं पड़। काव्य का मुख्य विषय पाठक या श्रोता के हृदय में आनन्दानुभूति व नव्य चेतना स्फुरण करना होता है, जो रस के द्वारा ही सम्भव है मम्मट ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। काव्य में अलंकारों का स्थान और महत्व

अलंकार का है, कमतरता उत्पन्न करते हैं किन्तु उनका उचित

क है, प्रायः श-मन्त्रों ने सभी लोग महत्त्व है। यह सत्य है। ही काव्य में, जैसा कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

विभक्त हो चुके अण्ड विद्या है—

“भावों का उच्छेद विज्ञान और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का नाश जन्मद कलने में कभी-कभी महत्त्व होने वाली उक्ति अज्ञानर है। उन परिभाषा में ‘कभी-कभी’ शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसमें तो यह होता है कि मुख्य जी वाक्य में अज्ञानों का महत्त्व बहुत कम स्वीकार है। अज्ञान-सम्प्रदाय में इनका विशेष महत्त्व रहा है। भागद आदि में वाक्य में अज्ञानों का होना अनिवार्य मानने थे। अर्थात् वे अज्ञान सम्प्रदाय को ही वाक्य मानने थे। साधुनिक युग के मवल समीक्षक डा० २ जी बोरे उक्ति चमत्कार को वाक्य नहीं मानने। यथा “वही चमत्कार-युक्ति वाच्य हो सकती है जिसका चमत्कार भाव को रमणीयता, कोमलता, या अथवा नीत्रता के आश्रित हो। ऐसी उक्ति जिसका चमत्कार बौद्धिक पयो के मुद्रातने में सम्पन्न रहता है या केवल वाक्यना-विधान के आश्रित वाच्य पद की अधिकांशिकी कभी नहीं हो सकती।” इसमें साधुनिक विद्वानों में है कि अज्ञान वाक्य का अनिवार्य तत्त्व तो नहीं है, किन्तु वह इनका शायी भी नहीं है कि उनका अन्वित्व हार आदि आभूषणों की भाँति केवल हो। वास्तविक स्थिति यह है कि अज्ञान न तो वाक्य के अन्तर्ग तत्त्व और न केवल बहिरग। वे वाक्य के अण्ड सौन्दर्य में सम्मिलित रहने हैं, आरोपित नहीं, अतः उन्हें वाह्य केंद्रें बहा जा सकता है। यही कारण है कि जराज ने अज्ञानों को वाह्य, आभ्यन्तर, और वाह्याभ्यन्तर इन तीन वर्गों में भाजित किया है। जिस स्थल में अज्ञान भाव पक्ष और शैली पक्ष दोनों के सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं, वहाँ उन्हें बहिरग नहीं बहा जा सकता। कतिपय अण्ड तो ऐसे भी होते हैं जहाँ अज्ञान भाव अथवा रस के साथ धुल-मिलकर जावार हो जाते हैं वहाँ उनकी आभ्यन्तर स्थिति माननी ही पड़ती है। यथा—

“रामहि धितो भाव जेहि सीया । सो सनेह सुख नहि कथनीया ॥”

ऐसे स्थलों में अज्ञान की आन्तरिक स्थिति मानी जा सकती है। इस प्रकार अज्ञान को वाक्य के वाह्य एव आभ्यान्तरिक दोनों पक्षों से सम्बद्ध माना जा सकता है।

अद्वय रति की भावाभिरागि की स्थिति में गद्य उगल होकर
जैसा कि आचार्य अभिनव दत्त ने कहा है कि "प्रतिभा के अनुपम
रस निगूढ ही उठा है।" जैसा कि यों गवरान् ने "गद्य रसो
अद्वय गान्ध" नामक पुस्तक में लिखा है—

"As emotion increases, expression swells and is
(FOAM) (FORTH)
foam tort"

अर्थात् "भावों की बढ़ गयी हो अद्वय रसिणी उगलने लगी है।
इस प्रकार रसादि के गदायक मापन ही हैं। सामान्यतया बड़ा
शैली पक्ष में स्थान मिला है। पाश्चात्य विद्वान् शोध में अद्वयों को
माना है और अलंकारों के माध्यम उगल अभिन्न सम्बन्ध स्वीकार किए
वस्तुतः अलंकार और अलंकारों दोनों भिन्न हैं, किन्तु अद्वय अलंकारों
ऐसा साधन है जो उममें अना विशिष्ट सम्बन्ध रखता है। अर्थात्
कार्य काव्य में प्रेषणीयता लाता है, यह उक्ति चमत्कार द्वारा रसादि
अधिक स्पष्ट करता है और काव्य की धी में वृद्धि करता है। उदाहरण
अनुप्रास आदि शब्दालंकार अपने नाद सौन्दर्य से श्रोता को काव्य के
आकृष्ट करते हैं। इतना ध्यान अवश्य देना चाहिये कि अलंकार का अलंकार
वोत्र कविता-कामिनी के लिए भार न बन जाय। ऐसी अस्वाभाविक कि
जीवित्य का उल्लापन करने वाली होती है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी अलंकार
को शैली के अंग के रूप में ही स्वीकार किया है।

चक्रोक्ति सम्प्रदाय

इस सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य कुन्तक माने जाते हैं। इनने
'भामह' ने अपने 'काव्यालंकार' नामक ग्रन्थ में इसे लोक-व्यवहार से
चक्रोक्ति की सजा दी है, और इसे सम्पूर्ण अलंकारों का मूल माना है।
रूमाव में काव्य में सौन्दर्य-सत्ता आ ही नहीं सकती और न इसके बिना
... हो सकता है।

सैवा सर्वत्र चक्रोक्तिरन्यथार्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्या कविना कार्यं कोऽलंकारोऽन्याविना ॥ —काव्य

भागहू के पश्चात् दण्डी ने भी वक्रोक्ति को सम्पूर्ण अलंकारों का मूल अलंकार किया । इस प्रकार कुन्तक के पूर्व 'वक्रोक्ति' की सीमा अलंकार तक सीमित रही । इन पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर कुन्तक ने स्वतंत्र रूप से वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया ।

“वक्रोक्तिः काव्य जीवितम्”

कुन्तक ने वक्रोक्ति को अलंकार न मानकर उसके स्वल्प को धीरे विस्तृत पाया । उन्होंने “वैदग्ध्यभंगी भणिति” अर्थात् विद्वन्नापूर्ण चमत्कारयुक्त कथन वक्रोक्ति की संज्ञा प्रदान की । इसमें 'वैदग्ध्य' शब्द का अर्थ 'प्रतिभा सम्पन्न' का अर्थ 'वि का काव्य बीरत्वं' 'भंगी' का अर्थ 'चमत्कार' और 'भणिति' का अर्थ 'व्यन गती' है । इस प्रकार विद्वन् अर्थ यह निकला कि ऐसी उक्ति वक्रोक्ति कहलाती है, जो शास्त्र एवं लोक व्यवहार के सामान्य अभिधा-प्रधान-रूप से भिन्न हो और प्रतिभाशाली कवि के कला-भोगल से निर्मित वैचित्र्यपूर्ण हो । कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य-मर्मज्ञ व्यक्तियों को आहार प्रदान करने वाली वक्रोक्ति कहा है । वाच्याम्ना के रूप में किसी भी आचार्य ने आगे चलकर वक्रोक्ति को सामान्य नहीं प्रदान की । इसे अलंकार की श्रेणी में ही स्थान प्राप्त है ।

वक्रोक्ति का सामान्य अर्थ 'टेंडी उक्ति' है वक्रोक्ति शब्द का सामान्य अर्थ 'टेंडी' और उक्ति का अर्थ 'कथन' है । कवि वाणभट्ट ने 'वक्रोक्ति' शब्द का प्रयोग कथन वैचित्र्य अर्थ में किया है ।

वक्रोक्ति के भेद

कुन्तक ने वक्रोक्ति को ध्वनि-मिथ्यान्त के विरुद्ध प्रतिष्ठापित किया था । उन्होंने दशको व्यापारता प्रदान करते हुए मुख्य रूप में वक्रोक्ति के ६ भेद बताये हैं ।

१. वक्रोक्ति-वक्रता—अधरो वा वैचित्र्यपूर्ण विन्यास, जो गृह्यदशो को आनन्द प्रदान करे । जैसे—अनुप्रास, यमक आदि

२. पदपूर्वादि वक्रता—दशके ९ भेद माने गये हैं । इसमें पद वा पुरादि जो पद रूप अथवा धातु रूप हो, उनके विन्यास में वैचित्र्य होता है । जैसे 'परि-

कर' अर्थात् में विविधता सम्यक्साधनं सिद्धा है ।

३ प्रथम्य वचनता- उगी प्रथमा वा रीतिभ्य-विन्दाग हो, योऽ वचना-वचो, 'नि' मानी जाती है । इसमें भी अनेक भेद सिद्ध गये हैं ।

४ वाच्य वचनता-उगी पर वाच्यता-रीतिभ्य हो, यो वाच्य वा जानी है । उगमा शक्ति समस्त अक्षरार्थों में वाच्य वचना होती है । गह्वरी भेद ही गराये हैं ।

५ प्रकरण वचनता—इसमें प्रथम-विन्दाग में विविधता उत्पन्न होती है । उदाहरणार्थं आह्वान्य नाटक में वाच्यताग में दुरीत्या-गाय वा प्रथम्य विद्या है । इसमें कथावस्तु में एक वैविध्य उत्पन्न हो गया है ।

६ प्रथम्य वचनता—जहाँ पर कवि रचना में प्रथम्य वैविध्य उत्पन्न हुआ है वहाँ पर प्रथम्य वचना होगी है । इसमें ६ भेद माने गये हैं ।

१. मूल रस में पतित्वर्तन—जैसे रामायण में दान्त रस के स्थान पर नारा द्वारा करण रस का प्राधान्य प्रस्तुत किया जाना ।

२ इतिहास प्रसिद्ध कथा के ऐसे प्रसंग पर कथावस्तु को समाप्त जहाँ नायक का चारित्रिक उतराव हो, यह भी प्रथम्यवचनता वा एक भेद ।

३ मध्य में विच्छिन्नता के कारण कथावस्तु को नीरगता की वनक लिये औत्सुक्य वर्द्धक आकस्मिक-प्रसंग की सृष्टि करना ।

४ मुख्य फल में सलग्न नायक को अन्य गौण फलों की प्राप्ति होने

५. कथावस्तु के नामकरण की विविधता । उदाहरणार्थ—प्रिय सीमेंक से शून्य की कथावस्तु में वेदना का आभास होने लगता है । इस भी प्रथम्यवचनता का एक भेद हुआ ।

६. उद्देश्य की विविधता भी इसी श्रेणी में आती है ।

इस प्रकार कृत्तिक ने वक्रोक्ति को व्यापक-परिधि प्रदान की है, अन्तर्गत काव्य का भावपक्ष और कलापक्ष दोनों ही आ जाते हैं । वरम की उपेक्षा की है और कवि प्रतिभा की विशेषता मानकर 'व्यक्ति' विशेषता प्रदान की है, जिसका क्षेत्र केवल शैली विधान तक ही रहा है । अतः यह सिद्धान्त शरीरवादी सिद्धान्त के रूप में मान्यता

म्ना है ।

यत्रोक्ति-मिद्धान्त, अत्राहार-मिद्धान्त अथवा रीति-मिद्धान्त का विवक्षित प्रतीत होता है । कुन्तक ने अत्राहार-मिद्धान्त की अपेक्षा शब्द और अर्थ के प्रकार से जर्म दृष्टिकर प्रवर्णन और प्रदन्त तन्त्र पर भी विचार किया है । प्रवर्णन रीति-मिद्धान्त में भाषा शैली तब ही विवेचन प्राप्त होना है । नु यत्रोक्ति में रचना विधान पर भी ध्यान दिया जाता है । यत्रोक्ति-मिद्धान्त में मिद्धान्त में कुछ निम्न है, यत्रोक्ति कुन्तक कथन प्रणाली को ही लक्ष्य में लेते हैं और ध्वनिवादी व्यंग्यार्थ में व्यंग्य अर्थ को प्रमुख मानकर लक्षणा जना को महत्वपूर्ण सौन्दर्य-प्रगाधन मानकर चलते हैं । रग-मिद्धान्त के माय शक्ति का सम्बन्ध है । अन्तर यह है कि कुन्तक ने रस भाव को अलङ्कार्य माना है, किन्तु उगे वाच्य शरीर के रूप में ही मान्यता दी है और वाक्यात्मा रूप में यत्रोक्ति को माना है । कुन्तक ने यत्रोक्ति के विश्लेषण में औचित्य को यकना का जीवन माना है । उचित कथन यकना का प्राण होने से औचित्य यत्रोक्ति का परम रहस्य है । सम्भवत औचित्यवादी शोमेन्द्र ने कुन्तक के इस धन में ही इन्हीं स्वतंत्र-सम्प्रदाय बनाने की प्रेरणा प्राप्त की है ।

रिति-सम्प्रदाय

'रीति' शब्द का प्रचलन आचार्य 'वामन' के समय से प्रतीत होता है । उनके पूर्व 'भामह' और 'दण्डी' ने 'वंदर्भा' और गौडी के लिये 'काव्य मार्ग' या गिरामार्ग' शब्द का प्रयोग किया है । रीति शब्द के लिये 'वृत्ति' शब्द का 'योग' होता रहा है । 'रीति' का सामान्य अर्थ है-गति, पथ, मार्ग, चलन आदि । 'रीति' शब्द संस्कृत की 'रीट्' गतौ, घातु में स्त्रीलिंग अर्थ के बोधक क्तिन्' = ति, प्रत्यय में लिप्पत्र हुआ है । अतः इसके अर्थ गति, पद्धति, शैली, मार्ग, आदि हो सकते हैं । आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा इस प्रकार की है—

“विशिष्ट पद रचना रीति”

अर्थात् विशेष पद-रचना को रीति कहते हैं । यह 'रीति' शब्द शैली के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसे अंग्रेजी में 'स्टाइल' 'STYLE' कहते हैं । विशिष्ट पद रचना का आधार गुण माना गया है । वामन ने गुणों को वाच्य शोभा

कारक बनलाया है और गुणों को गीमा अङ्कार, रस, एवं गन्दर्वादि तक विस्तृत कर दी है। तात्पर्य यह कि वामन ने रीति के जननी के सम्मत् उपादानों को दे दिया है।

वामनाविरुद्धता यह है कि वामन ने रस-भाव आदि को रीति के तत्त्व मानकर यही भूल की है। उन्होंने वैदर्भी, गौड़ी, और पांचाली, इतिरिक्त रीतियों की स्थापना की है और इनमें भी 'वैदर्भी' को सर्वोच्च-महत्त्व किया है। इनकी भाँति स्वतंत्र रूप में रीति को अन्य किसी काव्यव्याख्या का स्थान नहीं दिया है। केवल शैली के रूप में सभी काव्य मान्यता दी है। रसवादी आचार्यों ने तो 'रीति' को रस की उपकारिता ही भूता, पद सगठना मात्र कहा है। आचार्य आनन्दमदन ने भी रीति को मानकर उसे गौण सिद्ध किया है। 'मम्मट' ने रीति को 'रसानुकूल' मात्र माना है। इस प्रकार उनके मत से 'रीति' और 'वृत्ति' अभिन्न हैं। आचार्य वामन से पूर्व भी रीति तत्त्व की चर्चा की गई है। भामह ने ही रीति की श्रेष्ठता का सङ्केत किया है। इसी प्रकार दण्डी ने विभिन्न रीतियों विभिन्न शैलियों मानकर 'गिरामार्ग' 'रीति' को अत्यन्त व्यापक माना। वामन ने प्रादेशिकता के आधार पर वैदर्भी, गौड़ी, और पांचाली, इन तीनों का प्रतिपादन किया है।

वैदर्भी

समस्त गुणों से गुम्फित दीपो से सबंधा रहित और वीणा के स्वरों समान मधुर वैदर्भी रीति कहलाती है। इसका सम्बन्ध मुख्यतया काव्य के रस गुण से होता है। इसी को कोमलावृत्ति भी कहते हैं जैसे—

अपर धरत हरि के परत ओठ दीठि-पट-ज्योति ।

हरित वीस की वांजुरी, इन्द्रधनुष छवि होति ॥ —वि

गौड़ी

ओज और कान्ति गुणों से युक्त उद्भट-पदावली को गौड़ी-रीति कहते हैं। इसका सम्बन्ध शीघ्र रस, प्रधानक रस, रोज रस एवं वीमत्स रस से होता है। 'पर्यावृत्ति' प्रधान होती है।

ध्वनि सम्प्रदाय

'ध्वनि सम्प्रदाय' के प्रवक्ता आचार्य पानन्दप्रदत्तनाथ मान जाते हैं। 'नि' शब्द का सामान्य अर्थ 'नाद' या 'शब्द' है। दृग्वर्ती व्युत्पत्ति इस प्रकार— "ध्वन्यन्ते सनत इति ध्वनि अथवा— ध्वनन् ध्वनि प्रथम व्युत्पत्ति के द्वारा ध्वनि और व्यञ्जना का बोध होता है क्योंकि इनके द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है और दृग्वर्ती व्युत्पत्ति के आधार पर 'रम अकार आदि बाह्याप्यं' पैदा होते हैं क्योंकि यत्र मय ध्वनि है, ध्वनित होते हैं। ध्वनित होता ध्वनि का अर्थ है और ध्वनित वस्तु दृग्वर्ती शक्ति है। यह ध्वनि व्यञ्जना पर आधारित है।

रनि की परिभाषा

जहाँ अर्थ या शब्द अपने अभिधाप्रदान अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ को

ध्वनि काव्य है उस विषय प्रकार के काव्य को विद्वान् लोग ध्वनि का

पर्याय कहते थे। मम्मट-महाशय-नीति-शास्त्रों ।

ध्वनि-काव्य-विषय म ध्वनि-विधा । गूरिभिः कविभिः ॥ — इति


आनन्दराज-नाथ ने कहा है कि महाकवियों को वाणी में वाच्य के प्रतीयमान अर्थ कुछ और ही मन्तु है, जो प्रसिद्ध कवियों प्रथा प्रतीयमान अर्थ आदि शब्दों में भिन्न, गुणध्वनियों के साव्य के समान प्रतीयमान है । जिस प्रकार गुणध्वनियों का गौण्य गमन अर्थ में पुष्ट स्थिति है, और महद्गुण शब्दों के लिए अमूल्य गुण्य कुछ और ही होता है । जो वह प्रतीयमान अर्थ कुछ अन्य ही होता है । ध्वनि-सिद्धान्त इतना कि जहाँ काव्य में अलंकार आदि नहीं होने, वहाँ भी प्रतीयमान-अर्थ की छटा में युक्त काव्य होता है । काव्य में रस, भाव आदि अर्थ ध्वनि से

ध्वनि सम्प्रदाय के पूर्व रस, अन्तराल और गीति सिद्धान्त प्रचलित थे, किन्तु ९ वीं शताब्दी में आनन्दराज-नाथ ने ध्वनि की मान्यता की । इसके लिए उन्होंने व्यञ्जनावृत्ति का आशय लिया । इनके परभाव गुप्त ने 'ध्वन्मालोक' पर 'लोचन' नामक टीका लिख कर ध्वनि-सिद्धान्त धारणाओं को पुष्ट किया । यह ध्वनि-सिद्धान्त इतना व्यापक हुआ कि वस्तु-ध्वनि, अलंकार-ध्वनि और रस-ध्वनि की मान्यता स्थिर कर रस आत्मसात कर लिया । इस प्रकार ध्वनि का रस के साथ अविभाज्य स्थापित हो गया । आचार्य मम्मट ने भी ध्वनि एवं रस-सिद्धान्त को दी है । आचार्य विश्वनाथ ने रस व्यञ्जना के रूप में ध्वनि का महत्त्व २ पं० राज जगन्नाथ ने रस और ध्वनि में समन्वय स्थापित किया है । इ हिन्दी के अधिकांश आचार्यों ने रस-सिद्धान्त के साथ ही साथ ध्वनि मान्यता दी है ।

वास्तव में यदि देखा जाय तो ध्वनि-सिद्धान्त, रस-सिद्धान्त का है । इसके अनुसार व्यंग्यार्थ-प्रधान ध्वनि-काव्य 'उत्तम-काव्य' माना ।

३ काव्य में व्यंग्यार्थ गौण होता है वह मध्यम श्रेणी का और जिसमें होता है वह अधम काव्य कहलाता है ।

ध्वनि के भेद—ध्वनि के भेदों-उपभेदों का विवरण निम्नलिखित तालिका
ए ल ।



निष्कर्ष यह है कि ध्वनि गिद्यन्त रस गिद्यन्त की भाँति ही एक गणक गिद्य हुआ है। रस-ध्वनि की श्रेष्ठ मानकर एक प्रकार के रस की गणा स्वीकार की है। रसरसी भी रस को ध्वनि मानती है। मूल में व्यञ्जना-शक्ति वायं कर्मा है और वही व्यञ्जना-शक्ति ध्वनि भी मान्य है। इस प्रकार दोनों गिद्यन्त समरस में प्रतीत होते हैं। प्रतिज्ञानेन्द्रुगत आदि भेदक या सादी ने ध्वनि रस गणक लिखा है। कि इस ध्वनि-गिद्यन्त की प्रशिक्षा और अधिष्ठ वही है। कृत्तव ने। वक्रोक्ति की गोमा में मर्कात्त वरुष्यया। महिमभट्ट ने व्यञ्जना-शक्ति कृत्त कर दी और ध्वनि के प्रतीयमान अर्थ को अनुमानगम्य माना, पर ये मान्यताएँ स्वीकृत नहीं हो गयी। इस प्रकार ध्वनि काव्यात्मा प्रतिष्ठित हुई किन्तु यास्तव में ध्वनिवादी आचार्यों ने श्रेष्ठतम ध्वनि को ही माना है, अतः 'काव्यात्मा' पद ध्वनि को न देकर रस को देना न्याय-मगत प्रतीत होता है।

रस-सम्प्रदाय

रस और काव्य

'काव्यानन्द' को 'ब्रह्मानन्द-स्वाद-महोदर' माना गया है। दोनों इतना ही है कि ब्रह्मानन्द शाश्वत, नित्य और स्थायी है, किन्तु काव्या स्थायी और अनित्य है। यह अन्तर रहने पर भी की प्रवृत्ति एक ही जिस प्रकार निर्विकल्पक समाधि में परात्पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं परमानन्द का अनुभव करता है और उक्त स्थिति में संसार के भा पूर्णतः विरक्त हो जाता है, उसी प्रकार काव्यानन्द प्राप्त होने पर श्रोता संसार से पूर्णविरक्ति को प्राप्त होता है। भारतीय आचार्यों काव्यानन्द को पारिभाषिक शब्दावली में 'रस' की मज्ञा दी है। काव्य चिन्तन एवं सौन्दर्याभेद के क्षेत्र में भारतीय मनीषी का परम अवदा तत्व' की उपलब्धि है।

रस शब्द की व्युत्पत्ति

संस्कृत में 'रस' शब्द की व्युत्पत्ति "रस्यतेऽसौ इति रस" इस है। अर्थात् जिससे आस्वाद मिले वही रस है। 'रस' शब्द का प्र

आचार्य भगवत गुरुशि शक्तिनाम आचार्य ए विना उक्तान् भी मुक्त
 मोक्षकर्मन्तु नर्त्तुं न मन्तुं न पुण्यं विष्णुकर इमं सिद्धान्तं का मन्तुना स्वीकार
 की है । मन्तु के मन्तुय का आभास इमं मन्तुय आचार्यो का काव्य परिभाषात्रा
 में भी होता है । भगवत न गुरुकुल स्वयंसाय वास्तव्य न स्वयंसाय न गुरुकुल न
 'मन्तुके' विष्णुकर काव्य म प्रत्यक्ष जीव स्वयंसाय मन्तु का मन्तुना को
 स्वीकार किया है । मन्तुय 'विष्णुनाथ जीव स्वयंसाय' आदि का स्वयंसायी
 आचार्य ही थे । वे उमे वाक्य का प्राण मानते थे । इम प्रकार इम दंगल है
 कि मन्तुय के स्वयंसाय मन्तु आचार्यो न वाक्य म मन्तु का मन्तुय स्वी-
 कार किया है . —

मन्तु की परिभाषा देते हुए भक्तमुनि न बतल —

'विभावानुभाव व्यभिचारि मयोगाद्गमनिर्वृति ।

अर्थात् 'विभाव' 'अनुभाव' एव व्यभिचारीभाव का संयोग हींरु की 'निष्पत्ति' होती है। इंग और स्पष्ट करने के पूर्व भाव, विभाव क एवं (संचारी) व्यभिचारीभाव के स्वरूप में परिचित हो लेना आका कारण यही सम्भव है।


स्थायी भाव—महदयों के हृदय में वामना-रूप में स्थित शासन विकार साहित्य में 'स्थायीभाव' कहलाता है। इसका विरलेपण बने आचार्य भरतमुनि ने कहा—“वागङ्गमत्वोपेतान् भावयन्तीति भावो” “(अनुभावों के) वाचिक एव मान्दिक प्रदर्शन द्वारा जो नाटक के विभाषित करते हैं, वे भाव कहे जाते हैं।” आचार्य द्विवेदाय का हि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कारण इसमें स्पष्ट रूप में बताया गया है कि या विरद्ध भाव जिसे छिपा न मने, आस्वाद का मूलभूत वह भाव ही है। उन्होंने बताया कि स्थायी भाव नौ है—अर्थात् रति, हास, शो उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय एव शम ये नौ स्थायीभाव हैं।

प्रियवस्तु में या मनोनुकूल अर्थ में मन के प्रेमपूर्ण उत्सुखी भाव का 'रति' है। वाणी आदि के विकारों को देखकर चित्त का विकसित होना कहलाता है। इष्टनाशादि के कारण चित्त की विकलता को शोक कहते। प्रतिकूल या शत्रुओं के विषय में तीव्रता से उद्बोध का नाम 'क्रोध' है। करते में स्थिरतर तथा उत्कृष्ट आवेश या सरम्भ को 'उत्साह' कहते हैं। भयानक वस्तु की भयकरता से उत्पन्न चित्त को व्याकुल करने वाला भाव कहलाता है। लोक-सीमा से अतिफान्त अलौकिक सामर्थ्य वाली किसी व दान आदि से उत्पन्न चित्त के विस्तार को 'विस्मय' कहते हैं। निस्पृह अवस्था में आत्मा या अन्त कारण के विधाम से उत्पन्न हुआ सुग वा नाम है। शिशु का बालक की मनोहर चेष्टाओं से उत्पन्न होने वाले महद अनुत् का नाम 'वत्सलता' है। इन प्रकाश साहित्य शास्त्रियों ने स्थायीभावों की है।

११९ के हृदय में गम्भार रूप में स्थिति 'रति' आदि स्थायी भावों

एक कारण को विभाव कहते हैं। ("विशेषेण भावपन्नोति विभावाः।") शुकल ने विभाव को स्पष्ट करने हुए लिखा है "विभाव से अभिप्राय उन धनुओं विशेषों के वर्णन में है, जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना है।"

विभाव



आलम्बन विभाव वे हैं जिनका आलम्बन नेत्र रति आदि म्यायी भाव प्रत होने है—जैसे नायक नायिका । यह आलम्बन विभाव दो प्रकार के हैं । १-विषयालम्बन—जहाँ नायक आदि में 'रम की प्रतीति होगी है वे रामादि २-आश्रयालम्बन—जहाँ नायक आदि आश्रय के द्वारा रम की प्रतीति होती है ।

उद्दीपन-विभाव वे कहलाते हैं, जिन वस्तुओं या स्थिति को देखकर रति आदि 'म्यायी-भाव' तीव्रतर या उद्दीप्त होने लगते हैं । जैसे चन्द्रोदय, कोकिल, पान्थ म्यल आदि । प्रत्येक रम के अपने विशिष्ट-उद्दीपन होते हैं । भावोद्दीपन निम्नलिखित कारण होने हैं —आलम्बन के गुण, चेष्टाएँ, अलंकार, तटस्थ में वसन्त उद्यान आदि ।

अनुभाव

आलम्बन-उद्दीपन आदि कारणों में उत्पन्न काव्य-नाटक के अन्तर्गत विभिन्न भावों को बाह्य प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव है । भावों की सूचना देने के कारण से भावों के 'अनु' अर्थात् पश्चाद्दर्शी एव कार्य रूप माने जाते हैं । उनकी सख्या निश्चित नहीं है परन्तु इनको धर्मों में बाँटने का प्रयत्न किया गया है । १-वाचिक २-वाचिक ३-मानसिक ४-आहार्य ५-मानविक अनुभाव

शरीर की वे प्रतिक्रियाएँ जो अन्तःकरण में स्थित भावों की सूचना देती

है 'साधित' अनुभाव कहलाता है। यवनोद्धार को 'साधित' जाने से स्पष्ट है 'साधित' अनुभाव कहलाता है। इस कारण की भावना के अनुभाव में 'साधित' भाव का उद्धार हो तब 'साधित' अनुभाव कहते हैं। साधित भावना के अनुभाव कृतिय तब भूत की स्थिति का विचार 'साधित' अनुभाव कहलाता है।

साधित अनुभावा का अर्थ महत्त्वपूर्ण स्थिति है। साधित-भाव अनुभाव मात्र साधित-विषय अर्थात् 'रम' को प्रकटित करने का अर्थ है, इसमें सम्पूर्ण रमन के कारण ही वे साधित अनुभाव कहें जाते हैं। वे ये आठ हैं—जगत्प्र, ईश, योगात्मा, स्वप्नभग, अनुभव ईश्वर, अष्टादश संचारीभाव

संचारीभाव को 'व्यभिचारीभाव' भी कहते हैं। आचार्य विश्वनाथदेव विष्णोत्पत्ति करने हुए कहा है कि विष्णु शक्ति से मुख्य रम हेतु संचारीभाव और मनोरथ करने के कारण वे संचारीभाव वा व्यभिचारीभाव कहें जाते। वे स्थिति में विद्यमान स्यायोभावा में रमना आदिभूत होते हैं। वे रम में ३३ है 'उत्पन्न हुए स्यायो भाव को जो अधिका पृष्ठ करते हैं उन संचारीभावों को व्यभिचारी भाव कहते हैं।' इनकी संख्या ३३ मानी जाती है। वे काल में 'देव' में ३४ तक यह संख्या मानी है।

रस का स्वरूप

कुछ विद्वानों ने कहा कि रम मनोवेग है, परन्तु कुछ विद्वानों ने कहा कि रस मनोवेग नहीं है। किसी कस्तुरी का आश्वासन करने पर जो आनन्द निम्न है उसे रस कहते हैं। साधारण भाषा में कहते हैं कि 'अमुक की कथा में वा रस आया' वे बड़े रसिक हैं। 'रमिया' शब्द का अर्थ है जिमके आत्मास में आनन्द आवे। जानन्द लेने वाले को भी 'रमिया' कहते हैं। संक्षेप में अन्य मनजन्म आनन्द को रस कहते हैं। रस के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा—

विभावेनानुभावेन व्यक्त सञ्चारिणा तथा ।
रसतामेति रत्यादि, स्यायिभाव मचेनताम् ॥

अर्थात् "विभाव, अनुभाव एवं सञ्चारिभावों के संयोग से व्यक्त होकर रस

य के हृदय में स्थित 'रति' आदि स्थायी भाव ही 'रसत्व' प्राप्त कर लेते हैं रसत्व' के उद्रेक के कारण यह रस अल्प, अद्वितीय, स्वयं प्रवाग-स्वरूप, आनन्दमय एवं चिन्तनमय होता है। इस रस के साक्षात्कार के समय दूसरे ज्ञातव्य वस्तुओं का स्पर्श तक नहीं होता और इसीलिए यह ब्रह्मानन्द (ब्रह्म के साक्षात्कार से मिलने वाले आनन्द) के समान होता है। इस रस का एक 'प्राण' एक ऐसा अलौकिक चमत्कार होता है, जिसकी उपलब्धि कुछ सहृदय व्यक्तियों ही ही हो सकती है। इस 'रस' के आस्वादन के समय रस भोक्ता का इसमें व्यक्त व्यक्तित्व नहीं रह पाता।"

रस सम्प्रदाय के आचार्य

संस्कृत के रसवादी आचार्यों में आचार्यभरत (वि० पू० २००), अभिनवगुप्त (११ वीं शताब्दी), विश्वनाथ (१६ वीं शताब्दी) तथा पंडित राज जगन्नाथ (१७ वीं शताब्दी) के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं।

हिन्दी-साहित्य में रसवादी आचार्यों की संख्या पृथक् है। निम्नामनि (१६६३ई०) कुलपति (१७६०) देव (१७ वीं शताब्दी) श्रीपति (१८ वीं शताब्दी) भिखारीदास (१८ वीं शताब्दी) भास्कर (१९ वीं शताब्दी), मिश्रवन्धु (१९ वीं शताब्दी), बट्टेराजाल पोद्दार (१९ वीं शताब्दी), रामचन्द्र गुप्त (२० वीं शताब्दी) जयशंकर प्रसाद (२० वीं शताब्दी) आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी (२० वीं शताब्दी) और डा० नगेन्द्र (२० वीं शताब्दी) हिन्दी के प्रमुख रसवादी आचार्य माने जाते हैं।

उपर्युक्त आचार्यों में संस्कृत के आचार्यों की मान्यता की दृष्टिसे वे सर्वत्र अपने-अपने ग्रन्थों में रस की मान्यता स्थापित की है। इस समय डा० नगेन्द्र ने 'रसमिद्वान्त' नामक शुरुप्रसिद्ध ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें रस का अर्थ स्पष्ट रूप से एवं मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ की देखकर बोर्डे की पाठक यह निश्चय होकर कह सकता है कि डा० नगेन्द्र ने रस के क्षेत्र में संस्कृत के आचार्यों की मान्यताओं का ही विस्तार नहीं किया अपितु इस क्षेत्र में उनकी सीमाएँ देकर भी विज्ञान के समर्थ प्रमाण दिए हैं। इसके पुरुष रस के विषय में हिन्दी भी संस्कृत अथवा हिन्दी के आचार्यों ने इतना स्पष्ट विवेचन नहीं किया।

रस-निष्पत्ति

'नाट्यशास्त्र' के रचयिता स्यामनामा भरतमुनि रस-सिद्धान्त के मूल तंत्र माने गए हैं। उनका ध्येय अपने क्षेत्र में अद्वितीय है, किन्तु उन्होंने सम्बन्ध में जो बताया है वह अस्पष्ट है। उनके वास्तविक भावों के मूल मन चाही कल्पना की जा सकती है। भरतमुनि का मूल-सूत्र इस प्रकारा—

"विभावानुभावव्यभिचारि सयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।"

अर्थात् विभाव (नायक-नायिका आदि) अनुभाव (अभू, स्वेद, कम्पादि) सूचक शारीरिक विकार व्यभिचारी भाव 'हर्ष, मद, उत्कण्ठा आदि) के संयोग से रस की प्राप्ति होती है। इसमें 'संयोग' और 'निष्पत्ति' शब्द विशेष विषय रहे हैं। यह सूत्र आचार्यों के 'मस्तिष्क' के लिए व्यापार माना गया है। इसकी व्याख्या करने वालों में चार आचार्य प्रमुख हैं। उनके इस प्रकार हैं—

१—भट्टलोल्लट-उत्पत्तिवाद

२—श्री शङ्कर-अनुमितिवाद

३—भट्टनायक-भुक्तिवाद

४—अभिनवगुप्त-अभिध्वंजनावाद या अभिध्वक्तिवाद

भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद

इस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं, भट्टलोल्लट। यह मीमांसा सिद्धान्त मानने वाले थे। उनका मत है कि स्थायीभाव नायिकादि विभावों द्वारा उत्पन्न होकर तथा उद्यान, चन्द्र ज्योत्स्नादि उद्दीपनों द्वारा उद्दीप्त होकर कटाक्ष सूक्ष्म अथु रोमाञ्चादि अनुभावों अर्थात् वाह्य व्यञ्जकों द्वारा प्रतीतिवोग्य बनने जानने योग्य बनकर और उत्कण्ठादि व्यभिचारियों द्वारा पुष्ट होकर सुख आदि अनुकार्यों में रस रूप से विद्यमान रहता है। इस मत में निम्नलिखित बातें पायी जाती हैं—

स्थायीभाव का सूत्र में उल्लेख नहीं है, किन्तु इस मत में उसका रूप में पुष्पक उल्लेख हुआ है और स्थायीभाव के साथ संयोग माना जाता है।

२—यह स्थायीभाव आलम्बन विभावों से उत्पन्न होता है (इसी से रस)

रस-निष्पत्ति

'आरूपशास्त्र' के रसविज्ञान व्याख्याता भगवन्मुनि रस-निष्पत्ति के संकल्पना से हैं। उनका दृष्टि अपने दाय में ब्रह्मीय है, किन्तु रसशास्त्र में तो रसनामा है यह प्रकट है। उनके वास्तविक आकार के मत भाषी पद्यनामों का गहन है। भगवन्मुनि का मूल-सूत्र है—

“विभावानुभावव्यभिचारिण्ययोगादसनिष्पत्तिः ।”
 अर्थात् विभाव (नायक-नायिका आदि) अनुभाव (अश्रु, स्वेद, मूषक, धार्मिक विकार व्यभिचारी भाव 'हर्ष', मद, उत्कण्ठा आदि) रस की प्राप्ति होती है। इसमें 'सयोग' और 'निष्पत्ति' का विषय यह है। यह सूत्र आचार्यों के 'मस्तिष्क' के लिए व्यापक गया है। इसी व्याख्या करने वालों में चार आचार्य प्रमुख हैं।

- १—भट्टलोल्लट-उत्पत्तिवाद
- २—श्रीशङ्कर-अनुमितिवाद
- ३—भट्टनायक-भुक्तिवाद
- ४—अभिनवगुप्त-अनिर्व्यंजनावाद या अनिर्व्यक्तिवाद

भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद

इस सूत्र के प्रथम व्याख्याता है, भट्टलोल्लट। यह मीमांसक मानने वाले थे। उनका मत है कि स्थायीभाव, शीतल और तवा उद्यान, चन्द्र ज्योत्स्नादि उद्दीपनों द्वारा अश्रु रोमाचादि अनुभावों अर्थात् रस जानने योग्य बनकर और उत्कण्ठादि रामादि अनुकायों में रस रूप से विकसित विनियताएँ पायी जाती हैं—

- १— स्थायीभाव का सूत्र के मूल रूप में पूषक् उल्लेख किया गया है।
- २—यह स्थायीभाव

तिवाद कहते हैं। एव व्यभिचारी भावों में पुष्ट होकर अनुभावों द्वारा
 होकर अनुकार्य में रम रूप में रहता है। निष्पत्ति का अर्थ 'उत्पत्ति' है।

३-नट में यह रहता नहीं है, वरन् रूप की सनानता के कारण उसमें
 आरोप होता है, इसीलिए उनको आरोपवाद भी कहते हैं।

४-अभिनय की कुशलता में आगेपिन स्थायीभाव सामाजिकों के चमत्कार
 कारण बन जाता है।

५-भट्टलोल्लट के अनुसार रम की मूल रूप में रामादि अनुकार्यों में उत्पा-
 दादक तथा कार्यकारण भाव में उत्पत्ति होती है। नट की अनुकृति की सफ-
 लता में उत्पन्न सामाजिक के मन में चमत्कार जन्य आनन्द रम बन जाता है।

सिद्धान्त की समीक्षा

१-भट्टलोल्लट ने रम के लौकिक विषयगत पक्ष को महत्ता प्रदान की।
 विभावन के लिए भी कुछ मामली अपेक्षित होंगी है। लोल्लट ने उसकी ओर
 ध्यान दिया है। लोल्लट की ध्याख्या में एक साम्प्रदायिक दोष तो यह निकाला गया
 कि स्थायीभाव का उल्लेख भरत के मूत्र में नहीं है। उन्होंने स्थायीभाव को
 रम में पृथक् नहीं माना है। इसीलिए उन्होंने अपने मूत्र में उल्लेख नहीं किया
 है। यह ऐसी वस्तु भी नहीं है जो पहले अपुष्ट रूप में रहती हो और पीछे में
 पुष्ट होकर रम का रूप धारण करे। विभावादि के बिना मूल आशय में स्थायी
 रूप ही ही नहीं सकता फिर उनमें उसकी पुष्टि कैसे ?

२-रम मन में रम की स्थिति को मुख्य रूप में अनुकार्य और गौण रूप में
 अनुकर्तागत कहा गया है सामाजिक गटस्थ रह जाता है अतः यह मन संबंधी
 दासपूर्ण है।

३-विभावादि और स्थायीभाव व उत्पादक उत्पाद्य सम्बन्ध माने राम पर
 उत्पादक सामग्री की स्थिति या प्रकृति पर उत्पाद्य सामग्री की स्थिति या
 प्रकृति निर्भर रहती, किन्तु रम अगुण्ड वस्तु है उसे राम न तो स्थान कह सकते
 और न प्रकृति।

४-एव तत्र और ह यदि भाव ही उत्पादाकार्य का ही रम रम' म न न

रस-निष्पत्ति

नाट्यशास्त्र के रचयिता स्थायीभाव अथवा मूर्ति रस विद्वान् इन्द्रोत्तर मान गए हैं। उनका उक्त अर्थ श्रेय में अतीत है, किन्तु उक्त मन्त्र-पत्र में जो उक्त है वह अस्पष्ट है। उनके वाच्यार्थिक आधार केन्द्र मन भावो व-गना को ही माना है। अथवा मूर्ति का मूल-मूल इन मूर्ति-विभागा-नुभावा-व्यभिचारि मयोगा-उत्पत्तिनि।।

अर्थात् विभाव (नायक-नायिका आदि) अनुभाव (अश्रु, हाँस, कन्ठ-मूषक प्राणोक्ति विचार व्यभिचारी भाव 'हँस', मर, उच्छ्वास आदि) के रस की प्राप्ति होती है। इसमें 'मयोग' और 'निष्पत्ति' शब्द विविध रहते हैं। यह मूल प्रापायों के 'मन्त्र-पत्र' के लिए व्याख्यान दत्त गया है। इसकी व्याख्या करने वालों में भार प्राचार्य प्रमुख हैं। जिनके इस प्रकार है —

१— नट्टलोत्सव-उत्पत्तिवार

२— श्री शङ्कर-अनुमितियाव

३— नट्टनायक-भुक्तिवार

४— अभिनवगुप्त-अभिध्वंजनावार या अभिध्वक्तिवार

नट्टलोत्सव का उत्पत्तिवार

इस मूल के प्रथम व्याख्याता हैं, नट्टलोत्सव। यह मीमांसा विद्वान् मानने वाले थे। उनका मत है कि स्थायीभाव नायिकादि विभावो द्वारा व होकर तथा उद्यान, चन्द्र ज्योत्स्नादि उद्दीपनो द्वारा उद्दीप्त होकर कटाक्ष ई क्षेप अश्रु रोमांचादि अनुभावो अर्थात् वाह्य व्यञ्जको द्वारा प्रतीतियोग्य अ जानने योग्य बनकर और उत्कण्ठादि व्यभिचारियों द्वारा पुष्ट होकर इन्द्र रामादि अनुकार्यों में रस रूप से विद्यमान रहता है। इस मत में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं—

१— स्थायीभाव का मूल में उल्लेख नहीं है, किन्तु इस मत में उक्तका रस के मूल रूप में पृथक् उल्लेख हुआ है और स्थायीभाव के साथ मयोग मत गया है।

२— यह स्थायीभाव आलम्बन विभावो से उत्पन्न होता है (इसी से इन्द्रो

तेवाद कहते हैं। एव व्यभिचारी भावों से पुष्ट होकर अनुभावों द्वारा
 २ होकर अनुकायों में रस रूप में रहता है। निष्पत्ति का अर्थ 'उत्पत्ति' है।

३-नट में यह रहता नहीं है, वरन् रूप की समानता के कारण उसमें
 दोष होता है, इसीलिए उसको आरोपवाद भी कहते हैं।

४-अभिनय की कुशलता में आरोपित स्थायीभाव सामाजिकों के चमत्कार
 कारण बन जाता है।

भट्टलोल्लट के अनुसार रस की मूल रूप से रामादि अनुकायों में उत्पा-
 द्यादक तथा कार्यकारण भाव में उत्पत्ति होती है। नट की अनुकृति की सफ-
 ता से उत्पन्न सामाजिक के मन में चमत्कार जग्य आनन्द रस बन जाता है।

सिद्धान्त की समीक्षा

१-भट्टलोल्लट ने रस के लौकिक विषयगत पक्ष को महत्ता प्रदान की।
 वेभावन के लिए भी कुछ सामग्री अपेक्षित होती है। लोल्लट ने उसकी ओर
 ध्यान दिया है। लोल्लट की ध्याख्या में एक शास्त्रीय दोष तो यह निकाला गया
 कि स्थायीभाव का उल्लेख भारत के मूत्र में नहीं है। उन्होंने स्थायीभाव को
 रस से पृथक् नहीं माना है। इसीलिए उन्होंने अपने मूत्र में उल्लेख नहीं किया
 है। यह ऐसी वस्तु भी नहीं है, जो पहले अपुष्ट रूप में रहती हो और पीछे में
 पुष्ट होकर रस का रूप धारण करे। विभावादि के बिना मूल आश्रय में स्थायी
 रूप ही नहीं सकता फिर उनमें उसकी पुष्टि कैसी ?

२-इस मत में रस की स्थिति की मुख्य रूप से अनुकायों और गौण रूप में
 अनुकर्तागत कहा गया है सामाजिक तटस्थ रह जाता है, अतः यह मत सर्वथा
 दोषपूर्ण है।

३-विभावादि और स्थायीभाव के उत्पादक उत्पाद्य सम्बन्ध मान लेने पर
 उत्पादक सामग्री की न्यूनता या प्रचुरता पर उत्पाद्य सामग्री की न्यूनता या
 प्रचुरता निर्भर रहेगी, किन्तु रस अखण्ड वस्तु है उसे हम न तो न्यून कह सकते
 और न प्रचुर।

४-एक तर्क और है, यदि भाव की उर्हीष्ठावस्था को रस-दशा मानें तो

फिर शोकादि की उद्दीप्तावस्था करणा जनक होगी, रस रूप नहीं।

५—एक तर्क यह भी है कि उत्पादक, उत्पाद्य सम्बन्ध मानने पर रस के प्रसंग में शोक स्थायी में आनन्द रूप करण-रस की उत्पत्ति कैसे करगें, क्योंकि कार्य तो कारण के अनुकूल ही होता है। जिस प्रकार वीज रूप कारण में चने का पौधा रूप कार्य उत्पन्न नहीं होगा।

श्रीशंकु का अनुमितिवाद

इन आपत्तियों में बचने के लिए श्रीशंकु ने अपना 'अनुमितिवाद' निकाला है। उन्होंने रस की आपत्ति गम्यगमक-भाव से मानी है। न नाटकादि में रामादि अनुकायों के भावों का ज्ञान प्राप्त कर अपनी और अभिनय के अभ्यास द्वारा रसमय पर कारण (विभाव) कार्य (अनुभाव चारी (सचारीभाव) को अपनी कला में प्रदर्शित करता है तब वे [अनुभाव] कृत्रिम होते हुए भी ऐसे नहीं माने जाते। अर्थात् नट को रस विभाव कहते हैं और उसके भुज अथु आदि अनुभावों को राम के ही कहते हैं।

इन्होंने 'सयोग' का अर्थ 'अनुभाषक' या 'गमक-अनुमाप्य' या गम्य किया है। इनके अनुसार गम्य या अनुमाप्य रस के प्रसंग में विभावादि उसी प्रकार गमक या अनुभावक है, जिस प्रकार गम्य या अनुमाप्य अग्नि प्रसंग में धुआँ अनुभाषक या गमक होता है। श्रीशंकु ने अपनी समस्या मुलज्ञाने के लिए 'चित्रतुरगादि' न्याय के सिद्धान्त की कल्पना की। ऊँ कहा—काव्यों के अनुशीलन से तथा शिक्षा के अभ्यास से सहृदय-भूत-दर्शक तुरगादि न्याय से। अर्थात् ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चाचित्र में हुए घोड़े को ही सच्चा घोड़ा समझ लेता है। रामादि-रूप विभाव वास्तविक-वास्तविक रूप में न होने पर भी नट को ही रामादि मान अनुमान कर बैठता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकु के रस विभावादि का अर्थ अनुभाषक, अनुमाप्य, सम्बन्धात् और निष्पत्ति का लिया गया है।

1

र मन के अनुसार वास्तविक रूप में अनुकार्यों (दुष्यन्त दकुन्तला) को तब कह सकते हैं। उनके ही अनुभावो और मचारियो को अनुभाव और कहेंगे।

रट' इनका अनुकरण करता है सामाजिक लोग चित्रतुरगन्याय से नट नुकार्य ममज्ञ लेने और उसके अनुभावादि में उसमें स्थायी भाव का अनु- करते हैं।

रूपि अनुमान का आधार कृत्रिम होता है, परन्तु इस मत के अनुसार र चित्रतुरगन्याय में दुष्यन्त से तादात्म्य कर उसके अनुभावादि द्वारा ममक वा अनुमाप्य-अनुमापक-भाव से सामाजिक रम की अनुमिति है।

की समीक्षा

शकुन्त ने दो बातों पर अधिक जोर दिया एक 'अनुकरण' दूसरा 'अनुमान बन करने पर शकुन्त की दोनों ही आधार-शिलाएँ बालुका-निर्मित प्रतीत लगती है—

१-विभावादि जो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, उनमें रस की निष्पत्ति कैसे सिद्ध जाय ?

२-बहुत में आलम्बनादि ऐसे होते हैं, जिनके प्रति हमारी भावना सदैव प्र होती है, जैसे राम-सीता इनकी रति-भावना आदि में कैसे तादात्म्य का भव करे।

३-रक्षण, जिसका स्थायीभाव 'शोक' है वह रम कैसे हो सकता है।

शकुन्त का यह मत केवल प्रथम समस्या का थोड़ा सा समाधान प्रस्तुत ता है, वह भी चित्रतुरगादिन्याय पर आधारित होने के कारण। इस खान्त में सब कुछ कल्पित और कृत्रिम है। उनका 'रम' अनुमिति का विषय ने के कारण कल्पित है। उनके अनुमापक विभावादि भी चित्रतुरगादिवत् ने के कारण मिथ्या है। अतः कृत्रिम जोर कल्पित वस्तु रमास्वादन का विषय से हो सकती है ?

भट्टनायक का भुक्तिवाद

भट्टनायक का कथन है कि रस की न तो प्रतीति (अनुमिति) (जैसा कि शङ्कर ने माना है) न उत्पत्ति होती है (जैसा भट्टलोल्लस ने है।) अनुभव और स्मृति के बिना रस की प्रतीति नहीं हो सकती।

भट्टनायक की विवेचना यही है कि उन्होंने सामाजिक के ना विभावों में आनन्द लेने की समस्या को हल करने के लिए 'अभिधा' का और 'भोजकत्व' तीन व्यापार माने हैं। भावकत्व द्वारा अपने और दूसरे के भेद को दूर करके उसके भोग की समस्या को हल किया है।

इस मत के अनुसार काव्य नाटक के विभावादि अभिधा द्वारा बने होते हैं, उसके पश्चात् विभावादि भावकत्व द्वारा मेरे-पराये के बन्धनों को छोड़कर अर्थात् साधारणीकृत होकर सहृदय के उपभोग योग्य बने हैं। निष्पत्ति का अर्थ विभावादि की भोज्य-भोजक-भाव से मुक्ति है।

अर्थात् भावकत्व का अर्थ है 'साधारणीकरण' इस भावकत्व या साधारण करण व्यापार में विभावादि और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण का अर्थ है सीतादि का साधारण कामिनी रूप बन रह जाना। स्थायी भाव के रजोगुण और तमोगुण का परिहार होना और स्थायीभाव केवल सत्वोद्रेक मात्र रह जाता है। यह सत्वोद्रेक ही रस लाता है। भोग व्यापार में इसी का भोग होता है। इस प्रकार भट्टनायक अनुसार साधारणीकरण प्रक्रिया की सारिणियाँ इस प्रकार हुई—

१—'अभिधा' में काव्यार्थ का बोध।

२—'भावकत्व' व्यापार से पहले विभावादि का साधारणीकरण होना, उसका व्यक्तिगत सम्बन्धों में विच्छिन्न होना।

३—काव्यस्थ 'स्थायी-भाव' का साधारणीकरण तथा सतोगुण का उद्वेग (समस्याओं का बहुत कुछ समाधान हुआ, किन्तु दर्शक की समस्या में उद्वेग शेष रह गई। इसको मुलमूलने या प्रयास आचार्य अभिनवगुप्त ने 'साधारणीकरण' इस मत की मुख्य देन है। इस मत में यह दोष है कि 'भावकत्व' और 'भोजकत्व' इन दो शक्तियों की

असाध्यता है।

नवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद

अभिनवगुप्त के अनुकूल रति आदि स्थायीभाव मूहृदय सामाजिकों के अन्तः। में वामना वा मस्कार रूप में अव्यक्त-दशा में वर्तमान रहते हैं ।

१-अभिनवगुप्त रस की निष्पत्ति सामाजिक में मानते हैं ।

२-सामाजिकों में स्थायी भाव वामना वा मस्कार रूप में स्थिर रहते हैं ।

३-वे साधारणीकृत विभावादि द्वारा उद्भूत हो जाते हैं । ये विभावादि के रस के कारण अव्यक्त रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं, करीब-करीब उभी तरह जिस प्रकार कि जल के छीटे पड़ने में मिट्टी की अव्यक्त गन्ध व्यक्त हो जाती है ।

४-काव्यादि वा पाठ और नाटकों के अभिनय मूहृदयों के स्थायी भावों का प्रति के माधन होने हैं । पाठको और दर्शकों को अपने ही उद्बुद्ध स्थायी भावों का शुद्ध रूप में समझना के कारण चित्त की वृत्तियों के एकाग्र हो जाने प्रज्ञानन्द-महोदर अग्रण्ड रस के रूप में आनन्द प्राप्त होने लगता है ।

५-अभिनवगुप्त के मत में मयांग का अर्थ यद्व्य-व्यजक भाव है और निष्पत्ति का अर्थ है 'अभिव्यक्ति' इस मत के अनुसार सामाजिकों के हृदय में मना रूप में स्थायी भाव विभावादि द्वारा व्यंग्य-व्यजक भाव में अभिव्यक्त जाते हैं ठीक इसी प्रकार जिन प्रकार कि मिट्टी की अव्यक्त गंध जल के छीटे पड़ने में व्यक्त हो जाती है । यह मत मनोविज्ञान की धारणा के सर्वथा अनुकूल है ।

अन्य मत

धनंजय का मत

अभिनवगुप्त के मत को उनके अनुवर्ती आचार्यों में से अधिकांश ने माना है । धनंजय का मत एक प्रकार में उनके ही मत का स्पष्टीकरण है ।

विभावेरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

जानीयमान स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रस स्मृतः ॥ —दशरूपक

अर्थात् स्थायी भाव, विभाव, सात्विक और व्यभिचारी-भावों द्वारा आस्वाद्यत्वं होकर रस बन जाता है । धनंजय का मत है कि रस के उद्भव में ही अन्तर है कि धनंजय ने ध्वजना को नहीं चलाया है

और अभिनवगुप्त ने व्यञ्जना को मुख्यतया दी है।
 रमणगायत्र में इन मतों के अतिरिक्त कई और मतों का
 गया है उनमें से एक जो रज्जु के साँप की भाँति मिथ्या मानने
 वेदान्त में सम्बन्ध रखता है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रस की
 शक्ति (सीप) में रजत (चाँदी) की भ्रान्त-अनभूति के आधार पर
 अन्य मत विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं।

समन्वय एवं निष्कर्ष

भट्टलोल्लट और श्री गङ्गुक दोनों ही अनुकायों को विशेष
 प्रदान करते हैं। ये लोग रस की लौकिक विषयगत स्थिति को
 लाते हैं और साधारणीकरण के लिए जो लौकिक आधार चाहिए उसे
 सकेत करते हैं। भट्टलोल्लट के मतानुसार नट में दुष्यन्तादि की
 आरोप किया जाता है और श्रीगङ्गुक के अनुसार उसमें अनुमान विषय
 है। आरोप निराधार भी हो सकता है किन्तु अनुमान में किञ्चित् आधार
 है। इन दोनों की देन इतनी ही है कि ये लोग कल्पना को नितान्त नि
 होने से बचाए रखते हैं। वे आजकल के उपन्यासों के कल्पित पात्रों की
 कुछ कठिनाई ही से कर सके हैं। कल्पना का जो वास्तविक आधार है
 उसकी ओर ये सकेत अवश्य कर देने हैं।

यद्यपि साधारणीकरण की मूल भावना की क्षीण झलक नट के अनुक
 (नट दुष्यन्त का साधारण राजारूप में अनुकरण करता है दुष्यन्त को त
 जानता नहीं) रहती है तथापि इस सिद्धान्त को पूर्ण विकास देने का श्रे
 भट्टनायक को है। भोजकत्व में सामाजिक के कर्तव्य की ओर सकेत
 है और उसके रस के मूल अर्थ 'आस्वादत्व' की भी सार्थकता हो जाती
 किन्तु उन्होंने सामाजिक ऐसे किमी गुण का सकेत नहीं किया, जिसके श
 सामाजिक में 'भोजकत्व' की सम्भावना रहनी है। इस कमी को अभिनव
 ने पूर्ण किया है। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक अपनी
 का आस्वाद लेता है। विभावादि का वर्णन उसे प्राप्त करता है।
 व्यञ्जना-व्यापार की प्रधानता बनलाकर अभिनवगुप्त ने ठुनि और पाठक

मूल रूप से अनुकार्यों में रहता है
 नटादि अनुकर्त्ताओं में आरोप होता है
 गीण रूप से सामाजिकों में अनुकरण के

कार्य-कारण-भाव

उत्पत्ति

घमत्कार से

नट के अनुमापादि द्वारा अनुकार्यों
 में अनुमय, गीणरूप से सामाजिकों में
 करण के घमत्कार से । नट और अनुकार्य मापक-भाव ।

गम्य-गम्यक-भाव

अनुमय, गीणरूप से सामाजिकों में

अथवा अनुमाप्य-अनु-

अनुमिति

का चित्रतुरंग न्याय में तादान्य मानते

है अभिधा भावकत्व द्वारा आलम्बनादि भोग्य-भोजक-भाव भुक्ति(आस्वाद)

साधारणीकृत होकर सामाजिक के भोग का

विषय बनते है (भोजकत्व)

व्यजनावृत्ति द्वारा (भावकत्व और भोजकत्व

अनावश्यक) सहृदय सामाजिक में स्थायी

अव्यय-व्यजक-भाव अभिव्यक्ति

भावों के सम्कारों की विभावादि के

योग से अभिव्यक्ति जिस प्रकार जल

के योग से मिट्टी की अव्यक्त गंध व्यक्त

हो जाती है ।

श्री शङ्कर

नैयायिक

अनुमितिवाद

भट्टनायक

साहचर्यादी

भुक्तिवाद

अभिनव गुप्त

बंधात्मी

अभिव्यक्तिवाद

को महत्व प्रदान किया है। व्यंग्यायं उसके बोधक की अपेक्षा रखता है।

काव्य का रस तो काव्यगत विभावादि द्वारा उद्बोधित एव रसोत्तु विमुक्त, सत्तोमृण-प्रधान, आत्मप्रकाश से जगमगते हुए सहृदय के वाञ्छित स्थायीभाव का आस्वादजन्य आनन्द है। व्यक्तिगत-संस्कार साधारणता होकर 'टाइप' या नचि बन जाते हैं। 'टाइप' व्यक्ति और साधारण के ही की चीज है। इन साँचों में मिलने के कारण अखण्ड विनमय आत्मप्रकाश भी थूंगारादि के भेद दिखाई पड़ते हैं। वह आनन्द फलता है, वित्त सोच कर लेता है इसी कारण रस कहलाता है।

साधारणीकरण

काव्य में साधारणीकरण एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता। काव्य के पठन श्रवण वा नाटकादि के दर्शन से जो हमें एक धर्मीयक अनुभव होने लगता है उसका आविर्भाव साधारणीकरण द्वारा होता है। स्थिति में यह स्वाभाविक जिज्ञासा हो सकती है कि साधारणीकरण क्या किसका साधारणीकरण होता है, कैसे होता है इत्यादि। इन जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास संस्कृत-हिन्दी-आचार्य अद्यावधि करते आ रहे हैं। नीचे की पक्तियों में हम इस विचार-प्रवाह का क्रमिक विश्लेषण ऐतिहासिक-सैदान्तिक दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं।

हमारा लौकिक अनुभव क्षणिक एव देश-काल से आवद्ध होता है। किन्तु हम उससे सन्तुष्ट न रहकर उसे व्यापक और स्थायी बनाना चाहते हैं। और इस उद्देश्य-सिद्धि में काव्य (व्यापक अर्थ) में बड़ा ही उपादेय सिद्ध होता है। उसका आश्रय लेकर हम अपना आत्म-विस्तार देश-काल-पात्र की क्षुद्र-सीमाओं से मुक्त होकर कर पाते हैं और व्यापक आनन्दानुभव में समर्थ हो पाते हैं। स्पष्ट है कि इस आनन्दानुभव के लिए हमें कई बन्धनों के ऊपर उठना पड़ता है। विज्ञान में जिस प्रवृत्ति द्वारा हम 'विशेष' से 'सामान्य' की ओर जाते हैं उसी प्रवृत्ति के द्वारा काव्य में कवि अपनी विशिष्ट अनुभूति को व्यापकता प्रदान करता है।

"मृग-दुग्ध के मूल ममत्व-परत्व की आनन्द-व्यापक भावना को दूर करने

ए ही माहृत्य में 'साधारणीकरण' का विधान होता है ।"

'साधारणीकरण' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 'भुक्तिवाद' के संस्थापक आचार्य टनायक ने किया । रस-विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि र में तीन प्रकार की क्रियाएँ होती हैं - १- अभिधाक्रिया, २- भावकत्व भोजकत्वक्रिया । इनमें अभिधा क्रिया के द्वारा हम काव्य के शब्दार्थ में चित्त होने हैं एवं भावकत्व क्रिया के द्वारा महृदय के हृदय-स्थित स्वादिभाव विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है । तत्पश्चात् 'भोजकत्व' व्यापार साधारणीकृत विभावादि का रस के रूप में 'भोग' होता है । मट्टनायक के शब्दों में आचार्य अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण को और पञ्जीकृत रूप में सर्व-रस रखने की चेष्टा की, तदुपरान्त अन्य माहृत्य मनीषियों ने अपने-अपने धारों को व्यक्त किया ।

हिन्दी में 'साधारणीकरण' पर विचार करने वालों में वर्तमान आलोचकों सर्वश्री डा० दयामनुन्दर दास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं डा० नगेन्द्र प्रमुख । डा० दयामनुन्दर दास ने आचार्य केशव प्रसाद मिश्र का अनुकरण करते ए 'साधारणीकरण' का विश्लेषण 'योग की मधुमती-भूमिका' के आधार पर किया है । उनके विस्तृत विवेचन का मार इस प्रकार है "योगी की मधुमती भूमिका में जो आनन्दमयी स्थिति रहती है, वैसे स्थिति में जीवन-यापन की समता प्रतिभांगाली कवियों में स्वभावन हुआ करती है । काव्य के सहृदय श्रेयताओं का कवियों की तादृश अनुभूति से तादाम्य प्राप्त करना ही 'साधारणीकरण' है ।

डा० साहब पर आचार्य विश्वनाथ का स्पष्ट प्रभाव है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने साधारणीकरण का विश्लेषण करते हुए कहा -

'साधारणीकरण' का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति या वस्तुविशेष जाती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आशय के भाव का आलम्बन होती है, वैसे ही एक सहृदय पाठक या श्रोता के भाव का आलम्बन हो जाती है । तात्पर्य यह कि आलम्बन-रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलम्बन हो जाता है ।"

आचार्य गुक्ल के उक्त आशय का विश्लेषण किया जाय तो निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं -

१- सहृदय पाठक या श्रोता के भाव का साधारणीकरण होता है।

२- उसका आश्रय के साथ तादात्म्य सम्बन्ध हो जाता है।

३- आलम्बन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति में समान प्रभाव बाने की ऐसे धर्मों की प्रतिष्ठा होती है, जिनके कारण वह सहृदय पाठक का बालक बन सके।

इस प्रकार आचार्य गुक्ल ने जहाँ प्रथम दो सूत्रों में प्राचीन सस्कृत काल की एतद्विषयक मान्यताओं का समाहार प्रस्तुत किया है, वहाँ अन्तिम सूत्र में समान प्रभाव वाले कतिपय धर्मों का निर्देश कर कवि-कर्म की साधारणीकरण में परिलक्षित होने वाले 'व्यक्तिवैचित्र्यवाद' की ओर भी इशारा किया है।

डा० नगेन्द्र ने विभावादि को कवि की मानसी-सृष्टि मानते हुए विषय-महत्त्व को नगण्य रक्खा है और कवि की अनुभूति का 'साधारणीकरण' माना है। इस वाक्य खण्ड का अर्थ यदि सहृदय पाठक-श्रोता के रत्यादि स्थायी भावों की कवि की अनुभूति रूप में रूपान्तरण है, तब तो मान्य है अन्यथा भ्रामक।

सारांश यह कि देश के सम्बन्ध में व्यापकता और काल के शाश्वतता, हमारी आत्मा की सहज प्रवृत्ति है। साधारणीकरण साहित्य में अपने देश-काल के सीमित ज्ञान को विस्तृत करता हुआ, ममत्व-परत्व की भावना को दूर कर देता है। साधारणीकरण में यही मूल कार्य करता है कुछ आचार्य विभावो का साधारणीकरण और आश्रय से तादात्म्य की चर्चा करते हैं, इसमें आचार्य रामचन्द्र गुक्ल मुख्य है। कुछ आचार्य सम्बन्धों की स्वतन्त्रता पर बल देते हैं। कुछ की मान्यता है कि श्रोता या पाठक के हित का साधारणीकरण होता रहा है और कुछ आचार्य कवि की आन्तरिक अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों में 'यूचर' आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। वास्तविकता यह है कि कवि, पाठक, दर्शक, सम्बन्ध एव भाव सभी का साधारणीकरण होता है।

‘तदात्मोक्तम्’ में काव्यानुशीलन का अन्वय बढ़ता है, भाव तादात्म्य की वृद्धि होगी है, सार्विक रस का अन्वय होता है, मनोवेगों का होता है और विम्बित मन को गगान्तक अनुभूति होने लगती है ।

ओचित्य सम्प्रदाय

‘ओचित्य’ सिद्धान्त के प्रतिपादक आचार्य ‘धोमेन्द्र’ माने जाते हैं । जहाँ ओचित्य का ग्रन्थ है, नाट्याचार्य भरत में लेकर आनन्दवट्टन एवं अभिनव आदि आचार्यों ने भी इनके महत्व को स्वीकार किया है । यद्यपि भरत रामह ने ‘ओचित्य’ शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं किया, किन्तु ~~उसकी~~ मता पर की है । सर्व प्रथम दण्डी ने ‘गुण’ शब्द का ‘ओचित्य’ अर्थ लिया है स्पष्ट रूप में कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने ‘रामाभ्युदय’ नाटक में ‘चय’ शब्द का प्रयोग किया है । आलवारिकों में रट्ट ने ‘वाक्यालकार’ में चय का प्रयोग किया है और ओचित्य तत्त्व का विदलेषण भी किया है । उससे पूर्व आचार्य आनन्दवट्टन ने काव्य के विभिन्न अंगों में ‘ओचित्य’ शब्द व्यापक मांमामा प्रस्तुत की है ।

चित्य की परिभाषा तथा स्वरूप

‘ओचित्य’ शब्द की व्युत्पत्ति है—

‘उचितस्य भाव ओचित्यम्’

अर्थात् उचित के भाव का नाम ओचित्य है । ओचित्य का तात्पर्य उचित्यं, उचित व्यवहार या उचित आचरण है । किन्तु काव्य के प्रसंग में इसका काव्यांगों की उचित योजना से है । इस प्रकार भाव, रस, भाषा, अलकार, ति, गुण, शब्द-शक्ति आदि सभी काव्य तत्वों में उचित सामञ्जस्य का रखना, ओचित्य है । आचार्य धोमेन्द्र ने ओचित्य की यह परिभाषा की है —

उचित प्रादुराचार्या मद्ग किल यस्य यत् ।

उचितस्य च यो भाव तदोचित्य प्रचक्षते ॥

जहाँ जो वस्तु जिसके मद्ग हो, उसको उचित कहते हैं, और उचित का भाव ही ‘ओचित्य’ कहा जाता है । जिस प्रकार शरीर में सौन्दर्य का सर्वोपरि हत्व है, आन्तरिक और बाह्य, दोनों दृष्टियों से जो व्यक्ति सुन्दर होता है

उसी का सौन्दर्य पूर्ण-प्रतिष्ठा का विषय होता है। इसी प्रकार का क्षेत्र में भी भाव-पक्ष और कला-पक्ष का समुचित सौन्दर्य अपेक्षित होता है। उसमें वास्तविक सौन्दर्य आ पाता है। यदि किसी का एक हाथ बड़ा और छोटा है तो वह उसके सौन्दर्य में बाधक होगा। इसी प्रकार काव्य के भी यदि कलापक्ष प्रबल है और भावपक्ष दुर्बल है, तो काव्य में वास्तविक सौन्दर्य नहीं आ सकता। अतः दोनों में उचित मामजस्य अपेक्षित होना उचित ढंग, उचित स्थान पर विन्यस्त वस्तु ही सौन्दर्य-जनक होती है। जैसे से दूर गुण भी जबगुण धन जाते हैं। उदाहरणार्थ हार की घोभा गरी होती है, पैर में नहीं। इसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में भी रस, अलंकार का औचित्य पूर्ण विधान सौन्दर्योत्पादक होता है। उदाहरणार्थ 'शृंगार' साथ माधुर्य गुण ही अनुकूल होगा 'ओज गुण' नहीं।

इस प्रकार 'औचित्य' वह विवेक बुद्धि है, जो सत् और असत् में विवेक प्रक्रिया को पुष्ट करती है। क्षेमेन्द्र ने काव्य के क्षेत्र में अनेक प्रकार के औचित्य का विस्तृत उल्लेख किया है। जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध-औचित्य, प्रकरण-औचित्य, पद-औचित्य, प्रत्यय-औचित्य आदि आते हैं। इस प्रकार क्षेमेन्द्र का यह सिद्धांत व्यवस्थापक है। उद्भावक नहीं। जिस औचित्य को आनन्दवर्द्धन ने विवेक का विषय बनाया, अभिनवगुप्त ने जिसकी व्याख्या की क्षेमेन्द्र ने उसी का स्वतंत्र 'काव्य-सिद्धान्त' घोषित कर दिया। क्षेमेन्द्र के पश्चात् मम्मट आचार्यों ने औचित्य को दोषाभाव के रूप में मान्यता दी और इसकी सत्ता समाप्त कर दी। हिन्दी आचार्यों ने तो इस सिद्धांत की ओर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में औचित्य के इस नकारात्मक रूप की अपेक्षा स्वीकारात्मक रूप की आवश्यकता है।

अन्ततः काव्य सम्बन्धी पद सम्प्रदायों के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि रस सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय और औचित्य सम्प्रदाय का सम्बन्ध के आन्तरिक पक्ष में है, इन सब का प्रतिनिधित्व 'रस सिद्धांत' करता है। अलंकार सम्प्रदाय, वक्रोक्ति एवं रीति-सम्प्रदाय का सम्बन्ध बाह्य पक्ष में है, जिसका प्रतिनिधित्व 'अलंकार-सम्प्रदाय' करता है। इस

काव्य-सम्प्रदाय और रस-सम्प्रदाय की। सामान्यतः कृष्णा में 'रस-सम्प्रदाय' श्रेष्ठतम रसक शब्द ही जानी है। क्योंकि रस की वाच्यता मानने में ही के अतिरिक्त अत्यन्तक सौन्दर्यहीन भी गद्यरस सिद्ध हुआ है, और हीन शैली पक्ष में सम्बद्ध है। जो रस के गद्यरस शोभा-सम्बद्धक मात्र माने गद्यरस है। रस बिना शरीर के केवल आत्मा रस का विषय बन जाती है बिना आत्मा के शरीर रस बन जाता है, शीत इसी प्रकार बिना रस के रस निष्प्राण मान जान है। शीत बिना शरीरों के रस की सौन्दर्यात्मक मूर्ति नहीं हो जाती। इस प्रकार शीत पक्ष में समन्वय की आवश्यकता सम्भवतः इसी बात का ध्यान में रखकर आचार्य विद्वनाय ने रसात्मक रस की 'काव्य' माना है। इस परिभाषा में रस की प्रधानता तो स्पष्ट है ही नूँ "वाक्य" शब्द के द्वारा काव्य के कदा पक्ष का भी सौन्दर्यात्मक रूप मिल प्रतीत होता है।

काव्य 'वाङ्मय' का प्राण है। जिस प्रकार प्राण के बिना प्राणी अवयवों और रूपाकार के होते हुए भी निर्जीव और कान्ति हीन होता है, प्रकार काव्य से विरहित वाङ्मय सर्वथा निष्प्रभ और लावण्यहीन होगा। श्रीमद्भागवत में ब्रह्मा जी की वन्दना 'आदि कवि' के अभिधान से निम्नी साहित्य में 'कवि' शब्द प्रतिभाशाली, वर्णन-निपुण और रचनाकार के अर्थ मिलता है। संस्कृत के शास्त्रीय ग्रन्थों में उसका इसी अर्थ में प्रयोग पाया जाता है।

काव्य शब्द 'कवि' शब्द से ही व्युत्पन्न हुआ है। जैसा कि अमरशब्दों में 'ध्वन्या लोक' की 'लोचन' टीका में "कवनीय काव्यम्" लिखकर नाम की व्याख्या की है। विद्याकार ने अपनी एकावली टीका में—
'कवयति इति कवि तस्य कर्म काव्यम्' लिखकर काव्य की व्याख्या की है।

काव्य और साहित्य

वैसे तो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों में काव्य प्रयोग साहित्य के अर्थ में किया गया है। किन्तु दोनों शब्द भिन्नार्थक हैं साहित्य काव्य की अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थ-वाचक है। इसे हम 'वाङ्मय' का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। 'साहित्य' शब्द की सर्वप्रसिद्ध व्युत्पत्ति है "सहितयोः सन्दापने" अर्थात् शब्द और अर्थ के समन्वय-विधान को साहित्य कहते हैं।

साहित्य उग रचना को कहते हैं, जिसमें शब्द और अर्थ की परस्पर मेल-मनोहारिणी स्थिति रहती है। उपर्युक्त परिभाषा के भाव को हम समझने में सक्षम होंगे कि—'साहित्य' शब्द और अर्थ का समन्वय ही साहित्य की परिभाषा है। उपर्युक्त परिभाषा ने साह्य के कि साहित्य की परिभाषा

में शिल्प और व्यङ्ग्य है ।

काव्य गद्य का प्रयोग साहित्य की अन्तर्गत नहीं अर्थात् सीमित मरुचित साहित्य कहकर अर्थ में लिखता है । भारतीयों में काव्य या साहित्य के स्वभाव सम्बन्ध में लिखते विद्वानों की संख्या नहीं है । मरुक्त-साहित्यशास्त्रियों की परिभाषा पर यदि हम विचार करें तो स्पष्ट हो जावेगा कि उन्होंने काव्य पर दृष्टिसे ही विचार किया—एक काव्य के शरीर की दृष्टि में दूसरे काव्य आत्मा (भाव) की दृष्टि में । काव्य के शरीर में सम्बन्धित मन दो भागों विभक्त किए जा सकते हैं—एक शब्दानुसम्बन्धी और दूसरा शब्द और अनुसन्धित सम्बन्धी । शब्दानुसन्धित काव्य का कहना है—

‘ श्लोकात्मकम् शब्दसम्बन्धेन सम्बन्धम् ’

इस सीमा-सूत्र में शब्द और अर्थ का अस्वाभाविक सम्बन्ध सिद्ध होता है । अतएव काव्य की शब्दानुसन्धित रचना में उसकी अर्थानुसन्धिता स्वयं प्रकट हो जाती है । शब्दावधारित काव्य में शब्द और अर्थ को व्याप्यवृत्ति में सम्बन्धित मानते हैं ।

काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में प्राचीन साहित्यशास्त्रियों में बड़ा मतभेद था है । कुछ रस को कुछ अलंकार को कुछ औचित्य को कुछ रीति को कुछ वक्रोक्ति को और कुछ ध्वनि को काव्यात्मा मानते हैं । इस प्रकार काव्य के अर्थ को लेकर मरुक्त में विभिन्न सम्प्रदाय बन गये ।

१. रस सम्प्रदाय २ अलंकार सम्प्रदाय ३ ध्वनि सम्प्रदाय ४ रीति सम्प्रदाय ५ औचित्य सम्प्रदाय ६ वक्रोक्ति सम्प्रदाय ।

इन सम्प्रदायों का प्रभाव काव्य परिभाषाओं पर भी पड़ा । अतः संस्कृत साहित्यशास्त्रियों की विभिन्न काव्य परिभाषायें प्रस्तुत की जा रही हैं—

संस्कृत के विद्वानों द्वारा की गई काव्य की परिभाषाएँ

१ अग्नि पुराण—

मधोपाद् वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्नापदावली ।

काव्य स्फुरदलङ्कार गुणवद् दोरवज्रितम् ॥१॥

अर्थात् जिस रचना में अभिलषित अर्थ को व्यक्त करने वाले सक्षिप्त वाक्य

हो, पदावली उनसे युक्त हो, अलंकार स्पष्ट हो, गुण हो और दोष न हो काव्य कहते हैं ।

इस परिभाषा में काव्य के भावपक्ष एवं कलापक्ष स्पष्ट हैं, किन्तु स्पष्ट नहीं है ।

२ भामह—अलंकारवादी आचार्य भामह की परिभाषा इस प्रकार है—
'शब्दाथौ सहितौ काव्यम्' अर्थात् शब्द और अर्थ का साहचर्य काव्य है। यह परिभाषा व्याख्या की अपेक्षा करती है, अस्पष्ट एवं अपूर्ण मानी जाती है।

३ दण्डी—'शरीर तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली'

अर्थात् अभिलषित अर्थयुक्त पदावली को काव्यशरीर कहते हैं। इस परिभाषा में भी काव्य की आत्मा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। केवल शरीर ही तो सर्वस्व नहीं है ?

४. वामन—'रीतिरात्मा काव्यस्य'

अर्थात् रीति काव्य की आत्मा है। आलोचना की दृष्टि में रीति सम्बन्ध शैली तक से है और शैली काव्य की आत्मा नहीं है, अतः यह परिभाषा भी त्याज्य है ।

५ मम्मट—'तददोषी शब्दाथौ सगुणावनलकृती पुनः क्वापि ।'

अर्थात् मुख्य दोषरहित, सगुण शब्दार्थ काव्य है, यदि कहीं अलंकार हो, तब भी काव्यत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती। इस परिभाषा में 'रस' स्पष्ट नाम तो नहीं आया, किन्तु उक्त सभी तत्त्व गौण हैं, अतः रस की प्रधानता स्वतः सिद्ध हो जाती है ।

६ विश्वनाथ—'वाक्य रमात्मक काव्यम्' (सा० दर्पण)

अर्थात् रमात्मक वाक्य काव्य है। यह परिभाषा पूर्ण तो है, किन्तु 'रम' शब्द स्वव्याख्या की अपेक्षा रखता है ।

७ अयदेव—'निर्दोषा लक्षणवती मरोतिगुणभूयिता ।

सालंकार रमानेक वृत्ति वाक् काव्यनामभाक् ॥

अर्थात् काव्य वह रचना है, जिसमें दोष न हों, लक्षणों में पूर्ण हो, निर्दोष, अलंकार रम तथा अनेक वृत्तियाँ भी हों। इस परिभाषा में ब्रह्म

के भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों का समन्वय किया है, अतः यह परिभाषा ज्ञान के निकट है।

८. पंडितराज जगन्नाथ—'रमणीयार्थं प्रतिपादक. शब्दः काव्यम् ।'

(रस गगाधर)

अर्थात् रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं। यह परिभाषा एक सगत है, क्योंकि इसमें 'रमणीय' शब्द अनेक विशेषताओं में परिपूर्ण है।

९. आनन्दवद्वेन—'काव्यस्यात्मा ध्वनि ।' (ध्वन्यालोक)

अर्थात् 'ध्वनि' काव्य की आत्मा है। विचारणीय है कि क्या ध्वनिविहीन ना काव्य नहीं कहला सकता।

१०. कृन्तक—शब्दाधीन सहितो वक्र कवि व्यापार गालिनो ।

बन्धे ध्वनितो काव्य तद्विदाह्लादकारिणी ॥

अर्थात् वक्रकवि व्यापार युक्त शब्दाधीन काव्य है, जो बन्धनयुक्त हो। यहाँ 'वक्र कवि व्यापार' व्याख्या की अपेक्षा करता है, अतः यह परिभाषा भी स्पष्ट है।

संक्षेप में संस्कृत आचार्यों की परिभाषाओं में पण्डितराज जगन्नाथ की परिभाषा अधिक मान्य है।

उपर्युक्त परिभाषाओं का प्रभाव हिन्दी वाक्याचार्यों पर भी पड़ा है।

हिन्दी के प्राचीन आचार्यों द्वारा की गई परिभाषायें
परिभाषा

हिन्दी के प्राचीन आचार्यों ने काव्य की परिभाषा देने समय प्रायः संस्कृत आचार्यों की परिभाषाओं का छायानुवाद-साकर दिया है। मम्मट की परिभाषा की पुनरावृत्ति चिन्तामणि ने की है।

दो०— मग्न अलङ्कार मति दीर्घरहित जो होई ।

शब्द अर्थ बारी बरिन है विबुध बहल सब बोई ॥

गीतगोविन्द के प्रसिद्ध आचार्यों की काव्य परिभाषा इस प्रकार है।

अग ने अद्भुत मुग्न मदन, शब्द अर्थ बरिन ।

यह लच्छन मन बिया समस्त संय बहुरिन । —बृहस्पति मिथ

सवद जीव तिहि अरथ मन रसमय मुजस सरीर ।
 चलत वहै जुग छन्द गति अलकार गम्भीर ॥ —ने
 शब्द अर्थ बिन दोष गुन, अलकार रस वान ।
 ताको काव्य बखानिए धीपति परम सुजान ॥ —धीर्पति

इस प्रकार रीतिकालीन विद्वानों ने शब्द और अर्थ पर अधिक बल प्रश करने के साथ-साथ रस-अलकार तथा गति को भी ध्यान में रखा है।

आधुनिक विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाएँ

आधुनिक युग के हिन्दी विद्वानों द्वारा दी गई काव्य-परिभाषाओं में अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में पाई जाने वाली परिभाषाओं की छाया दिख पड़ती है। आधुनिक आचार्यों में महावीरप्रसाद द्विवेदी अग्रगण्य हैं। उन्होंने 'काव्य और कविता' शीर्षक में लिखा है—

'जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं, तब वही कविता कह लाने लगते हैं, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक।'

महावीरप्रसाद द्विवेदी की इस परिभाषा में कुछ शब्द मिल्टन की काव्य परिभाषा से लिए जान पड़ते हैं।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'कविता क्या है' शीर्षक में इस प्रकार लिखा है—'जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति को साक्षात् के लिए वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।

इस प्रकार शुक्ल जी ने रसतत्त्व को प्रमुखता प्रदान की है।

जयशंकरप्रसाद काव्य को आत्मा की मूल 'सकल्पात्मक अनुभूति' मानते हैं। उन्होंने कहा—

'आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो धर्म सत्य को जहाँ मूल चारुत्व में ग्रहण कर लेती है, काव्य में मूल सकल्पात्मक अनुभूति कह जायेगी, कदाचित् प्रसाद और भवभूति दोनों ही 'बृहदारण्यकोपनिषद्' से प्रभावित न रहे हों, पर उपनिषदों के प्रकाण्ड तो थे ही।

महादेवी वर्मा ने एक स्थल पर लिखा है—'कविता कवि विशेष की मन

काव्य का विषय है और वह विषय इतना ठीक है कि उमने बंसी हो भाव-
 न्तों किनी हुनरे क हुनर न आविर्भूत होनी है ।' इसमें मायास्वीकरण की
 शक्ति का लक्ष्य बताया गया है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी विद्वानों में प्रचलित रूप में दो वर्ग दिखाई
 देते हैं—एक तो वह जिस पर पाश्चात्य काव्य स्वल्प-निस्पृह का प्रत्यक्ष
 प्रभाव दिखाई पड़ता है दूसरे वह जो भारतीय काव्य सम्बन्धी मन का अनु-
 भावी है । प्रथम वर्ग के प्रतिनिधि महावीरप्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं तथा
 प्रसाद और मुकुन्द द्विवेदीय वर्ग के प्रतिनिधि माने जाते हैं । अब काव्य के
 साम्प्रतिक स्वरूप की समझने के लिये हमें भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य-तत्त्वों
 का अध्ययन करना चाहिए ।

इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन कर हम निम्नलिखित निष्कर्षों
 पर पहुँचते हैं—१-हिन्दी शैतिलीय आचार्यों ने समकाल आचार्यों की उक्तियों
 का निष्पन्न निष्कर्षण किया है । उनके मौलिक चिन्तनों का स्फुलित वही
 नहीं दिखाई पड़ता ।

२-आधुनिक विद्वानों ने यद्यपि अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों के विचारों
 को प्रतिध्वनित करने का प्रयास किया है, परन्तु फिर भी मौलिक चिन्तन का
 उन्मेष दिखाई पड़ता है ।

पाश्चात्य विद्वानों की काव्य सम्बन्धी परिभाषाएँ

पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है । वे अन्य
 कलाओं के सदृश कविता को भी अनुवृत्ति मानते हैं । एरिस्टाटिल ने उसे
 छन्दोबद्ध अनुकृति बहकर परिभाषाबद्ध किया है । होरेस ने 'आर्ट आफ पोएट्री'
 नामक रचना में कवि-तम को चित्रकार के कार्य सदृश कहा । शेक्सपीयर ने
 कविता को कल्पना की दुहिता ध्वजित कहा है । बहू सर्वय न काव्य में कल्पना
 के स्थान पर 'भावना' को महत्व दिया है ।

"Poetry is the spontaneous overflow of powerful feel-
 ings. It takes its origin from emotion recollected in tranqui-
 lity."

और आत्म्य का सिद्धांत दिया है।

“It is not so much coloured by feelings”

है कि न कल्पना की भाषा बना है।

साक्षात् विद्वानों के सर्वोत्कृष्ट मतों का यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे कि उनमें कई सम्बन्ध हैं। मध्य में उन्हें हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं —

(कल्पनावादी) — १-वाक्य में कल्पना की प्रधानता-कल्पनावादी।

(भाववादी) — २-वाक्य में भाव गग और मौन्द्य-भाववादी।

(मन्यवादी) — ३-वाक्य में मन्य और जीवन व्याख्या-मन्यवादी।

(कलावादी) — ४-वाक्य में कला एवं चित्रशिल्पियों गति-कलावादी।

इन वर्गों में भी हमें दो प्रकार के वर्ग दिखाई पड़ते हैं—एक तो वे जो कविता को जीवन में प्रलग करके देखना चाहते हैं दूसरे वे जो कविता को जीवन को ही अभिव्यक्ति या आलोचना मानते हैं। प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ग तो कलावादी वर्ग के अन्तर्गत रखे जाते हैं और तृतीय वर्ग जीवन में सम्बद्ध वर्ग माना जाता है।

मध्य में साक्षात् विद्वानों में से किसी ने कल्पना तत्त्व को महत्व दिया है, किसी ने भावतत्त्व को किसी ने बुद्धितत्त्व को और किसी ने शैलीतत्त्व को। साम्प्रदाय में मुन्दर वाक्य बही होगा जिसमें चारों का मुन्दर सामञ्जस्य विधान होगा।

इस प्रकार वाक्य सम्बन्धी परिभाषाओं पर विचार करने में पता चलता है कि दोनों प्रकार के विद्वानों के मतों में बिलनी विभिन्नता है। साक्षात् विद्वानों ने कला को प्रमुखता प्रदान की है। भारतीय विद्वानों ने उसके सम्भीर रूप को वरीयता प्रदान की है। अन्त में हम ‘गुलाबगय’ की समन्वित परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं —

समन्वित परिभाषा

वाक्य साहित्य का समानार्थी है। साहित्य जीवन और जगत के गत्यात्मक मौन्द्य की वह भावमयी क्षाकी है, जिसके सहारे नित्य नवीन आनन्द और

कव्याण का विधान होता है। वाचन में गार्ह्य भी जान के मदन एकत्रा
 गता है, त्रिगुणी अभिधाति मगदी में हो पाती है; इन्ही गता से त्रिगु
 अभिधान दे दिने गवे है, त्रिं कभी काव्य तथा कभी शास्त्र के नाम में दर्ज
 पाती है।

काव्य-परिभाषाओं का विश्लेषणात्मक वर्णन

परिभाषाएँ	शूल माध्यम	आधारभूत तत्व	संज्ञ
१. शब्द और अर्थ मिलकर काव्य होता है। (नामद)	शब्द और अर्थ	+	+
२. द्रष्ट अर्थ में विभूषित पद समूह ही काव्य शरीर है। (इण्डा)	पद समूह	द्रष्ट अर्थ	+
३. काव्य शब्द गुण तथा अलंकार से संस्कृत शब्द तथा अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होता है। (वामन)	शब्द और अर्थ	गुण तथा अलंकार	+
४. गुण और अलंकारों में युक्त वाक्य ही काव्य है। (राजशेखर)	वाक्य	गुण तथा अलंकार	+
५. शब्द और अर्थ का मनोहर विन्यास साहित्य है जिसमें शब्द और अर्थ परस्पर इतने सतुलित हो कि न तो कोई न्यून हो और न कोई अधिक।	शब्द और अर्थ	मनोहर	+
६. वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से मण्डित हो, भले ही कहीं अलंकार से शून्य हो, काव्य है। (मम्मट)	शब्द और अर्थ	दोष रहित गुण मण्डित	+

काव्य-परिभाषाओं का विश्लेषणात्मक परिचय

परिभाषाएँ	स्थूल माध्यम	आधारभूत माध्यम तत्व	लक्ष्य
'भाषा के माध्यम से होने वाली अनुकृति काव्य है ।' (अरस्तू)	भाषा	अनुकृति	+
काव्य वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा देना और आनन्द देना है । (सिडनी)	+	अनुकरणात्मक	शिक्षा आनन्द
काव्य भावात्मक एवं विस्तृत भाषण के द्वारा प्रकृति की अनुकृति है । जे० डेनिम	भाषण	भावात्मक अनुकृति	+
काव्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है जिसका तात्कालिक लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना न होकर प्रसन्नता प्रदान करना है । (बालरिज)	रचना	+	प्रसन्नता प्रदान करना
१. काव्य कल्पना और भावों की भाषा है । हेंबलिट	भाषा	कल्पना और भाव	+
२. काव्य सर्वाधिक सुगी एवं श्रेष्ठतम् हृदयों के श्रेष्ठतम् क्षणों का लेख-बोला है । (दोली)	लेखा-बोला	सुगीहृदय	+

८ नावों की व्यवस्थित अभिव्यक्ति के रूप में ।

९ नावाभिव्यक्ति में चमत्कार की योजना के रूप में ।

नावों की आधारभूमि के रूप में

भावनाओं का उदय और विकसित विचारों के आधार पर ही होता है । संवेदन में विविधरूपियों वृत्तिक परिस्थितियाँ आती हैं । ये परिस्थितियाँ विविध प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं और धीरे-धीरे विचारों का रूप धारण कर लेती हैं । मनुष्य की परवर्ती अनुभूतियाँ और भाव-धाराएँ इन्हीं विचार-रूप प्रतिक्रियाओं पर अवलम्बित रहती हैं । कवि अपने काव्य का मूलतः भी इन्हीं विचार या वृद्धि प्रेरित भावानुभूतियों के महारों करके है । अतः विचार नावों की आधारभूमि बहूँ जा सकते हैं । प्रोचें आदि कई विद्वानों ने कहा कि कवि कलाकार होता है । वह कल्पना को प्रमुख स्थान देता है । वास्तव में विचारात्मक निर्णय के पश्चात् उनके अनुरूप ही भावना का उदय होता है । विचार, भावना के मिश्रण से काव्योचिन्तन रूप धारण कर मरस हो जाते हैं, साथ ही भावना को मयत और प्रमद रूप प्रदान करते हैं ।

नावों को स्पष्टतर करने के लिए

काव्य-क्षेत्र में वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भावना को एक निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान करना है । कवियों में एक विशेष प्रकार की बौद्धिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम में वे अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं । विचार शक्ति के महारों उच्चकोटि के कवियों की अभिव्यक्ति इतनी प्रभावाभिव्यक्त हो जाती है कि सहृदय पाठक उनकी अनुभूतियों का स्पष्ट चित्र-मा अनुभव करने लगते हैं । कवि की अभिव्यक्ति को सौन्दर्यशाली और प्रभावात्मक रूप विचार-शक्ति देती है

लेखक के दृष्टिकोण के स्वरूप-निर्माण के रूप में

प्रत्येक लेखक अपना एक विशेष दृष्टिकोण रखता है । उसकी प्रत्येक रचना में दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया अवश्य मिलती है । वह अपने दृष्टिकोण को विचारात्मक रचि के अनुसार ही स्थिर करता है । उदाहरणार्थ प्रसाद-काव्य में उनका आदर्शवादी दृष्टिकोण व्यक्त होता है, अतः मन अमत् काव्यो

८ भाषा की उत्कर्षण अभिव्यक्ति के रूप में ।

९ भाषाभिव्यक्ति में चमत्कार की शक्ति के रूप में ।

भावों की आध्यात्मिक रूप में

भावना का उत्तर और विकास विचारों के आधार पर ही होता है । जीवन में विविधस्थितियों अतिउत्परिस्थितियों आती हैं । ये परिस्थितियाँ विविध प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करती हैं और धीरे-धीरे विचारों का रूप धारण कर लेती हैं । मनुष्य की पशुता अनुभूतियों और भाव-प्रवृत्तियों द्वारा विचार-मूलक प्रतिक्रियाओं पर अवलम्बित रहती है । कवि अपने काव्य का मूलन भी इन विचारों से बृद्धि प्रेरित भावानुभूतियों के महार करती है । अतः विचार भावों की आध्यात्मिक रूढ़ि जा सकते हैं । कवी आदि कई विद्वानों ने कहा कि कवि कलाकार होता है । वह कल्पना को प्रमुख स्थान देता है । वास्तव में विचार-मूलक निष्पन्न के पश्चात् उनके अनुरूप ही भावना का उदय होता है । विचार, भावना के मिश्रण में वाच्योक्ति रूप धारण कर गरम हो जाते हैं, जो ही भावना को मूल्य और क्रमबद्ध रूप प्रदान करते हैं ।

भावों को स्पष्टतर करने के लिए

काव्य-क्षेत्र में बृद्धि का द्रुमग महत्वपूर्ण काव्य भावना को एक निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान करना है । कवियों में एक विशेष प्रकार की बौद्धिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम में वे अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं । विचार शक्ति के महारे उच्चकोटि के कवियों की अभिव्यक्ति इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि महदय पाठक उनकी अनुभूतियों का स्पष्ट चित्र-सा अनुभव करने लगते हैं । कवि की अभिव्यक्ति को सौन्दर्यशाली और प्रभावशाली रूप विचार-शक्ति देती है

लेखक के दृष्टिकोण के स्वरूप-निर्माण के रूप में

प्रत्येक लेखक अपना एक विशेष दृष्टिकोण रखता है । उसकी प्रत्येक रचना में दृष्टिकोण की प्रतिच्छाया अवश्य मिलती है । वह अपने दृष्टिकोण को विचारात्मक रचि के अनुसार ही स्थिर करता है । उदाहरणार्थ प्रमाद-काव्य में उनका आदर्शवादी दृष्टिकोण व्यक्त होता है, अतः सत असत् काव्यो

अधित हैं ।

परिभाषा

भाव के स्वरूप को स्पष्ट कर उसे परिभाषाबद्ध करने का प्रयास अनेक भाषाकारों ने किया । भावों का उदय अनुभूति से होता है । रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है—

“नाना विषयो के बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्बन्ध रखने वाली चिन्ता की अनेक रूपता के अनुगार अनुभूति के जो भिन्न-भिन्न योग मगठित होते हैं, वे भाव या मनोविकार कहलाते हैं ।”

बाबू गुलाबराय—“साहित्य के ‘भाव’ मनोविज्ञान के भावों से भिन्न होते हैं । भाव मन के उस विकार को कहते हैं, जिसमें सुख-दुःखात्मक अनुभव के साथ कुछ क्रियात्मक प्रवृत्ति भी रही है ।” मनोविकारों के शारीरिक, मानसिक तथा शारीरिक किन्हीं भी क्रिया द्वारा प्रकट हो जाने पर ही भाव की मज्ञा दी जाती है ।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है—भाव हमारे हृदय के वे उद्बुद्ध मनोविकार होते हैं, जो जीवन और जगत के सम्पर्क में उत्पन्न होकर हमारे हृदय में प्रमुप्तावस्था में घनीभूत होते रहते हैं ।

भाव के पक्ष एवं भेद

पक्ष—भावना का सम्बन्ध मन से होता है, मन अन्तरात्मा की कार्यकारिणी शक्ति है । इसी शक्ति के द्वारा परिचालित मनोविकार भावरूप में परिणित होते हैं । प्रधान रूप से भाव के सुख और दुःख, दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं । इन दोनों के मध्य ममभावों का परिचालन होता है ।

भेद—भावों का सम्बन्ध मन की इच्छाओं से होता है । इच्छाएँ जनन्त होती हैं, इन्हीं के अनुसार भाव भी जनन्त होते हैं । स्थूल रूप में भावों के तीन मुख्य भाग किये जा सकते हैं—

- १ इन्द्रियजनित भाव
- २ प्रज्ञात्मक भाव
- ३ गुणात्मक भाव

इन्द्रियजनित भाव—इन्द्रियजनित भावों का सम्बन्ध स्थूल शरीर होता है। शरीर के माध्यम से ही अन्तरात्मा सर्वप्रथम अपनी क्रिया प्रारम्भ करती है। वाह्य पदार्थों की अनुभूति भी मबसे पहले इन्द्रियो द्वारा होती है। इन अनुभूतियों से उत्पन्न भावों को ही इन्द्रियजनित भाव कहते हैं। इन भावों को ही 'सामान्य-भाव' भी कहते हैं।

प्रज्ञात्मक भाव—प्रज्ञात्मक भाव वे हैं, जो मन की अनुभव प्राप्त करने वाली शक्ति से सम्बन्ध रखते हैं। इन्द्रियजनित भाव मनः व्यापार-शक्ति का प्रथम क्रिया का सद्य प्राप्त प्रतिफल है, किन्तु प्रज्ञात्मक भाव उस क्रिया की प्रतिक्रिया में पुष्ट ज्ञान का परिणाम है। दोनों प्रकार के भावों में यही अन्तर है। इन्द्रियजनित-भाव सीधे इन्द्रिय ज्ञान से प्राप्त होते हैं और प्रज्ञात्मक भाव भूत, भविष्य और वर्तमान के अनुभवों द्वारा उन इन्द्रियजनित भावों को पुष्टतर करते हैं। प्रज्ञात्मक भावों का सम्बन्ध भूत, भविष्य, वर्तमान के अधिक है। भविष्य को सोचकर चिन्ता का, भूत को सोचकर विपाद का भाव उत्पन्न होता है। साधारणतया काव्य में यही भाव संचारी भाव कहलाते हैं और कभी-कभी स्थायीभाव का भी रूप धारण कर लेते हैं।

गुणात्मक भाव—तीसरे प्रकार के भाव गुणात्मक भाव कहलाते हैं। इन भावों का सम्बन्ध मनोमुग्धकारी सौन्दर्य-बोध से होता है। किसी वस्तु के गुणों की व्यक्ति के विषय में जानने की प्रवृत्ति मन में होती है। इस इच्छा को पूर्ण करने वाली वृत्ति 'प्रज्ञात्मक भाव' कहलाती है, किन्तु जब हम किसी सुन्दर वस्तु या गुणवान व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके प्रति मन में एक आदर्श की भावना उदित होती है। हम उसकी प्राप्ति करने या उसके अनुकूल होने की इच्छा करते हैं। इस भाव को 'सौन्दर्य-विवेकी-भाव' कहते हैं, जिसका गुणात्मक भावों से धनिष्ठ सम्बन्ध है। इन भावों को उद्दीप्त भावों की भी श्रेणी में माना जाता है।

भावानुभूति और रस

काव्य का लक्ष्य 'रस परिपाक' होना होता है। 'रस परिपाक' में भावों का स्थान रखते हैं। भरत मुनि ने लिखा है—

'न भावहीनोऽर्थिन रमो न भावो रम वक्ति' अर्थात् भावहीन रम नहीं होता रमहीन भाव नहीं होता । रम की निगमन भावा के विविध स्वस्वता के अभिप्रेत से होती है । "विभावानुभावव्यभिचारिसंज्ञासामानिगमन ।" इन मुनि के इस सूत्र में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि शब्द भाव ही विविध समान्य है । भाव ही रम न टूट जाकर विभाव अनुभाव आदि रूप प्राण्य रहते हैं । इन्हीं के जीवन सम्मिश्रण से वाच्य से हृदय-सम्बन्धी भाव विवाम होता है । आत्मावकाश हृदय सम्बन्ध और सामान्यीकरण की हीरका भी माना है । इस प्रकार भाव और रम परस्पर सम्बन्धित शब्द है । अन्वय या रम हृदयगत या भावगत या मूल है । जिस वाच्य से यह मूल समान रहता है, वही श्रेष्ठ वाच्य होता है । जब हृदयगत या भावगत की धारणा शक्ति से जाती है ।

शुक्ल आते हैं ।

सामञ्जस्यवादी वर्ग

‘श्रोत्रे’ सामञ्जस्यवादी था । उसने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से साहित्य की विवेचना की । उसका मत था कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से कवि है और कवि होने के बाद दार्शनिक होता है । कल्पना मन के सहज-स्वाभाविक ज्ञान प्रक्रिया है । इसी के सहारे अभिव्यंजना के साधने में ढलकर साहित्य और कवि में मूर्तियाँ निर्मित होती है ।

कल्पना के सम्बन्ध में सर्वमान्य मत

१. सभी विद्वानों ने ‘मूर्त्त-विधान’ करना कल्पना का आवश्यक व्यापक माना है । किन्तु यह मूर्त्त-विधान व्यावहारिक और साहित्यिक दो प्रकार हो सकता है । कल्पना को शुद्ध साहित्यिक स्वरूप तथा उसको संकल्पित मानने वाले विद्वान् आदर्शवादी कहे जा सकते हैं तथा कल्पना के व्यावहारिक पक्ष पर विश्वास करने वाले यथार्थवादी कहे जा सकते हैं ।

२. सभी विद्वानों ने कल्पना को ग्राहक और विधायक दोनों माना है ।

साधारणतया किसी कवि की कल्पना-शक्ति का विवेचन करते समय ही कल्पना-शक्ति के निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक पक्षों का विश्लेषण करना चाहिए

१. कल्पना व्यापार के विधि स्तरो की व्यवस्था ।

२ स्मरण-शक्ति

३ कवि की सम्बन्ध भावना

४ कल्पना में भावों की प्रक्रिया

५ अन्त में उस कवि की कल्पना के महत्व पर प्रकाश डालने की क्षमता

कल्पना तत्त्व और रस तत्त्व

कल्पना का इतना विवेचन करने के पश्चात् हम रस तत्त्व से उसका सम्बन्ध है, उस पर विचार करना आवश्यक मानते हैं । भाव, रस के बिना रस रह सकता और रस भाव के बिना नहीं स्थिर रह सकता । रस मूल का स्वरूप-निरूपण करते हुए रस के अंग के रूप में विविध प्रकार से

व ही लाए गये हैं। 'प्रतिभा' इन भावों को उत्पन्न करती है। ये भाव ही 'वृत्ति' को परिचालित कर रूप वियाज करते हैं। अतएव इन रूप विधानों में रम-
पता और रमात्मकता का होना अनिवार्य होना है। मन्त्र तो यह है कि
रसा-विधि-विनिर्मित कोई भी विषय नीरस नहीं हो सकता। कुछ पाश्चात्य
विद्वानों ने तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए 'कल्पना ही' अन्ततः तक यह
कहा है। इसमें स्पष्ट है कि पाश्चात्य 'कल्पना' तत्त्व का हमारे रम तत्त्व में
कोई विरोध नहीं है। मन्त्री-कल्पना को पहचान यही है कि उसमें रमात्मकता
की पूरी प्रतिष्ठा हो। रमात्मकता के अभाव में कल्पना न कहलाकर बुद्धि का
साममसाय कहीं आएगी। मन्त्री कल्पना का वास्तव में रम में कोई विरोध
ही हो सकता।

दोरी तत्व

काव्य का ही ही-काव्य मनोगत भावों को भूत रूप प्रदान करने वाला मन्त्र
रहा है। 'दोरी' काव्य के प्राण रूप को अस्तित्व करने के अतिरिक्त उसमें
रसगत-रूप को भी प्रकृतित करती है। भावों के योग्य उत्सादन के रूप में
ह रम संचार करने में भी सहायक है। भाव मौन्द्य की साधकता हीनमन
मौन्द्य पर ही निर्भर है। गुन्दर दोरी के अभाव में भावों का मन्त्र मौन्द्य
में विरुद्ध हो जाता है। प्रथम लेखक की मूढ़ भावनाओं और व्यक्तित्व के
सुन्दर हीन अथवा विविध महत्त्व रखती है। मूढ़ रूप में दोरी के दो तत्व
हैं। एक व्यक्तित्व मन्त्र और दूसरा वास्तु तत्व या मन्त्र प्राणमन्त्र और
मन्त्र वाद्य। पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों द्वारा विद्यमान विविध विचारों का
सम्पूर्ण अध्ययन करने के लिये दोरी के निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन आवश्यक है—

दोरी के पक्ष

मन्त्रमन्त्र' न ही ही का मन्त्र

मन्त्रमन्त्र' न ही ही का मन्त्र

मन्त्रमन्त्र' न ही ही का मन्त्र



दोरी पक्ष (मन्त्र)

मन्त्रमन्त्र' न ही ही का मन्त्र

शैली का व्यापक-गुण

भारतीय समीक्षा में शैली का सम्बन्ध केवल भाषा में ही नहीं, बल्कि शब्दों में भी है। शब्दों-गुण-योग मन्द और अर्थ शोभा के ही माने गये हैं। शब्दों के प्रयोग में भी मन्द और अर्थ शोभा का ही महत्त्व दिया गया है। शैली का गुण अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है। एकता के बिना अर्थ विरोध, अर्थमय और अर्थमय का ही मन्त्र धारण कर लेता है, और बिना अर्थ के एकता एक और शब्द है। अनेकता के द्वारा एकता में सम्बद्धता और एकता के गुण शोभा होने हैं और एकता में अनेकता द्वारा मन्दप्रता प्रकृति होती है। गुणमय-मन्दप्रता अर्थात् शब्दों में एकता ही व्यक्तता, शैली का गुण है, लेकिन वह ही प्रमादयुक्त।

भारतीय दृष्टिकोण

भारतीय आचार्यों ने काव्य के ६ प्रमुख तत्त्वों को माना है, जो प्रकार हैं—

- १ शब्दार्थ-तत्त्व—शब्द तथा अर्थ का ठीक-ठीक प्रयोग।
- २ ध्वनि-तत्त्व—काव्य की आत्मा।
- ३ अलंकार-तत्त्व—शोभावृद्धि हेतु प्रचीन तत्त्व।
- ४ रीति-तत्त्व—रंग या विधि का योग।
- ५ गुण-तत्त्व—उत्पन्न आनन्द या कष्ट।
- ६ छन्द-तत्त्व—संगीत तथा काव्य सम्बन्ध।

शब्दार्थ तत्त्व

साहित्य साधना का मूलाधार काव्य साधना है। जिस प्रकार सर्वोत्तम सैनिक के लिए सर्वोत्तम अश्व चाहिए, उसी प्रकार सर्वोत्तम विचार के लिए सर्वोत्तम शब्द भी चाहिए। शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ ही साविक शब्द होना चाहिए। पाठक पर रचना के शब्दों, अर्थों और अर्थों के प्रकारों का प्रभाव पड़ना है। शब्दों का भण्डार तब तक नहीं रखता, जब तक वे शब्द जिस भाव के लिए चाहिये, उचित प्रयुक्त नहीं हो। परन्तु एव अममर्थ शब्दों का प्रयोग न विषय को स्पष्ट करने की क्षम

ता है, न वाणी का भूषण ही बनता है। जहाँ जिस शब्द की अपेक्षा हो, उन्ही शब्द का प्रयोग वाञ्छनीय है। कुशल कलाकार शब्दों की आत्मा परिचित होता है। शब्द में महती शक्ति होती है, पर उसका प्रस्फुटन सम्पूर्ण योग पर होना चाहिए। कुछ कवियों की रचनाओं में काव्य-गला, नृत्य करती चन्दनी है, उसके प्रवाह, वेग एवं फ्रीडन एवं अद्भुत मगीत की मृष्टि एडी देते हैं। सामान्य में सामान्य शिखर भी शब्दों की कमावट में बंधकर लोको-पर बन जाता है। धूलि पर रेखाओं द्वारा चित्र खींचना मानो धूलि को भी शक्ति प्रदान करता है।

शब्दों में निहित अर्थ भी कलाकार का सकेत पाकर कभी समझ के 'धुआँ-मार' की भाँति गीर करते हुये चलते हैं, यही श्वेत श्यामल गैलों के बीच में उड़कर गम्भीर एवं प्रशान्त रूप धारण कर लेते हैं और वहीं टपकर माग्नी हुई लहरों की भाँति बर्ताव करने लगते हैं।

साहित्य में शब्द और अर्थ जैसे ही जोन-प्रोन दीगने हैं जैसे मृष्टि में ब्रह्म और माया। निरर्थक शब्दों में साहित्य का कोई प्रयोजन नहीं और शब्दों के बिना सामान्य-व्यवहार एवं साहित्य-सर्जन में अर्थ की सम्भावना ही नहीं की जा सकती।

साहित्य में काव्य की नत्ता इन्ही शब्दार्थ पर अवलम्बित है। अतः प्राचीन साचार्यों ने काव्य के जितने तत्त्व बतलाए हैं, वे सभी शब्दार्थ के ही पोषक हैं।

ध्वनि तत्व

रम यदि काव्य की आत्मा है, तो ध्वनि काव्य शरीर को बल देने वाली शक्ति आवश्यक है। 'ध्वनि' शब्द का अर्थ है 'जनुग्णन' या घण्टे की भी टन' के बाद देर तक टोने वाली शक्ति। यह एक प्रकार में अर्थ का भी अर्थ है। तभी तो हमको शरीर-भाष में कुछ अधिक प्रधानता मिली है। आनन्द-ध्वनि के शब्दों में—

“जहाँ शब्द तथा अर्थ अपने अर्थों का उद्गम कर देते हैं और ध्वन्याप की प्रकट करते हैं, वह ध्वनि ही ध्वनि है।” अर्थात् अर्थ या शब्द अपने निजी अर्थों को छोड़कर जिस विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे विद्वान् लोग ध्वनि

स्वनि कहते हैं ।

विश्व प्रकाश वाचक शक्ति को काव्य की शक्ति कहते हैं, कृतांत स्व
को काव्य का जीवन कहते हैं । विश्व प्रकाश वाचकस्वयं भी 'स्वनि' शक्ति
को वाचक स्वयं ही मानकर मानते हैं ।

स्वनि-वाचक में वाचक स्वयं ही है, विश्व प्रकाश, सुकला, कविता
इत्यादि भी स्वयं है । वेद-स्वयंवाचक में मूल शक्ति स्वयं ही है, स्वयं ही
को वाचक के वाचक-स्वयं ही मानकर मानते हैं, वाचक स्वयं ही कविता
क-स्वयं स्वयं कहते हैं । विश्व प्रकाश स्वयं ही वाचक के वाचक
स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही
स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही
स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही
स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही वाचक-स्वयं ही

असंकार तत्त्व

असंकार-वाचक का ह्यार नहीं काव्यशास्त्र भी कहा गया है । असं
काव्य-मौन्द्यं क विभाषक है । इनकी मन्वा भी अस्वयं है । यंत्र काव्य
विश्व जनक है अस्वयं के प्रकाश अस्वयं है, स्वयं के स्वयं स्वयं है
ही असंकार भी स्वयं है ।

असंकार शक्ति की उन्मुखता में भी सहायक होती है । अस्वयंवाचक
अस्वयंवाचक की मृष्टि भी वाचक है । अस्वयंवाचक काव्य के उन स्वयं
कहते हैं, जो उगकी शक्ति बढ़ाने है, वे न केवल उनके अस्वयंवाचक की शक्ति
है । अस्वयंवाचक अस्वयं-मौन्द्यं को भी बढ़ाने है । अस्वयंवाचक इनके दो शक्ति
गये हैं । (१) अस्वयंवाचक (२) अस्वयंवाचक । असंकारों का वाचक प्रयोग
होता है, पर भावावेग के कारण जहाँ असंकार स्वयं मन्वा लग जाते हैं, स्वयं
काव्य का मौन्द्यं अस्वयंवाचक ही उठता है ।

रीति तत्त्व

रीति पदों के सम्यक् गगलन को कहते हैं । कोमल काल पदावली
प्रयोग का विधान आदि व्यवहार इसी को सूचित करते हैं । इसके अन्वय

न् काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती । पादचात्य कवियों ने भी इसका हन्व स्वीकार किया है । मुख्य रीतियाँ तीन हैं । गौडी वैदर्भी एवं पाञ्चाली ।

गुण तत्व

रम के उत्कर्ष-हेतु-म्हायी-धर्मों को गुण कहा गया है । गुणों का अस्तित्व दोषों के बिना नहीं है । जिस प्रकार दोषों का न होना मात्र सौन्दर्य नहीं है, उसी प्रकार दोषाभाव मात्र गुण नहीं है । बहुत सी पुस्तकों में पहले दोषों का वर्णन हुआ फिर गुणों का । वाग्भट्ट ने तो स्पष्ट कह दिया है कि दोषों के न रहने पर भी गुणों के बिना शब्द और अर्थ शोभा नहीं उत्पन्न कर पाते ।

गुणों का सम्बन्ध रम एवं रीति दोनों में है । यह रसानुकूल आवेग या भाव्युत्पन्न कर काव्य को प्रभावशाली बनाता है । वैसे तो अनेक विद्वानों ने गुणों की श्रेणियों को अनेक प्रकार में वर्णित किया है, परन्तु मुख्य रूप से गुण तीन माने गये हैं-१ माधुर्य २ ओज, ३ प्रसाद । इन तीनों का सम्बन्ध चित्त की तीन वृत्तियों में है ।

१ 'माधुर्य' की द्रुति द्रवणशीलता या पिघलने से है ।

२ ओज की दीप्ति में अर्थात् उत्तेजना से है ।

३-प्रसाद का विकास चित्त को प्रसन्न कर देने से है ।

प्रसाद का अर्थ है 'प्रमत्तता' । प्रसाद तो सभी रचनाओं के लिए आवश्यक गुण है ।

छन्द तत्व

छन्द काव्य का शरीर एवं परिधान रूप होता है । इसके अभाव में काव्य का बाह्य रूप ही बिखर जायेगा । छन्द का अनिवार्य तत्व है 'लय' तथा गौण तत्व है 'अनुप्रास' । छन्द का सम्बन्ध न केवल काव्य के बाह्य-रूप से है, अपितु उसकी आत्मा से है । क्योंकि वह आह्लादन का कार्य भी करता है और काव्य को एक विशिष्ट गरिमा प्रदान करता है । साधारणतया काव्य में तीन प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया जाता है ।

१-वर्णिक-छन्द—जो वर्ण सख्या पर आधारित है ।

२-मात्रिक छन्द—जो मात्रा-गणना पर आधारित है ।

३-सूक्त छन्द - सा साङ्गिक उपाय पर आधरित है।

भाष्य में बताया है जो वाक्यांशों के माँस में, जो उन्नीसवा
का है। छन्द में साङ्गिक का अर्थ है कि जो छन्द के माँस में
भाष्य की भाषा-सूक्त उपाय पर साङ्गिक अर्थ में साङ्गिक उपाय पर
है। यन्त्रों को ध्यान देना ही यन्त्रों के अर्थ में साङ्गिक
यन्त्रों का अर्थ है। उपाय सूक्त में भी अर्थ में साङ्गिक
मिथ्या है।

समन्वित निष्कर्ष

युक्तशास्त्रक दृष्टि में साङ्गिक उपाय पर साङ्गिक अर्थ में
साङ्गिक अर्थों के साङ्गिक-निष्कर्ष में कोई मौखिक अर्थ नहीं
धर्म-यन्त्र में भाष्य पर दृष्टि पर साङ्गिक अर्थों में ही साङ्गिक
हमारे साध्यशास्त्र में जो अर्थों पर साङ्गिक अर्थ में साङ्गिक
साङ्गिक में अर्थों पर साङ्गिक अर्थ में साङ्गिक अर्थों में ही
में है। इसी तरह गीताशास्त्र, गुण शास्त्र पर साङ्गिक अर्थों में
साङ्गिक के अर्थों में जाना है।

साहित्य, काव्य एवं कल्पना

साहित्य

साङ्गिक या वैज्ञानिक-पद्धति में निम्ने गये ग्रन्थों में किसी शब्द का
स्पष्ट एवं निश्चित करने के लिए जिम शब्दावली का निर्धारण होता है
परिभाषा कहा जाता है। परम्परागत काव्यशास्त्र में काव्य या साहित्य
शताधिक परिभाषाएँ मिलती हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक का चयन
बहुत कठिन है। जब हम परिभाषाओं के अध्ययन के पूर्व 'साहित्य' शब्द
व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे।

'साहित्य' शब्द की व्युत्पत्ति 'सहित' में मानी गई है। सहित का अर्थ
है—साथ, साथ, युक्त आदि। सहित का भाववाचक रूप ही 'साहित्य' है।
व्युत्पत्ति की दृष्टि में 'साहित्य' शब्द का अर्थ 'साहचर्य' है किन्तु यह
एवं अपूर्ण है। क्योंकि साहचर्य किसका साहचर्य? आचार्यों ने इस

रहित है—एक और अर्थ का माह्वयं । पर यह अर्थ मध्य 'साहित्य' शब्द दुर्लभ होने का । 'साहित्य' में केवल माह्वयं का भाव है किन्तु यह अर्थ मध्य और अर्थ का ही है, ऐसा किम आशय पर स्वीकार हो ।

उत्पन्न शब्द के मन्त्रान के लिए हमें 'साहित्य' शब्द के इतिहास पर ध्यान करना पड़ेगा । विद्वानों का मत है कि मस्कृत में 'साहित्य' शब्द काव्य शब्दों से है । यह 'साहित्य' के मन्त्रान पर काव्य का ही प्रयोग होता था ।

भामह की भाष्य में 'भामह' ने काव्य की परिभाषा करने हुये लिखा था—

'शब्दाथी महितो साहित्यम्

अर्थात् शब्द और अर्थ का मध्य ही काव्य है । प्रागे चलकर अन्य आचार्यों ने भामह की 'शब्दाथी-महित' वाली बात को बार-बार दोहराया है । सम्भव प्रयत्न लाघव ही प्रेरणा से ही अभी 'शब्दाथी महितो' का ही सक्षिप्त नामक शब्द 'साहित्य' चक पड़ा हो ।

राजशेखर भी प्रागे उक्त आचार्यों ने भी 'साहित्य' की व्याख्या करने 'शब्द और अर्थ के माह्वयं भाव पर ही बल दिया है ।

राजशेखर—शब्दाथीयोर्यो मयत् महभावेन रिद्या 'साहित्य-विद्या ।'

भोज-विम् साहित्यम् ? य शब्दाथीयो सम्बन्ध ।

कृष्णक—महितशोभाय साहित्यम् । जनयो शब्दाथीयोर्वाच्य

उत्पन्न प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित है कि मस्कृत के आचार्यों 'साहित्य' शब्द का प्रयोग शब्द और अर्थ के साहचर्य-भाव के लिए ही करते हैं ।

दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने यह भी बताया है कि मस्कृत-साहित्य में 'भामह' से पूर्व 'साहित्य' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता । इस स्थिति में यह अनुमान कि 'साहित्य' भामह की उक्त परिभाषा शब्दाथी महितो का सक्षिप्त अर्थ है, अनुचित नहीं कहा जा सकता । यदि यह अनुमान पूर्णतः ठीक न भी हो तो भी इतना स्पष्ट है कि 'साहित्य' शब्द काव्य का पर्यायवाची रहा है तथा 'भामह' का आशय शब्द और अर्थ के साहचर्य भाव से रहा है । व्यावहारिक दृष्टि से 'शब्दाथी' के साहचर्य वाली प्रत्येक रचना को साहित्य माना जा सकता है ।

काव्य

साहित्य अर्थ में गहन और सूक्ष्म अर्थ में काव्य का पर्याय बन जाता है। साहित्य और विज्ञान में जो भेद किया जाता है, वह इसी सूक्ष्म के कारण है। साहित्य का व्यापक अर्थ उगकी ध्युत्पत्ति के अर्थ पर जाधिन है और सूक्ष्म अर्थ सूक्ष्म पर अन्वयित है। व्यापक अर्थ में साहित्य ऐसी साहित्यिक रचना को माना जाता है, जिसमें कुछ विज्ञान या प्रयोगजन्य हों और अपने सूक्ष्म अर्थ में साहित्य भाषना-प्रधान साहित्य का पर्याय है। इस प्रकार व्यापक अर्थ में साहित्य दो विभाग हो जाते हैं—१ काव्य, २ शास्त्र। काव्य रम्यरसक होता है और शास्त्र ज्ञान प्रधान होता है।

कवि और पाठक के भाव-साम्य में ही काव्य की पूर्णता है। कविता के अन्तर्गत 'स्वान्त गुणाय' लिखी जाय कवि का परिश्रम तभी सार्थक होता है। यदि उसकी कविता का कोई रसास्वाद करेगा। परम्परागत काव्यशास्त्र काव्य या साहित्य की अतिरिक्त परिभाषाएँ मिलती हैं। ऐसी स्थिति में कवि किसी एक का चयन करना बहुत कठिन है। भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत

बण्डी-इष्ट अर्थ से विभूषित पद-समूह ही काव्य-शरीर है

राजशेखर-गुण और अलाकारों से युक्त वाक्य ही काव्य है।

सम्मट-वह शब्द जोर अर्थ जो दोष से रहित हो गुण में मण्डित हो-काव्य है।

कही-कही अलाकार-शून्य भी हो-काव्य है। —काव्य-प्रकाश

विश्वनाथ-रसात्मक वाक्य काव्य होता है। —साहित्य-दर्पण

जगन्नाथ-रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य होता है —रसगण

यदि हम उपर्युक्त परिभाषाओं पर क्रमशः विचार करें तो इनमें कोई भी

अर्थ या निर्दोष एवं पूर्णतः स्पष्ट नहीं होगी।

भामह की परिभाषा-शब्द और अर्थ मिलकर काव्य होता है। कवि

पर लागू होती है उतनी ही शास्त्र, इतिहास, भूगोल या मौखिक वाक्य

पर। जहाँ भी सार्थक भाषा का प्रयोग होता है—वहाँ शब्द और अर्थ दोनों

मेल या साहचर्य देखा जा सकता है, जत इस परिभाषा के आधार पर काव्य

अकाव्य में कोई निर्णय नहीं हो सकता है।

इस प्रकार कोई भी परिभाषा पूर्ण निर्दोष नहीं ठहरती है। आचार्य विश्व-
[एव प० जगन्नाथ ने क्रमशः रसात्मकता एव रमणीयता को काव्यत्व का
गार माना है, किन्तु ये दोनों गुण भी अनिश्चित एव अस्पष्ट हैं। एक
[क व्यक्ति के लिये प्रेयसी के द्वारा उच्चरित कुछ शब्द भी रसात्मक एवं
[णीय हो सकते हैं, किन्तु इसी से उन्हें हम काव्य की सजा से विभूषित नहीं
[सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य भामह से लेकर पंडितराज जगन्नाथ
[काव्य की परिभाषा में क्रमिक-विकास तो दृष्टिगोचर होता है, किन्तु
[मे सर्वथा निर्दोष कोई भी नहीं है।

उपर्युक्त भारतीय विद्वानों के मतों के पश्चात् कुछ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा
[नूत विचारों का अध्ययन भी आवश्यक है।

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएँ

अरस्तू—भाषा के माध्यम से होने वाली अनुकृति काव्य है।

सिद्धनी—काव्य वह अनुकरणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और
[आनन्द प्रदान करना है।

कॉलरिज—काव्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है जिसका तात्कालिक
[लक्ष्य ज्ञान प्रदान करना न होकर प्रसन्नता प्रदान करना होता है।

शैली—काव्य सर्वाधिक सुखी एव श्रेष्ठतम् हृदयों के श्रेष्ठतम् क्षणों का
[रक्षा जोला है।

हैजलिट—काव्य कल्पना और भावों की भाषा है।

उपर्युक्त परिभाषाओं में से प्रथम तीन में 'अनुकृति' पर विशेष बल दिया गया
[है जिसके पीछे अरस्तू के 'अनुकृति-सिद्धान्त' की प्रेरणा परिलक्षित होती है। अरस्तू
[के बाद क्रमशः सिद्धनी, कॉलरिज, आदि विद्वानों की परिभाषाएँ सामने आयीं,
[परन्तु वे स्वयं में एक भी निर्दोष नहीं रही।

काव्य की पूर्णता के लिये पाठक भी उतना ही आवश्यक है जितना कि
[कवि। कवि, पाठक तथा काव्य के विषय तीनों ही देवताओं के बचन में मुक्त
[होकर पारस्परिक माध्यम के विधायक होते हैं। इन सब बातों को एक परिभाषा

में रचना है जब इन दोनों गूढ़ उद्यो है कि भाई तुमको कविता करने में । कविता में रचनात्मक साहित्य का वाग होता है । किन्तु 'काव्य' शब्द पूरे रचना प्रदान गद्य-पद्यात्मक साहित्य का वाक्य होता है । यह ध्यान रखना चाहिये कि रचनात्मक गद्य की अपेक्षा धृति-मापुर्ण अधिक होता है और इस गद्य उसमें प्रभावोत्पादकता भी आ जाती है, तथापि पद्य बद्ध-मात्र होने से जैसे भी रचना कविता या वाग नहीं बन जाती है । पद्य की अंग्रेजी में Verse होते हैं Poetry या कविता नहीं । पद्य का आकार मात्र बढ़ा जा सकता है इसकी ज्ञाना 'रम' ही है ।

साहित्य' शब्द काव्य की अपेक्षा अधिक प्रचलित है, व्यापक एवं मान्य है । साहित्य के अन्तर्गत काव्यग्रन्थों का भी समावेश हो जाता है, जबकि काव्य में साहित्य का समावेश आंगिक रूप में होता है ।

साहित्य के व्यापक अर्थ में काव्य और शास्त्र दोनों ही आ जाते हैं । रम-प्रधान साहित्य काव्य कहलाता है । और ज्ञान प्रधान साहित्य जिसमें बुद्धि और विवेक का शासन होता है, शास्त्र (Science) कहलाता है । जीवन की पूर्णता दोनों के अनुर्गतन में है ।

'काव्य-शास्त्रविमोदेन कालो गच्छति धीमताम् ।'

साहित्य शब्द बहुत व्यापक है । उसे सम्पूर्णता में ग्रहण कर अभिव्यक्त करना थोड़ा कठिन है । अन समस्त बातों को दृष्टिकोण में रखकर कह सकते हैं—साहित्य जीवन और जगत् के गत्यात्मक सौन्दर्य की यह भावमयी छाँकी है जिनके सहारे नित्य नवोन आनन्द और कल्याण का विधान होता है । वास्तव में साहित्य भी ज्ञान के मद्दत एक अखण्ड सत्ता है, जिसकी अभिव्यक्ति स्रष्टा में ही पाती है । इन्हीं अखण्डों को विविध अभिधान दे दिये गये हैं, जो कभी काव्य तथा कभी शास्त्र के नाम से प्रसिद्धि पाते हैं ।

कल्पना

यह शब्द संस्कृत की 'कल्प्' धातु से निमित्त है ।

व्युत्पत्ति

'कल्पना का सम्बन्ध 'कल्पनम्' से है जिसका अर्थ होता है—रचना या

बनाना । इगो के आधार पर कल्पना के अनेक अर्थ प्रचलित हैं । कल्पना को अश्रेणी पर्याय (Imagination) माना गया है । मात्र आधुनिक साहित्य के क्षेत्र में 'कल्पना' का प्रयोग वस्तुतः आंग्ल 'इमेजिनेश' के समानार्थक शब्द के रूप में होता है ।

परिभाषा

'कल्पना की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न शब्दों में की है किन्तु सामान्यतः उसके स्वरूप के सम्बन्ध में उनमें परस्पर मतभेद है । उदाहरणार्थ कुछ विद्वानों द्वारा निम्न परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

मैड्सूगल—हम भली भाँति यह परिभाषा कर सकते हैं कि कल्पना अत्यन्त वस्तुओं के सम्बन्ध में चिन्तन-मनन है ।


बुडवर्थ—कल्पना एक मानसिक कौशल है ।

ई० जी० घोल—कल्पना अपने सरलतम रूप में एक ऐसी शक्ति रही सकती है, जो कि पूर्व-अनुभवों की प्रतिलिपि पुनरुत्पादित करती है ।

अस्तु जहाँ तक इन परिभाषाओं का सम्बन्ध है, 'कल्पना एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो कि वस्तुओं की अनुपस्थिति में या अप्रत्यक्ष पदार्थों के विषय में चिन्तन-मनन करती है ।' इस परिभाषा में उपर्युक्त परिभाषाओं का प्रतिनिधित्व हो जाता है ।

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कल्पना का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए इसे विभिन्न भेदोपभेद भी निर्धारित किये हैं —

कल्पना



साहित्य कल्पना के दो भेद किये जाते हैं—(१) कल्पनात्मक (२) मर्जनात्मक । जिसे विभिन्न विषय को जिन कल्पना शक्ति से हम पहचान करते हैं वह कल्पनात्मक कल्पना है । जबकि हम जिन शक्ति से नये विषय का वर्णन करते हैं वह मर्जनात्मक कल्पना मानी जाती है । इनके भी दो भेद किये गये हैं ।

१—व्यावहारिक (व्यावहारिक कल्पना के दो भेद—सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक)
 २—सौन्दर्योन्मुख (इनके दो भेद—कलात्मक एवं स्वच्छन्द) विचरणात्मक सैद्धान्तिक कल्पना के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के नये सिद्धान्तों एवं नियमों को खोज करते हैं, जबकि व्यावहारिक कल्पना का योग उन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने में—सौजन्यपूर्ण तैयार करने में किसी काम के करने के उपाय ढूँढने में करने है । कलात्मक कल्पना के द्वारा कला-सृष्टि होती है तथा स्वच्छन्द विचरणात्मक के द्वारा दिवा स्वप्न का निर्माण होता है ।

गतिशील चिन्तन से हम चाहे विगुड-कल्पना न कहे, किन्तु उसमें कल्पना का बहुत बड़ा योग रहता है । इसमें कोई मन्दिर नहीं, साहित्यमर्जन में सौन्दर्योन्मुख कलात्मक कल्पना का उपयोग है ।

साहित्य एवं कल्पना

यद्यपि प्राचीन साहित्य-शास्त्र में कल्पना की चर्चा कवि की विशेष मर्जनात्मकता या प्रतिभा-शक्ति के रूप में समय-समय पर होती है, किन्तु उसे साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आधुनिक युगीन स्वच्छन्दावादी साहित्यकारों को है । साहित्य के मर्जन में कल्पना कई रूपों में योगदान करती है । जिसे इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है —

योगदान के रूप—१—द्रव्य का चेतन स्तर पर प्रस्तुतीकरण ।

२—द्रव्य का विस्तार ।

३—नये द्रव्य का आविर्भाव ।

४—द्रव्य को अनुभूति गम्य बनाना ।

५—देनकाल एवं व्यक्ति के सम्बन्धों से भक्ति ।

साहित्यकार जिन द्रव्य-नामों (भाव और विचार) का उपयोग साहित्य में करता है, वह प्रायः उसके अचेतन एवं अचेतन स्तर पर मस्कारों, विम्बों एवं

प्रत्ययो के रूप में विद्यमान रहती है। साहित्य-रचना के लिये इस द्रव्य को चेतन रूप में प्रयुक्त करना आवश्यक है। यह कार्य स्मृति और कल्पना दोनों के द्वारा सम्पादित किया जाता है किन्तु साहित्यिक-रचना में स्मृति की अपेक्षा कल्पना द्वारा प्रस्तुत सामग्री ही अधिक उपयुक्त होती है।

कल्पना-शक्ति द्रव्य को न केवल प्रस्तुत करती है, अपितु वह उसका विस्तार और परिष्कार करती हुई उसे विस्तृत रूप भी देती है। जंगल-रुमों भी युवक या युवती का 'नग्न-शिशु-वर्णन' भन्त ही उसके बारे में विस्तृत ज्ञान न हो।

कल्पना प्राप्त द्रव्य को विस्तृत रूप प्रदान करती है, किन्तु इतना ही नहीं, वह उस द्रव्य में स्वनिर्मित द्रव्य या नये द्रव्य का मयोंग या मेल करती है। एक घटना के बाद अगली घटना क्या होगी, या क्या हो सकती है, इसका निर्देशक कल्पना-शक्ति ही करती है।

कल्पना द्वारा प्रस्तुत सामग्री की गहने बढ़ी विशेषता यह होती है कि वह प्रायः अनुभूतिगम्य होती है, जहाँ मस्तिष्क ही अन्य शक्तियाँ बुद्धि, स्मृति और अनुभवों को तथ्यों और विचारों के रूप में प्रस्तुत करती हैं, किन्तु वे सहज ही अनुभूति-गम्य नहीं होने, जबकि कल्पना उन्हें मुख्यतः चित्रों या सजीव चित्रों या अनुभूतिगम्य शब्दों में व्यक्त करती है।

कल्पना द्वारा प्रस्तुत सामग्री सामान्यतः देस-काल एवं व्यक्ति के सम्बन्ध से मुक्त होती है। कल्पना द्वारा प्रस्तुत सामग्री स्मृत तथ्यों की भाँति तब तक यथावत् एव देस-काल की सीमाओं से बंधी नहीं रहती। इसीलिये वह सर्व सामान्य के लिये रुचिकर एवं स्वीकार्य बन पाती है। कल्पना साधारणोक्त रूप में प्रयुक्त होती है, जिसमें साहित्य में प्रस्तुत अनुभूतियाँ एक व्यक्ति की अनुभूतियाँ बन रहकर सर्वसाधारण की अनुभूतियाँ बन जाती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कल्पना-शक्ति साहित्य की शेष (भाव-विचार) को प्रस्तुत करने के साथ-साथ उसका विस्तार, अभिवृद्धि, रूपपरिवर्तन और माधुर्यपूर्णकरण भी करती है। इसीलिये अनेक पाश्चात्य आलोचकों ने कल्पना को साहित्य की आदि शक्ति या उसकी आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। निश्चय ही कल्पना-शक्ति साहित्य को ऐसा आकर्षक रूप प्रदान करने में सहायक शक्ति

की है किन्तु कि पाठक को प्रसन्नता एवं आनन्द की अनुभूति प्राप्त हो सके । ये विधि में कल्पना को सरल साहित्यिक-कल्पना कहा जा सकता है, सदा नहीं ।

कल्पना का महत्व

कल्पना प्रतिभा या शक्ति के महारे भावोद्देक अर्थात् नये भावों का उदय करती है और भाव ही अन्तर्बुद्धि को परिचालित करने है । इस प्रकार कल्पना रस विधान का सूत्रन करती है । ये ही रूप विधान काव्य का बाह्य द्वार उदस्थित करने हैं जब कल्पना काव्य की सूत्रन-शक्ति होती है ।



सामान्य परिचय

अनेक जाति विद्यो न विद्यो शक्ति क द्वारा मध्यम होता है। यह विद्यो का अर्थ नियम है। इसी नियम क अनुसार शब्द भी बनाया जाये अर्थात् शोध कराने का कार्य शक्ति क द्वारा मध्यम है। अतः शक्ति वा शब्द-शक्ति कहते हैं।

शक्ति की परिभाषा—अमुक शब्द को अमुक अर्थ वा शोध करना शक्ति अथवा शक्ति का नाम 'शक्ति' है। (अग्नात् पत्न्या अयमासीदोद्यम्य, इति शक्तिः) भारतीय काव्य शास्त्रियों ने भी इसी आचार पर शब्द-शक्तियों की स्थापना की है। इस 'शब्द-शक्ति' के अर्थ पर शब्द-शक्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। सामान्यतः शब्द-शक्तियों के तीन प्रकार माने जाते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना, किन्तु इनके अतिरिक्त 'तात्पर्य' भावना 'भोजक' शक्तियों की उत्पत्ति अन्य आचारों द्वारा की गई है। कविशिव आचार 'लक्षणा' और 'व्यञ्जना' के अन्वित का शिरोधार्य करते हैं, तो दूसरे शोध व्यञ्जनादि के मानने वालों में से कुछ विद्वानों ने 'तात्पर्य' शक्ति को अनावरण माना है। शेष दो 'भावना' और 'भोजक' का भी अन्तर्भाव व्यञ्जना में ही कर लिया गया है। इस प्रकार प्रमुख तीन ही शब्द शक्तियाँ हैं।

शब्द और अर्थ का परस्पर अटूट सम्बन्ध है। जिन प्रकार जल के बिना लहर की और लहर के बिना जल की उत्पत्ति ही नहीं की जा सकती उसी प्रकार शब्द-विहीन अर्थ और अर्थ-हीन शब्द का अस्तित्व ही नहीं होता। कवि कालिदास ने इसीलिए शिव-पार्वती का माहचर्य शब्द और अर्थ की अभिधा के समान बतलाया है।

'वागर्थ्याविष सम्पुक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगत. पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरी ॥'

—रघुवरा ॥११

शब्द के तीन भेद होते हैं—वाचक, लक्षक और व्यञ्जक ।

१. वाचक-शब्द—जो शब्द माधात् साकेतिक अर्थ को प्रकट करता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है । इसके चार भेद—जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और द्रव्य-वाचक होते हैं ।

२ लक्षक-शब्द—जिन शब्दों का मुख्यार्थ से भिन्न, लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, उन्हें लक्षक शब्द कहते हैं ।

३. व्यञ्जक-शब्द—जिन शब्दों में व्यंग्यार्थ का बोध होता है वे व्यञ्जक शब्द कह जाते हैं और अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है ।

शब्द-शक्तियों के वर्गीकरण के आधार

यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भेद शब्दों के नहीं, बरन् शब्द की स्थायियों या शक्तियों के होते हैं, क्योंकि एक ही शब्द वाचक भी होता है, लक्षक भी व्यञ्जक भी । इन्हीं शब्दों में भेदों के अनुसार अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं । वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, और व्यंग्यार्थ । इन तीन प्रकार के अर्थों का बोध कराने वाली शक्तियाँ शब्द-शक्तियाँ कहलाती हैं । इन्हीं का वर्गीकरण सम्भव है । विद्वानों ने यह निश्चय किया कि अर्थ का ज्ञान कराने वाली शब्द की शक्ति शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के अनिर्दिष्ट और कोई वस्तु नहीं, जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है—

१. अर्थ की सामान्यता या विशिष्टता

२ सामान्य (वाच्यार्थ) और विशिष्ट अर्थ (लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ) का पारस्परिक सम्बन्ध

३. अर्थ के क्षेत्र (शब्द या वाचक या प्रसंग) की व्यापकता ।

इन आधारों पर आगे वर्गीकरण किया गया है ।

शब्द-शक्तियों के वर्गीकरण

शब्द-शक्तियाँ तीन हैं—

१. अभिधा २ लक्षणा ३ व्यञ्जना

अभिधा

जिस शब्द-शक्ति में माधात् साकेतिक (साकेतिक) या मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे 'अभिधा' शक्ति कहते हैं—

‘उपगकेतितापंयव बोधनारविमाभिधा ।’

अभिधा शब्द गति के गकेति अर्थ का पद्वन निम्नलिखित रूप होगा है—

गतिपदं व्याकरणोपमानकोशादुवाचसाद् भवतामन्व ।

वाचयन्नेषाद् विदुष्वेवंतांसाभिध्यात् प्रसिद्धत्वं वृद्धा ॥

—व्याय विद्वान् मन्वन्तोऽन्व

अर्थात् १ व्याकरण २ उपमान ३ कोश ४ वाचयन् ५ प्रसिद्धत्वं का साभिध्य ६ वाचयन्नेषात् ७ विदुषि । इन शब्दों से गकेति अर्थ का पद्वन होगा है ।

अभिधा के सहयोगी एवं प्रेरक तत्त्व

१ व्याकरण से—व्याकरण के द्वारा प्रतिपादित प्रवृत्ति-रूपन के अर्थ का महत्त्व ही भाव ही प्राप्ता है । जैसे आहार, मोटागिन ।

२ उपमान से—उपमान का अर्थ है—मानना । यदि किसी को बड़ा कि भीम बड़ा माता था तो किसी के पद नहने पर कि ‘राम भीम के माता है’ थोडा तुरन्त ममता प्रायेगा कि राम बड़ा गाऊ बोर है ।

३ कोश से—यदि बहा प्राय चि (देवानुच-मप्राम) में निजंरो ने। पाई तो कोश के द्वारा ज्ञात होगा कि ‘निजंर’ का अर्थ देवता है—‘निजंरा देवा’ ।—अमरकोश

४. आप्तवाच्य से—आप्त का अर्थ है—प्रामाणिक या लोक-प्रसिद्ध । जैसे किसी बालक को बता दिया जाये कि यह राम का चित्र है तो बालक की प्रतिकृति का सकेत उस चित्र में समझ लेता है । इसी प्रकार आप्तवाच्य कारण ही वेद पुराण एव स्मृति आदि के विवरण प्रामाणिक माने जाते हैं ।

५ व्यवहार से—व्यवहार ही वस्तुओं और उनके वाचक का सम्बन्ध प्रमुख तथा व्यापक कारण है । जैसे—यदि किसी मनुष्य को गाय कहा जाये और वह गाय ले आए तो उसे देखकर बालक को पता हो जाता है कि इस प्रकार के प्राणी को गाय कहते हैं ।

६. प्रसिद्ध पद के साभिध्य से—प्रसिद्ध पद अथवा शब्द के साथ

अर्थ अर्थ का बाध होगा है । जैसे मधुकर भोग और मधु-मस्त्री दोनों चीजें मधु-शब्द का अर्थ हैं । यदि कर्मण्य का शाब्दिक अर्थ है तो 'भोरा' अर्थ लिया जायेगा ।

७ वाक्य अर्थ—जहाँ अर्थ बाध पद की महायत्ना से अज्ञान अर्थ वाले पद को अर्थ ज्ञान ही जाता है । जैसे 'उमारति' का अर्थ महादेव (उमा पति)।

८ विवक्षित अर्थ—विद्वान् या अर व्याख्या विवक्षित अर्थ है । किन्तु शब्द व्याख्या करने पर उनका अर्थ ज्ञान ही जाता है ।

परिभाषा

परिभाषा की परिभाषा करने हुए विभिन्न विद्वानों ने इसे 'शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या 'साक्षात् मन्वेति अर्थ का बोधक व्यापार' अथवा मन्वेति अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति कहा है । परन्तु इन तीनों परिभाषाओं में इस शक्ति का सम्बन्ध क्रमशः शब्द के मुख्य अर्थ एवं साक्षात् मन्वेति अर्थ में माना जाता है । तीनों परिभाषाओं में मूल परिभाषा को स्पष्ट, निश्चित, एवं प्रामाणिक रूप देने में वाचक गिद्ध होती है । अतः परिभाषा का अर्थ इस प्रकार दिया जा सकता है—

"भाषा की जिन शक्ति में शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता वह परिभाषा-शक्ति कही जाती है ।"

उपरोक्त परिभाषा में 'मुख्य मन्वेति अर्थ' के स्थान पर 'सामान्य प्रचलित अर्थ' तथा 'मन्वेति' के स्थान पर 'बोध' का प्रयोग किया गया है जो मूल शब्दों में भाँति अनिश्चित नहीं है । अतः यह परिभाषा उपयुक्त है ।

परिभाषा के अवयव

परिभाषा के द्वारा जिन शब्दों का अर्थ-बोध होता है उन्हें 'वाचक' शब्द कहते हैं । ये 'वाचक शब्द' भी भारतीय आचार्यों द्वारा तीन प्रकार के माने गये हैं ।

१ रुद्धि शब्द—जिनकी व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती (पेड़, पत्ता...)

२ योगिक शब्द—प्रकृति और प्रत्यय का योग होता है, जैसे सहान्
=सहायक=सहायता करने वाला ।

३ योग शब्द—गणनायक, मृगनयनी आदि ।

योग शब्द—जो शब्द योगिक होते हुए भी अर्थ विशेष में रूढ़ होते हैं योगशब्द कहते हैं । यथा—पकज (पक + ज) यहाँ 'पक' का अर्थ 'सोच' 'ज' का अर्थ 'उत्पन्न' होता है, किन्तु क्रीड से कमल ही नहीं, घोड़े आदि पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, पर मभी को 'पकज' नहीं कहते, कमल को ही नहीं

अवयवों का यह वर्गीकरण अभिधा के तीन श्रोतों का निर्देश करता अर्थात् किसी शब्द का वाच्यार्थ पूंजों में सीपकर या घटक तत्वों के पारि सम्बन्धों में या दोनों के समन्वित रूप से ग्रहण करते हैं ।

अभिधा-शक्ति का महत्व

साहित्य में 'अभिधा' शक्ति का बड़ा महत्व माना जाता है । साहित्य दार्शनिकों ने इसीलिए सम्भवतः इसे 'अभिधा शक्ति' कहा है । बहुत से साहित्यशास्त्रियों ने अभिधा से 'लक्षणा' को भिन्न नहीं माना है । नैव्यायिक लोग वाच्यार्थ के सम्बन्ध को ही लक्षणा मानते हैं ।^१ आचार्य शुक्ल ने वाच्यार्थ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा—“यह स्पष्ट है कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी योग्यता या उपपन्नता को पहुँचा हुआ, समझ में आने योग्य रूप में अर्थ होता है । अयोग्य और अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यञ्जना द्वारा अर्थ बोधक बन जाता है ।”

लक्षणा

प्राचीन आचार्यों ने लक्षणा की परिभाषा सामान्यतः इस प्रकार की है—“मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं ।”

१. 'शक्य सम्बन्धो हिलक्षणा'

मुख्यार्थवाचे तद्योगे ययान्योऽर्थः प्रतीयते ।

इदं प्रयोजनाद्वामी लक्षणान्तिकरणिता ॥ —मा० दर्शन प०।२।५॥

शेषताएँ

इसी उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषण में लक्षणा-शक्ति की तीन विशेषताएँ मिलती हैं—

१. लक्षणा शक्ति में शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है या वाच्यार्थ वहाँ अपने प्रचलित अर्थ में प्रस्तुत नहीं रहता, परिवर्तित जाता है ।

२. लक्षणा में प्राप्त लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ में सम्बन्धित होता है । अर्थात् जो में कोई न कोई सम्बन्ध बना रहता है ।

३. लक्षणा-शक्ति के पीछे किसी विशेष रुढ़ि या वक्ता के किसी विशेष जीवन की प्रेरणा अवश्य रहती है ।

लक्षणा के उपर्युक्त तीनों लक्षणों को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है ।
लक्षणा-शक्ति का उदाहरण—१. तुम्हारा नौकर बिलकुल गधा है (लक्षणा)

२. तुम्हारा नौकर बिलकुल गधे जैसा है (अभिप्राय)

अतः उपर्युक्त प्रयोगों में शब्द के वाच्यार्थ की जगह वाक्य के अर्थ में अन्वय होने के कारण इन्हें नये अर्थों में ग्रहण करना पड़ता है । जैसे—जैसे जैसी

इसके बालों अथवा यदि दोनों पदों की तुलना करे तो यह तथ्य विदित होगा कि उनमें अर्थ-संबन्धक कुछ शब्दों की स्मृति है जैसा कि शिष्ट शब्द जाह

के कारण यह लक्षणात्मक न रहकर अभिप्रायत्मक बन गया है साथ ही इनके अर्थ में सप्रतिष्ठ विशेष चमत्कार का लोप हो गया है । इस स्मृति या स्मिता

की पूर्ति यौना को अनुमान या कल्पना के बल पर करनी पड़ती है और इस अनुमान या कल्पना के कारण ही जब में चमत्कारिता जाती है

लक्षणा के भेद

मुख्य रूप में लक्षणा के दो भेद किये जाते हैं—रुढ़िलक्षणा प्रयोजनवादी लक्षणा ।

रुढ़िलक्षणा—जिस लक्षणा में रुढ़ि के कारण मुख्यार्थ का छोड़कर उसमें

सम्बन्ध रखने वाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय, उस स्थान पर रूढ़िग्रन्थ होती है। जैसे—'पाकिस्तान' लडता है। इस वाक्य में रूढ़ि के कारण 'पाकिस्तान' शब्द का अर्थ 'पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों' से लिया जाता है। यह रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण हुआ। इस 'रूढ़ि लक्षणा' के भेद नहीं हुए। कुछ आचार्यों ने इसके भी भेदों का उल्लेख किया है।

प्रयोजनवती लक्षणा—जहाँ मुख्यार्थ का बोध होने पर किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखनेवाला लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। इसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। साहित्यदर्पणकारों ने इसके ८० भेद माने हैं—'उदित उदय गिरिमच पर रघुवर वाल पतग' रघुवर वाल पतग' लक्षण है।

१ **उपादान लक्षणा**—जहाँ वाक्यार्थ की संगति के लिए अन्य अर्थ के लक्षित किये जाने पर भी अपना अर्थ न छोटे, वहाँ उपादान लक्षणा होती है। यथा—
'काक से रक्षा करो दधि की, रहो तुम सावधान ।'

यहाँ 'काक' शब्द दही के उपघातक मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, किन्तु वह अपना अर्थ भी बनाये हुए है।

२ **लक्षण-लक्षणा**—जहाँ वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए वाच्यार्थ अपने को छोड़ कर केवल लक्ष्यार्थ को सूचित करता है वहाँ लक्षण-लक्षणा होती है। यथा—
'गंगा में घर' यहाँ 'गंगा' पद अपने 'जलधार' अर्थ को छोड़कर केवल 'गंगातट' अर्थ का बोध करता है।

३ **सारोपा लक्षणा**—जिस लक्षणा में आरोप हो, आरोप्य-भाव (विषय) और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो वहाँ सारोपा लक्षणा होती है। 'आज भुजगो से बैठे हैं वे कचन के घड़े दवाए ।' वे (पूँजीपतिगो) विषयी और विषय दोनों ही शब्दों द्वारा उक्त हैं।

४ **साध्यवसाना लक्षणा**—जिस लक्षणा में आरोप का विषय लुप्त रहे अर्थात् शब्दों के द्वारा प्रकट न किया जाये और विषयी द्वारा ही उसका रूप हो। साध्यवसाना लक्षणा होती है। यथा—'देखो विधु मुसकाया ।' यहाँ मुख में 'विधु' का आरोप किया गया है, जो कि लुप्त है। इस 'साध्यवसाना लक्षणा' हुई।

व्यंजना-शक्ति

(वि + अञ् + ल्युट् + टाप्)

विभिन्न आचार्यों ने व्यंजना-शक्ति की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं जिन्हें कुछ निम्नलिखित हैं ।

आचार्य मम्मट—“जनेक अर्थ वाले शब्द का जब संयोगादि के द्वारा एक कत्व नियत हो जाता है, तब भी उम शब्द के किमी और अर्थ का ज्ञान है, वैसे ज्ञान के उत्पन्न करने वाले व्यापार का नाम व्यंजना है । आचार्य विनाय की परिभाषा भी कुछ ऐसी ही है ।”

पं० रामचन्द्र शुक्ल—“व्यंजना शक्ति ऐमे अर्थ को बनलानी है जो ईक लक्षणा या तात्पर्यवृत्ति द्वारा उपलब्ध नहीं होता ।”

यदि उपर्युक्त परिभाषाओं पर ध्यान दें तो एक बात स्पष्ट रूप में प्र होगी कि इनमें व्यंजना की बहिरंग विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है । यदि हम अभिधा और लक्षणा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए व्यंजना लक्षणों पर विचार करें, तो हमें निम्नलिखित तीन विशेषताएँ ज्ञात होंगी ।

विशेषताएँ

१. जहाँ अभिधा में एक साथ एक ही अर्थ विद्यमान रहता है तथा एक में एक अर्थ अन्य अर्थ में परिणत हो जाता है, वहाँ व्यंजना में एक साथ अर्थ विद्यमान रहते हैं तथा इस दूसरे अर्थ को जो कि वाच्यार्थ के अर्थ होता है—व्यंग्यार्थ कहते हैं ।

२ जहाँ लक्षणा में वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में परस्पर सम्बद्ध होने हैं व एक दूसरे के पूरक एवं सहायक होने हैं, वहाँ व्यंजना में दोनों अर्थ (वाच्य एवं व्यंग्यार्थ) एक दूसरे से अमम्बद्ध या स्वतंत्र होते हैं ।

१ अपने-अपने अर्थ का बोध कराकर 'अभिधा' एवं 'लक्षणा' नामक शब्दों के विरत हो जाने पर, जिस शब्द-शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं । —मा० दर्पण । प० २। स्तो०



शाब्दी ध्वंजना—जहाँ व्यंग्यार्थ किमी विशेष शब्द के आगार पर चम्बित हो, अर्थात् उस व्यञ्जक के स्यान पर उसका समानार्थक शब्द स्व ही व्यंग्यार्थ की प्रतीति न हो, उगें 'शाब्दी-व्यञ्जना' कहते हैं ।

अभिधामूला शाब्दी ध्वंजना—अनेकार्थी शब्दों का 'सयोग' आदि के एक अर्थ निश्चित हो जाने पर जिस शब्द-शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति है, उसे 'अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना' कहते हैं । नियन्त्रित करके एर में बोध कराने वाले कारण ये हैं —

१-सयोग, २-वियोग, ३-साहचर्य, ४-विरोध, ५-अर्थ, ६-७-लिङ्ग, ८-अन्य सन्निधि, ९-सामर्थ्य, १०-ओचित्य, ११-देश, १२-१३-व्यक्ति, १४-स्वर आदि । यथा —

सयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थ प्रकरण लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधि ।

सामर्थ्यं मीचित्ति देश कालो व्यक्ति स्वरादय ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विरोध स्मृतिहेतवः ॥

(सा० दर्पण । प० । २ श्लो०-१५)

लक्षणामूला शाब्दी ध्वंजना—जिस प्रयोजन के लिए लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है उस प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली शब्द-शक्ति को लक्षणामूल शाब्दी व्यञ्जना कहते हैं । वह मनुष्य नहीं निरा उत्तलू है । यहाँ 'उत्तलू' शब्द में महामूर्ख व्यञ्जित है और यह शब्द गुणकृत सादृश्य के आधार पर लाक्षणिक है ।

आर्थो ध्वंजना—वक्तु, बोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्यसन्निधि, प्रत्यय, देश, काल और चेष्टादि के वैशिष्ट्य से जिस शब्द-शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, उसे आर्थो व्यञ्जना कहते हैं ।

(सा० दर्पण । प० २ श्लोक १६-१७)

क्तियों की पारस्परिक तुलना

विवेचित शब्द-शक्तियों के पारस्परिक अन्तर को और अधिन स्तर लिए कतिपय शीर्षको में तुलनात्मक अध्ययन निम्न दृष्टिकोणों से

संज्ञा-विज्ञान ।

१. शब्दों की दृष्टि से ।
२. शब्दों की प्रकृति की दृष्टि से ।
३. शब्द-संज्ञान की दृष्टि से ।
४. शब्दों की दृष्टि से ।
५. प्रयोग की दृष्टि से ।

शब्दों की दृष्टि से

अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना-शैली का ही निराम सामान्य भाषा में होना है, किन्तु इनके मूल अर्थों के शब्दों में परस्पर भेद है। अभिधा की आधारभूमि 'परम्परा' है। प्रत्येक नये प्रयोग भी जब आगे चलकर रुढ़ हो जाते हैं, तो वह अभिधानमय बन जाते हैं। व्यञ्जना का अर्थ कठि और प्रयोजन में माना है, किन्तु कठिबद्ध प्रयोगों को हमने अभिधा के अन्तर्गत ग्यन देने हुए केवल विशेष प्रयोजन में सम्बद्ध प्रयोगों को ही लक्षणा के रूप में माना है। अतः लक्षणा के मूल में आनय मन्निहित है। व्यञ्जना की ही भाँति व्यञ्जना के पीछे भी वक्ता का विशेष प्रयोजन या विशेष आनय होता है। अभिधा की भाँति सामान्य परि-
मितिओं में व्यञ्जना उद्दीप्त नहीं होती। व्यञ्जना के शब्दों में 'भावान्तिरेक' की शक्तियाँ छूट जाती हैं। वक्ता अपने भावान्तिरेक को या प्रयोजन-वैशिष्ट्य को छिपाने या नियन्त्रित करने का प्रयत्न करता है। व्यञ्जना में बौद्धिक-कौशल द्वारा अपने आशय को अप्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अर्थों की प्रकृति की दृष्टि से

सूच्य-अर्थों की प्रकृति की दृष्टि से अभिधा का सम्बन्ध सामान्य, स्थिर एवं निश्चित अर्थ में होता है, जबकि शेष दोनों में सम्बन्ध अर्थ, असामान्य (विशिष्ट) अस्थिर एवं अनिश्चित होते हैं।

अर्थ-संख्या की दृष्टि से

अभिधा जहाँ मन्त्र एक समय एक ही अर्थ को सूचित करती है, वहाँ लक्षणा में दो अर्थ रहते हैं, किन्तु इनमें एक अर्थ (वाच्यार्थ) अधूरा होता है, जिसकी पूर्ति द्वितीय अर्थ में होती है। व्यञ्जना में एक साथ दो या दो से अधिक

अर्थ नहीं है तथा वे दोषा अर्थ अती भाव में पूर्ण एवं स्वल्प होते हैं।

कार्य-क्षेत्र की दृष्टि से

अभिधा लक्षणा और व्यञ्जना व वाच-क्षेत्र में भी परस्पर मदम प्रतीति। अभिधा का कार्य-क्षेत्र लक्षणा व व्यञ्जना होता है, अर्थात् प्रत्यक्ष-व्यञ्जना क्षेत्र। जो अर्थ हम प्राप्त करते हैं वह उनका अभिधात्मक अर्थ ही होता है। विपरीत लक्षणा शक्ति अर्थों के क्षेत्र में कभी व्यञ्जित नहीं होती। अतः लक्षणा का समस्त वाक्य या उक्ति व अर्थ में होता है, एवं ही विशेष परिच्छिन्न में लक्षणा उद्दिष्ट होती है। इस प्रकार लक्षणा का क्षेत्र व्यापक है। व्यञ्जना क्षेत्र लक्षणा में भी अधिष्ठित व्यापक है। उगरी उद्दिष्टि अर्थों के वाच्य में व होकर वाच्य-सामूह या प्रकरण के क्षेत्र में होती है। अतः व्यञ्जना का क्षेत्र प्रसङ्ग-क्षेत्र में लेकर प्रत्यक्ष-व्यञ्जना तक माना जा सकता है।

प्रभाव की दृष्टि से

प्रभाव की दृष्टि से अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना का महत्त्व उक्तोक्त अधिक है। अभिधा में कथन-शैली सामान्य रहती है, अतः उगरी अर्थों की विशेष प्रभाव या आकर्षण नहीं होता—उगम केवल कथ्य की विशेषता और साम्प्रदायिकता का ही आकर्षण रहता है। इसके विपरीत लक्षणा और व्यञ्जना में शैलीगत आकर्षण रहता है। लक्षणा और व्यञ्जना के आकर्षण में भी परस्पर थोड़ा अन्तर है। लक्षणात्मक प्रयोगों के पीछे स्वच्छन्द भावावेग रहता है अतः उसमें भावात्मक आकर्षण की मात्रा अधिक रहती है, जबकि व्यञ्जना में भावातिरेक पर बौद्धिक नियन्त्रण रहने के कारण उसमें बौद्धिकता में युक्त भावात्मक आकर्षण रहता है। वस्तुतः प्रभाव की दृष्टि से इन तीनों शक्तियों का उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व है।

इस प्रकार शब्द-शक्तियों का विकासात्मक, रचनात्मक एवं तुलनात्मक प्रस्तुत किया गया है।

• • :- कुछ आचार्यों ने 'अभिधा', 'लक्षणा' और 'व्यञ्जना' के अतिरिक्त 'प्रतीति' के नाम से एक अतिरिक्त शब्द-शक्ति मानी है, क्योंकि उनके लक्ष्यार्थ, और व्यञ्जार्थ के अतिरिक्त 'वाच्यार्थ' भी होता है।

शब्द-शक्तियों की पारस्परिक तुलना

तुलना वा दृष्टिकोण	अभिधा	लक्षणा	व्यजना
१- अर्थ के स्रोत की दृष्टि से	परम्परा	भावातिरेक जन्य प्रयोग	बुद्धि नियंत्रित भावात्मक प्रयोग
२- अर्थ की प्रकृति की दृष्टि से	सामान्य स्थिर निश्चित	विशिष्ट स्थिर दृगरूढ	विशिष्ट, शक्ति दुरुह
३- अर्थ / मन्था की दृष्टि से	एक	१/१	२ या दो अधिक
४- वाच्य / क्षेत्र की दृष्टि से	शब्द से लेकर सामान्य प्रयोग योजना तक	विशिष्ट वाक्य से लेकर प्रयोग तक	विशिष्ट प्रयोग से लेकर प्रयोग तक
५- आवर्ण-भेद की दृष्टि से	दृश्यगत आवर्ण	भावात्मक आवर्ण	बौद्धिकता सम्- न्वित भावात्मक आवर्ण
६- प्रभाव की दृष्टि से	न्यूनतम प्रभाव, गम्भीर प्रभाव		अशक्ति गम्भीर प्रभाव

अर्थ रहते हैं तथा वे दोनों अर्थ अपने आप में पूर्ण एवं स्वतन्त्र होने हैं।

कार्य-क्षेत्र की दृष्टि से

अभिधा, लक्षणा और व्यजना के कार्य-क्षेत्र में भी परस्पर गहरा अन्तःसम्बन्ध है। अभिधा का कार्य-क्षेत्र शब्दों से आरम्भ होता है, अर्थात् अलग-अलग शब्दों को जो अर्थ हम प्राप्त करते हैं वह उनका अभिधात्मक अर्थ ही होता है। इन विपरीत लक्षणा शक्ति अकेले शब्द में कभी सक्रिय नहीं होती। जब शब्दों का सगठन वाक्य या उक्ति के रूप में होता है तब ही विशेष परिष्कार में लक्षणा उद्दीप्त होती है। इस प्रकार लक्षणा का क्षेत्र वाक्य है। व्यजना क्षेत्र लक्षणा से भी अधिक व्यापक है। उसकी उद्दीप्ति अकेले वाक्य में वही वाक्य-समूह या प्रकरण के क्षेत्र में होती है। अतः व्यजना का क्षेत्र प्रसंग-भोजन से लेकर प्रबन्ध-योजना तक माना जा सकता है।

प्रभाव की दृष्टि से

प्रभाव की दृष्टि से अभिधा, लक्षणा और व्यजना का महत्व उतनेसे अधिक है। अभिधा में कथन-शैली सामान्य रहती है, अतः उसका अपना ही विशेष प्रभाव या आकर्षण नहीं होता—उसमें केवल कथ्य की विशेषता ही मार्मिकता का ही आकर्षण रहता है। इसके विपरीत लक्षणा और व्यजना शैलीगत आकर्षण रहता है। लक्षणा और व्यजना के आकर्षण में भी परस्पर थोड़ा अन्तर है। लक्षणा प्रयोगी के पीछे स्वच्छन्द भावावेग रहता है, उसमें भावात्मक आकर्षण की मात्रा अधिक रहती है, जबकि व्यजना में अतिरेक पर बौद्धिक नियंत्रण रहने के कारण उसमें बौद्धिकता से युक्त भावात्मक आकर्षण रहता है। वस्तुतः प्रभाव की दृष्टि से इन तीनों शक्तियों का अन्तःसम्बन्ध अधिक महत्व है।

इस प्रकार शब्द-शक्तियों का विकासात्मक, रचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

विशेष :- कुछ आचार्यों ने 'अभिधा', 'लक्षणा' और 'व्यजना' के अतिरिक्त 'तात्पर्याख्यावृत्ति' के नाम से एक अतिरिक्त शब्द-शक्ति मानी है, क्योंकि इन मत से वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ, और व्यंग्यार्थ के अतिरिक्त 'तात्पर्यार्थ' भी होता है।

सन्दर्भ-सूचिका की पारम्परिक तुलना

सूचना का दृष्टिकोण	अभिप्राय	लक्षणा	व्यवस्था
- अर्थ के श्रोत की दृष्टि में	परम्परा	भावातिरेक उच्च प्रयोग	बुद्धि नियन्त्रित भावात्मक प्रयोग
- अर्थ की प्रकृति की दृष्टि में	सामान्य वि. निश्चय	विशिष्ट अभिप्राय दृग्गच्छ	विशिष्ट, क्षणिक दुरुह
- अर्थ / मन्त्र की दृष्टि में	एक	१॥	० या दो अधिक
- वाच्य / क्षेत्र की दृष्टि में	मन्त्र में लेख्य सामान्य प्रयोग योजना तक	विशिष्ट वाच्य में लेख्य प्रयोग तक	विशिष्ट प्रयोग में लेकर प्रबन्ध तक
- आकर्षण-भेद की दृष्टि में	दृश्यगत आकर्षण	भावात्मक आकर्षण	बौद्धिकता सम्बन्धित भावात्मक आकर्षण
- प्रभाव की दृष्टि में	न्यूनतम प्रभाव	गम्भीर प्रभाव	अधिक गम्भीर प्रभाव

जो इंगी शक्ति के द्वारा व्यक्त होना है। इस मन के पीछे 'कुमारिलभट्ट' माने जाते हैं। इन्हें 'अभिहितान्वयवादी' आचार्य कहते हैं। इनके विरोधी आचार्य 'प्रभाकर भट्ट' इस 'तात्पर्याख्यावृत्ति' को नहीं मानते। इन्हें 'अन्विताभिप्रायवादी' कहते हैं। कुमारिलभट्ट के अनुसार वाक्य में आगत पदों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, जो आकाशा, यो-यता और सन्निधि में यहिभूत शब्द/शक्ति से समन्वित होकर 'तात्पर्यार्थ' के रूप में स्पष्ट होते हैं, वही शब्द/शक्ति विशेष 'तात्पर्याख्यावृत्ति' है।

प्रभाकरभट्ट के मत में वाक्य में आने के पूर्व अनेक पदों के अर्थ स्व परस्पर अन्वित हो जाते हैं और वानपायं का रूप प्राप्त कर लेते हैं, अतः उन शक्ति के मानने की आवश्यकता ही नहीं होती। अधिकांश आचार्यों ने 'तात्पर्याख्यावृत्ति' को मान्यता नहीं दी। वस्तुतः व्यञ्जना शक्ति के रहते हुए इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

काव्य एवं शैली

'शैली' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'शील' शब्द (शील) से मानी जाती है। 'शील' के अनेक अर्थ हैं - स्वभाव, लक्षण, झुकाव, आदत, चरित्र आदि। ये सभी अर्थ व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं के द्योतक हैं। जैसे स्वभाव मन की प्रकृति का सूचक है। 'शील' शब्द बहुत व्यापक है, उसका सम्बन्ध व्यक्ति की मनोवृत्ति, रुचि, आदत, व्यवहार, चरित्र आदि विभिन्न पक्षों से है। दूसरे ओर 'शील' का प्रयोग इन पक्षों की किसी एक विशेषता के साथ भी होता है जैसे रूप-शील, गुण-शील, लज्जा-शील आदि। अतः 'शील' का सम्बन्ध व्यक्ति विभिन्न वैयक्तिक विशेषताओं से है।

'शैली' शब्द व्यक्ति की वैयक्तिक विशेषताओं की अपेक्षा उसके क्रिया 'एवं रचना-कौशल के वैशिष्ट्य से अधिक सम्बन्धित है। आधुनिक पक्षों 'शैली' शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के स्टाइल 'STYLE' शब्द के समानार्थक होने लग गया है। अतः इसके प्रचलित अर्थ को समझने के लिए 'स्टाइल' समझना आवश्यक है।

स्टाइल 'STYLE' और शैली :- Style शब्द के भी विभिन्न युगों में विभिन्न अर्थ प्रचलित रहे हैं। मूलतः यह शब्द ग्रीक के (Stylos) एव लैटिन के (Stylus) से सम्बन्धित है। लैटिन Stylus से ही Styles की व्युत्पत्ति मानी जाती है। Stylus का मूल अर्थ "नोचदार बलम" है। किन्तु आगे चलकर इसके समानार्थक 'स्टाइल' के अनेक अर्थ विकसित हो गए। जैसे लिखने का ढंग, लिखित रचना, लेखक विशेष की अभिव्यक्ति की विशिष्टता, साहित्यिक रचना की रूपरंग विशेषताएँ, बोलने का लहजा तथा किसी शलाकार की रचना-शक्ति की विशिष्टता।

हिन्दी के 'शैली' शब्द का प्रयोग भी 'स्टाइल' के उपर्युक्त अर्थों में ही होता है, किन्तु इसका क्षेत्र अभी तक बलाओ तक ही सीमित है। हम छायावादी शैली गीतों, बागडा-शैली के चित्रों एव विभिन्न शैली के नृत्यों की चर्चा तो करते हैं, किन्तु अन्य क्षेत्रों में 'स्टाइल' की भाँति शैली का प्रयोग नहीं करते, किन्तु जहाँ तक साहित्य की शैली का सम्बन्ध है, 'स्टाइल' और 'शैली' के अर्थ में कोई अन्तर नहीं रह गया। अतः हम दोनों को समानार्थक मान सकते हैं।

शैली की परिभाषा

सांस्कृतिक दृष्टिकोण

सांस्कृतिक वाक्य-शास्त्र के क्षेत्र में साहित्य की शैली की गताधिक परिभाषाएँ प्रचलित हैं, जिनमें से अनेक परस्पर विरोधी एव शैली के प्रचलित अर्थों के प्रतिबल भी हैं।

सैटो- जब विचार को तात्त्विक रूपान्तर दे दिया जाता है, तो शैली का उदय होता है।

ब्रह्म- शैली में वाणी में वैशिष्ट्य (सम्पन्न) का समावेश होता है। अभिव्यक्ति शैली बहने का उपयुक्त ढंग भी जाना चाहिए।

मिश्टनमरी- शैली भाषा की यह विशेषता है जो लेखक के विशिष्ट भाषण विधान को ठीक-ठीक रूप में प्रेषित करती है।

Whipple-Style is the intimate and unseparable fact of

the personality of the writer.

शैली लेखक के व्यक्तित्व का अन्तरंग एवं अविभाज्य तत्व है। चेस्टरटन के अनुसार शैली विचारों का परिधान है।

Style is the dress of thoughts.

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किए गए शैली तत्व के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वे लोग शैली के दो तत्व स्वीकार करते हैं :-

१. वस्तु-पक्ष (अन्तः) २. व्यक्ति पक्ष (बाह्य पक्ष)

इन दोनों को क्रमशः अन्तः पक्ष और बाह्य पक्ष कह सकते हैं। अन्तः पक्ष के अन्तर्गत शैली में अभिव्यक्त रचनाकार की व्यक्तित्वगत सत्ता और दुर्बलताओं की व्याख्या की जाती है और फिर उनसे शैली के स्वर में जो परिवर्तन आते हैं उनकी अभिव्यक्ति कर दी जाती है।

शैली के बाह्य-पक्ष के अन्तर्गत अलंकार, गुण आदि की स्थिति का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार पाश्चात्य-शैली-तत्त्व विवेचन में वस्तु और व्यक्ति इन दोनों पक्षों का सन्तुलन रहता है। यदि प्रधानता की सोच की जाय तो व्यक्ति तत्व की ऊर्जस्र्मिता दिखाई पड़ती है।

भारतीय दृष्टिकोण

भारतीय काव्य शास्त्रों में शैली के अन्तर्गत रीतियों, वृत्तियों तथा वाक्य-संरचनाओं का समावेश हो जाता है। रीतियों, वृत्तियों तथा गुण आदि में अन्तर है, इस पर महर्षि आचार्यों में बड़ा मतभेद रहा है। कुछ तो रीतियों वृत्तियों की भिन्न-भिन्न गता स्वीकार करते हैं, कुछ इन्हें एक ही मानते हैं और कुछ ने रीतियों का सम्बन्ध बाहरी वर्ण-विन्यास में और वृत्तियों का सम्बन्ध अन्तर्गत विन्यास में स्पष्ट शब्दों में कहा है जो वृत्तियों व रीतियों का विभाजन करने हैं तथा भिन्न-भिन्न नाम देते हैं वे वृत्तियों को 'वृत्त' और रीतियों को 'शैली' (उपमासंज्ञा, परमा, कोमला) आदि नामों से जानते हैं। यह सब सब वृत्तियों और रीतियों को एक ही मानता है। अब इस प्रकार रीतियों, वृत्तियों, गुण (ये भी अन्तर्गत रीतियों में आते हैं) सम्बन्ध एक ही है और सभी 'Style' के अन्तर्गत आते हैं।

शैली का महत्व

शैली के महत्व पर प्रचलित डालते दृष्टे एक लेखक ने लिखा है :-

Style is not the coat but is the skin of the writer अर्थात् शैली लेखक के भावों की पोशाक न होकर त्वचा है, जिस प्रकार चर्मरोग ग्रस्त शरीर का मौन्दर्य नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अव्यवस्थित पदयोजना से युक्त वाक्य का मौन्दर्य भी गण्डित हो जाता है। अतः वाक्य मौन्दर्य में शैली का वही स्थान है जो शरीर मौन्दर्य में त्वचा का है।

“यह निश्चय कहा जा सकता है कि साहित्य में विषय की विशिष्टता के अनुसार उसकी शैली में भी वैशिष्ट्य का संचार अवश्य होता है—यह दूरगामी बात है कि कहीं इसकी मात्रा इतनी न्यून हो कि उसे हम भलीभाँति न पहचान पायें, माथ ही यह भी सम्भव है कि लेखक के किसी विशेष आग्रह के कारण या किसी अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण शैली में विषय वैशिष्ट्य का विकृत अभाव रहे, किन्तु सामान्य-स्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक नहीं।

शैली का सम्यग् व्यक्तित्व, विषय, पाठक एवं भाषा आदि से घनिष्ठ है। शैली का निर्माण किसी एक श्रोत पर आधारित नहीं, सभी श्रोतों का न्यूनाधिक योगदान रहना है और किसी रचना में शैली का सम्पूर्ण योगदान रहता है, जो रचना का शरीर या वाक्यविधान प्रस्तुत करती है। अतः शैली-विहीन रचना का अस्तित्व सम्भव नहीं है।

काव्य और अभिव्यंजनावाद

श्लोक का अभिव्यंजनावाद

अभिव्यंजनावाद का विकास—‘अभिव्यंजनावाद’ का बीजारोपण पाश्चात्य-देशों में सबसे पहले ग्रीक साहित्य में हुआ। ‘लैमिग’ नामक आचार्य ने अपने ‘मौन्दर्यवाद’ की प्रतिष्ठा के सम्यग् में यह सिद्धान्त सामने रखवा कि आत्मा का मौन्दर्य ही कला और वाक्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। यह अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होती है। लैमिग का यह मत भारतीय महाकवि ‘भवभूति’ के ‘वाणी की आत्मा की कला’ बहने वाले मत में बहुत मिलता-जुलता है।

'बृहदारण्यकोपनिषद्' के 'अयं पुरुषः वाद्मयः" वाली उक्ति भी लैसिंग के लक्ष्य से मिलती-जुलती प्रतीत होती है। इतना होने हुए भी 'लैसिंग' का सिद्धांत आत्मा को ही काव्य के रूप में अभिव्यक्ति मानने वाले भारतीय सिद्धांतों की कई दृष्टियों से भिन्न है। इन भिन्नता के मूल में दोनों देशों के दर्शन-वेदान्तों का विपरीत आत्मा सम्बन्धी धारणाओं का वैपम्य और वैभिन्न्य है। जो दोनों इतना तो हम कह सकते हैं कि साहित्य या काव्य को सौन्दर्य की अभिव्यक्ति और विशेषकर मानव आत्मा के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति स्वीकार करते हैं। ही देशों में अभिव्यजनावाद को साहित्य का प्राणभूत सिद्धान्त व्यक्तित्व माना गया है।

लैसिंग के बाद अभिव्यजनावाद के सिद्धान्त का संकेत करने का श्रेय विकलमैन नामक आचार्य को दिया जाता है। इन्होंने भी लैसिंग के सिद्धांत काव्य को आत्मा के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति माना है। दोनों में अन्तर के इतना है कि लैसिंग काव्य में आत्मा के विषादात्मक सौन्दर्य की ही अभिव्यक्ति स्वीकार करता है, जबकि विकलमैन ने उसे उसकी प्रसादात्मक अभिव्यक्ति स्वीकार किया है। विकलमैन ने अभिव्यजनावाद की विविध शैलियों और स्वरूपों पर भी प्रकाश डाला है।

इन उपर्युक्त दोनों आचार्यों ने अभिव्यजनावाद की विवेचना काव्य और साहित्य के प्रसंग में ही की थी। आगे चलकर 'काण्ट' KANT नामक दार्शनिक ने उसे दर्शन क्षेत्र में भी प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। काण्ट ने इन्होंने के दो विभाग किए—

१. व्यावहारिक-ज्ञान । २. विमुक्त ज्ञान।

उसने कला को दोनों प्रकार के ज्ञानों की मध्यवर्तिनी सिद्ध करते हुए कला-सृष्टि की अभिव्यक्ति या 'जजमेण्ट' कहा है।

काव्य-कला को मुक्त गगन में उन्मुक्त करने का श्रेय इसी आचार्य को दिया जाता है। योरोपीय 'उन्मुक्तवाद' या 'स्वच्छन्दतावाद' की प्रेरणा इस दार्शनिक के अभिव्यजनावादी सिद्धान्त में सन्निहित है। इस प्रकार 'काण्ट' ने अभिव्यजना के माध्यम में काव्य और कला में एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने

प्रयत्न किया। आगे चलकर कॉलरिज ने इस सिद्धान्त के मार्ग को कुछ सत किया। उसने यह प्रतिपादित किया कि मानसिक क्रिया में भिन्न क्रिमीय वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यह मत हमारे यहाँ 'पंचदशी' और 'योग सिष्ट' आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित है। इस सिद्धान्त ने साहित्य क्षेत्र में अन्त-तनावाद, अभाववाद, वासनावाद आदि अनेकानेक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के जन्म में योगदान दिया।

श्रोत्रे का अभिव्यंजनावाद

श्रोत्रे के अनुसार कला और काव्य एक स्वतन्त्र आध्यात्मिक प्रक्रिया की वस्तु है। इसका अर्थ यह है कि उसके मन में परीक्ष मत्ता एक मानस व्यापार प्रकृत है। उसके अनुसार इस मानसिक क्रिया के अनेक नाम और रूप हो सकते हैं। इन्हीं नाम-रूप भेदों के कारण ही उस अव्यञ्जित मानसिक व्यापार की विविध रूपों अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है।

श्रोत्रे ने स्थूल, सूक्ष्म में मन व्यापार या आध्यात्मिक ज्ञान के दो पक्ष माने हैं—

१. ज्ञान या प्रज्ञा (मैदान्तिक पक्ष)
२. क्रिया या मन्त्र (व्यावहारिक पक्ष)

ज्ञान या 'प्रज्ञा' के भी श्रोत्रे ने दो रूप माने हैं १ स्वय-प्रकाश ज्ञान या स्वात्मिक ज्ञान २ तात्त्विक ज्ञान या प्रतिभा। प्रथम की अभिव्यक्ति मूर्तियों के माध्यम से होती है—उसका सम्बन्ध कला से बनाया गया है और दूसरे के माध्यम से निर्णय करने में समर्थ होते हैं—यह तर्क और दर्शन की वस्तु है।

परिभाषा

'अभिव्यंजनावाद' का सम्बन्ध स्वात्मिक ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान से है। यह ज्ञान शक्तिमूलक और स्वतन्त्र होता है। साथ ही यह दृश्य जगत् की भाँति वस्तुओं के सम्बन्धों से विनिष्ट रहता है। बाह्य रूपों से निर्गुण नहीं रहकर स्वयं-स्वयं के माध्यम से स्वयं-स्वयं निरगुण है। तो बाह्य और कला क्षेत्र में उक्त अभिव्यक्ति की अभिव्यंजना पड़ते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिभज्ञान में उद्भूत कल्पना ही कल्पना की जननी है। कल्पना एक मन व्यापार है जो सौन्दर्यात्मक मूर्त को माना जाता है अमूर्त जगत् और जननी में उद्भूत कल्पना भी पहले अमूर्त में ही व्यक्त होती है बाद में वह किसी माध्यम का सहारा लेकर किसी मूर्त या कला का रूप धारण करती है। इस प्रकार कल्पने में कलात्मक उद्भावना को भी अभिव्यजना कहा है।

अभिव्यंजनाविज्ञान की मान्यताएँ

- १-अभिव्यजनाविज्ञान का सम्बन्ध सहज-ज्ञान या कलात्मक ज्ञान में है।
- २-वह वास्तव-जीवन और जगत् से निरपेक्ष वस्तु है।
- ३-वह कवि या कलाकार की सौन्दर्य-भावना का गत्यात्मक रूप है।
- ४-वह गत्यात्मक रूप पहले मूर्त रूप से कलाकार के मन में स्फुरित होता है, बाद में आश्रय भेद से उसकी अभिव्यक्ति होती है।
- ५-'सहज-ज्ञान' स्वयं प्रतिच्छवि रूप है। वह प्रतिच्छवि केवल वास्तव का प्रतिबिम्ब मात्र नहीं है, वह उसके पूर्व सस्कारों से नियंत्रित रहती है।
- ६-काव्य में अभिव्यजना ही सब कुछ है जो एक अक्षण्ड-तत्त्व है।
- ७-अभिव्यजना अपना उद्देश्य आप ही है, उसका कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं है।
- ८-सहजानुभूति की स्थिति स्वाभाविक है, प्रयत्न या ऐच्छिक नहीं हो सकती। यह हमारी इच्छा पर अवलम्बित है कि हम उसे अभिव्यक्त कर सकें न करे।

९-कला एक आध्यात्मिक क्रिया है, अभिव्यजना उसका ही नाम है। यह अभिव्यंजना का मूर्तरूप है।

१०-अभिव्यजना की प्रक्रिया में चार स्तर दिखाई पड़ते हैं। १. सवेदन का स्फुरण २. अमूर्त सवेदनाओं की प्रवाहमयता या सहजानुभूति ३. आनन्दानुभूति ४. सहजानुभूति का मूर्तिकरण।

११-प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से ही कलामय है, क्योंकि उसमें सहजानुभूति होती है। जहाँ सहजानुभूति होती है वहाँ अभिव्यंजना भी होती है।

क्रोचे के मत में यह स्पष्ट नहीं है कि सौन्दर्य वस्तु में होता है या अभिव्यंजना

है, — श्रोत्रोः च हृत् । ऐसा प्रतीत होता है कि वे अभिव्यजना को मीन्द्रयं से सम्बन्धित मानते हैं ।

१ विद्वान् एवं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के विचार

शुक्ल जी अभिव्यजना को उक्ति का अनुशासन ही मानते थे । त्रिग वस्तु का ही अभिव्यजना की जाती है, उम्मा कोई मन्त्र नहीं होता । नात्मर्य है कि अभिव्यजना में दृग् का अनुशासन ही सब कुछ है । त्रिग वस्तु या भाव अभिव्यजना की जाती है वह क्या है ? वह क्या है ? यह सब कुछ वाद्य के बाहर की वस्तु है । श्रोत्र का कहना है कि "अनुष्टी-उक्ति को अपनी अलग ही शक्ति है । वह क्या है ? क्या है, यह सब कुछ वाद्य-क्षेत्र के बाहर की बात है । उसे किसी दृग् के कथन का पर्याय नहीं समझना चाहिए ।"

आचार्य शुक्ल ने आगे कहा कि अभिव्यजना वाद्य को जीवन और जगत् उत्पन्न करती है । उनसे मत में वाद्य में मन व्यापार की अभिव्यक्ति नहीं है, वस्तु जीवन के सा-ध्यापारो भावों और विचारों की अभिव्यजना ही वाद्य का सर्वस्व है । श्रोत्रे उनको केवल वाद्य के उत्पादान मात्र मानना है । उसे उनका प्रत्यक्ष-सम्बन्ध-‘प्रातिभ-ज्ञान’ से माना है, जो ठीक नहीं, शुक्ल जी ने इस बात का स्पष्टन किया है ।

श्रोत्र के इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों ने आपत्तियाँ उठाई हैं । श्रोत्रे ने श्रोत्र पर भी कला की प्रेरणीयतावाली बात पर बल नहीं दिया । इस प्रकार विद्वानों ने अच्छी आलोचना की है । अभिव्यजना आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती हुई भी कई दृष्टियों से पगु प्रतीत होती है ।

अनेक भारतीय विद्वानों ने तथा शुक्ल जी ने भी कुन्तक का 'वक्रोक्तिवाद' और श्रोत्रे का 'अभिव्यजनावाद' समझने में भूल की है । उन्होंने श्रोत्रे के अभिव्यजनावाद को वक्रोक्तिवाद का विलापती रूप तक बहू डाला । एकाध स्थल पर उन्होंने इसे 'वाग्बैचिष्यवाद' बहू दिया है । उनके मतानुसार 'वक्रोक्तिवाद' वाद' में इतना अन्तर है कि वक्रोक्तिवादी 'व्यजना' का विशेष करने थे और अभिव्यजनावादी लक्षणों को प्रधानता देते थे ।

६ | पाश्चात्य ममीक्षा के सिद्धांत

ममीक्षा का अर्थ है ममीक्षित व्यक्ति के अन्तर्गत प्रत्येक सिद्धांतों का सिद्धि प्राप्त करना। ममीक्षा के अन्तर्गत ममीक्षित व्यक्ति के अन्तर्गत प्रत्येक सिद्धांतों की ही ममीक्षा, निश्चय ही सिद्धि-सम्पन्नता का एक अन्तर्गत प्रमाण है। ममीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक सिद्धांत एक प्रकार है —

१. अनुकृति-सिद्धांत
२. उदात्तता सिद्धांत
३. आसक्तिवादी सिद्धांत
४. अभिव्यक्तवादी
५. अल्पसिद्धांत
६. मनोवैज्ञानिक-सूत्रवादी
७. मनोविश्लेषणवादी
८. मार्क्सवादी

(ममीक्षा)
(ममीक्षा)
(ममीक्षा)
(ममीक्षा)
(ममीक्षा)
(ममीक्षा)
(ममीक्षा)
(ममीक्षा)

अनुकृति-सिद्धांत

अनुकृति सिद्धांत के अनुसार ममीक्षा का अर्थ है उमे 'अनुकरण' है। यह यह मानता है कि बाल्य-भार्या के माध्यम में अनुकृति और स्व-कारणों द्वारा जीवन का पुनर्गठन होता है। उमे बाल्य के स्व-कारणों को स्व-कारणों के माध्यम प्रदान किया है और यह कहता है कि बाल्य अथवा स्व-कारणों का एक ही तत्त्व होता है, यह है 'अनुकरण'। अनुकरण के अनुसार सामान्य बाल्य-कारणों से प्रसफुटित हुई प्रतीत होती है और उन दोनों की ही जड़ें हमारे भाव में गहरी हैं—

१. अनुकरण की सहज-प्रवृत्ति ।
२. सामञ्जस्य और लय ।

छन्द भी स्पष्टतः 'लय' के ही अनुभाग होने हैं । इसीलिए जो इस सहज-
 क्त से सम्पन्न थे, उन्होंने धीरे-धीरे अपनी विविष्ट प्रवृत्तियों का विकास
 र लिया और अन्त में उनकी आधु रचनाओं में कविता का जन्म हुआ ।

अरस्तू ने कला को प्रकृति का अनुकरण माना है । यथा—काव्य भाषा के
 ष्यम में प्रकृति का अनुकरण है । यह 'अनुकरण' शब्द अंग्रेजी के Imita-
 on शब्द का अनुराद है । पाश्चात्य चिन्तकों के अनुसार समाज के समस्त
 षयं अमत्य हैं, प्रतीति मात्र है, अनुकृति है । वे मूल सत्य का (Idia) अनु-
 रण हैं । इस हेतु काव्यरचना सत्य में दूर होती है । अरस्तू ने कला को
 इति का अनुकरण तो बनलाया, किन्तु 'प्रकृति' शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं
 ष्या, फलतः इसके अनेक अर्थ लगाये गए । वस्तुतः अरस्तू ने प्रकृति का अर्थ
 ष्य एवं आन्तरिक सृजन की प्रक्रिया माना है ।

अरस्तू ने तीन प्रकार की वस्तुओं को अनुकायं माना है—

१. रूप—यथायंजगत्, जिसका मूर्त अस्तित्व है ।
२. प्रतीपमानरूप—मानसिक विम्ब द्वारा सम्भावित रूप ।
३. आदर्शरूप—जैसी उन्हें होनी चाहिए ।

इसमें प्रथम में इन्द्रियजन्य लय की प्रधानता है, दोष दो में कल्पना का
 ष्याण्य है । बिना कल्पना के अनुकरण सम्भव भी नहीं है । हृदय का विम्ब
 ल्पना द्वारा ही अंकित किया जा सकता है । कवि को इस अनुकरण में आनन्द
 ही उपलब्धि भी होती है । इस प्रकार अरस्तू ने वस्तुत्व और आनन्दत्व को
 ष्यपूक कर दिया है ।

अनुकरण का माध्यम, विषय एवं विधि प्रत्येक में भिन्न होता है । प्रो०
 वूचर ने 'अनुकरण' का अर्थ 'मादृश्य विधान' माना है । 'पाटम' ने आत्मा-
 ष्यभ्यक्ति में भिन्न, जीवन (को अनुमूर्ति) का पुनः सृजन को 'अनुकरण'
 ष्यमाना है ।

प्रो० जेम्स का मत है—अरस्तू के वाक्यशास्त्र में अनुकरण में अभिप्राय
 है, माहित्य में जीवन का वस्तुपरव अवन, जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का
 कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कह सकते हैं ।

निष्कृत्यं—अरस्तू के अनुकरण सिद्धान्त में काव्यरचना वा तत्परं चित्रणमात्र नहीं है, उसमें कल्पना का मिश्रण है। कवि जो मूत्रन का वह मौलिक न होकर यस्तू का पुनः मूत्रन होता है। इस मूत्रन में ही आनन्द की भी प्राप्ति होती है। इस मत ने काव्य में जीवनतत्त्व की स्थापित कर काव्य को जीवन से संपृक्त कर दिया, यह इसकी महत्ता है।

उदात्तता का सिद्धान्त

यूनानी काव्यशास्त्र में अरस्तू के बाद 'लोजाइनस' का विशेष महत्त्व। उसकी मान्यताओं के आधार पर ही उदात्तता का सिद्धान्त प्रतिपादित है। लोजाइनस ने भावुक के मन पर पड़ने वाले काव्यानन्द के प्रभाव का अभ्ययन किया है और आनन्दानुभूति की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। स्वीकार किया है कि हर प्रभाव अपने आप में मूल्यवान् नहीं होता। साहित्य का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि किसी रचना के पश्चात् पाठक आनन्दानुभूति का अनुभव करता है या नहीं। यदि आनन्दानुभूति का अनुभव करता है तो रचना मूल्यवान् है। "क्योंकि लोग ने यह माना है कि भावविचारों में जब तक महानता या 'उदात्तता' वह भावुक या पाठक को आनन्दानुभूति में तल्लीन नहीं कर सकती है। 'लोजाइनस' ने मानव की उच्चतम प्रवृत्तियों का सम्बन्ध काव्य से सम्बद्ध कर दिया। उनका कहना है "कि काव्य के विषय में निम्न जीवन, महत्त्वाकांक्षा और युग के लोग समान दृष्टि रखते हैं।"

"For when men of different habits lives ambitions and take one and the same view about the same writing"

लोजाइनस ने कल्पना को मानव-प्रेरित माना है और कल्पना का ही मे प्रमुख उद्देश्य शक्ति-सम्पन्नता उत्पन्न करना, मूर्ति-विधान करना तथा भाव एवं विचारों को स्पष्ट करना सिद्ध किया है। उसने काव्य में 'तत्त्व' और 'कल्पना-तत्त्व' की महत्ता को बराबर स्वीकार किया है।

ये मान्य मात्र ह्यगन्द 'रमणीयता' हृदय अथवा बुद्धि पर पड़े हुये प्रभावी र ही नहीं आश्रित होती है बरिन्तु उम शक्ति पर आश्रित होती है जो भावुक के निचे स्थितिय पर प्रभाव डालती है ।

लोजाइनस के अनुसार अच्छी कविता यही होती है जिसमें रमणीयता तथा उस में भाववाजों को उत्पन्न करने की समर्थता होती है । उमने काव्य के कलात्मक (कल्पना, गुण, नीति आदि) का श्रेष्ठ भावार्थ माना है । काव्य का सिद्ध असाधारण वस्तु ही उत्पन्न करती है । उमने कविता को अलौकिक तथा देवी मानकर आध्यात्मिक घणाल पर अरिच्छित किया है । उमने स्वीकार किया है कि मनुष्य के सामान्य-जीवन का 'मन्य' ही उदान का भी मत्य है । उमने उदान-भाषा के ५ श्रेष्ठ माने है—

नैमगिक १—विचारों को प्रकट करने की समर्थता ।

२—प्रेरणा-प्रमूत एवं उद्दाम आवेग ।

कला—३—समृद्धि अलकार-योजना ।

४—साधु-भाषा ।

५—गौरवपूर्ण रचना-विधान ।

इनमें प्रथम दो तत्त्व तो नैमगिक है तथा शेष तीन कला की निष्पत्ति है । उपर्युक्त क्षणिक मत्वो का र्थविध्य, अतिशयोक्ति और बहुवचन प्रयोग एक ओर मरुदना तथा दूमरी ओर विफलता का कारण भी हो सकता है । लोजाइनस के अनुसार कोई रचनाकार तभी महान् ही सकता है, जब उसमें औदात्य का गुण हो । ऐसी स्थिति में औदात्य-गुण-गम्यत्र लेकर ही रचना स्वयमेव आनन्दोपलब्धि प्रदान करती है । रचना में उदात्त तत्त्वों का समावेश तभी होता है, जब उमने रचनाकार के विचार महान एवं व्यापक परिवेश पर निर्मित होने हैं ।

आदर्शवादी सिद्धान्त

महान् उपन्यासकार और आलोचक 'टॉल्स्टॉय' 'कला कला के लिए' सिद्धान्त के विरोधी थे । इसी के विरोध में उन्होंने आदर्शवादी सिद्धान्तों का

प्रतिपाद्य किया गया। टॉल्स्टॉय के अनुसार कला वह माध्यम है जिससे
 मानव जाति का अन्तरीय अनुभूत भावनाओं के द्वारा दूसरों को प्रभावित
 है। यदि वह किसी का प्रभावित करने में सफल है, तो उसकी कला
 का स्वरूप नहीं हो सकता और न ही वह कलाकार के लिये वह ही नहीं
 हो सकता है। कोई भी कलाकार किसी-किसी मर्यादा की बन्धन
 नहीं है और अनिश्चित रूप से कला विधान और कला के नये
 समारोह ही ही बनाता है। टॉल्स्टॉय ने कला, कला के माध्यम में जीवन को
 बनाई, जो इस प्रकार है -

१. एक सचित्र वस्तु-रूप एवं मोन्दर्य के गर्भभाव तथा निर-
 स्पृहता होती है।
२. दूसरी वे, जिसमें गर्भभाव ही है, सिन्धु निष्ठा एवं मोन्दर्य को न
 होती है।
३. तीसरी वे, जिसमें वस्तु-रूप की स्पृहता ही है, द्वेष भी मोन्दर्य एवं
 होती है।

इसी आधार पर वर्ग बनाये जा सकते हैं और कलाकारों का
 मूल्यांकन किया जा सकता है। कला वास्तव में आनन्द का माध्यम नहीं
 मानव जीवन का एक तत्त्व है। वह मानवीय जीवन से प्रतिष्ठित
 सम्बन्धित है भाषा की भाँति कला भी मानव विचारों एवं अनुभवों का
 करती है तथा उनके सगठन के माध्यम का कार्य करती है। इस प्रकार
 वस्तुतः पूर्णरूप में मानवीय प्रक्रिया है।

'टॉल्स्टॉय' ने साहित्य का आधार धर्म माना है, पर उसने यह भी
 कारण दिया है कि कला न ईश्वर की रहस्यमयी भावना की अभिव्यक्ति
 वह ऐसी शक्ति है, जिसमें मनुष्य अपनी सचित-शक्ति के अनिरेक का उत्कर्ष
 है, न वह केवल आनन्द है जैसा कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग कह
 सम्पूर्ण मानव जीवन विविध प्रकार की कलाओं से ओत-प्रोत है।
 नृत्य, स्वाग, धरो की सजावट, वेशभूषा, वतनों से लेकर गिरजे की प्राण
 स्मारकों तथा विजय-यात्राओं तक यह सब कलात्मक क्रियाएँ हैं

कुचित अर्थ में कला द्वारा हम भावनाओं का सम्प्रेषण करने वाली मानवीय पात्रों का अर्थ नहीं लेते, किन्तु केवल उसी अंग का अर्थ लेते हैं, जिसे हम भी कारण से उसमें से चुन लेते हैं और जिसे हम विशिष्ट महत्त्व प्रदान लेते हैं।”

टॉलस्टॉय के इन आदर्शवादी सिद्धान्तों में पाश्चात्य समालोचना के क्षेत्र नूतन-शान्ति का आविर्भाव हुआ और कला को मानव जीवन में सम्बन्धित लेना प्रयत्न किया जाने लगा, जिससे कला को मानवीय-प्रतिक्रिया समझ-र कला के क्षेत्र में नवीन प्रतिमान स्थापित हुए।

अभिव्यञ्जनावाद (१८६६-१९५२)

इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक "बेनेडेट्टो क्रोचे" आत्मवादी दार्शनिक थे। उन्होंने नैर्दय-शास्त्र के नियमों पर आधारित अपने सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया, 'अभिव्यञ्जनावाद' के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्रोचे ने इस तथ्य को स्वीकारा कि कला अन्तर्भूत भावना या महज ज्ञान (Intuition) है। इसका मूल्य किसी भी स्थिति में बाह्यवस्तु से नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाह्य-वस्तु यथार्थ नहीं है। क्रोचे ने यह भी स्वीकार किया है कि सौन्दर्य महज ज्ञान ही अभिव्यक्ति है। सहज-ज्ञान और अभिव्यञ्जना घनिष्ठ रूप में परस्पर सम्बन्धित हैं। अतः इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि सौन्दर्य महज-ज्ञान ही या सौन्दर्य ही अभिव्यञ्जना है।

क्रोचे ने ज्ञान के दो रूप माने हैं—महजानुभूत-ज्ञान के लिए बौद्धिक-ज्ञान की आवश्यकता। महजानुभूति अथवा अभिव्यञ्जनात्मक ज्ञान का सम्बन्ध सौन्दर्यात्मक अथवा कलात्मक तथ्यों के साथ है। कला वास्तव में प्रभावा की अभिव्यञ्जना होती है, न कि अभिव्यञ्जना ही अभिव्यञ्जना। क्रोचे के इस अभिव्यञ्जनावादी सिद्धान्त ने पश्चिमी-शास्त्रियों में ही सौन्दर्य-चिन्तन का विकास ही किया, बल्कि भारतीय सौन्दर्य-चिन्तन की परम्परा को उमने घनिष्ठ रूप से प्रभावित किया है।

अभिव्यक्तिवाद (१९१७)

टी० ए०० इलियट वर्तमान अंग्रेजी शास्त्रियों के युग प्रथमक कवि ए०

विचारक माने जाते हैं। वे अव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। उन्होंने निम्न
 "कविता भावों का उन्मोचन नहीं है, बल्कि भावों से पलायन है। कवि
 को अभिव्यक्ति नहीं देता, बल्कि एक विनिष्ट माध्यम को; जो निर्द्वैत
 ही होता है। 'व्यक्तित्व' नहीं जिसमें मन पर पड़े प्रभाव और अनुभूतियाँ
 और अप्रत्यागित ढंगों से सयुक्त होती हैं। जो प्रभाव और अनुभूतियाँ
 के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं, सम्भव है कि कविता में उनको स्थान न मिले
 जो अनुभूतियाँ कविता में महत्त्वपूर्ण होती हैं मनुष्य के अन्दर अर्थात्
 व्यक्तित्व में उनकी भूमिका शायद नगण्य होती है।" इलियट ने यह
 किया है कि कलाकार का व्यक्तित्व उसकी कृति से निर्लिप्त रहना है

मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद

यूरोप के वर्तमान काव्यशास्त्र के इतिहास में 'डा० आई० ए०।
 का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। रिचार्ड्स ने आलोचना क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक
 मूल्यों पर बल दिया है। उन्होंने साहित्य और जीवन में अविच्छिन्न सम्बन्ध
 स्वीकार किया, क्योंकि उसका आविर्भाव जीवन से ही होता है और वह अर्थपूर्ण
 के लिए रचा जाता है। उनकी आलोचना-दृष्टि मानवतावादी है। उनके
 अनुसार कला और साहित्य को जीवन की उपयोगिता से अलग करके देखना
 और उस पर विचार-विमर्श करना असंगत है। उन्होंने कहा—कला और
 साहित्य की अनुभूतियाँ भी जीवन की अन्य अनुभूतियों के समान होती हैं।
 रिचार्ड्स ने आलोचक को जीवन के मूल्यों का निर्णायक एवं समाज के मानकीय
 सिद्धांत की विशेषता की रक्षा करने वाला, नियामक शक्ति के रूप में स्वीकार
 किया है। आलोचक का सामाजिक मन के स्वास्थ्य से एक डाक्टर
 भाँति ही सम्बन्ध होता है और उसकी उचित देखभाल करनी पड़ती है।

जो लोग कला के नैतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण को अधिक महत्त्व
 नहीं प्रदान करते हैं और उसकी अपेक्षा कला को स्वतः साध्य-दृष्टि मानते हैं,
 रिचार्ड्स ऐसे विचारकों की मनोवृत्ति पर अपना असन्तोष प्रकट करते हैं।
 वे काव्य के माध्यम से विभिन्न-वृत्तियों का सामञ्जस्य सम्भव मानते हैं,
 यह भी स्वीकार करते हैं कि इसकी सहायता से व्यक्ति में आन्तरिक

को सम्बन्धित किया जा सकता है। सामान्यतः की दिशा का निर्माण
 मानसिक व्यवस्था की संरचना तथा शैविच्य के मान्यता में ही सम्भव हो
 पाता है। इस प्रकार रिचार्ड्स के मूल्यों की कठोरता एक ओर व्यक्तिगत मनो-
 ज्ञान पर आधारित है, दूसरी ओर यह लोकसमग्र में भी घनिष्ठतम रूप में
 स्वीकृत है। उसमें यह मूल्य-दृष्टि देशकाल तथा पात्र के अनुसार परि-
 ष्ठित होती रहती है। इसीलिए यह मर्यादात्मक कोटि की है। कदाचित् इसी-
 लिए उन्होंने जीवन तथा काव्य को नीति में सम्बन्धित किया है।

'कविता-व्यक्ति के लिए' की मान्यता में रिचार्ड्स ने यह निष्कर्ष निकाला
 कि यह अनुभूति अपने आप में माध्य है। हमारे यह निहित-महत्ता ही उसका
 प्राथम्य मूल है। 'रिचार्ड्स' ने मूल्य तथा प्रेयणीयता पर अधिक बल दिया है।
 उन्हीं यह प्रेयणीयता का सिद्धान्त कदाचित् भाव अथवा अनुभूति में सम्बद्ध
 है। कदा द्वारा प्रदान अनुभूति को उन्होंने सामान्यीकरण सामान्यीकृत-अनुभूति
 या कल्पनात्मक-अनुभूति के रूप में विवेचित किया है। साहित्य में प्रेयणीयता
 के नस्वों को उन्होंने इनका अर्थ महत्व दिया कि यह कहना गलत न होगा
 कि बिना प्रेयणीयता के साहित्यगृहण की कल्पना असम्भव है, क्योंकि प्रेयणी-
 यता काव्य का अचेतन-नस्व है। कोई भी काव्य चाहे कितना भी 'स्वान्त-
 सृष्टि' की भावना में क्यों न किया गया हो, प्रेयणीयता-नस्वों में वंचित नहीं
 रह सकता। इस प्रकार उन्होंने कलापक्ष की अपेक्षा भावपक्ष को अधिक महत्ता
 प्रदान की। यह स्पष्ट है कि सर्व-गत आलोचना मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद
 द्वारा ही सम्भव हो सकती है, यह रिचार्ड्स द्वारा कलावादियों को एक
 अवदस्त चुनौती थी।

मनोविश्लेषणवाद (१८५६-१९३९)

'सिगमण्ड फ्रायड' के मनोविश्लेषणवादी सिद्धान्त ने आधुनिक युग में
 जितनी ज्ञान्ति विभागों के क्षेत्र में उत्पन्न की है, उतनी किसी अन्य विचार-
 णा में नहीं। फ्रायड ने यह स्वीकार किया कि कवियों के अचेतन
 मन में साधारण व्यक्तियों की ही भाँति कूट्टाएँ एक वर्जनाएँ होती हैं, जिनका

वह शमन करने का प्रयास करता है। परन्तु कर नहीं पाता। वह मानव से अधिक बौद्धिक होना है। इसीलिये वह उमकी अभिव्यक्ति काल्पनिक रूप में काव्य के माध्यम से कर अवचेतन में मन्तोप प्राप्त करता है। इस प्रकार काव्य का एकमात्र उद्देश्य—कवि द्वारा अपनी आत्मा को मन्तोप प्रदान करना है। फ्रायड ने काव्य की परम्प वैयक्तिक-मनोविज्ञान के माध्यम से करने का प्रयत्न किया। काव्य में कवि व्यक्तित्व का एकांगीभाव ही प्रसंगित होता है। जो अवचेतन मन की कृष्णशक्ति से सम्बन्धित होता है। अस्तु इस कल्पना काव्यजगत की अवास्तविकता का साहित्यिक-प्रविधि पर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

जिम आनन्द का उपभोग मानव अपने जीवन में एक बार कर लेता। फिर उमका त्याग वह चाहते हुए भी मरलता में नहीं कर सकता और न लिया कि हम किसी वस्तु का त्याग करने भी हैं तो वह एक प्रकार का विनिमय ही होता है। फ्रायड के अनुसार अधिकांश मनुष्य जीवन भर काल्पनिक चित्रों का ही निर्माण करते रहते हैं। जो आदमी जीवन में सुखी है, वह काल्पनिक चित्रों का निर्माण नहीं करता। काल्पनिक चित्रों का निर्माण जीवन में असन्तुष्ट व्यक्ति ही करते हैं। अनृप्त-इच्छाएँ एवं भावनाएँ ही इन काल्पनिक चित्रों को प्रेरणा प्रदान करती हैं। ये अनृष्ट इच्छाएँ या भावनाएँ दो प्रकार की होती हैं—या तो महत्वाकांक्षाएँ होती हैं या फिर काम-मूलक होती हैं।

फ्रायड ने कवियों का सम्बन्ध इन प्रवृत्तियों एवं दिवाम्बुजों से जोड़ते हुए बताया कि साहित्यकार अपने दिवाम्बुजों के अहंपूर्ण स्वरूप का स्तनन एवं परिवर्तनों द्वारा परिहार कर सकता है और अपने दिवाम्बुजों की अस्मिता के द्वारा वह हमें सुदृग्मात्मक अर्थात् सौंदर्य-बोध सम्बन्धी आनन्द प्रदान करने का प्रयत्न कर सकता है। हमें सौंदर्य-बोध का जो आनन्द मिलता है, वह 'अग्रिम आनन्द' है और साहित्य के सच्चे आनन्द का उद्भव हमारे स्मित-रस-तनाव से मुक्त होने पर होता है। इस काव्य की प्राप्ति में कई उपकरणों का योग होता है। इन उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण मान्य 'जोनाल्ड' है। यह एक ऐसी स्थिति में पड़ेका देता है, यहाँ हम बिना किसी निरन्तर प्रयत्न

त्रा का बोध किये अपने दिवास्वप्नो का रसास्वादन करते हैं । यहाँ हम एक निपथ पर पहुँच जाते हैं, जिसके सम्बन्ध में नए एव रोचक तथा जटिल अनुभव प्राप्त हो सकते हैं । इस प्रकार फ्रायड ने काम भावनाओं एव दिवास्वप्नो की वाच्य-सृजन की मूलप्रेरणा मानकर नवीन विचारधारा का सृजन किया ।

भावसंवाद

साहित्यालोचन की दिशा में मार्क्सवाद का प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । यद्यपि कार्ल मार्क्स (१८१८-१८८३) का साहित्यालोचन में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं, फिर भी उसके द्वारा प्रतिपादित-दार्शनिक बला एव साहित्य के सम्बन्ध में प्रवृत्ति की गई मान्यताएँ इतनी प्रभावशालिनी सिद्ध हुई हैं कि साहित्यालोचन उममें अछूता नहीं रह सका ।

मार्क्सवादी, साहित्य का प्रधान उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना मानता है । साहित्य का सम्बन्ध युगीन-जीवन एव वर्ग-सघर्ष में होना अनिवार्य है । मार्क्सवाद काव्य का मूलधार आर्थिक मानता है । इसीलिए काव्य-निर्माण-सम्बन्धी विचारों के उत्पादन-प्रणाली एव आर्थिक-व्यवस्था के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है । इस प्रकार साहित्य का विकास मूलतः आर्थिक विकास पर ही निर्भर रहता है । बला के आस्वादन के सम्बन्ध में कलात्मक दृष्टि में सम्बन्धित होना अनिवार्य होता है । मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण 'द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद' के नाम से विख्यात है । द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद के अनुसार दृष्टि का मूल 'मत्तय पदार्थ' है । यह निरन्तर परिवर्तनशील अवस्था में रहती है । इसीलिये इसे द्वन्द्वात्मक प्रणाली के अनुसार ही जाना जा सकता है । मत्तय और पदार्थ में पदार्थ को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है बसकि दृष्टि में प्रत्यक्ष, पदार्थ के बाद ही आया । प्रत्यक्ष-पदार्थ प्रसूत है और उगका अन्तर्गत स्थित होता है । मत्तय के प्रत्यक्ष परिवर्तन को द्वन्द्वात्मक दृष्टि में समझना चाहिए । द्वन्द्वात्मक में सघर्ष एक अनिवार्य सिद्धि है । यह सघर्ष मूलतः सामाजिक विरोधी शक्तियों में होता है । इस दृष्टि का परिवर्तन मूल साधक है । किन्तु यह सघर्ष प्रभावित करता है । द्वन्द्वात्मक-भौतिकवाद 'हील' के द्वन्द्वात्मक प्रत्यक्षवाद में आविर्भूत है । यह पूँजीवाद-व्यवस्था-सोपान पर आधा-

गित है। 'सोपन' पूर्णोच्चारण-रूप द्वारा सर्वत्राग्य वर्ण का होता है। परंपरते सर्वत्राग्य-वर्ण करता है, पर लाभ यह होने-दिने सोप उठाने है, जो पूर्णोच्चारण के प्रतिनिधि होते हैं। समाज में यह सोपन समाज होना चाहिए। यदि पूर्णोच्चारण वर्ण अनिर्णायक है और सर्वत्राग्य वर्ण अनिर्णायक, इतना, जो सोपन समाज में समाज नहीं होगा। इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। साम्यवादी इन प्रवृत्तियों का सम्बन्ध साहित्य में जोरदार उगम है। इन्हीं विचारों को सोपन का प्रयत्न करने है कि उगम समाजवादी समाजवाद है। यह दृष्टि बड़ी प्रगतिशील और उपयोगी है।

प्लेटो की काव्य-विषयक-धारणा

पारश्चात्य विद्वानों की साहित्य-समीक्षा-सम्परा में 'प्लेटो' का नाम व सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इनका अमिथ्व प्रसिद्ध काव्य 'अरस्तू' में भी पूर्व माना जाता है। 'प्लेटो' नैतिकता एवं मदानार के प्रभाव से, फलतः वे काव्य में भी इनका प्राधान्य देना चाहते थे। इनके समय का स्तर भी 'मनोरजन' के मरते उद्देश्य तक सीमित था। प्रायः तत्कालीन रचनाओं में ऐसे तत्वों की प्रधानता रहती थी, जो अवाञ्छनीय एवं अमर जाते हैं। उनसे मानव-जीवन को कोई ऐसा सम्बल नहीं मिल सकता था, समाज के उदात्तीकरण में सहायक हो। यद्यपि प्लेटो ने काव्यमिद्वान्त से समाज किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना नहीं की, किन्तु उनके विचार उनकी तीन रचना के माध्यम से ज्ञातव्य हैं। इनकी प्रारम्भिक-रचना 'फीडस' (Fidrus) ३ 'आयोन' (Ayon) के अतिरिक्त परवर्ती रचना 'रिपब्लिक' (Republic) ३ भी इनके विचारों की झलक मिलती है।

इन्होंने अपनी प्रथम दो रचनाओं में काव्य के प्रति प्राचीन दृष्टि अपनाया है। यथा—“The right function of art is to put before the soul of the images of what is intrinsically great and beautiful.”

अर्थात् कला का सही कार्य यह है कि वह मानव-स्वभाव का सच्चा-रूप

Imitation is only a kind of play on Nature

कला का दम सिद्धांतकारों का शून्यत्वपूर्ण तथा दामनिकता एक नीतिर
दृष्टि थी। इसी आधार पर वे कला का भी कला का कारण थे। अतः कलाकार
'मिमिक्रिजन' नामक शब्द से उन्नीत कलाकार और आत्म विषय और 'कविता
को भी अतः उन्नीत। शून्यत्व उनसे एक विशेष दम प्रकार है--

प्रथम आक्षेप—कवि ईश्वरीय प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर आवृत्त की स्थिति
में रचना करता है, अपनी दम स्थिति में वह अप्रकृतियुक्त रहता है। विवेक या
ज्ञान की स्थिति में न ज्ञान के कारण, वह जा भी रचना करता है वह भी
अविवकपूर्ण होती है, अतः उगम समाजकल्याण नहीं हो सकता।

द्वितीय आक्षेप—बाध्य अपने माध्यम में श्रोता या पाठक को मिथ्याचारी

बनाता है। कवि तो प्रकृति का अनुकरण करता है और उसका अनुकरण करने वाला श्रोता अथवा नाटकदर्शक करते हैं। इस प्रकार मिथ्याकरण को प्रोत्साहित मिलता है, जो समाज के लिए हितकर नहीं है।

तृतीय-आक्षेप—कवि प्रकृति का अनुकरण करता है, प्रकृति स्वयं सत्य अनुकरण है, अतः मिथ्या है और इसी मिथ्या प्रकृति की अनुकृति होने से समाज भी मिथ्या है। इस प्रकार काव्य समाज हितकारी नहीं प्रतीत होता।

चतुर्थ-आक्षेप—काव्य में 'आवेग' की प्रधानता होती है। आवेग में कुछ नहीं, मानवीय-दुर्बलता का प्रतीक है। काव्य दुर्गो क्रोध, उन्माद, लोभ आदि आवेगों को हृदयावर्जक रूपों में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार समाज मानवीय दुर्बलताओं का प्रचारक है। वस्तुतः कवि एक प्रमादी एवं अन्यायवादी व्यक्ति होता है, वह नैतिक प्राणी नहीं हो सकता। वह पाठकों को श्रोताओं में उन्माद का प्रचार एवं प्रसार करता है, जिससे नैतिक-अज्ञान की अभिवृद्धि होती है। अतः आदर्शराज्य में कवि के लिए कोई स्थान नहीं है।

प्लेटो ने अपने देशवासियों को कविता का बहिष्कार करने का परामर्श दिया था—“We should expel poetry from the city such being her nature, in case she should accuse us of brutality and boorishness. ..Let us state the Pleasure of producing poetry and imitation have any arguments to show that she is in her right place in a well governed city we shall be very glad to receive her back again.”

प्लेटो के आक्षेप एकांगी है, जिनका समुचित उत्तर उनके शिष्य 'अरस्तु' ने दिया है। इसके अनिश्चित उनके आक्षेप 'असत्-काव्य' पर घटित होते हैं, सत्य काव्य पर नहीं। उदाहरणार्थ कविता केवल 'आवेशजन्य' ही नहीं है, जहाँ शक्ति, निपुणता एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कविता का विकास के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जहाँ तक काव्य के निष्कार का आक्षेप है, वह भी सगत नहीं है। कवि दृश्य पदार्थों के अर्थों को कर कविता में उम्र मूर्त रूप देता है। इस प्रकार वह सत्य के प्रति

का सूत्रबद्ध लक्षण उन्होंने कही नहीं किया, परन्तु उनके विवेचन के शरणा पर प्रायः उन्हीं के शब्दों में काव्य-लक्षण का निर्माण और वाक्य समझ निर्धारण हुआ है।

काव्य एक कला है

काव्यशास्त्र के आरम्भ में ही अरस्तू ने यह स्पष्ट कर दिया कि काव्य एक कला है—‘चित्रकार अथवा किसी भी अन्य ‘कलाकार’ की ही तरह काव्य ‘अनुकर्ता’ है।’ निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं—“काव्य एक कला है एक ही संगीत चित्र आदि (ललित) कलाएँ और दूररी ओर महाकाव्य शामदी इत्यादि काव्य-कला के विभिन्न रूप ‘अनुकरण’ के ही प्रकार हैं। अर्थात् समस्त काव्य का मूल तत्त्व एक ही है—‘अनुकरण’। इस प्रकार कला जाति है। और कला प्रजाति, महाकाव्य, शामदी आदि इसके व्यष्टि-भेद हैं। इन भेद-प्रभेदों का आधार तीन है—विषय, माध्यम और रीति।

उपर्युक्त स्थापना के अनुसार अन्य कला-रूपों की भाँति काव्य को भी कहें—“अनुकरण”, ‘अनुकरण’ यूनानी काव्यशास्त्र का व्यष्टि शब्द है कि विवेचन इस प्रकार है—

अनुकरण-सिद्धान्त

अनुकरण यूनानी शब्द ‘मीमेसिस’ (Mimesis) के पर्याय शब्द प्रयुक्त किया गया है। हिन्दी में वास्तव में यह अंग्रेजी शब्द ‘इमीटेशन’ (Imitation) का रूपान्तर होकर आया है। प्लेटो और प्लेटो के भी पूर्व यवन-आचार्यों ने ‘अनुकरण’ शब्द का प्रयोग स्थूल अर्थ में ‘नकल’ या ‘प्रतिकृति’ के अर्थ में किया है। उनके अनुसार विभिन्न कलाकार अपने-अपने माध्यम-उपकरणों के अनुसार भौतिक जीवन और जगत् का अनुकरण कर चित्रकार, रूप और रंग द्वारा, अभिनेता, वेशभूषा, आंगिक-चेष्टा तथा आदि के द्वारा, कवि, भाषा द्वारा। अरस्तू ने भी इसी प्रचलित शब्द को किया और उसमें नूतन अर्थ भर दिया—

१ कला प्रकृति की अनुकृति है

२ चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अ

अनएव इमका अनुवायं अनिवायंन इन तीन प्रकार की वस्तुओं में से ही ई.एव हो सकता है—जैसी वे थीं या हैं, जैसी वे बही या समझी जाती हैं, वा जैसी वे होनी चाहिए ।

३ कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक तो उमका निरूपण करता है, जो घटित हो चुका है और दूसरा उमका जो घटित हो सकता परिणामनः काव्य में दार्शनिकता अधिक होती है । उमका स्वरूप इतिहास भव्यतर है, क्योंकि काव्य सामान्य (सार्वभौम) की अभिव्यक्ति है—और इतिहास विशेष की ।

४ अनुकृत-वस्तु में प्राप्त आनन्द भी कम सार्वभौम भूही होता ।

उपर्युक्त विवेचन से ये निष्कर्ष निकलते हैं—

वाक्यात्मक अनुकरण के विषय प्रकृति अथवा जीवन का बहिरंग अथवा म आचार-धारी जड-जगम रूप ही नहीं है, बरन् उसका अंतरंग अथवा अनु-ने, विचार कल्पना आदि भी हैं ।

२ इन दोनों में भी अंतरंग का ही प्राधान्य है, क्योंकि बहिरंग अर्थात् वस्तु भी तो यथायं रूप का नहीं, बरन् प्रतीयमान-रूप का ही अनुकरण किया जाता है और वही सम्भव है, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान यही तक सीमित है । अर्थात् वस्तु के प्रत्यक्षरूप की अपेक्षा उमका कल्पनात्मक तथा भावात्मक—विचारान्वित-रूप ही अधिक ग्राह्य है । इस प्रकार काव्य में वस्तु के प्रायः तीन रूपों का अनुकरण किया जाता है ।

१ प्रतीयमान-रूप (जैसा अनुकर्ता को प्रतीत होता है)

२ सम्भाव्य-रूप (जैसा वह हो सकता है)

३ आदर्श-रूप (जैसा वह होना चाहिए)

प्रतीयमान रूप के अनुकरण का अर्थ है, वस्तु के मानस प्रतिबिम्ब को शब्द आदि के माध्यम से व्यक्त करना । इस प्रक्रिया में मानस प्रतिबिम्ब में सत्य-त्व और सन्देह द्वारा प्रस्तुति में कल्पना की अवस्थिति अनिवार्य है । सम्भाव्य रूप का चित्रण तो निश्चय ही कल्पना पेशी है और आदर्शरूप अनु-कर्ता की इच्छा और विचार में पोषित कल्पना की सृष्टि होती है । अनएव

अनुकरण का अर्थ 'यथायं प्रत्यंकन' किसी भी रूप में नहीं है—वह मात्र एव कल्पनात्मक 'पुनः सृजन' का ही पर्याय है, इसमें सन्देह नहीं।

४ अनुकरण में आनन्द का तत्त्व अनिवार्यतः निहित होने का अर्थ यही है कि उसमें आत्म-तत्त्व का प्रकाशन निहित रहता है, क्योंकि आत्म-तत्त्व उपलब्धि आत्म-तत्त्व के प्रकाशन के बिना सम्भव नहीं, किन्तु भाव-तत्त्व में उसमें सप्रतिहित 'आत्म-तत्त्व' का निश्चित सद्भाव होने पर भी अतः बिन्दुद्ध आत्माभिव्यजन का पर्याय नहीं है ; क्योंकि उसमें वस्तु-तत्त्व का प्रकाशन अनिवार्य है।

अरस्तू के अनुसार काव्य की परिभाषा

१ अरस्तू के अनुसार कला के अनेक प्रकार हैं—वाद्य, चित्र, कर्म आदि, जो माध्यम के आधार में एक दूसरे से भिन्न हैं। अर्थात् इन का मूलतत्त्व तो स्वभावतः एक ही है, किन्तु माध्यम भिन्न हैं। काव्य का माध्यम भाषा, चित्र का रंग-रेखा, और गीत का स्वर इत्यादि। इसका अर्थ यही कि "काव्य, कला का वह प्रकार है जिसका माध्यम है भाषा।"

'कला' अरस्तू के मत में प्रकृति का अनुकरण है, शब्द के स्थान पर भाषा का नियोजन कर देने से यह निष्कर्ष निकला कि 'काव्य प्रकृति का अनुकरण का वह प्रकार है जिसका माध्यम है भाषा। अतः अरस्तू के मत में काव्य का यह लक्षण बन जाता है—काव्य भाषा के माध्यम में प्रकृति का अनुकरण है। किन्तु प्रकृति अरस्तू के लिए केवल वास्तव जगत् का ही अर्थ नहीं उगमे भी अर्थात् अन्तर्जगत् का एक शब्द में 'जीवन' का पर्याय है जो अनुकरण का अर्थ है 'अनुमूनि' तथा कल्पना के द्वारा 'पुनर्निर्माण' या पुनः-सृजन का अर्थ है। अतः अरस्तू के मत में काव्य का अर्थ है—अनुमूनि तथा कल्पना के द्वारा प्रकृति का पुनः सृजन का अर्थ है। अतः अरस्तू के मत में काव्य का अर्थ है—काव्य भाषा के माध्यम में प्रकृति का अनुकरण है। अतः अरस्तू के मत में (जो शब्द तथा पद दोनों ही हो सकते हैं) प्रकृति का अनुकरण है। अतः अरस्तू के मत में—

अनुकरण के माध्यम

जिस प्रकार कुछ लोग शब्दों-विधान अथवा केवल अभ्यास द्वारा लिखन या स्वर के माध्यम से विभिन्न विषयों का अनुकरण या अभिष्यजन करते हैं, उसी प्रकार उपसृष्ट कलाओं में सम्यक् रूप में अनुकरण की प्रक्रिया है, चाहे अथवा सामञ्जस्य में से किसी एक या एकाधिक द्वारा सम्पन्न होती है।

एक और बात है जिसमें अनुकरण का माध्यम केवल भाषा होती है—यह भाषा उच्च हो या पशु और पक्ष में भी चाहे अनेक छन्दों का प्रयोग किया गया हो या एक का किन्तु हमका नामकरण अभी तक नहीं हुआ। हमारे पास कोई ऐसा सामान्य छन्द नहीं है, जिसका एक और तो गोपनीय और जगन्नाथस्य के विदम्बन और सोपेनस के सम्वादों तथा दूगरी और द्विमात्रिक छन्द 'शोक-गर्वितछन्द' या ऐसे ही किसी अन्य छन्द में परिचित काव्यारम्भ अनुकृतियों के लिये समान रूप में प्रयोग किया जा सके। छन्द के नाम के साथ 'रक्षयिता' या 'कवि' शब्द जोड़ दिया जाता है और लोक-गीत-कवियों अथवा महाकाव्य कवियों की चर्चा की जाती है। मानों वे अनुकृति के नहीं, बल्कि छन्द के ही आधार पर निर्विद्वेक रूप में कवि-पद के अधिकारी हों।

अनुकरण के विषय

अनुकरण के विषय, कार्य एक व्यक्ति होने हैं और ये व्यक्ति या तो उच्चतर कोटि के होंगे या निम्नतर कोटि के। यह विभाजन मुख्यतः नैतिक आचरण

पर आया है और नैति-मन्त्र के विभेदक लक्षण है— मनुष्यता तथा दुर्गति। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें उनका या तो यथार्थ-जीवन में अंशक रूप प्रस्तुत करना होगा या हीनतर । या फिर यथावत् रूप । गौश्यांश को राग-प्रधान कविताओं के विषय में भी यही सत्य है— इनमें भी कोई निम्न मानव-रूपों का चित्रण कर सकता है । जैसे 'निर्मोषेत्तम' 'त्रिभोगेनम' दोनों शकल देव्यों का चित्रण भिन्न प्रकार में किया । प्राग्दी वामदी में भी एक भेद है । वामदी का लक्ष्य हीना है यथार्थ जीवन की अपेक्षा-मानव का हीन चित्रण और प्राग्दी का लक्ष्य हीना है भव्यतर चित्रण—

अनुकरण की विधि

जब माध्यम एक हो और विषय भी एक हो । एक हो फिर भी कवि तो सामान्यतः द्वारा अनुकरण कर सकता है और इस स्थिति में भी वह जो तो 'होमेरस' की तरह कोई अन्य व्यक्तित्व धारण कर सकता है या अपने निम्न रूप में भी बोल सकता है—अथवा अपने सभी पात्रों को जीवन-जापन बली फिरते प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रकार जैसा कि हम आरम्भ में कह आये हैं कलात्मक अनुकरण में विभेद करने वाले ये ही तीन उपादान हैं माध्यम, रीति

काव्य का उद्भव

अनुकरण

सामान्यतः कविता दो कारणों से प्रस्फुटित हुई प्रतीत होती है और दोनो की ही जड़ें हमारे स्वभाव में गहरी हैं । पहला—अनुकरण की वृत्ति मनुष्य में शंशव से ही सन्निहित रहती है । उसमें और अन्य प्राणियों में एक अन्तर यह है कि जीवधारियों में वह सबसे अधिक अनुकरणशील होता है ।

१. वे वह सब कुछ अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकृत-वस्तु से प्राप्त
२. भी कम सार्वभौम नहीं अनुभव होता, इसका प्रमाण है जिन वस्तुओं ने
३. दर्शन से हमें क्लेश होता है उन्ही की यथावत् प्रतिकृति का भावन आह्ला
४. बन जाता है । जैसे किसी अत्यन्त जघन्य-पशु अथवा शव की रूप-आकृति

उदाहरण लिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ज्ञान के अर्जन से पन प्रबल-आनन्द प्राप्त होता है केवल दार्शनिक को ही नहीं, सामान्य मनुष्य के भी जिम्मी ज्ञानार्जन-शमना अपेक्षाकृत बड़ी सीमित होती है। अतः किसी विकृति को देखकर मनुष्य के आह्लादित होने का कारण यह है कि उसका जीवन बचने में वह कुछ ज्ञान प्राप्त करता है या निष्कर्ष ग्रहण करता है—परन्तु वह अपने मनमें बहता है अरे ! यह तो अमुक है, क्योंकि यदि आपने कुछ बसु नहीं देगी तो आपका आनन्द अनुकरण-जन्य न होगा—वह अक्रम-रग योजना या किसी अन्य कारण पर आरुत होगा।

सामंजस्य और लय

अतः अनुकरण हमारे स्वभाव की एक सहजवृत्ति है दूसरी वृत्ति है—सामंजस्य और लय की। छन्द भी स्पष्टतः लय के ही अनुराग होने है। इसलिये जो कि सत्त्व शक्ति में सम्पन्न थे, उन्होंने धीरे-धीरे अपनी विनिष्ट प्रवृत्तियों का विकास रचिया और अन्त में उनकी भोडी भांगु-रचनाओं से कविता का जन्म हुआ।

काव्य का विकास

लेखक के व्यक्तित्व स्वभाव के अनुसार काव्य-धारा दो दिशाओं में विभक्त हो गई। गम्भीर-चेतना-भूक्त लेखकों ने उदात्त व्यापारों और मज्जनों के क्रिया-रूपों का अनुकरण किया। जो क्षुद्र वृत्ति के थे उन्होंने अधमजनों के कार्यों का अनुकरण किया और जिस प्रकार प्रथम वर्ग के लेखकों ने 'देव-भूक्त' और यमसी पुराणों की प्रशंसियाँ लिखी, उसी प्रकार इन लोगों ने पहले-पहल व्यंग्य-काव्य की रचना की।

बाक कोई ऐसा व्यंग्य-काव्य नहीं, जिसे होमेरस के पूर्ववर्ती किसी कवि की रचना कह सकें। यद्यपि ऐसे कई लेखक थे अवश्य, परन्तु होमेर और उसके बाद के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। प्राच्य कवियों के प्रायः दो भेद थे—शौरकवि और व्यंग्य कवि।

होमेरस गम्भीर शैली के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है—क्योंकि नाट्य-रूप और अनुकरण-बीजक का मसदेप केवल उनके ही काव्य में मिलता है। उसी तरह कवि-तरक-व्यंग्य रचना के स्थान पर अभिजात्य तत्त्वों को नाट्यरूप में उप-

जो भी लोग काव्य के सौन्दर्य का शोध करना चाहते हैं । सभी उपायानुसार और
 जो भी सङ्घर्षपूर्ण तथा सङ्घर्षपूर्ण अथवा उपायानुसार का भी विवेचन हो
 सके, उसे काव्य के अन्तर्गत कहेंगे कि इन सङ्घर्षपूर्ण विवेचन आने
 पर ही काव्य का ही अन्तर्गत कहेंगे ।

शामदी

शामदी किन्हीं सङ्घर्षपूर्ण तथा निम्न आधाम से पुनः काव्य की
 शक्ति का नाम है किन्तु सामान्य भावों के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न
 भागों में प्रकृत सङ्घर्षपूर्ण के आधारों में अङ्गीकृत भाग्य होती है जो सामान्यतः
 पर ही हीन भावों द्वारा काव्य के रूप में होती है और किन्तु काव्य तथा प्रा
 ष्टिक द्वारा इन सङ्घर्षपूर्णों का उचित विवेचन किया जाता है ।

शामदी की आधार-भूत तथा सङ्घर्षपूर्ण होती है वह अपने आपमें पूर्ण होती
 है । इनका निम्न आधाम होता है । इनके मूलभाव काव्य और प्राण होते हैं
 तथा भावपूर्ण प्रकृत होने के कारण अङ्गीकृत तथा सङ्घर्षपूर्ण होती है ।

शामदी के अंग

प्रत्येक शामदी के अनिवार्यतः ६ अंग होने हैं जो उगते शौष्ठव का निर्धारण
 करने हैं—वचन, चरित्र चित्रण, पद रचना विचारगन्तव्य दृश्यविरान,
 गीत । इनमें वचन चरित्र चित्रण तथा विचारगन्तव्य अनुकरण के विषय हैं ।
 दृश्य-विधान-साध्यम तथा पदरचना एवं गीत अनुकरण की विधि है । अस्तु
 के समय तक इनका उपयोग प्रत्येक शामदीकार ने किया है ।

शामदी

'शामदी' काव्य का प्रमुख रूप है । अस्तु ने शामदी पर सम्यक् प्रा
 ष्टिक था, परन्तु वह भाग उपलब्ध न होने के कारण शामदी के विषय में
 अस्तु की धारणाओं का प्रामाणिक प्रतिपादन आज सम्भव नहीं ।

'शामदी' और 'कामदी' में यही भेद है कि शामदी का लक्ष्य होता है—
 पदार्थ-जीवन की अपेक्षा मानव का "हीनतर-चित्रण" और शामदी का लक्ष्य
 होता है 'भव्यतर चित्रण' ।

कामदी का मूलभाव 'हास्य' है, 'हर्ष' नहीं। परवर्ती रोमानी मूना (कामद) नाटक अरस्तू की परिभाषा में नहीं आते। इस दृष्टि से कॉमिडी के लिए प्रयुक्त हमारा पर्याय 'कामदी' वास्तव में उसके स्वरूप से दूर है, परन्तु इसका प्रयोग अर्थ साम्य की अपेक्षा ध्वनि-साम्य के आधार पर ही किया है।

'कामदी' का विषय व्यक्तिगत न होकर प्रायः वर्गगत या सावर्जन्य होता है। इस दृष्टि से अवगोति से कामदी भिन्न होती है, क्योंकि अवनीति लक्ष्य जहाँ व्यक्तिगत दोष होते हैं, वहाँ कामदी के लक्ष्य प्रायः सावर्जन्य दोष होते हैं। अतएव कामदी की कथावस्तु प्रसिद्ध न होकर प्रायः काल्पनिक या उत्पाद्य ही होती है।

अरस्तू का विरेचन सिद्धान्त

'विरेचन' शब्द अग्रेजी के Catharsis 'कैथार्सिस' शब्द का अनुवाद। वस्तुतः यूनान के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री 'अरस्तू' ने अपनी प्रसिद्ध-काव्यशास्त्र के प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग किया था, किन्तु अग्रेजी में इसका समुचित पर्यायवाची शब्द न मिल सकने के कारण अग्रेज विद्वानों ने इस यूनानी शब्द को ज्यों का त्यों इंग्लिश में गृहीत कर लिया। हिन्दी में 'विरेचन' शब्द 'कैथार्सिस' शब्द का पर्यायवाची माना जाता है। इसका कारण यह है कि संस्कृत में 'विरेचन' शब्द चिकित्साशास्त्र में "रेचक औषध द्वारा उदरविकार की शुद्धि" इस अर्थ में प्रयुक्त होता है और लगभग Catharsis शब्द भी इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार संस्कृत एवं हिन्दी दोनों भाषाओं के शब्द तुल्यार्थक हैं।

काव्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम आचार्य 'अरस्तू' ने अपने दो ग्रन्थों—'राजनीति' 'पोइटिक्स' में 'विरेचन-सिद्धान्त' की चर्चा की है। इनके पूर्ववर्ती आचार्य इनके गुरु 'प्लेटो' ने अपनी प्रसिद्ध-मुस्तक 'रिपब्लिक' में 'काव्य' एवं 'कवि' अनेक आक्षेप किये थे। यथा—

"काव्य मानव वासनाओं का दमन करने के स्थान पर पोषण करता है। इस कारण गणतन्त्र में स्थान पाने योग्य नहीं है।" अरस्तू ने प्लेटो के उक्त

श्रेणियों के उत्तर देने में 'विरेचन-सिद्धान्त' का आश्रय लिया है। यद्यपि उन्होंने 'रेचन' (Catharsis) शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी और न कोई ऐसी व्याख्या ही की, जिससे उक्त शब्द का अभिप्राय निर्भ्रान्तरूप से जाना जा सके, किन्तु विद्वानों ने सन्दर्भ के अनुसार 'विरेचन' के अनेक अर्थ लगाकर सिद्धान्त की पुष्टि की है।

रेचन का स्वरूप

अरस्तू ने 'त्रागडी' के प्रसंग में 'कैथ्यामिस' का प्रयोग किया है। उन्होंने 'श्रेणियों' द्वारा किये गए इस आक्षेप को तो स्वीकार किया—'काव्य बागनाओं और मनोरंगों का दमन नहीं करना' किन्तु उन्होंने यह नहीं स्वीकार किया कि काव्य बागनाओं और मनोरंगों का पोषण और मिथन करना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रेचक औषधों द्वारा आन्तरिक विकार निकल जाते हैं और शक्ति हो जाती है, श्रेणियों द्वारा काव्य-नाटक आदि में मनोभावों की सन्निधि होने से शक्ति की शुद्धि होती है शान्ति मिलती है।

"Tragedy, then, is an imitation of action that is Serious, complete and of a Certain magnitude, in Language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in Separate parts of the Play in the form of action, not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions"

('त्रागडी' विषयी गम्भीर, पूर्ण एवं निश्चित ढंग में युक्त भावों का अनुकरण है, जिसका माध्यम नाटक के विभिन्न रूपों में प्रयुक्त गमन आभूषणों में युक्त भाषा है, जो वर्णनात्मक न होकर भाव-व्यापार रूप में होती है और जिनमें 'करुणा' तथा 'भय' के उत्कर्ष द्वारा इन मनोभावों का उचित विरेचन (Purgation) होता है।")

इस प्रकार 'त्रागडी' का उद्देश्य बरने हुए अरस्तू ने लिखा कि 'त्रागडी' का प्रयोजन है। यह हमारे अन्दर करुण तथा भय की भावना को आसन्न करने वाले मनोरंगों के लिए एक प्रकार का व्यञ्जना-साधन प्रस्तुत करती है। काव्य

के विषय में ही नहीं, अरस्तू ने सगीत का अध्ययन भी 'विरेचन' के आवश्यक माना है। इसका कारण यह है कि इसके माध्यम से मन की अभिव्यक्ति होने में चित्त शुद्धि होती है।

विरेचन का तात्पर्य

प्रायः सभी मनुष्यों के अचेतन मन में 'मनोभाव' प्रमुक्तावस्था में कि रहते हैं। यदि उनकी अभिव्यक्ति के लिए मार्ग न मिलेगा, तो परिणाम अनेक भयानक रोग हो सकते हैं। काव्य में उन मनोभावों के व्यक्त हो अवसर मिलता है। वे मनोभाव 'मनोविकार' ही कहलाते हैं। उनके जाने से चित्त को शान्ति मिलती है। इन्हीं मनोविकारों के निकलने को 'विरेचन' है। आयुर्वेद में 'विरेचन' मल को या विकार को बाहर निकालने वाली औषध के लिए प्रयुक्त होता है। यथा—'हरीतिका (हर) एक है।' यह विरेचन उदरशुद्धि का साधन है और काव्य या सगीतरूपी 'मन शुद्धि' का साधक है। मन की शुद्धि होने पर ही आनन्द की उ होती है। इस प्रकार अरस्तू के विरेचन-सिद्धान्त के अनुसार काव्या उपलब्धि होती है, अतः काव्य की रचना और उसका पठन-पाठन से लिए अकल्याणकारी न होकर कल्याणकारी ही सिद्ध होता है।

'विरेचन' शब्द के अनेकार्थ

अरस्तू के पश्चात् विद्वानों ने अपने-अपने विचार से 'विरेचन' अनेक अर्थ लगाये हैं। सामान्यतया हम उन अर्थों को चार वर्गों में वि- सकते हैं—१. चिकित्साशास्त्रपरक अर्थ २. धर्मपरक अर्थ ३. नैतिक ४. कलापरक अर्थ। उपर्युक्त चारों प्रकार के अर्थों का विरलेपण भी ओ- क्षित है—

१. चिकित्साशास्त्रपरक अर्थ—'विरेचन' शब्द का भारतीय अर्थ 'रेच औषध' है, जिसके सेवन से उदर विकार बाहर निकल जाते हैं और उदर के वकार होने से मन भी निर्विकार हो जाता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने 'शब्द का 'लाक्षणिक अर्थ' लिया है। जिस प्रकार उदर-विकार विरे- ' के द्वारा उत्तेजित होकर शान्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मनोविकार भी

— इस प्रकार के लेख के लक्षित होकर लिखे जाते हैं। इस प्रकार विवेक का सम्बन्ध कायम रहता है। इनका आधार गौणी-
— है किन्तु इनका विवेक का अर्थ 'आत्मज्ञान' आदि शब्दों से सम्बन्धित
— है।

२. **सत्यमेव जयते**—साक्षात्-विद्या के सिद्ध होते हुए 'विद्यार्थी' आदि
का (Catharsis) का सत्यमेव जयते माना है। इस प्रकार इनका अर्थ
— काय उन्मत्त की उत्पत्ति करने में सत्यमेव जयते पर आत्मिक शक्ति
— कायमेव-शक्ति। इस अर्थ की भी एक शक्ति परम्परा है। युवान में
— पर इनका एक नाट्यकारिता का अभिन्न भाव या और प्रायः ये सभी
— की है शक्ति माने जाते हैं। युवानों के लिए इस बात पर विश्वास बरती
— कि युवा, गौणी एवं अभिन्नशक्ति के द्वारा कायम शक्ति होती है। इस प्रकार
— के शक्ति में 'आत्म' भी 'आत्मशक्ति' का कारण माना गया और 'विवेक
— अर्थ 'आत्मशक्ति' कायमेव जयते। यह अर्थ भी गौणी लक्षणा के
— काय पर चर्चित होता है। प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर भी यह देखा जाता
— कि यदि काय या नाटक में 'सत्यमेव' हुई तो इनके कथित में एक विधि
— काय की शक्ति प्रतीत होती है।

३. **नानिपरक अर्थ**—प्रसिद्ध जर्मन विद्वान 'वाग्नेर' ने 'विवेक' की
— निपरक अथवा मनोवैज्ञानिक-ध्यातव्यता की है। ये 'विवेक' का अर्थ मानते
— 'मनोविकारों' की उत्पत्ति के पदार्थों उन्नी शक्ति। इनका कथन है कि
— शक्ति में 'करण' और 'भय' नामक मनोविकार अत्यन्त प्रचलित हैं, ये दोनों
— समुच्चर भाव हैं। ऐसा कोई ध्येय नहीं है, जिसमें 'वासनारूप' में या बीज-
— में इनकी स्थिति न हो। 'वाग्नेरी' आदि में इन मनोविकारों का अतिरजित
— प्रस्तुत किया जाता है। पाठक या दशक के चित्त में बीज रूप में स्थित
— के मनोविकार 'वाग्नेरी' के प्रभाव में उद्भूत रूप धारण कर हमारे अवचेतन
— 'चेतन' में जाकर अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार इस अभिव्यक्ति से
— प्राप्त चित्त विभक्त होता है और शक्ति की अनुभूति होती है। प्रत्येक शक्ति-
— के इस अर्थ में यह मत है कि मनोविकारों के समन होने पर चित्त में शक्ति

जाती है। इस प्रकार विद्य की शान्ति होने पर आत्मगुडि भी होती है।

४ कलावाचक अर्थ—अद्वैती-भाष्य के रोमांचक कवियों एक के 'विरिचन' का कलावाचक अर्थ मर्यादा है। इनका कहना है कि 'विरिचन' कला विद्वान् का अर्थ है। 'वामनी' में 'वाम' अथवा 'कला' नाम विचारों की केंद्र अभिव्यक्ति ही नहीं होती। अतः 'वामनी' हमारे मन की 'कला' के अर्थ में इतर होती है। इस प्रकार कला के नाम के अर्थ का परिष्कार हो जाता है। ये मान कलात्मक अर्थ प्राप्त कर विद्य के साध्य में एक विशेष प्रकार की 'आनन्दानुभूति' होती है। 'गोहरी' के उक्त अर्थ का अर्थ किया था, किन्तु परवर्ती आचार्य का इसकी विस्तार-भाषणा प्रस्तुत की।

उक्त सभी अर्थों में मूल का अर्थ विद्वान् है। अतः 'विरिचन' अर्थ केंद्र अर्थ को परिधि तक ही नहीं सीमित रखा, अतः उसको विद्वान् के शेष तक ले गया है। विरिचन में शरीर गुडि होती है, किन्तु विचारों के विरिचन में आत्मगुडि होती है। जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान् जे. ने 'विरिचन' शब्द का 'गुडि' अर्थ में ही प्रयोग किया है और 'संवाचन' का साधुवचन अर्थ भी स्वच्छ करना या 'चनन करना' अर्थ है।

विरिचन कितना ?

यहाँ आनुबन्धिक रूप से यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि 'विरिचन' का सम्बन्ध कितना है और किस प्रकार है। यह सवाल सगमन वैसी ही है, जो भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार 'रस' की स्थिति का प्रश्न है। 'विरिचन' स्थिति के सम्बन्ध में पारबाल्य विद्वानों में मतभेद है। कोई तो 'पाठक' 'श्लोक' के मन में 'विरिचन' की स्थिति मानते हैं और कोई अन्य। अतः अनुसार पाठक या श्लोक के मन में 'विरिचन' होता है और 'रिचन' के अर्थ सार आरंभों की 'समाधानता' का ही नाम 'संवाचन' (विरिचन) है। इस प्रकार आरंभ तो कवि, पाठक तथा श्रोता एवं दृष्टा सभी में होता है, जो मन के आरंभों का विरिचन होता है। 'रिचन' का यह अर्थ भारतीय काव्यशास्त्र के सार्वभौम पुरुषता हुआ प्रतीत होता है।

काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना द्वारा जीवन का पुनर्
है।”

अरस्तू का अनुकरण सिद्धान्त

‘मैं काव्य के सामान्य रूप और उसके विभिन्न प्रकारों का प्रत्येक के मूल
पर विचार करते हुए विवेचन करना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि सत्काव्य
ए आवश्यक कथानक के मगटन काव्य के अंगों की मर्यादा एवं स्वरूप और
प्रकार इस अध्ययन की परिधि में आने वाले अन्य विषयों का अनुशीलन
। साथे ।”

करण के माध्यम

जिस प्रकार कुछ लोग मचेष्ट गित्य-विधान अथवा केवल अभ्यास द्वारा
रूप या स्वर के माध्यम से विभिन्न विषयों का अनुकरण या अभिव्यजन
। है, उसी प्रकार उपर्युक्त कलाओं में समग्र रूप में अनुकरण की प्रक्रिया
। भाषा अथवा सामग्र्य में से किसी एक या एकाधिक द्वारा सम्पन्न होती है।
। एक और कला है जिसमें अनुकरण का साधन केवल भाषा होती है—यह भाषा
हो या पद्य और पद्य में भी चाहे अनेक छन्दों का प्रयोग किया गया हो या एक का
नुद्धका नामकरण अभी तक नहीं हुआ। हमारे पास कोई ऐसा सामान्य शब्द
। है, जिसका एक ओर तो सोफ्रोन और कसेनारखस के विडम्बन और
पेनस के सम्वादों तथा डूमरी ओर द्विमात्रिक छन्द ‘शोक-गवितछन्द’ या ऐसे
। किसी अन्य छन्द में चर्चित वाध्यात्मक अनुकृतियों के लिये समान रूप से
। प्रयोग किया जा सके। छन्द के नाम के साथ ‘रचयिता’ या ‘कवि’ शब्द जोड़
। जा जाता है और शोक-गीति-कवियों अथवा महाकाव्य कवियों की चर्चा की
। जाती है। मानो वे अनुकृति के नहीं, वरन् छन्द के ही आधार पर निविवेक
। में कवि-शर के अधिपति हों।

अनुकरण के विषय

अनुकरण के वि
। शक्ति के होंगे

हैं और ये व्यक्ति या तो उच्चतर
। ज्ञान मुख्यतः नैतिक भाषण

आती है। इस प्रकार चित्त की शान्ति होने पर आत्मशुद्धि भी होती है।

४. कलापरक अर्थ—अंग्रेजी-साहित्य के रोमाण्टिक कवियों एव क्लेयर्स ने 'वियरेचन' का कलापरक अर्थ लगाया है। इनका कहना है कि 'वियरेचन' कला सिद्धान्त का व्यञ्जक है। 'नासदी' में 'नास' अथवा 'करुणा' नामक विकारों की केवल अभिव्यक्ति ही नहीं होती। अपितु 'नासदी' हमारे मनोको 'कला' के साँचे में ढाल देती है। इस प्रकार कला के भाव के रूप में भावों का परिष्कार हो जाता है। ये भाव कलात्मक उत्कर्ष प्राप्त करते हैं जिनके माध्यम से एक विशेष प्रकार की 'आनन्दानुभूति' होती है। डॉ. 'गोइटे' ने उक्त अर्थ का संकेत किया था, किन्तु परवर्ती आचार्य 'ब्रूरा' इसकी विनाद-व्याख्या प्रस्तुत की।

उपयुक्त सभी अर्थों में सत्य का अंश विद्यमान है। अरस्तू ने 'वियरेचन' अर्थ केवल आयुर्वेद की परिधि तक ही नहीं सीमित रखा, अपितु उमरों, विज्ञान के क्षेत्र तक ले गया है। वियरेचन से शरीर शुद्धि होती है, किन्तु विकारों के वियरेचन से आत्मशुद्धि होती है। जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान 'के' ने 'वियरेचन' शब्द का 'शुद्धि' अर्थ में ही प्रयोग किया है और 'कंपायिग' का धातुजन्य अर्थ भी 'स्वच्छ करना' या 'चयन करना' अर्थ है।

वियरेचन किसका ?

यहाँ आनुवंशिक रूप से यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि 'वियरेचन' का सम्बन्ध किसमें है और किस प्रकार है। यह शक्य लगभग बँती ही है। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार 'रस' की स्थिति का प्रश्न है। 'वियरेचन' स्थिति के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों में मतभेद है। कोई तो 'पाटन' 'दग्ल' के मन में 'वियरेचन' की स्थिति मानते हैं और कोई अन्यत्र। डॉ. 'के' अनुसार पाटन या दग्ल के मन में 'वियरेचन' होता है और 'रिचर्ड्स' के तार भावनाओं की 'समाधानता' का ही नाम 'कंपायिग' (वियरेचन) है प्रचार भाव तो कवि, पाटन तथा थॉमस एव दृष्टा मर्मा में होते हैं। अतः मतोभावात् वियरेचन होता है। 'रिचर्ड्स' का यह अर्थ भारतीय 'रस' के समरूप पट्टवना हुआ प्रतीत होता है।

रचन और आनन्द

प्रश्न यह है कि 'त्रासदी' तो दुःख या भय से परिपूर्ण रचना है, पुनः सूत्र के 'विरचन सिद्धान्त' के अनुसार इसमें आनन्दानुभूति किस प्रकार होती इसके उत्तर में अग्रस्तू ने कहा है कि मनोभावों का विरचन होने से शोक र भय का उद्देजक असा निबल जाता है, इससे पाठक, श्रोता अथवा दर्शक शक्ति शान्ति का अनुभव करता है, नत्पश्चात् उमें आनन्द की अनुभूति होती । इस प्रकार आनन्द की अनुभूति को दो प्रकार में मान सकते हैं—एक तो शान्त पद्धति द्वारा और द्वितीय अभावात्मक पद्धति द्वारा । प्रथम में तो वेदों के उत्तेजित होकर उनके वहिर्भूत होने के पश्चात् शान्ति का अनुभव र तदनु आनन्दानुभूति होती है तथा द्वितीय के अनुसार 'विरचन' होने से 'त्रास' हो जाता है, यही दुःख या भाव ही शान्ति का जनक है, जिसे आनन्द मज्ञा दी जाती है । प्रो० बूचर के अनुसार 'करण' और 'त्रास' लौकिक वन में दुःख हैं, किन्तु काव्य या 'त्रासदी' में 'दुःख' नहीं है, क्योंकि उनका 'साधारणीकरण' हो जाता है । अपने-परायें का भेद रहने पर ही दुःख उद्देजक त है, किन्तु साधारणीकरण की स्थिति में पाठक, श्रोता अथवा दर्शक स्वार्थ 'निम्नभूमि' में उठकर उच्च धरातल में प्रतिष्ठित हो जाता है, जहाँ उमें 'त्रास' एवं 'त्रास' के भाव भी उदात्तरूप में आनन्दप्रद लगते हैं । यदि ऐसा न हो तो लोग पैसा खर्च करके 'करणाटक' देखने के लिए क्यों जायें ? इस प्रश्न के अनिर्दिष्ट 'बूचर' ने 'विरचन' में आनन्दानुभूति का द्वितीय कारण यह बताया है कि 'कला' की ऐसी विशेषता है कि उसमें करणादि भावों का विरचन हो जाता है, जिससे उक्त भाव गुप्त प्रतीत होते हैं । इस उत्तर 'बूचर' ने कला की मूर्ता स्वीकार की है, जो वस्तुतः समुचित प्रतीत होती है ।

विरचन सिद्धान्त के दोष

कुछ विद्वानों का आक्षेप है कि 'त्रासदी' द्वारा भावों का उत्तेजना नहीं है, तब उनका समन हो जाता है, यह बयन सगत नहीं प्रतीत होता । इस आक्षेप का उत्तर स्पष्ट है कि यदि 'त्रासदी' में 'उत्तेजना' का समन न हो, तो दर्शक

यही बात काव्य या 'वासदी' में भी है । हमारे चित्त में बीजरूप में स्थिति व आदि भाव उत्तेजित होकर अभिव्यक्त हो जाते हैं, जिममें चित्त को शान्ति जानी है ।

इस प्रकार इस सिद्धान्त ने 'मनोविज्ञान' के क्षेत्र में प्रवेश कर आगामी श्रेयों का पथ प्रगम्य कर दिया । 'आई० ए० रिचर्ड्स' के 'मनोवैज्ञानिक भाषा' की आधारसिला के रूप में अरम्भ के 'विरेचन-सिद्धान्त' को गौरव प्राप्त हो चाहिए ।

विरेचन सिद्धान्त की रूपरेखा तथा निष्कर्ष

१-विरेचन-सिद्धान्त के जन्मदाना 'अरम्भ' थे । इन्होंने प्लेटो द्वारा किये गये वाक्यांशों का उत्तर देने के लिए इस सिद्धान्त का प्रणयन किया था ।

२-'विरेचन' शब्द (Catharsis) यूनानी भाषा में अंग्रेजी में यथावत् लेना गया है ।

३-'विरेचन' शब्द का धामुज्य अर्थ 'स्वच्छ करना' अथवा 'चयन करना' है ।

४-'विरेचन' का लाक्षणिक अर्थ स्वीकार किया गया है । जिस प्रकार 'रेच-न' द्वारा मल उत्तेजित होकर बाहर निकल जाता है और उदर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार 'काव्य' द्वारा मनोभाव उत्तेजित होकर अभिव्यक्त हो जाते हैं शिवाय उनका परिष्कार होने पर मानसिक शुद्धि और शान्ति होती है ।

५-विद्वानों ने 'विरेचन' की चार प्रकार की व्याख्यायें की हैं — १ दस्ता-बांश के रूप में २. धार्मिक भावना के रूप में ३ नैतिक भावना के रूप में ४ कलात्मकता के रूप में ।

६-अरम्भ ने अपनी 'राजनीति' एवं 'काव्यशास्त्र' नामक पुस्तकों में 'विरेचन' की पर्याय की है ।

७-अरम्भ 'समीप' को भी 'विरेचन' मानते हैं, क्योंकि इससे भी अन्त मनोभावों का परिष्कार होता है ।

८-'विरेचन-सिद्धान्त' में 'आनन्द प्राप्ति' का सम्बन्ध 'अभावात्मक पद्धति' द्वारा वर्णित होता है, क्योंकि मनोवेगों का अभाव (शान्ति) ही शान्ति का जनक

माना गया है, जिसमें प्रत्यक्ष की प्रतीति होती है ।

९-इस विद्वान् ने काव्य के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग बराबर नया नया प्रयोग किया है ।

१०-इसमें काव्य का नज़र दूर हुआ है और साहित्यिक नया मान्यता क्षेत्र में काव्य की प्रतिष्ठा हुई है ।

११-यद्यपि यह विद्वान् नया प्रतिष्ठा मानी नहीं है, किन्तु पराजित का इसकी महत्ता स्वीकार की जाती है ।

रिचर्ड्स का मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद

अमेरी-साहित्य के मूल्य प्राचीन में 'आर्द ए० रिचर्ड्स' का महत्त्व स्थापित है । इन्होंने साहित्य तथा मनोविज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने और इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि साहित्यकार को मनोविज्ञान से परिचित होना चाहिए और आलोचक के लिए तो मनोविज्ञान का नितान्त आवश्यक है ।

साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व 'रिचर्ड्स' 'मनोविज्ञान' एवं 'विज्ञान' के क्षेत्र के अध्ययन रहे हैं । फलतः साहित्य के क्षेत्र में आने पर ही अपने पूर्व अध्ययन की सामग्री की उपेक्षा नहीं कर सके । आलोचना के में ये पाश्चात्यजगत् में 'रचनावादी-आलोचक' के नाम से विख्यात हैं, क्योंकि इन 'रूपक' को चिन्तन का आधार माना है । काव्यालोचना के सम्बन्ध में इन्होंने दो ग्रन्थ परम प्रसिद्ध हैं,—(१) काव्यालोचन के सिद्धान्त (Principles of literary Criticism) २-व्यावहारिक आलोचना (Practical Criticism) इन ग्रन्थों में इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर काव्यशास्त्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है ।

इन्होंने यह मान्यता स्थापित की है कि 'साहित्य' एक उपयोगी वस्तु है और उसकी उपयोगिता मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर सिद्ध की जा सकती है । इन्होंने हेतु इनका सिद्धान्त "मनोवैज्ञानिक उपयोगितावाद" के नाम से आलोचना साहित्य के क्षेत्र में विख्यात है । इन्होंने 'मूल्यों' (Values) के साथ साहित्य सम्बन्ध माना है, जबकि परवर्ती रूपवादी ने जीवन मूल्यों के

। माहित्य का कोई सम्बन्ध नहीं माना । रिचर्ड्स ने उन कोरे कलावादियों
 प्रथमता को है, जो कला को स्वतन्त्र, निरपेक्ष और 'स्वत माध्य' मानते हैं ।
 न लोगों की इस मान्यता को भ्रान्ति की सजा देते हैं ।

यत्ना

'रिचर्ड्स' ने यह मान्यता स्थापित की है कि माहित्य हमारे लिए वैसा
 लक्ष्य ही है, जैसी जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएँ । जहाँ तक वाच्य की
 शोभना का प्रश्न है, वह इसलिए प्रभावशील नहीं होता कि उसमें प्रेषणी-
 का गुण विद्यमान रहता है अथवा उसमें भावविनियोग की क्षमता होनी
 'उसमें कोई विशेष मौन्दर्य होता है, बल्कि वह इसलिए प्रभावशील होता
 'वाच्य में जो अनुभव व्यक्त रहते हैं, वे उसे प्रभावशील बनाते हैं, इसके
 ही माय उन अनुभवों में जीवन मूल्य (Life-values) भी स्पष्ट रहते हैं,
 । प्रसक्तिगुणा में वृद्धि होती है । इस प्रकार रिचर्ड्स ने वाच्य में नीति
 र विनिष्ट-स्थान माना है और जिन आलोचकों या माहित्यकारों ने नीति
 गित्य में स्थान नहीं दिया, उनकी भ्रमता ही है । ही, इनका अवश्य है
 लने नीति के प्रचलित रूप को मनुचित एवं क्षामक स्वीकार कर उसके
 पर जीवन-मूल्यों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है और माहित्य
 तथा अधेता के लिए उन मूल्यों की अवधारणा करना अनिवार्य माना है ।
 रिचर्ड्स ने 'मावैजनीयता' का गुण शैलीगत मानकर भावगत व्यक्त
 कि माहित्य भावविनियोग में परिपूर्ण
 । रचना स्वान्त गुणा
 लमान

काम्य है । इति
 'प्रेषणीयता' का
 यना के इति
 ३.

हम वस्तुओं की ओर प्रवृत्त होते हैं, उन पर हमारी आनक्ति होती है जो 'निवृत्ति' या 'विरति' के द्वारा हम सासारिक वस्तुओं से दूर हटते हैं, उन्हें प्रति एक प्रकार का वैराग्य सा हो जाता है। कोई भी वस्तु ऐसी हो सकती है, जो मूल्यवती हो और जिसकी प्राप्ति से हम संतुष्ट हो सकते हैं। इस निश्चित है कि सभी प्रवृत्तियों की तुष्टि असम्भव है, अतः ऐसी कोई भी मूल्यवती वस्तु हो सकती है, जो न्यूनाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को कठिन किए बिना किसी प्रवृत्ति की तुष्टि करे।

'रिचर्ड्स' ने मूल्यों की मान्यता को दृष्टिपथ में रखकर ही भाषा के अर्थों के एक-एक काव्यगत प्रयोगों के भेद करते हुए शब्दों के दो अर्थों का विस्तार किया है :- (१) साकेतिक अर्थ (२) भावात्मक अर्थ।

साकेतिक अर्थमयी भाषा का स्वरूप वैज्ञानिक होता है, क्योंकि उसमें भाषिक शब्दों अथवा तकनीकी शब्दों का बाहुल्य होता है और इनमें अर्थों से काम नहीं चलता। उदाहरणार्थ रेडियो, एक्सरे, टेलीविजन आदि जगत् में इनका साकेतिक अर्थ ही गृहीत होगा। इसी प्रकार काव्यों में भाषा का प्राधान्य रहता है, फलतः काव्य की भाषा 'भावात्मक अर्थमयी' होती है। उदाहरणार्थ—'जीवन विरह का जलजात' (महादेवी वर्मा) यहाँ पर इसका अर्थ घेयार्थ तो यही होगा—'जीवन विरह का कमल है।' किन्तु इसका साकेतिक अर्थ इससे बहुत कुछ भिन्न है। यहाँ कवयित्री इस बात को ध्वनित करती है कि वस्तुतः जीवन का मूल विरह है, यदि विरह न रहे तो जीवन की सत्ता भी नहीं रहेगी। इस प्रकार 'रिचर्ड्स' ने काव्यभाषा को यदि 'भावात्मक अर्थमयी भाषा' की संज्ञा दी है, तो सर्वथा उचित ही किया है। उन्होंने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है —

काव्य की परिभाषा

कविता कवि के मन में उत्पन्न होने वाले एक मूल्यवान् मनोवैज्ञानिक-मूल्य को पाठकों के मन में प्रेषण करने का साधन है।

यद्यपि 'रिचर्ड्स' का 'मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद' एतद्गी प्रतीत होता है कि यह कला के क्षेत्र में उन मूल्यों को ही मान्यता देना है, जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक

नहीं देते। वे कवि को एक तटस्थ वैज्ञानिक की भाँति वस्तुनिष्ठ मानते। उनका फायन है कि काव्य या साहित्य में सम्पूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति हो चाहिए। यद्यपि साहित्यकार अपने ही अनुभवों को काव्य, साहित्य में बाँ देता है, किन्तु यहाँ उनके अनुभव सर्वसाधारण के अनुभवों का प्रतिनिधि करके व्यक्त होते हैं। यथा—“मैं विश्वास करता हूँ कि कवि अपने पात्रों अपना कुछ अंग अवश्य प्रदान करता है, किन्तु मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि वह अपने निर्मित पात्रों द्वारा स्वयं प्रभावित होता है।” निष्कर्ष यह इलियट मानते हैं कि—‘साहित्य अमूर्त भावनाओं का मूर्तरूप है।’ साहित्यकार अपनी अमूर्त—भावनाओं को मूर्तरूप में अभिव्यक्ति देने के लिए, अपने सम्बन्ध एव अनुभवों को प्रकट करने के लिये वस्तुमूलक चिह्नों की सहायता लेते हैं। यथा :—

“The only ways of expressing emotion in the form of art is by finding an objective, in other words, a set of objects, situation, a chain of events which shall be the formulae for the Particular emotion, so that when the external facts are given the emotion is immediately evoked.”

इस प्रकार इलियट ने साहित्य या काव्य को आत्मा से पलायन के रूप में स्वीकृति दी है। यहाँ पर ‘पलायन’ का तात्पर्य व्यक्तिगत भावों के पलायन से ही है, जिससे कवि सर्वसाधारण के भावों को काव्य में व्यक्त करे, किन्तु इनके परवर्ती कवियों ने इसका तात्पर्य ‘संसार से पलायन करना’ लगाया, जिनके निराशावाद की सृष्टि होने लगी।

नाटक की भाषा

नाटक की भाषा के सम्बन्ध में ‘इलियट’ की धारणा है कि काव्य का ही प्रयोग करना चाहिए, पद्य का नहीं। इसका कारण यह माध्यम से विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार उच्चगुणों से अलंकृत होनी चाहिए। जहाँ तक काव्य में प्रसन्न है, उसे अतिरजना की श्रेणी तक नहीं ले जाना चाहिए।

इस 'इलियट' विभागों की तीव्रता के स्थान पर कल्पना-प्रक्रिया की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। कल्पना प्रक्रिया मदेदन की ही प्रक्रिया है और मृष्टि की भी प्रकृति इस प्रकार ही होती है। जब हमारे अन्तर्गत भावना की तीव्रता की तीव्रता के लिए और कल्पना-प्रक्रिया के अनुकूल दशावस्था के नीचे मनोवृत्तियों की तीव्रता में अभिव्यक्त होने है, तब ही कविता अभाषाण एव सापेक्ष बनती है। 'इलियट' ने इसे 'उत्साह' की गता दी है। इसकी उपलब्धि तभी होती है जब भावना और विचार में विभिन्नता हो। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है कवि को अभिव्यक्ति भावों की अभिव्यक्ति के लिए सापेक्ष एव अप्रकृत शक्ति का आश्रय लेना ही पड़ता है। इस स्थिति में भाषा को मयल रखना नैसर्गिक आवश्यक हो जाता है।

कवि और कविता

'इलियट' काव्य रचना के सम्बन्ध में कवि के हृदय का विशेष मूल्य मानते हैं। उनकी मान्यता है कि—कवि मानस बह पात्र है, जिसमें असह्य भाव एव ही गूँथ और गूँथल होने हैं और उममें तब तक बने रहते हैं, जब तक ऐसे भी तन्व एव साथ एतन्व नहीं हो जाते और एक नवीन पदार्थ का निर्माण ही कर पाते। इस प्रकार इलियट कवि हृदय की विभिन्नभावों के केन्द्रबिन्दु रूप में मान्यता देने प्रतीत होते हैं। कवि हृदय को यह गौरव प्राप्त है कि अनेक अनुभवों विभिन्न अध्ययनों एव चिरन्तन ज्ञानतन्तुओं को एकत्र कर दे एक नवीन एव सजीव रूप में अभिव्यक्त कर देता है।

'इलियट' कवि को केवल वर्तमान का दृष्टा ही नहीं मानते, वे उसे अतीत भी सम्बद्ध मानते हैं। यथा—“किसी कवि को रचना करनी चाहिए तो न केवल अपनी पीढ़ी को ही अपनी हृदयों में लेकर, बल्कि इस भावना के साथ 'होमर' से लेकर योरोप का समस्त साहित्य और उसके अन्तर्गत उममें स्वयं तथा विदेश का समस्त साहित्य एक कालीन अस्तित्व रखना है और अभिव्यक्ति तथा व्यवस्था का निर्माण करना है।” इस प्रकार इलियट ने काव्य के स्तर में सजीवता को निकाल दिया है। उनकी दृष्टि में देन और बाल की भाँति क्षुद्र है, सकुचित है। कवि के लिए समस्त मानवता आधार बिन्दु है।

काव्यालोचना

इलियट स्वयं एक सफल कवि एवं आलोचक भी थे। उन्होंने कवि में दो शक्तियों का होना आवश्यक बनलाया है।—१. कारयित्रीशक्ति २. भावनि-
 त्रीशक्ति। ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की पूरिका हैं। प्रथम के द्वारा कवि
 रचना करता है और द्वितीय के द्वारा वह उसे आलोचना की नमोटी पर तोला
 है कि मैंने जिन भावों को हृदय में रचकर रचना की है, क्या वस्तुतः वही भाव
 श्रोता या पाठक के हृदय में भी उमड़ सारते हैं, यदि हाँ, तब तो काव्य श्रेष्ठ
 है, अन्यथा नहीं। इलियट ने आलोचना की दो सैद्धान्तिक सीमाएँ स्वीकार की
 हैं—प्रथम के द्वारा हम बान का उत्तर देने का यत्न करते हैं कि 'कविता क्या
 है? और द्वितीय के द्वारा यह उत्तर देना चाहते हैं कि "क्या यह उत्कृष्ट कविता
 है?" इसमें कोई भी सैद्धान्तिक-बौद्धिक द्वितीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए
 पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे सिद्धान्त का कोई महत्व नहीं हो सकता
 जो उत्कृष्ट कविता के प्रत्यक्ष अनुभव पर अबलम्बित न हो। लेकिन दूसरे
 ओर कविता का हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बहुत दूर तक विवेचन के सामान्यीकरण
 पर आश्रित रहता है।"

इस प्रकार 'इलियट' काव्य को जीवन से पलायन मानते हैं और कवि के
 वर्तमान के साथ अतीत दृष्टा भी मानते हैं। उनके अनुसार, कवि को स्वयं
 अपनी आलोचना करनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने स्वयं किया है। आलोचना
 का उद्देश्य 'सहृदय में रसास्वादन की क्षमता उत्पन्न करना, होना चाहिए।

दृष्टिगोचरता का दृष्टि से काव्य के दो अंग होते हैं । (१) दृश्यवाच्य (२) शब्दवाच्य । 'दृश्यवाच्य' अंगित प्रयोग होते हैं । वेदेषु के मन्त्रिक्यं से दृश्यवाच्यवाच्य किया जाता है । दृश्य अंगमें रूपक और उमरें १० से बढ़ा सम्मिलित और उमरें १/ भेद होते हैं । पर वर्तमान समय में इन सब का प्रचलन नहीं है । अब दृश्यवाच्य के अन्तर्गत नाटक लक्ष्मी, गोविनाद्य भावनाद्य, और सायागाद्य ही होते हैं ।

शब्दवाच्य (पाठ्यवाच्य) कर्णोन्मुख भी महायत्ना से सुन जाते हैं, इनका कर्तित्व नहीं हो पाता । इन पाठ्यवाच्य भी आनन्द लिया जा सकता है, अब इन्हें पाठ्यवाच्य भी कह सकते हैं । दृश्य श्रेणी में गद्य, पद्य तथा मिश्र (चम्पू) के तीन भेद होते हैं । वर्तमान समय में गद्य के अन्तर्गत गद्यकाव्य, कहानी, उपन्यास, लघुकथा, रेडियो रूपक, रेखाचित्र, गिगोर्जाज, सस्मरण, जीवनकथा, निबन्ध, यात्रा माहिन्य, पत्रमाहिन्य, आलोचना माहिन्य एवं दैनन्दिनी (हायरी) इत्यादि, साहित्यिक प्रभृति विषयों में प्रचलित हैं ।

पाठ्यवाच्य के तीन भेद किए जाते हैं — (१) प्रबन्ध काव्य (२) मुक्तक काव्य (३) मुक्तक गीत ।

केवल शब्दकाव्य में जीवन की त्रिमी एक घटना अथवा अंग का मार्मिक चित्रण स्फुट किया जाता है। 'एकार्यक काव्य' इन दोनों के बीच की विधा है, इसमें त्रिमी मक्षिज प्रयोग या घटना को एक विस्तृत कविता के रूप में प्रकट किया जाता है। इसमें क्यावस्तु का क्रम विद्यमान रहता है, अतः इसे मुक्तक से भेद मानते हैं।

मुक्तककाव्य— त्रिम मक्षिज गीत, छन्द या गीति में पूर्वापर प्रयोग के बिना ही कोई भावचित्र, वस्तुचित्र या त्रिमी एक तथ्य का प्रकाशन होता है, इसे मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे—मूर, तुलसी, मीरा के पद, बिहारी आदि के पद एक विद्यापति, प्रमाद, पन्न, निगला आदि के गीत। मुक्तक के तीन भेद होते हैं :— (१) गीत (२) छन्द (३) गीति।

गीतकाव्य— सुख-दुःख की भावानिगयी अवस्था विशेष का गिनेबुने शब्दों में स्वरसाधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। (महादेवी बर्मा)

छन्दकाव्य— त्रिमी मम्बदेन को मीमित शब्दों में अंगैय छन्द के माध्यम से व्यक्त कर देना मुक्तक छन्दकाव्य है। यथा कविता, मर्वाया, दोहा, छप्पय आदि।

गीतिकाव्य— इसे 'प्रगीत मुक्तक' भी कहते हैं। इसमें कवि मगीतात्मक शब्दों में स्वानुभूति का तीव्रतम प्रवादान करता है। उदाहरणार्थ 'मेषदूत' (राजिदाम)

गीत और गीति में अन्तर

सामान्यतया दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दोनों में कवि की स्वानुभूति होती है और दोनों में मगीतात्मकता के साथ बलापूर्णा अभिव्यक्ति भी होती है, किन्तु जहाँ गीत में कवि की स्वानुभूतिमात्र की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ 'प्रगीत' या 'गीति' में स्वानुभूति की अतिगमना की तीव्रता अभिव्यक्ति होती है। उदाहरणार्थ मीरा और महादेवी बर्मा के गीत 'गीति' या 'प्रगीतमुक्तक' की कोटि में आते हैं और 'प्रमाद' के गीत 'गीत' की कोटि में आते हैं। निम्नार्थ यह कि गीत की अपेक्षा 'गीति' अधिक तीव्रतर है उसमें कवि का मनोवेग तीव्रतम हो जाता है।

मुक्तक-गीत— इस श्रेणी में गीत-प्रयोग के अतिरिक्त छन्द आते हैं, जिनमें

रवि की म्यानुभूति का प्रजन ही नहीं उठना । मग्गया, दमी कारण इसे शब्द-
रूपों में मान्यता नहीं दी जाती । यह विषय अथ गमान्त्रमाय है ।

मिथकाव्य— गद्यवद्य मिश्रित रचना को मिथकाव्य कहते हैं । इसे ही
'चम्पू' की गज्जा प्राप्त है । 'चम्पू' गम्भूत-गाहित्य में लिगे जाते हैं । यथा :-
नलचम्पू, रामायण चम्पू आदि । हिन्दी में इनकी प्रथा नहीं प्रचलित होनी।

वाच्य के उपर्युक्त रूपों में प्रतिष्ठित रवि की मनःप्रवृत्ति, जीवन्मुक्ति
तथा ध्येयार्थ आदि के आधार पर अनेक भेद किये जाने हैं, जो किसी न किसी
प्रकार इन रूपों के अन्तर्गत ही आते हैं । यहाँ पर हम मिथकाव्य और पद्यान
के प्रमुख भेदों के रचना सिद्धान्तों पर प्रकाश डालेंगे । सर्वप्रथम गद्य के क्षेत्र में
दृश्यकाव्य की श्रेणी में नाटक का महत्व है, अतः उमी का विवेचन प्रस्तुत है -

नाटक

दृश्यकाव्य में 'नाटक' सर्वाधिक प्रगिद्ध विधा मानी जाती है । वस्तुतः यह
रूपरु' का एक प्रमुख भेद है, परन्तु अथ 'रूपरु' के स्थान पर 'नाटक' शब्द ही
प्रचलित हो गया है । प्रभावकारिता की दृष्टि से काव्य में 'नाटक' को ही
सर्वोपरि स्थान मिला है - 'काव्येषु नाटकं रम्यम्' । भारतीय नाट्याचार्य भट्ट
ने नाटक की व्यापकता का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऐसा कोई योग, कर्म,
शास्त्र, कलाशिल्प आदि नहीं, जो नाटक में न पाया जाता हो :-

न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यत्न दृश्यते ।-नाट्यशास्त्र
सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च ॥

नाटक के लक्षण

भारतीय परम्परा के अनुसार 'साहित्यदर्पण' में आचार्य विश्वनाथ ने
'नाटक' के ये लक्षण बतलाये हैं -

नाटक स्यात्तवृत्त स्यात्पञ्चसन्धि समन्वितम् ।
विलासद्वयादि गुणवद्युक्तं नाना विभूतिभिः ॥ १ ॥
सुखदुःख समुद्भूति नानारस निरन्तरम् ।
पञ्चाधिका दशपरा स्तत्राङ्गा परिकीर्तिता ॥ २ ॥
प्रख्यातवशो राजपि धीरोदात्तः प्रतापवान् ।

दृश्य प्रबन्ध तथा अभिनय) आ जाते हैं। इस प्रकार भारतीय नाट्यतत्त्वों में पाश्चात्य नाट्यतत्त्वों में लगभग ऐक्य है, पाश्चात्य नाट्यशास्त्रियों ने 'रस' को 'तत्त्व' के रूप में जानने का प्रयास नहीं किया।

जहाँ तक 'उद्देश्य' तत्त्व का प्रश्न है, उसका उल्लेख तो नहीं किया किन्तु भारतीय काव्यशास्त्र में चतुर्वर्ग (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) में से किसी की प्राप्ति का लक्ष्य या उद्देश्य तो बहुत पहले से मान्य है। इस प्रकार भारत मतानुसार नाटक के तत्त्व इस प्रकार हैं :—

(१) कथावस्तु (२) पात्र (३) रस (४) उद्देश्य (५) अभिनय

पाश्चात्य नाट्यशास्त्रियों के अनुसार नाटक के सात तत्त्व इस प्रकार हैं :

(१) कथावस्तु (Plot) (२) पात्र-चरित्रचित्रण (Characters) (३) संवाद (Dialogue) (४) देशकाल-वातावरण (Atmosphere and environment) (५) उद्देश्य (Purpose) (६) भाषाशैली (Language and style) (७) अभिनय (Stage-acting)

यदि समन्वय की दृष्टि से 'रस' को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो नाटक के ८ तत्त्व माने जा सकते हैं।

कथावस्तु

भारतीय आचार्यों ने इस तत्त्व पर विस्तृत एवं गम्भीर विचार प्रस्तुत किए हैं। मुख्यतया कथावस्तु के दो प्रकार हैं :—

(क) आधिकारिक कथावस्तु :— जिस कथा के सूत्र आदि से अन्वय बने रहते हैं, वह आधिकारिक कथावस्तु कहलाती है। इसका सम्बन्ध कथा मुख्य नायक से होता है। इस प्रकार इसे मुख्यकथावस्तु भी कह सकते हैं।

(ख) प्रासङ्गिक कथावस्तु— जो कथायें मुख्य कथा की सहायिका के रूप में प्रसंगवश बीच में आ जाती हैं, उन्हें प्रासङ्गिक कथावस्तु कहते हैं। ये प्रासङ्गिक कथावस्तु दो प्रकार की होती हैं :— (१) पताका (२) प्रकरी।

पताका— वह प्रासङ्गिक कथावस्तु है जो मुख्य कथावस्तु के साथ अन्वय में आती है। जैसे—'चन्द्रगुप्त' नाटक में 'सिंहरण' और 'अलका' का कथा 'रामायण' में 'हनुमान' का कथानक।

प्रथमः कथावस्तुः द्वितीयः-व्यवसायः तृतीयः-प्रतिफलम् ।

चित्रं च तत्रोपरान्तं द्वितीयः-प्रतिफलम् ॥

जहाँ जहाँ कथावस्तु द्वितीय-व्यवसाय में प्राप्त हो या लोक प्रसिद्ध हो 'प्रथम' कहते हैं । जो कथावस्तु तृतीय-व्यवसाय में प्रयुक्त हो उसे 'द्वितीय' कहते हैं और जिस कथावस्तु में प्रथम तथा उत्पन्न अर्थान् द्वितीय-व्यवसाय का स्थान हो उसे 'तृतीय' कहते हैं । नाटककार प्रायः ही का प्रयोग करते हैं ।

'नाटक' में कथाविक्रय या कार्य-वापार की दृष्टि से तीन अवस्थाएँ मानी जाती हैं :-

प्रथम-अवस्थाएँ

१. प्रारम्भ २. प्रयत्न ३. प्राप्त्याशा ४. नियताप्ति ५. फलागम ।

१. प्रारम्भ- नाटक के प्रारम्भ में मुख्य फल की इच्छा का प्रकट होना ही प्रारम्भ है ।

२. प्रयत्न- मुख्य फल की प्राप्ति के लिए सघर्ष तथा यत्न करना 'प्रयत्न' है ।

३. प्राप्त्याशा- जहाँ प्रयत्नों के परिणामस्वरूप मुख्यफल के प्राप्त होने की सम्भावना हो जाय, वहाँ 'प्राप्त्याशा' है ।

४. नियताप्ति-जब सभी विघ्नों के दूर हो जाने पर मुख्यफल की प्राप्ति निश्चित हो जाय, तब वहाँ 'नियताप्ति' होती है ।

५. फलागम-जब सम्पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाय तो वह 'फलागम'

३. पताका— वह प्रागगिक कथा है, जो प्रधान कथा को विकसित करने के लिए अल्प तत्र चलती है ।
४. प्रकृती— वह लघुकथा होती है, जो प्रधानकथा के साथ कुछ दूर चल कर समाप्त हो जाती है ।
५. कार्य— इसमें नायक अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है ।
- अवस्थाओं और अर्थप्रकृतियों में अन्तर— अवस्थाये कार्यमिद्धि की श्रेणियाँ अर्थप्रकृति कार्यमिद्धि की माघन है ।
- च संघियाँ

एक ही प्रधान प्रयोजन के लिए बीच के अवांतर प्रयोजनों की सिद्धि का 'सन्धि' है । प्रायः एक-एक अवस्था क्रमशः एक-एक अर्थप्रकृति में मिलकर एक सन्धि को जन्म देती है । सन्धियाँ भी ५ हैं :-

१. मुख्य अर्थ-प्रकृति	२. प्रतिमुख	३. गर्भ	४. विमर्श	५. निर्वहण
बीज	अवस्था			सन्धि
विन्दु	१. आरम्भ			१. मुख्य
पताका	२. पल			२. प्रतिमुख
प्रकृती	३. प्राप्त्याना			३. गर्भ
कार्य	४. नियताप्लि			४. विमर्श
	५. फलागम			५. निर्वहण

टिप :- एक 'अर्थप्रकृति' और एक 'कार्यावस्था' मिलकर एक 'सन्धि' को जन्म देती है, यह कोई अवाच्य नियम नहीं है । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कथा में 'प्रकृती' होती ही नहीं है ।

• मुख्यसन्धि— इसमें कथावस्तु का आरम्भ होता है, बीज अर्थ प्रकृति 'आरम्भ' कार्यावस्था का गमन देता है ।

प्रतिमुखसन्धि— इसमें नायक के पक्ष की शक्ति कभी शक्ति और शक्ति प्रतीत होती है ।

गर्भसन्धि— इसमें नायक का मुख्य पक्ष निहित होता है । विमर्श कथा भी शक्ति की सम्भावना बनी रहती है ।

४ विमर्श सन्धि— दृशमे मुख्यकाल की प्राप्ति की भांशा हो जाती है, किन्तु नायक के कारण कुछ याथा पट्ट जाती है ।

५ निर्वहण सन्धि— दृशमे नायक को अपने मुख्यकाल की प्राप्ति हो जाती है। विशेष— नाटको में उपर्युक्त पंच अरम्भाओं, पंच अव्यं प्रकृतियों और दस सन्धियों का यास्त्रविक निर्वाह होना कठिन है । वर्तमान परिस्थितियों में तो कथावस्तु के विकास की पंच अरम्भाओं का ही निर्वाह हो पाता है ।

अभिनय के आधार पर कथावस्तु दो प्रकार की होती है— १. दृश्य मूच्य, दृश्य कथावस्तु में नाट्य उम कथानक में है, जिसका अभिनय रंगमंच पर प्रदर्शित किया जा सके और 'मूच्य' कथावस्तु का तात्पर्य उम कथानक मात्र वाचो से है, जिनको रंगमंच में न दिखताकर उनकी सूचनामात्र ही जान क्योंकि नाट्यशास्त्र में कुछ ऐसी बातें हैं जो रंगमंच में प्रदर्शित करने के निर्वर्जित हैं । उदाहरणार्थ मृत्यु, विवाह आदि ।

दूराह्वान वधो युद्ध राज्यदेशादिविप्लवः ।

विवाहो भोजन शापोन्सर्गो मृत्यु रतिस्तथा ॥

दन्तच्छेद्य नखच्छेद्यमन्यद् घ्रीडाकर च यत् ।

शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम् ॥

स्नानानुलेपने चैभिर्वर्जितो नातिविस्तरः ॥

अर्थात् दूर बुलाना, वध, युद्ध राज्य और देशादि का विप्लव, विवाह भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रति, दन्तक्षति, नखक्षति तथा लज्जास्पद का शयन, अधरपानादि, नगरादि का घेरा डालना, स्नान, अनुलेपन आदि नाटक वर्जित हैं और अतिविस्तार भी वर्जित है ।

विशेष

आधुनिक नाटको में वध, युद्ध, विप्लव, विवाह, शाप आदि अनेक का दृश्य दिखलाये जाते हैं, परन्तु वस्तुतः ये वर्ज्यदृश्य अव्यवस्था फैलने के अर्थ अथवा असलीलता के सकोच से वर्ज्य माने जाते रहे हैं । आधुनिक चलचित्रों तो किसी भी दृश्य का प्रदर्शन वर्ज्य नहीं माना जाता । प्राचीन नाटकों में इन वर्जित दृश्यों की सूचनामात्र दे दी जाती थी, इन्हीं को 'अव्योपक्षेपक' ।

के ही रूप में हैं।

विशेषण

नाटक में जिस काल दृश्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे मूचना कहते हैं, क्योंकि अपने वाक्य इन दृश्यों का घटनाओं की मूचना करने के लिये प्रयोग में ले दी जाती है। इन मूचना कालों को ही 'अर्थोपयोगक' कहते हैं। इनके ५ भेद हैं—(१) विचारणा (२) चरित्रा (३) अन्वय (४) अन्वयान्तर (५) प्रवेशक।

१. विचारणा—इसमें दो अग्रपदान पात्रों के माध्यम से पूर्व अथवा पश्चात् घटने वाली घटना की मूचना वार्ताकार द्वारा दिखाई जाती है। यह दो अर्थों के बीच में अथवा नाटक के प्रारम्भ में रखा जाता है।

२. चरित्रा—इसमें पात्रों के पाँचों में किसी बात की मूचना दी जाती है।

३. अन्वय—इसमें अन्त के अन्त में ऊर्नी पात्रों द्वारा अगले अर्थ की विधि की मूचना दी जाती है।

४. अन्वयान्तर—इसमें अन्त के अन्त में पात्र ही अगले अर्थ में आ जाते हैं।

५. प्रवेशक—दो अर्थों के बीच में नीचे पात्रों द्वारा किसी घटना की मूचना करने में 'प्रवेशक' का प्रयोग होता है।

पात्र तथा चरित्र-चित्रण

नाटककार अपने पात्रों के माध्यम से ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, अतः नाटक में इनका विनिष्ट स्थान है। पाश्चात्य नाटकों में तो पात्रों के मध्य 'नायक' बन्पना होने पर भी उसके स्वरूप का कोई निर्धारण नहीं हुआ, किन्तु भारतीय नाट्यशास्त्रियों ने पात्रों में 'नायक' के स्वरूप पर निश्चित विचार प्रकट किये हैं। सामान्यतया नाटक में नायक, प्रतिनायक, नायिका तथा दोय अन्वय स्त्री-पुरुष पात्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

'नायक' शब्द सस्कृति की 'नी' धातु से बना है, जिसका अर्थ ले जाना होता है। वास्तव में 'नायक' ही नाटक की कथावस्तु को आगे बढ़ाता है, अतः इसका 'नायक' नाम यथार्थ है। 'प्रतिनायक' नायक का विरोधी 'खलनायक' होता है, जो नायक के मार्ग पर रोड़े अटकाना है, सघर्ष करता है और अन्ततः

नायक से प्रायः पराजित हो जाता है। 'नायिका' नायक की 'पत्नी' व 'प्रेयसी' होती है, जो नायक को प्रेरणा देती है और नाटक में आकर्षण बनी रहती है। इनके अतिरिक्त अन्य पात्र नायक अथवा प्रतिनायक के सह रूप में आते हैं।

नायक के लक्षण

भारतीय धान्यता के आधार पर नायक में निम्नलिखित गुण प्राप्त होते हैं—

नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियम्बदः ।
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रुद्रवंशः स्थिरो युवा ॥
बुद्धयुत्साह स्मृति प्रज्ञाकलामान समन्वितः ।
शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः ॥

—दशरूपक धन

अर्थात् नायक को विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रियभाषी, लोपविन्न, वाक्पटु, कुलीन, स्थिर, युवक, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञाकलामान से युक्त होना चाहिए। वह शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रज्ञाता और धार्मिक

प्रकृति के अनुसार नायक के चार प्रकार होते हैं—(१) धीरोदात्त धीरललित (२) धीरप्रशान्त (४) धीरोद्धत।

१. धीरोदात्त नायक—यह नायक महान् बलवान्, गम्भीर, क्षमावान्, धैर्यमय (बहुत अधिक न बोलने वाला = मितभाषी) स्थिर, विनम्र तथा होता है। यथा—श्रीराम, भरत आदि।

२. धीरललित नायक—यह निश्चिन्त, मृदु, कलाप्रिय और सुखी होता यथा—वत्सराज उदयन'।

३. धीरप्रशान्त—यह सामान्य गुणों से युक्त, शान्तिप्रिय, धैर्यमयी ब्राह्मणादि होता है। यथा—'मालतीमाघव' का 'माघव'।

४. धीरोद्धत—यह बमण्डी, प्रचण्ड, शूर, मायावी, चंचल, घूर्ण, मछली और आत्मप्रसक्त होता है।

पत्नियों के आधार पर नायक चार प्रकार के होते हैं—(१) दक्षिण

(२) वृष्टनायक (३) अनुकूलनायक (४) शठ नायक ।

श्रेष्ठ नायक कई पत्नियों के होने हुए भी सब में समान अनुरागी होता है। वृष्टनायक अपराधी होकर भी निर्लज्ज होता है, वह असत्यभाषी, निःशङ्क तथा मूर्खत्व महिष्णु होता है। अनुकूलनायक एक पत्नीव्रती होता है और 'वृष्टनायक' किसी अन्य नायिका में अनुरक्त रहता हुआ भी अपनी प्रथम नायिका के स्नेह प्रदर्शित करता रहता है।

नायिका

नायिका में भी नायक की भाँति विशेषतायें होती हैं। भारतीय नियमानुसार 'नायिका' नायक की पत्नी या प्रियमी होती है, पर पारश्चात्य विचारों के अनुसार कोई भी स्त्री 'नायिका' हो सकती है। कर्म, जाति, परिस्थिति, तथा प्रेमादि के आधार पर इनके अनेक भेद किये गये हैं, किन्तु नाटक में परिस्थिति के अनुसार ८ भेद माने गए हैं—

(१) स्वाधीनपत्निका (२) बलहान्तरिता (३) अभिसारिका (४) विप्र-
पत्नी (५) शठिनी (६) उदाश्रिता (७) वामनसज्जा (८) प्रोषितपत्निका।

नाटक की मञ्जीवना एवं प्रभावकारिता में 'चरित्रचित्रण' का विशेष महत्व है। वही तब हो सके प्रत्येक पात्र का चरित्रचित्रण मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। जो उसके स्वभावविशेषता आ सकती है। इसकी तीन विधियाँ हैं—

(१) वयोवचन द्वारा (२) स्वगतवचन द्वारा (३) पात्रों के वाक्यव्यवहार द्वारा।

इस प्रकार नाटक में चरित्रचित्रण विदलेपनात्मक न होकर सर्वत्र व्यक्त होना है। लेखक को यह ध्यान देना पड़ना है कि उसके पात्र स्वभावविशेषता में विकसित हो रहे हैं या नहीं। वह अपने पात्रों को अपने हाथ की बटुनुपनी नहीं बनाता। नाटककार जिन पात्रों के चरित्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन करना है, उसका मनोवैज्ञानिक कारण भी देना है। इसके अभाव में उनके पात्र में अस्वाभाविकता आ जानी निश्चित है। इस प्रकार प्रत्येक पात्र का चरित्र उसके लक्षण-
वृत्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल प्रस्तुत करना चाहिए।

सम्वाद या कथोपकथन

पात्रों की पारस्परिक बातचीत का नाम सम्वाद या कथोपकथन है। इसे नाटककार की कुशलता एवं अभिव्यक्ति-शैली के दर्शन होने हैं। सम्वाद त्रिं ही चुस्त फड़कने हुए; प्रभावशील एवं मूढम होगी, नाटक उतना ही चमत्कार पूर्ण लगेगा। उत्तम कथोपकथन में सरलता, गुन्दरता, धारावाहिकता, सजि प्तता, पात्रानुरूपता, गायकता, चतुरता एवं चमत्कारिता के गुण होने हैं। सम्वादो द्वारा पात्रो के चरित्र पर प्रकाश पडता है और कथावस्तु को गि मिलती है। नाटककार को इन बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि उन्ने पात्र एक भी अनावश्यक वाक्य न बोलें, अन्यथा रोचकता में न्यूनता आ ह जायगी।

प्राचीन भारतीय आचार्यों ने 'सम्वाद' के तीन भेद बतलाये हैं—(१) सर्व ध्राव्य (२) नियतध्राव्य (३) अध्राव्य।

१. सर्वध्राव्य—वे सम्वाद कहलाते हैं, जो सबके सुनाने के लिए होते हैं अर्थात् कहने वाला पात्र अपना उक्त कथन सभी को सुनाना चाहता है।

२. नियतध्राव्य—इसमें बात कहने वाला पात्र कुछ निश्चित पात्रों ही वह बात सुनाना चाहता है, क्योंकि उसमें कुछ गोपनीयता रखता है। य दो प्रकार का होता है—(१) अपवारित (८) जनान्तिक। अपवारित में वक्त पात्र किसी पात्र विशेष को अपनी बात न सुनाने का अभिनय करता हुआ उसकी ओर से मुख फेर कर बात करता है, मानो अपर पात्र उसकी बात सु ही नहीं रहा। 'जनान्तिक' में वक्तापात्र तीन उँगलियों की ओट से जनता के ओर मुख करके बात करता है, मानो अन्य पात्र उसकी बात सुनते ही नहीं।

३. अध्राव्य—इसमें कोई पात्र अपने अन्तर्द्वन्द्व को स्वत. प्रकट करता है, मान वह किसी को सुना नहीं रहा। इसे ही "स्वगत कथन" कहते हैं। इसी के 'आकाशभाषित' भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पात्र आकाश की ओर देखता हुआ स्वयं अपने से ही बातें करता है। इसमें उसके हृदय की प्रच्छन्न या रहस्यात्मक बातें प्रकट होती हैं। पाश्चात्य नाटकों में इसको अस्वाभाविक मानकर ऐन गया है कि नाटककार किसी पात्र के आन्तरिक गूढ़ विचार को व्यन

काल के लिए वह काल के विनिर्माण विनिर्माण काल को प्रस्तुत कर देता है किन्तु वह काल के विनिर्माण के लिए काल के विनिर्माण का काल देता है। स्वाभाविकता की दृष्टि से यह विनिर्माण ही है।

देशकाल तथा कालावस्था

देशकाल की दृष्टि से केवल 'नाटक' में ही नहीं, बल्कि नाट्य की प्रत्येक कला में देशकाल तथा कालावस्था का महत्व-विषय होता चाहिए। उदाहरण के लिए मूलकालीन किमी घटना में सम्बद्ध नाटक है, जो उसमें मूलकालीन घटना एवं सम्बन्ध में विभिन्न विषय करना अथवा एक अनुचित प्रतीत होता। नाटक की अवस्थाएँ तीन प्रकार में की जा सकती हैं—(१) पात्रों की वेप-प्राप्ति (२) पात्रों की भाषा द्वारा (३) नाट्यीय अवस्था के विवरण का।

नाटककार को यह ध्यान देना चाहिए कि जिस स्थान में और जिस समय में वे अपने कथाभूषण धारण करने रहें, उनके पात्र भी वैसे ही वेपभूषण धारण करें। इसी प्रकार जिस स्थान में और जिस समय कोई भाषा प्रचलित हो, उसमें सम्बद्ध पात्र भी वैसे ही भाषा बोलता हो। ऐसा नहीं कि वैदिककालीन पात्र 'अंग्रेजी' तथा 'उर्दू' बोलने लगे। ऐसा करने से नाटककार हास्य का पात्र बन जायगा। इसी प्रकार घटना चक्र एवं रसमन्त्रादि की रचना भी कालावस्था के अनुकूल होनी चाहिए। पाश्चात्य नाटकों में "सकलन-त्रय" (Three unities) को इसी उद्देश्य से विरोध महत्व दिया गया है। 'सकलन-त्रय' के अन्तर्ग 'स्थान की एकता' (unity of place), काल की एकता (unity of time) और 'कार्य की एकता' (unity of action) आती है। यह बात सही है कि आज के नाटकों में इनका यथार्थ ढंग से पालन नहीं हो पाता।

स्थान की एकता—इसका तात्पर्य यह है कि जिस स्थल की जो घटना जिन चरित्रों में सम्बद्ध है, वही वही उपस्थित रहें। जो पात्र एक दृश्य में बही स्थल दिखाये गए हों, वे तुरन्त ही दूसरे दृश्य में किसी दूसरे स्थान पर न दिखाये जायें, क्योंकि कुछ ही क्षणों में लम्बे स्थान की दूरी तय कर लेना अस्वाभाविक है।

काल की एकता—इसका तात्पर्य यह है कि घटनाओं के कालक्रम का ध्यान रखना चाहिए । जो घटना पूर्व घटी हो, उसका चित्रण पूर्व और जो पश्चात् घटी हो, उसका पश्चात् चित्रण होना चाहिए । इसके अतिरिक्त नाटक में प्रस्तुत दो घटनाओं की समय दूरी इतनी न हो कि दशाब्दियों का व्यवधान हो ।

कार्य की एकता—इसका तात्पर्य यह है कि नाटक की कथावस्तु का कोई एक मुख्य सिद्धान्त हो, प्रासंगिक कथाएँ उसमें बाधक न बन जायँ । बहुतों मुख्यकथा की ही प्रधानता रहनी चाहिए, गौण कथाएँ उसकी सहायक बनकर रह सकती हैं ।

उद्देश्य

पाश्चात्य नाट्यशास्त्री 'उद्देश्य' को नाटक का मुख्य तत्त्व मानते हैं । उन दृष्टिकोण जीवन का यथार्थ चित्रण करना है । अतः वे नाटक में सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक समस्या का उद्घाटन करते हैं । भारतीयनाट्यशास्त्र चतुर्वर्ग (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) में से किसी एक की प्राप्ति को उद्देश्य माने । सम्प्रति पाश्चात्य प्रभाव से हिन्दी के नाटकों में भी भौतिक उद्देश्य की अभिव्यक्ति देखी जाती है । नाटककार इन भौतिक उद्देश्यों की अभिव्यक्ति पाश्चात्य के सम्वादों द्वारा करता है । उसका उद्देश्य जितना ही महान् होगा, उतनी कृति भी उतनी महत्वशील होगी । उद्देश्य का सम्बन्ध आन्तरिक एवं बाह्य सघर्षों से होता है, जिसे नाटककार पात्रों द्वारा अभिव्यजित कराता है । यह उत्तरदायित्व पाठकों पर है कि वे नाटककार का उद्देश्य समझते हैं या नहीं अथवा समझते हैं तो किस माथा में । उद्देश्य की अभिव्यक्ति का एक घटक 'कथानक' भी है, जिसके माध्यम से नाटककार का उद्देश्य समझा जाता है । नाटककार अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति कर सामाजिकों के मन को आकर्षित करता है और समाज का यथार्थरूप प्रस्तुत कर मानव-समाज की सद्गुणों को भी अजित करता है ।

भाषा-शैली

नाटकों में 'सम्वाद' सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इनको साहस एवं

(४) सात्विक ।

आंगिक अभिनय

इसमें पात्र अपने विभिन्न अंगों के संचालको से अनेक भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। यह तीन प्रकार का होता है—शारीरिक, मुखज और चेष्टाकृत। शारीरिक अभिनय का तात्पर्य शरीर की विविध गतियों से है। 'मुखज' का तात्पर्य मुख द्वारा व्यक्त किये गये हावभावों से है और 'चेष्टाकृत' का तात्पर्य भावप्रेरित प्रयत्नों की मुद्राओं से है।

वाचिक अभिनय

वाणी द्वारा व्यक्त किये गये भाव इसी श्रेणी में आते हैं। छन्दशास्त्र, व्याकरण, स्वरशास्त्र, संगीतशास्त्र आदि समस्त कलायें इसके अन्तर्गत ले री गई हैं। पात्र जो वाणी बोलते हैं, उसमें इन सब का न्यूनाधिक प्रदर्शन रहा है। इस प्रकार यह अभिनय विशेष व्यापक एवं महत्वपूर्ण है।

आहार्य अभिनय

इसके अन्तर्गत पात्रों की वेशभूषा, परिधान, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री आदि वाह्य वस्तुएँ आती हैं। ये साधन पात्र को सुसज्जित कर देते हैं, जिससे दर्शकों को पात्र की सुन्दरता (वाह्य अलंकरण) से मुग्ध हो जाता है। मन को आकर्षित करने की क्षमता, इन वाह्य अलंकरणों में होती है, अतः 'आहार्य अभिनय' रूप में इन्हें भी महत्व दिया गया है।

रस

प्राचीन भारतीय आचार्यों ने 'रस' को नाटक का प्रमुख तत्त्व माना था। प्राचीन विद्वान् 'रस' के स्थान पर 'उद्देश्य' को स्वीकार करते हैं। वास्तविक तो यह है कि नाटक में संगीत, नृत्य, सम्वाद, अभिनय आदि सभी 'रसपरिणाम' में सहायक होते हैं। नाटक में शृंगार, वीर और करुण में से किसी एक प्रधानता होनी चाहिए, शेष रस गौणरूप में आ सकते हैं। आचार्य 'भरत' । । रस को नाटक के अनुकूल नहीं माना, क्योंकि वह 'विरतिमार्ग' की क । जब कि नाटक अनुरक्ति प्रधान होता है। वस्तु, नेता तथा रस के अन्त

ते ही दस रूपों कल्पना हुई थी ।

रूपक के भेद

भारतीय आचार्यों ने 'रूपक' के १० भेद और उपरूपकों के १८ भेद स्वीकार किये थे । रगमच पर अभिनेय रग भावमय साहित्यिक रचनाएँ 'रूपक' हवाई और केवल नृत्य, नृत्त आदि 'उपरूपक' कहे गए ।

एक के दस भेद

(१) नाटक (२) प्रकरण (३) भाण (४) व्यायोग (५) वीथी (६) अक
(७) प्रहसन (८) समवकार (९) डिम (१०) ईहामृग ।

१. नाटक—प्रसिद्ध कथावस्तु हो, पंचसन्धिवाँ हो, धीरोदात्त नायक हो, शृंगार अथवा वरुण रग अथवा शेष रग सहायक हो, पाँच में १० तक हों, ६४ मध्यङ्ग हों, मक्षेप में ऐसी अभिनयारम्भक रचना नाटक कहलाती अब ये मान्यताएँ ध्वस्त प्राय हैं ।

२. प्रकरण—यह वह रूपक है, जिसकी कथावस्तु कल्पित होती है, नायक प्रधान काव्य या मन्त्री होता है । शेष चारों नाटक के समान होती हैं ।

३. भाण—इस एक अक के रूपक में 'आवासभाणित' के रूप में कोई या चतुर व्यक्ति अकेले ही हास्य-व्यंग्ययुक्त कथावस्तु प्रस्तुत करता है ।

४. व्यायोग—इस एक अक के रूपक में केवल दो ही मन्धिवाँ होती हैं ।

५. व्यायोग—इस एक अक के रूपक में वीररस की प्रधानता होती है, सभी पात्रों का अभाव रहता है, कथावस्तु ऐतिहासिक या पौराणिक होती है, मूल में युद्ध की प्रधानता होती है । मुख्य, प्रतिमुख तथा निर्वहण, ये तीन ही पाँ होती हैं ।

६. वीथी—यह एक अक का रूपक होता है जिसमें बन्धित कथावस्तु की प्रधानता, दो तीन पात्र, मूल तथा निर्वहण, ये दो मन्धिवाँ और वीथी होती हैं ।

७. अक—इस एक अक के रूपक में प्रसिद्ध कथावस्तु वरुणरग प्रधान, एव निर्वहण मन्धिवाँ तथा भावनीवृत्ति होती है ।

७ प्रहसन—इम एकाकी में हास्य प्रधान, मुम तथा निर्वहण सन्धि घूर्तों एवं पाराण्डियों का हाम्यात्मक चित्रण होता है ।

८ समवकार—इम तीन अक के रूपक में वीर रस प्रधान, कोई रोनाव युद्ध, अनेक प्रमुगपात्र, मत्र को विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है और 'विमर्ग' सन्धि का अभाव होता है ।

९ डिम—यह चार अक का रूपक है, इममें प्रसिद्ध कथावस्तु, रौद्र रस की प्रधानता, अलौकिकपात्र, १६ पात्र, जादू-टोना, युद्धादि की क्रियाएं होती हैं, किन्तु 'विमर्ग' सन्धि नहीं होती ।

१० ईहामुग—इममें चार अक, शृगार की प्रधानता, इतिहास और कल्पना में मिश्रित कथावस्तु, धीरोदात्तनायक और प्रतिनायक के साथ सर्ग का वर्णन होता है ।

उपरूपक

१ नाटिका २ नोटक ३ गोष्ठी ४ सट्टक ५ नाट्य ६. रासक ७ प्रस्थानक ८. उल्लाप्य ९ काव्य १० प्रेक्षण ११. सलापक १२. शीर्षक १३. शिल्पक १४ विलासिका १५ दुर्मल्लिका १६. प्रकरणिका १७ हल्लीन १८. भाणिका ।

विशेष—इनके लक्षण प्राचीन नाट्यग्रन्थों में देखे जा सकते हैं, सम्प्रति इनका प्रचलन नहीं है ।

नाटक और उपन्यास में अन्तर

नाटक दृश्यकाव्य है, उपन्यास श्रव्यकाव्य है । नाटक का अभिनय होता है, उपन्यास का नहीं । नाटक की कथावस्तु सक्षिप्त होती है, उपन्यास की विलम्ब । नाटक में देशकाल का बन्धन रहता है, उपन्यास इससे मुक्त रहता है । नाटक के सम्वाद चुस्त होते हैं, उपन्यास के शिथिल । उसमें तो सिद्धान्तों की विलम्ब व्याख्या भी सम्भव है । नाटक में बहुत सी बातें संकेतित होती हैं, पर उपन्यास

३१ मत्र का उल्लेख करना होता है । नाटक का आनन्द 'रंगमंच' पर ही प्राप्त

३२ ॥ है, उपन्यास का आनन्द घर बैठे और यात्रा में भी लिया जा सकता है.

३३ में कुछ घटनाओं का संकेत मात्र होता है, उपन्यास में उनका विस्तार

नाटक में हर अभावगन्तु अभिनीत नहीं हो सकती, क्योंकि रंगमंच की न्याय के अतिरिक्त प्रमाणन सामग्री सब तरह की नहीं मिल पाती, परन्तु जल में यह समस्या नहीं रहती। नाटकीय घटनायें तीव्र एवं अधिक प्रभाव-पूर्ण हैं, उदाहरण के लिए मन्दरगति पर ध्यान होती है।

नाटक में पात्रों का चरित्र व्यंग्य होता है, पर उपन्यास में पात्रों का स्पष्ट चित्रण होता है। लेखक स्वयं उमर विनिर्माण करता है, जबकि नाटक में स्वयं कुछ भी नहीं रहता। नाटक में दृश्यविभाजन होता है, उपन्यास में नहीं। नाटक में अन्तर्दृष्टि का प्रकाशन कम हो पाता है, उपन्यास में इसके अर्थपूर्ण स्थान रहता है। नाटक में सीमित पात्र ही स्थान पाते हैं, उपन्यास में असीमित अधिक हो सकती है। नाटक के संवाद सजीव, गरम एवं होते हैं, किन्तु उपन्यास में यह चुस्ती, सरसता और प्रभावकारिता नहीं। नाटक में पदों, रंगशाला, वेगभूषणों आदि आनाकारण के निर्माण में सहायक है, किन्तु उपन्यास में केवल शब्दों द्वारा ही आनाकारण का निर्माण करना पड़ता है। नाटक में पाठक को कम कल्पना करनी पड़ती है, उपन्यास में अधिक। जीवन की विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाता, उपन्यास उसकी विस्तृत व्याख्या करता है।

इस प्रकार नाटक 'उपन्यास' में उत्कृष्टतर सिद्ध होता है। इसी कारण नीचे आचार्यों ने इसे 'पञ्चमवेद' की सजा प्रदान की है।

एवाकी

'एवाकी' का प्रचलन तो गद्य-साहित्य से ही देखने को मिलता है। इसकी परिभाषा में भाषा, व्यायोग, कीर्ती अथवा प्रहसन, ये पाँच भेद एक ही के एवाकी ही हैं, किन्तु इस बीसवीं शताब्दी में एवाकी की टेबनीक का प्रचलन है। यह अर्थ-साहित्य की देन है। 'एवाकी' एक स्वतन्त्र विधा है, नाटक में भिन्न वस्तु है। इसमें जीवन की किमी विशिष्ट घटना, स्थिति पर एक परिस्थिति का सामिक चित्रण एक अर्थ के माध्यम से किया जाता है।

एवाकी का स्वरूप

श्री० नगेन्द्र के अनुसार "स्पष्टतया एवाकी एक अर्थ में समाप्त होने वाला

नाटक है और यद्यपि इस अंक के विस्तार के लिये विशेष नियम नहीं हैं कि भी छोटी कहानियों की तरह उसकी एक सीमा तो है ही । ... एकांकी में जीवन का क्रमवद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्तक्षण का चित्र मिलता है ।”

डा० सत्येन्द्र एकांकी के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार रखते हैं - “एकांकी में एक अंक होना चाहिये और एक दृश्य । उसमें स्थल और काल का भी सकलन होना चाहिये । जिन एकांकियों में उनका निर्वाह नहीं हुआ वे फोटो के ‘आइर आफ फोकस’ के चित्र जैसे लगते हैं, जिनमें वस्तु तो प्रदर्शित दिखाती है पर जिनकी रेखायें अस्वाभाविक रूप से फँसली होती हैं । उन स्थल, काल और व्यापार के सकलन मिलने चाहिए । यह तो एकांकी की सीमाओं की स्थापना है । अब उसकी आन्तरिक गति और आन्तरिक तन्त्र की अवस्था देखनी चाहिये । इसमें एक तो प्रारम्भ बहुत छोटा होना चाहिये इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि पर्दा खुलते ही पात्र वस्तु पर टूट पड़े । पहले मुख्य वस्तु से किसी भिन्न वस्तु को लेकर आरम्भ हो सकता है । आरम्भकर्ता पात्रों का परिचय देले तो शीघ्र मुख्य वस्तु दृष्टिगोचर होना चाहिये ।”

परिभाषा

भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से एकांकी की परिभाषाएँ दी हैं, यहाँ कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है -

१-“एकांकी नाटक का मुनिश्चित और मुकल्पित एक सद्य होता है जो केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या चित्रित होती है । नाट्य कला की घटनावली अथवा गौणपरिस्थिति अथवा समस्या के समावेश का इसमें कोई स्थान नहीं होता ।”

—मद्गुप्तराज

२-एकांकी की समस्या एक ही बँटन में अनिवार्य है । यह एक ही काल में एक ही स्थान में घटने वाली घटना है । विपत्ती की स्फूर्ति ही ही घटना है, उपाय विषय एक ही होता है, महायज्ञ विषयों के लिये इसमें कोई स्थान नहीं । एकांकी प्रारम्भ ही जाता है, शीघ्र ही विपत्ति तक पहुँचती है

होता है और अन्त भी उगो प्रकार आविष्कृत होता है। इसका क्षेत्र विव होता है और प्रभावमाय्य अनिवार्य होता है। इसमें महापक्व घटनायें अभी जा सकती हैं, किन्तु वे मुख्य घटनाओं में अन्तग न जान पड़ें। मेजर जो बुद्धक सद्गम उगसा ध्यान आविष्कृत करती है, अनिवार्य है। एकाकी विषय जीवन की एक घटना ही है। इसकी कथावस्तु जटिल नहीं होती, एकाकी का आवश्यक अंग है। एकाकी जरूरी नहीं कि छोटा हो। अवसर जेदा ही होता है, क्योंकि ऐक्य, उमका ध्येय होना है। एकाकी के विषय सत्य की विफास्यन में ही वन्याण है।

—प्रो० अमरनाथ

३—मेरे सामने एकाकी की भावना वैसी ही है जैसे निम्नी फूल पर बैठकर प्य। उमकी घटनावस्तु से जीवन मनोरजन के साथ निपटे रूप में आ। समझने में न तो प्रयाम की आवश्यकता हो न थकावट ही, जीवन का कुछ उलट जाय और उसमें उलटते हुये आपके मुख पर सन्तोष और है।

—डॉ० रामकुमार वर्मा

जो प्रकार मेरे गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ अदक, उदयशकर भट्ट आदि ने एकाकी की परिभाषायें प्रस्तुत की हैं, किन्तु एकाकी के क्षेत्र में अधिक प्रयोग हुए हैं और होने जा रहे हैं कि उन सबको किमी एक परि-से बांध पाना कठिन है। ऊपर जो परिभाषायें दी गई हैं, उनसे आदिक एकाकी के स्वरूप पर प्रकाश पडता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसी अपूर्ण परिभाषायें प्रस्तुत की हैं, जिनमें कुछ परिभाषायें इस प्रकार हैं :-
- 'सिस्टनी बोक्स' ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'टेक्निक आफ वन एक्टप्ले' में की परिभाषा इस प्रकार दी है —

The one act form is not one which lends itself easily to subtlety of characterisation. It is essentially concentrated of purpose, and for this reason impose the strictest discipline upon the play-wright who make use of it. It should be making a single impression, should possess singleness of intention and should concentrate its interest on a single cha-

racter or a group of characters."

अर्थात् एकाकी का स्वरूप ऐसा नहीं होना, जिसमें चरित्र-चित्रण की मूर्तताओं को महत्व दिया जा सके। इसका एक आवश्यक केन्द्रीयमूर्त उद्देश्य ही है और इस हेतु एकाकी लेखन में कठोर अनुशासन होता है जो इनको प्रेम में लाता है। एकाकी का लक्ष्य होना चाहिये कि वह एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करे, एक स्थिति रखे और उसका ध्यान एक पात्र अथवा विशिष्ट पात्र समूह पर केन्द्रित हो।

२- 'प्रिक्टिस ईटन' ने अपने ग्रन्थ "चीक फाल्टस इन राइटिंग वन एक्टप्ले" में एकाकी का यह रूप स्वीकार किया है :-

"The one act play, be its nature and the rigid restriction of medium has to confine itself to a single episode or situation and this situation, in turn has to grow and develop out of itself."

अर्थात् एकाकी नाटक की ऐसी प्रकृति होनी चाहिये कि उसमें किसी एक ही घटना अथवा विशेष परिस्थिति का नियोजन ऐसा हो कि वह स्वयं ही धीरे बढे और विकसित हो जाय।

विचार करने पर ये परिभाषायें भी अपूर्ण प्रतीत होती हैं। प्रायः सार्वपरिभाषाओं का निष्कर्ष इस प्रकार है —

(क) एकाकी में किसी एक घटना, परिस्थिति, समस्या अथवा पक्ष का चित्रण होना चाहिए।

(ख) उसमें सक्षिप्तता, कुतूहल, मनोरंजन, ऐंका एवं सजीवता के गुण होने चाहिये।

(ग) एकाकी में सकलनत्रय के निर्वाह के साथ ही लेखक की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति में समन्वय होना अनिवार्य है।

(घ) एकाकी में एक अंक के माध्यम से ही, गिनेचुने पात्रों को लेकर मनुष्य चित्रण करना चाहिये।

में इन्द्र अपनी अन्तिम गोमा तरु पहुँच जाता है और लेकर अन्तिम परिणाम का सबेरा कर देता है। चतुर्थ सोपान 'अन्त' में परिणाम सामने आ जाता। किन्तु समस्या प्रधान नाटकों में अपूर्णता ही रहती है। एकाकी की सकलता लिये देश, काल तथा कार्य की एकरता (मकलनत्रय) भी आवश्यक प्रतीत होती है। निष्कर्ष यह कि एकाकी की कथावस्तु में एकता, एकाग्रता तथा विस्मया कतूहल, इन तीन तत्वों का होना आवश्यक है।

पात्र तथा चरित्रचित्रण

एकाकी में ५ या ६ पात्रों से अधिक पात्र न होने चाहिये, क्योंकि पात्रों की भरमार से कथावस्तु में शिथिलता आ जाती है और मुख्य पात्रों के चरित्रों की रूपरेखाएँ नहीं अंकित हो पाती। इसमें मुख्यतया नायक पर लेखक का ध्यान केन्द्रित रहता है और उसी का चरित्र कुछ अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त हो पाता है। पात्रों की चारित्रिक रूप रेखा प्रस्तुत करने के लिए लेखक को पात्रों के मन, वचन कर्म में सजीवता, स्वाभाविकता एवं मनोवैचल्य का ध्यान रखना होता है। सामान्यतया नायक, प्रतिनायक तथा मायापात्र, ये तीन प्रकार के पात्र ही इसमें स्थान पा सकते हैं।

सम्वाद

सम्वाद या कथोपकथन ही एकाकी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। सम्वाद जितने ही मार्मिक, सरस, चुटीले, मक्षिप्त, गम्भीर एवं स्वाभाविक हों, एकाकी उतना ही प्रभावपूर्ण होगा। डा० सत्येन्द्र ने लिखा है:—

“कथोपकथन सक्षिप्त, मर्मस्पर्शी, वाग्बद्धगध्ययुक्त, चरित्र की चारित्रिकता प्रकट करने वाला होना चाहिये। बहुधा एकाकी कथोपकथनों में होकर सगति और शक्ति संचित करता हुआ कथोपकथन द्वारा ही चरम पर पहुँचना अथवा कथोपकथन या सभाषण में ही वह अपनी परिसमाप्ति पा लेता है।

सम्वाद के द्वारा पात्रों के भाव व्यक्त होते हैं और उनके भावों से चरित्र चलता है और सम्वादों से ही कथावस्तु को गति मिलती है। अतः सर्वत्र भी शब्द निरपेक्ष नहीं होना चाहिये। प्रत्येक पात्र अपनी शोभा आदि के औचित्य के अनुसार ही बोले, किन्तु भाषण न देने लगे।”

तो या एकांकी या ओर कोई रुकावट, उसे 'व्यथकाण्ड' ही कहना अधिक उचित होगा। एकांकीकार एकांकी के प्रारम्भ में ही सिंगुल रंगमञ्चीय गवेष दे देता है। पात्रों की बेगभूषा, दृश्यों की मात्र-मात्रता, यागावयव, ग्यान, ममत्त प्रदि के सबेले इमीनियं दिने जागे है, कि एकांकी के अभिनय करने में मुश्किल है गके। अभिनेयता के लिये एकांकीकार को पात्रों की संख्या ५ या सात में अधिक नहीं रगनी चाहिये, अन्यथा रगमन में गभी पात्र गमल नहीं मने। अभिनेय एकांकी की भाषा गरल होनी चाहिये, गम्याद पुस्त, मभिल ए प्रमावपूर्ण होने चाहिये। उगे इग यान का ध्यान रगना चाहिये कि एकांकी आघे घण्टे के अन्दर अभिनीत हो गने। एकांकी में ऐमी ही सामग्री का मने हो जो गरलता में अल्पमय करने पर भी प्राप्त की जा गके। इन सबके अति रिक्त अभिनेय एकांकी की बयावम्नु रोषक एव गरल होनी चाहिये।

एकांकी का वर्गीकरण

विषयवस्तु की दृष्टि में एकांकी के ११ वर्ग हो गरने हैं :— १. सामाजिक एकांकी २. राजनीतिक एकांकी ३. ऐतिहासिक एकांकी ४. प्रगतिशील एकांकी ५. पार्टी एकांकी ६. मानवतावादी एकांकी ७. धार्मिक-पौराणिक-नैतिक एकांकी ८. वैज्ञानिक एकांकी ९. मनोवैज्ञानिक एकांकी १०. रेडियो एकांकी ११. गीति नाट्य एकांकी।

सामाजिक एकांकियों में मानव समाज की समस्याओं एवं सुख-दुखों का प्रतिबिम्ब रहता है। राजनीतिक एकांकियों में राजनीतिक आन्दोलनों, विचार धाराओं तथा नेतागिरी की फोल-मिट्टियों का चित्रण किया जाता है। ऐतिहासिक एकांकी किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर लिखे जाते हैं, उनमें काल कल्पना का मिश्रण रहता है। प्रगतिशील एकांकियों में मानववाद की दृष्टि से प्रधान रहता है, रुद्धियों के प्रति विद्रोह व्यक्त किया जाता है और आधि वैषम्य पर तीक्ष्ण प्रहार दृष्टिगोचर होता है। पार्टी एकांकियों में समाजवादी कम्युनिस्ट, कांग्रेस, हिन्दू महासभा तथा सरकारी प्रचार-साहित्य का अस्तित्व होता है। मानवतावादी एकांकियों में समस्त विश्व के मानव को एक इका

१०५ उसकी समस्याओं का अंकन रहता है। धार्मिक-पौराणिक-नैतिक

नयी प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथों पर आधारित रहते हैं। इनमें आदर्श-रस की प्रविष्टा की जाती है। वैज्ञानिक एकाकियों में विज्ञान को आधार तब तक उनके गुणों अथवा दोषों पर प्रकाश डाला जाता है। मनोवैज्ञानिक कवियों में पात्रों के चरित्र को अधिकाधिक मनोविज्ञान की कसौटी पर रखा जाता है। ये एकाकी अधिक गम्भीर होते हैं। रेडियो एकाकी आज की रीति है। इन्हें 'ध्वनि एकाकी' भी कह सकते हैं। वस्तुतः इनका अभिनय ही होगा, केवल निर्देशों के माध्यम से कथावस्तु अपसर होती है, दोष सभी रंगमंच ध्वनि तरंगों से व्यक्त की जाती है। 'गीतिनाट्य' भी एक नवीन रस है, इसमें प्रतीकात्मक पद्धति में कथावस्तु प्रथित की जाती है, किन्तु नया रूप पद्यात्मक होता है।

इस प्रकार अभी एकाकी विकास के नित्य नये आयामों की खोज में है। लोकजीवन के आविष्कार में इस दिशा में भी नूतनता आ रही है। वर्तमान समाजकारण पाठ्य एकाकियों की भी रचना कर रहे हैं। कुछ लोग कई छोटे-छोटे एकाकियों की एक माला भी बनाकर 'एकाकीमाला' का प्रयोग कर रहे हैं। शायद यह कि आजकल 'लघुकथा' से भी अधिक लोकप्रियता 'आधुनिक एकाकी' को प्राप्त है। विकास के नूतन स्रोतों को ढाँढ़कर यह विधा उन्नततर दिख रही है।

उपन्यास

आधुनिक युग में प्रायः 'उपन्यास' अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि इसमें माल भाषा-शैली के माध्यम से जीवन का यथार्थ-चित्र प्रस्तुत किया जाता है। हिन्दी में 'उपन्यास' की विधा भी मुख्यतया आरम्भ प्रभाव से आई है। 'उपन्यास' शब्द 'बेंगला' में होकर हिन्दी में आया है, जो अंग्रेजी के उपन्यास (Novel) का ही रूपान्तर है। इसका शाब्दिक अर्थ है - नया या नूतन। 'उपन्यास' में वास्तविक घटनाओं का चित्रण होता था अब इस रूप में उन्हें 'काल्पनिक' में वास्तविक घटनाओं का चित्रण होता था अब इस रूप में उन्हें 'काल्पनिक' या 'काल्पनिक' माना गया। प्रायः में इस शब्द 'उपन्यास' शब्द का प्रयोग होता है। क्योंकि इस विधा में जीवन के यथार्थ का चित्रण किया जाता था। 'उपन्यास'

में इस हेतु 'नोबिले' शब्द प्रयुक्त होता गया है। 'नोबिले' में कथायुक्त कथायुक्त प्रमाण, विन्तु उन्नीबद्ध होती थी। अद्वैती में इन्गी का अनुवाद हुआ। इस प्रकार 'इटली' में आया हुआ 'नोबिले' शब्द अद्वैती में 'नोबिल' के रूप में प्रयुक्त होने लगा। इससे पूर्व गद्य कथाओं के लिए अद्वैती में 'फिक्शन' (Fiction) शब्द प्रयुक्त था, त्रिगुण अर्थ 'गल्प' या 'कल्पितकथा' होता है। इसका सम्बन्ध 'रोमान्' (Romance) भी होता है, परन्तु रोमान और नोबिले में अन्तर है। 'रोमान्' शब्द में 'रोमान्' की निम्नलिखित हुई है, त्रिगुण अर्थ 'असाधारण' होता है। इस प्रकार 'रोमान्' में असाधारण घटनाओं एवं पात्रों का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन की साधारण सम्भव घटनाओं का चित्रण होता है। इसके अनिश्चित 'रोमान्' पद्यरत्मक होने हैं और 'उपन्यास' या 'नोबिल' पद्यरत्मक। इस सम्बन्ध में 'क्लारासेक्ट' (Clarascet) का कथन दृष्टव्य है—

"उपन्यास अपने युग का चित्रण करता है, रोमान् उदात्त भाषा में उन्नत वर्णन करता है, जो न घटित है, न घटमान। उपन्यास दैनिक जीवन की घटनाओं का सम्बन्ध बतलाता है, जो हमारे मित्रों तथा हमारे जीवन में सम्भव हो। उपन्यास की सफलता इसमें है कि प्रत्येक दृश्य इस सरलता और स्वाभाविकता के साथ प्रस्तुत हो और उसे इतना सामान्य बनाया जाय कि अपनी वास्तविकता में विश्वास हो जाय।"

परिभाषा

'उपन्यास' की अनेक परिभाषायें दी गई हैं। 'न्यू इंग्लिश डिक्शनरी' के अनुसार—वृहत् आकार गद्य-आख्यान या वृत्तान्त, जिसके अन्तर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों को कथानक में चित्रित किया जाना 'उपन्यास' है। प्रसिद्ध विद्वान फ्रोसे के अनुसार—'नोबिले' (उपन्यास) से अभिप्राय उस गद्यमय गल्पकथा से है, जिसमें वास्तविक जीवन यथार्थ चित्रण रहता है। 'बेकर' के अनुसार—'उपन्यास को हम गद्यमय आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कहते हैं।' फ्रासीसी 'बेवल' के अनुसार 'उपन्यास' निश्चित आकार का गद्यमय आख्यान

। 'अर बर्टन' के अनुसार—“उपन्यास गद्य में रचित कवि के समवालीन जीवन का अध्ययन है, जिसकी रचना लेखक समाज के उत्थान-पतन की भावना को अनुभाषित होकर करता है। इसके लिए वह प्रेममयत्व को प्रधानतया ग्रहण करता है, क्योंकि अपने सामाजिक सम्बन्धों में मानव इसी से परस्पर बंधे हुए है।”

'वेव्हेस्टर' के अनुसार—“उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा समय आश्रय है, जिसमें एक ही कथानक के अन्तर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है।”

इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं में से 'वेव्हेस्टर' की परिभाषा अधिक पूर्ण, मुख्यवस्थित एवं सरल प्रतीत होती है। वैसे तो 'उपन्यास' की परिपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत करना बठिन है, क्योंकि जब यह जीवन की व्याख्या है, तो जीवन की अनेक रूपता भी इसमें आती है और जीवन की अनेकरूपता को कुछ पक्षों में कैसे बाँटा जा सकता है। यह बात दूसरी है कि उसकी कुछ रूपरेखा प्रस्तुत कर दी जाय। यही बात इन परिभाषाओं में भी लागू होती है।

भारतीय विद्वानों ने भी 'उपन्यास' की परिभाषायें दी हैं, कुछ का उल्लेख किया जा रहा है—

१ मुन्शी प्रेमचन्द्र लिखते हैं—“मैं उपन्यास को मानवचरित का चित्रमात्र समझता हूँ। मानवचरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूलतत्त्व है।”

२. डा० श्याम मुन्दरदास के अनुसार—“मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा 'उपन्यास' है।”

३ हमारे विचार में उपन्यास की अधिक गहन एवं समन्वित परिभाषा इस प्रकार हो सकती है—

“उपन्यास कृत्रिम जाकार की वह गद्यविधा है जिसमें मानव जीवन की मूलवृत्तान्मक अनुभूतियों को यथार्थ और पल्पता के मिश्रण में कलापूर्ण कथात्मकरूप देकर अभिव्यक्त किया जाय।”

उपन्यास का स्वरूप

उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने में उपन्यास के रूप का यह किंचित् आभास हो जाता है, अतः उसके स्वरूप के विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है। वस्तुतः उपन्यास जनसाधारण के लिए लिखा जाता है, अतः उसी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें जो भी कथावस्तु हो, वह नान्वनिक होती हुई भी जीवन के यथार्थ से ली गई हो और अवान्तरकथाओं के मेल रहने पर भी उस मूलकथा का स्वरूप स्पष्ट हो। उपन्यास को हम महात्मक महाकाव्य भी कह सकते हैं, उसके अन्तर्गत लेखक अपने जिन विचारों को व्यक्त करता है, उनके व्यक्त करने की दो विधियाँ अपनाता है—प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्षविधि। प्रत्यक्षविधि में लेखक अवकाश निकालकर स्वयं किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करने लगता है और अप्रत्यक्षविधि में वह पात्रों के मध्य से बोलता है। प्रायः सफल लेखक अपने प्रधान पात्रों के माध्यम से ही बोलते हैं। कला की दृष्टि से यही विधि उत्तम है, क्योंकि उपन्यासकार को साक्षात् उपदेष्टा बनने से वचना चाहिए। उसे मानव जीवन की यथार्थ घटनाओं को लेकर कल्पना का आभा पहनाकर एक नवीनरूप में प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें स्वाभाविकता एवं सुचारुता के साथ ही तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। जीवन की विविधता का चित्रण करने में उसे जितनी ही प्रखर अनुभूति होगी, उतनी ही सफलता मिलेगी।

उपन्यास के तत्त्व

(१) कथावस्तु (२) पात्र तथा चरित्र चित्रण (३) कथोपकथन (४) देश-काल-वातावरण (५) भाषा शैली (६) उद्देश्य।

१. कथा वस्तु

‘उपन्यास’ में कथावस्तु का सर्वाधिक महत्व होता है। यह कथावस्तु ऐतिहासिक हो या काल्पनिक किन्तु लेखक को न्यूनाधिकरूप में अपनी कल्पना का आश्रय लेकर उसे सरसता एवं प्रभावकारिता प्रदान करना होती है। इसके अतिरिक्त लेखक कथावस्तु का निर्माण करने के लिए समाचार पत्रों, 14. लेखों एवं विभिन्न विषय की पुस्तकों का भी आश्रय लेता है। इस

एक ही कथावस्तु जीवन के सम्बन्ध विषयों भी प्रकार की हो सकती है ।
 ये एक ऐतिहासिक हो या पौराणिक, साहित्यिक हो या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक
 'सांस्कृतिक, ऐतिहासिक हो या जादूगो ।

इसमें कथावस्तु में घटना, अनुशासन, घटनाओं का महत्त्व विवर्धन, रोचकता,
 स्वाभाविकता, मौलिकता तथा सत्यता के गुण विद्यमान रहते हैं । किन्तु
 उपन्यास की कथावस्तु में मानवजीवन की परिस्थितियों एवं उनकी सम-
 सों का ऐसा सजीव चित्रण होना चाहिए, जो विस्तृत मध्य हो और यथायथ
 हो तथा भी रोचक हो । उपन्यास की कथावस्तु जीवनमूल्यों का विश्लेषण
 करती है, कथिओं के माध्यम से समाज के आदर्शों की व्याख्या करती है ।
 जीवन के उत्थान-पतन का मनोवैज्ञानिक चित्र अंकित करती है । इसकी कथा-
 वस्तु में जो भी लक्ष्य कथायें हो उन्हें मूलकथावस्तु को पोषिका बनकर ही
 देना चाहिए । इसी प्रकार उपन्यास की घटनायें भी सीमितरूप में प्रस्तुत की
 जाती चाहिए, क्योंकि अधिक विस्तार से उनकी रोचकता के नष्ट होने का भय
 रहता है । इसके अनिश्चित सभी घटनाओं में एक शृंगार होनी चाहिए, जिसमें
 संभवित रूप में एक प्रतीत होती हो ।

सामान्यतया उपन्यास का कथानक 'प्रत्यक्ष प्रणाली' या आत्मकथा प्रणाली
 तथा 'पक्ष प्रणाली' के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है । इसके अतिरिक्त
 अन्य प्रणालियाँ भी हो सकती हैं ।

२. पात्र तथा चरित्र-चित्रण

उपन्यासकार पात्रों के माध्यम से ही कथावस्तु को विकसित करता है ।
 अपने पात्रों की भाँति गठबिन्दु क्षेत्र नहीं होता, पर्याप्त संख्या में १५ या २०
 तक भी पात्र सरलतापूर्वक स्थान पा जाते हैं । पात्रों का चयन समाज के सभी
 वर्गों में किया जा सकता है । लेखक को चाहिए कि वह पात्रों का स्वाभाविक
 विकास होने दे, उन्हें अपने हाथों की बँधपुतली न बनाये । पात्रों की सहायता
 के ही लेखक जीवन की बटुमुगी प्रारम्भ करता है, अब उसे विभिन्न प्रकृति
 की प्रकृति के पात्रों को प्रस्तुत करना होता है । पात्रों में गुण भी होने हैं,
 अस्वगुण भी । दोनों का उद्घाटन करना कलाकार का कर्तव्य है । पात्रों का

क्रियाशालाएँ उनके चरित्र पर प्रकाश डालना है, अतः उनके क्रियाशालाओं का जीवन, यथायंता एव आकर्षण होना चाहिए। चरित्रचित्रण की कुशल इसी बात में है कि उपन्यास का पाठक विभिन्न पात्रों को सरलता में पहचाने और उनके तादात्म्य स्थापित कर सके। एक आलोचक ने लिखा है—

“मनुष्य प्रकृति के विभिन्न पक्षों और स्तरों के मूढम अध्ययन और समझ सम शब्दों में चित्र को पूरा-पूरा उपस्थित कर मरने की योग्यता ही सच चरित्रचित्रण की कमीठी है।” चरित्र चित्रण की मफ़लता के लिए पात्रों का कथानक के अनुकूल ही प्रस्तुत करना चाहिए और उनमें मौलिकता, समीक्षा एव स्वाभाविकता की मृष्टि करनी चाहिये। इस हेतु कलाकार को मानवता की मनोदशाओं, प्रवृत्तियों एव परिस्थितियों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।

चरित्रों के प्रकार

चरित्रचित्रण की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं, किन्तु मुख्यरूप में वर्णनात्मक प्रणाली और अभिनयात्मक-प्रणाली, ये दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। लेखकों को यथासम्भव दोनों में समुचित लाभ उठाना चाहिए। सामान्यतया चरित्र ४ प्रकार के होते हैं—(१) वर्णप्रधान चरित्र (२) व्यक्तिप्रधान चरित्र (३) आदर्श चरित्र (४) यथायं चरित्र। वर्णप्रधान चरित्रों में जातीय विशेषता की प्रधानता होती है, व्यक्तिप्रधान चरित्रों में स्वतन्त्र रूप से व्यक्तिगत विशेषतायें अंकित की जाती हैं। आदर्श चरित्र में किसी पात्र विशेष के जीवन आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की जाती है और यथायंवादी चरित्रों में पात्र विशेष के माध्यम से जीवन की यथायंता का अंकन किया जाता है इसमें पात्र देव, असुर अथवा मानव, किसी भी कोटि के हो सकते हैं।

३. कथोपकथन

उपन्यास के कथोपकथन नाटकादि की तुलना में विस्तृत होते हैं, किन्तु लेखक को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कथोपकथन सगत, समीक्षा एवं स्वाभाविक हो। अधिक लम्बे कथोपकथन नीरस लगने लगते हैं। उनमें मार्थकता इस बात में है कि वे पात्रों के व्यक्तित्व का प्रकाश करते ही जीवन क्रम को भी गति देते हों। कथोपकथन से उपन्यास में नाटकीयता आ

ज... इनका प्रत्यक्ष होना के लिए ही वास्तुविद्या पर
 ज... का प्रत्यक्ष जिन-जिन स्थानों में हो, जिनके
 ज... अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में परिचित होना
 ज... इनके अर्थशास्त्र जिन समय का विद्या हो, उग समय की सामाजिक,
 ज... सामाजिक स्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वह उनकी
 ज... कर सकेगा। उदाहरण में किसी घटना की मजबूती में वृद्धि
 ज... के लिए, पृष्ठभूमि के रूप में भी 'वातावरण विज्ञान' नितांत उपयुक्त
 ज... है। उदाहरण: जहां वातावरण के विज्ञान में भी गूढ़मत्ता का ध्यान
 ज... चाहिए। ऐसा न हो कि हमें आदिपथ में पाठक ऊबने लगे। इसकी
 ज... करने के लिए, हमें बल्यता का भी पट्टे दे देना चाहिए। इसमें उप-
 ज... में वातावरणमत्ता भी आ जाती है। यह तत्त्व उपन्यास में समाज का
 ज... रूप प्रस्तुत करने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है।

भाषाशैली

भाषाशैली की अभिव्यक्ति का मापन है और भाषा उसकी सहायिका
 । उदाहरण की भाषा जन जीवन के जितनी ही गभीर होगी, वह उतना ही
 ज... और पाठक आकृष्ट होंगे। हमकी मजबूती के लिए बीच-बीच
 ज... एवं मुलावरो के भी स्वाभाविक प्रयोग होने चाहिए। हास्य

लक्षणा और उनके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास का लक्ष्य माना जा सकता है। यह भी कुछ महोद्योग की भाँति करता है। यदि इसी बात को ध्यान में रखकर हमें कहें कि—'सातवचरित्र पर प्रकाश डालना और उसके सौंदर्य को खोजने हुए आनन्द की सृष्टि करना 'उपन्यास' का लक्ष्य है, तो यह सत्य होगा। उपन्यास चाहे सुखान्त हो या दुःखान्त, दोनों से आनन्द अनुभूति होती है और इसी अनुभूति की मिष्टि कर बनने पर लेखक का लक्ष्य ही जाता है। शास्त्रों, जीवन मूल्यों और प्रश्नों की व्याख्या करने के लक्ष्य के ही कृति अमर होती है। इस प्रकार कृति की साधना ही उपन्यासकार का लक्ष्य होता है।

कहानी (आख्यायिका)

आधुनिक समय में 'कहानी' एक विशेष लोकप्रिय गद्यविधा के रूप में प्रचलित है। इसमें लोकप्रियता में 'उपन्यास' को भी पीछे छोड़ दिया है। कि भारतीय-साहित्य में वैदिककाल से ही कहानियों का प्रचलन रहा है, जो हिन्दी के क्षेत्र में आज 'कहानी' का जो रूप प्रचलित है, वह पाश्चात्य देशों से आया है। कहानी ही 'आख्यायिका', गल्प, कथा आदि भावों से गनी जाती है। यद्यपि दूरी आदि प्राचीन आचार्यों ने 'कथा' और 'आख्यायिका' में काल्पनिकता और ऐतिहासिकता को लेकर अन्तर माना है, किन्तु उन उन्होंने ही इस अन्तर को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार 'कहानी' र 'आख्यायिका' में ऐक्य स्थापित हो गया है।

रेखाया

पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने 'कहानी' की अनेक परिभाषायें प्रस्तुत की हैं—

१. एलरी का मत है—छोटी कहानी टीन पुइदीड के समान होती है, लक्ष्य और अन्त ही उसमें महत्वपूर्ण होते हैं—

A Short Story is just like a horse-race. It is the Start and finish which Count most

कैस के अनुसार—गडिज-गल्प (फिक्शन) का बोर्ड भाग, जो बीस

मिनट में पढ़ा जा सके, लघुरूपा होगी ।

“Any Piece of Short Fiction which can be read in ten minutes would be a short Story.”

३ ‘एडगर एसन पो’ के अनुसार—‘लघुरूपा’ एक मक्षिण वर्णन है इसकी लघु होती है कि एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है । यह पाठ एक प्रभाव डालने के उद्देश्य में लिखी जाती है । इसमें उन सब बातों का प्रकार होता है, जो उग प्रभाव को अप्रसर न कर सकती हो । यह अर्थ में स्वतः पूर्ण होती है—

A Short Story is a narrative Short enough to be read in a Single Sitting written to make an impression on the reader excluding all that does not forward that impression to be complete and final itself.”

४. हैडफील्ड के अनुसार—‘कहानी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संक्षिप्तता है ।’

The short story, a story that is not long.

५. ‘एनसाइक्लोपीडिया आफ लिटरेचर’—(वर्तमानिया का विश्वकोश) कहानी की परिभाषा का यह रूप दिया गया है—‘अन्त में इसको एक साहित्यिक-विषय के रूप में वर्णित करते हुए कोई इससे अधिक और कहेंगे कि यह संक्षिप्त होती है, अत्यन्त संगठित होती है और एक कथा पूर्णरूप होती है—

“Ultimately in describing it as a distinct literary form one can hardly do better than to say that it is short, highly organized complete form of picture.”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर ही भारतीय चिन्तकों ने कहानी की परिभाषायें प्रस्तुत की हैं । यथा—

१. मुन्शी प्रेमचन्द के अनुसार—“कहानी (गल्प) एक रचना है, जिनके जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है।”

• हमारे विचार से—अपुन्यता एक संज्ञक में पूरी ज्ञान प्राप्त वह मनुष्य है जिसमें के किसी जीवित प्रभावपूर्ण प्रेम, मनोभाव अथवा नीच स्वार्थ का बर्दासतपूर्ण प्रस्तुत करने के लिए एकर, गरिबता, प्रभावान्विति और मनोवैभक्तिता के गुणों का आश्रय लेकर जगत बन्धुमर अभिव्यक्ति प्राप्त है।”

इस प्रकार कहानी की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कहानी का आधार मनुष्य होता है, वह जीवन के किसी एक असाधारण घटक पर प्रस्तुत कहानी है। उगम बन्धुता, नाटकीयता, सरलता, आभासिता, मनोवैभक्तिता, स्पष्टता और प्रभावकारिता के गुण विद्यमान होते हैं। वह अपने में स्वतन्त्र, पूर्ण, गगनचिन्तित एवं व्यवस्थित रचना होती है। इसी प्रेमचन्द ने लिखा है—“वह एक ऐसा गमला है, जिसमें एक ही पौधे का सबूत अपने समुद्रत रूप में दृष्टिगोचर होता है।”

कहानी के तत्त्व

(१) कथावस्तु (२) पात्र तथा चरित्र चित्रण (३) कथोपकथन (४) भाषाकरण (५) भाषाशैली (६) उद्देश्य।

कथावस्तु

कहानी की कथावस्तु मक्षिप्त एवं

। **सूत्र प्रणाली**—इसे विश्लेषणात्मक-प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लेखक पात्रों के चरित्रों का वर्णन करता है और उनमें पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है। यह प्रणाली स्पूल मानी जाती है।

। **गोष्ठ प्रणाली**—इसे 'सांकेतिक प्रणाली' या 'नाटकीय प्रणाली' भी कहते हैं। अपने पात्र स्वयं अपने चरित्र का विश्लेषण करता है और कभी-कभी अन्य पात्रों को किसी पात्र के चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है। चमत्कार की दृष्टि से 'नाटकीय प्रणाली' अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। डा० जगन्नाथ शंकर जी की पुष्टि की है—“कहानी की सर्वाधिक प्रभावशाली और व्यवहार्य चरित्रावन पद्धति यह होती है, जिसमें नाटकीय विधि का उपयोग हो।”

बोधोपकथन

इसके द्वारा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है, किन्तु कहानी के बोधोप-
कथन मुख्य, आवश्यक एवं साभिप्राय होने चाहिये। इनमें एक भी वाक्य
रहित न हो। पात्रानुबूलना, स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता के गुणों
सोपान में राजीवता आती है। ये बोधोपकथन बोधोपकथन की गति प्रदान
है, जो इनकी रोचकता पर ध्यान देना आवश्यक है। इनमें वातावरण
का भी महत्त्व मिलती है। इस प्रकार कहानी के बोधोपकथनों में
ग, बुद्धि, सांकेतिकता, चमत्कारिता, पटुता, अनुबूलना आदि गुणों का
वापरण है। पात्रों के बोधोपकथनों में 'चरित्र चित्रण' के भी अंग रहने
चाने हैं। जो पात्र कोई बात करता है, अपने दिवार प्रकट करता है,
इसमें आन्तरिक भावों का अनुमान लगाना सरल होता है। यदि वह
अन्य पात्र के बारे में कहता है, तो उस अन्य पात्र के भी चरित्र पर
प्रकाश डाला जाता है। इस प्रकार कहानी में बोधोपकथन भी महत्त्वपूर्ण लक्षण
रहता है।

वातावरण

कहानी की स्वाभाविकता के लिए ही उचित वातावरण का चयन करना
। सांख्यिक विद्वानों ने कहानी के वातावरण के रचनात्मक चयन को

अधिक महाना प्रदान की है। इसरो भावों के जाग्र है। कहानी में 'वातावरण' तीन कार्य करता है—१. नुभूति की तृप्ति कराना २. सहानुभूति की उत्पत्ति मानसिक तथा भौतिक दोनों प्रकार का होता है। मान. पात्र की मानसिक परिस्थिति का सजीवचित्रण किया वातावरण में स्थान तथा प्रकृति का प्रभावोत्पादक विष. निः कहानियों में प्रथम प्रकार और शेष कहानियों में उत्तम माना जाता है।

५. भाषाशैली

कहानों की भाषा सरल, चुटीली एवं सशक्त होनी च. क्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से प्रभावकारिता आती है. व्यावहारिकता कहानी की भाषाशैली के अनिवार्य गुण है. में तात्किकता एवं चमत्कारिता का होना भी आवश्यक है। चित्रात्मकता, प्रवाहशीलता, सजीवता, कलात्मकता, प्रभाव कता कहानी की भाषाशैली के गुण माने जाते हैं। वैसे तो : प्रचलित है, किन्तु मुख्य प्रचलित शैलियाँ इस प्रकार हैं—

(१) आत्मकथात्मक शैली (२) कथात्मक शैली (३) सम्वादा पनात्मक शैली (५) डायरी शैली।

प्रथम में लेखक 'आत्मकथा' की भाँति सारी कहानी 'आ' में कहता है। द्वितीय में लेखक केवल वर्णनकर्ता के रूप में घटना प्र करता है। तृतीय में नाटक की भाँति पात्रगत सम्वादों के आधार बल दिया जाता है। चतुर्थ में एक या अनेक पात्रों की सहायता का निर्माण किया जाता है और पंचम में किसी व्यक्ति की ' आधार बनाकर कथावस्तु निर्मित की जाती है। इनमें ' . प्रचलित है।

६. उद्देश्य

(१) उपन्यास जीवन का सवा द्वाितीय अंश है, किन्तु कहानी जीवन के
 किसी एक सामिक अंश की व्याख्या है। (२) कहानी की कथावस्तु सूक्ष्म एवं
 संक्षिप्त होती है उगमें एक ही घटना या प्रभावपूर्ण चित्रण किया जाता है,
 किन्तु उपन्यास को कथावस्तु विस्तृत होती है उगमें अनेक अवान्तर कथायें भी
 पढ़ती है और घटनासंबंधित्य के कारण अनेकरूपता भी रहती है। (३) उप-
 न्यास में पर्याप्त पात्रों की सृजनात्मक रहती है, किन्तु कहानी में कुछ ही गिनेचुने
 कथावस्तु पात्र होते हैं। (४) उपन्यास में पात्रों के चरित्रचित्रण का पूर्ण
 व्यवसाय रहता है, पर कहानी में चरित्रचित्रण धसूरे होते हैं, वहाँ बहुत कम
 व्यवसाय रहता है, केवल चरित्रचित्रण की इच्छा स्पररंगा ही अवित हो पाती
 है। (५) उपन्यास के सम्वाद लम्बे-लम्बे हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनमें
 पात्रागण सेक्कर तक आ जाने हैं, किन्तु कहानी के सम्वाद लघु एवं सूक्ष्म होते
 हैं उनमें कृता के लिए स्थान नहीं होता। वे उपन्यास के सम्वादों की अपेक्षा

अधिक चुस्त एवं नाटकीय होते हैं । (६) उपन्यास की भाषाशैली में वैविध्य हो सकता है, पर कहानी की भाषाशैली में एकरूपता रहती है । उपन्यास की शैली की तुलना में कहानी की शैली अधिक प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशील होती है । (७) उपन्यास में देश काल तथा वातावरण का चित्रण करने के लिए पर्याप्त स्थान रहता है, किन्तु कहानी में इसके लिए बहुत कम स्थान रहता है, फलतः इस अंश में उपन्यास अधिक गौरवशील प्रतीत होता है । (८) उपन्यास का उद्देश्य जीवन की विविधता के साथ आनन्दात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति करना होता है, किन्तु कहानी का उद्देश्य जीवन के आशिक रूप का ही उद्घाटन करना होता है ।

'हडसन' ने कहानी और उपन्यास के अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया है—“कहानी में हम पात्रों से केवल कुछ क्षण के लिए ही मिलते हैं । उन्हें कुछ ही सम्बन्धों और परिस्थितियों में देखते हैं, किन्तु उपन्यास इससे भिन्न है । इसमें पात्रों के सम्पूर्ण जीवन की झाँकी मिलती है ।” इसके अतिरिक्त उपन्यास में कल्पना के लिए पर्याप्त स्थान होता है, किन्तु कहानी में सीमित होता है । उपन्यास में अन्तर्द्वन्द्व स्पष्ट भी रहता है और साकेतिक भी, किन्तु कहानी में यह साकेतिक ही रहता है ।

इस प्रकार बाह्यतत्त्वों की एकता होने पर भी उपन्यास और कहानी में पर्याप्त अन्तर है । मूलरूप में उपन्यास घटनाप्रधान होते हैं, पर कहानी व्यञ्जनाप्रधान होती है । यस्तुतः दोनों स्वतन्त्र विधायें हैं, कहानी को 'कटा-छटा उपन्यास' कभी नहीं कहा जा सकता ।

कहानियों के प्रकार

सम्प्रति विभिन्न प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनका वर्गीकरण करना आसान कार्य नहीं है । सामान्यतया कहानियाँ चार प्रकार की होती हैं— (१) कथाप्रधान (२) वातावरणप्रधान (३) प्रभावप्रधान (४) विविध (ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हास्यात्मक आदि) 'कथाप्रधान' कहानी में ही मुख्यतया वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत की जाती है । कहानी में किसी स्थान, प्रकृति और वातावरण का ऐसा

सादर चित्रण किया जाता है कि जिसकी तुलना में अन्य तत्त्व गौण
 उ हैं। 'प्रभावप्रधान कहानी' में किसी ऐसे प्रभावविशेष का चित्रण किया
 है, जिसमें उसी की मुख्यता होती है और अन्तिम वर्ग में अनेकरूपतापूर्ण
 नों आती हैं।

रूप की दृष्टि में कहानियाँ सात प्रकार की होती हैं—(१) वर्णनप्रधान
 टनाप्रधान (२) चरित्रप्रधान (४) वातावरणप्रधान (५) प्रभावप्रधान
 वप्रधान (७) समस्याप्रधान।

र्णन प्रधान कहानियाँ—इनमें लेखक किसी स्थान समय या पात्र का
 रना ही अपना लक्ष्य मानता है।

चरित्रप्रधान कहानियाँ—इनमें लेखक का लक्ष्य किसी घटनाविशेष
 तत्त्व चित्रण करना रहता है और वह मुख्यघटना से सम्बद्ध अनेक लघु
 भी प्रस्तुत कर देता है। इनमें चरित्रचित्रण आदि तत्त्व गौण
 ।

चरित्रप्रधान कहानियाँ—इनमें लेखक की दृष्टि पात्रों के यथार्थ चरित्र
 पर केन्द्रित रहती है। लेखक आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकारों से
 व्यक्तित्व का अवन करता है, इनमें घटनाओं का अधिक महत्व नहीं
 यथा—'बूढ़ीसारी' (प्रेमचन्द)।

वातावरणप्रधान कहानियाँ—इनमें किसी प्रसंग को लेकर वातावरण
 व एवं यथार्थ चित्रण करना कलाकार का लक्ष्य होता है। ऐसा करने
 परिस्थिति चित्रण में महत्ता मिलती है। यथा—'गतरज के भिलारी'
 प्रेमचन्द)।

प्रभावप्रधान कहानी—इनमें घटनादि को महत्व न देकर किसी प्रभाव
 व दिया जाता है। यथा—'कवि' (मोहनलाल मेहता)।

भावप्रधान कहानी—इनमें स्वाभाविक ढंग से किसी मनोभाव का
 चित्रण किया जाता है। 'अन्तर्दृष्टि' ऐसी कहानियों का बीज होता है
 टनाओं का बहुत कम महत्व होता है।

समस्याप्रधान कहानी—इनमें ऐतद्द किन्हीं सामाजिक, धार्मिक, पारि-

वारिक आदि समस्या को प्रधानता देता है, फलतः लेखक का चिन्तनपक्ष मुख्त हो पाता है, समस्या का समाधान दे या न दे, यह लेखक की इच्छा पर निर्भर रहता है ।

इनके अतिरिक्त प्रतीकप्रधान, हास्यव्यंग्यप्रधान आदि अनेक प्रकार प्रचलित हैं, कुछ का रूप प्रकाशोन्मुख है और कुछ का प्रकाश में आ चुका है । इस प्रकार कहानी की अनेकरूपता भविष्य के लिए शुभलक्षण है ।

रचनाशैली की दृष्टि से, प्रतिभा की दृष्टि से, आधार की दृष्टि से कहानी के अनेक भेद-प्रभेद किये गए हैं । १९५० ई० से हिन्दी में 'नईकहानी' का प्रचलन हो गया है, जो पूर्वकहानी से भिन्न मानी जाती है । यथा—“पुरानी कहानी में व्यक्ति शारीरिक रूप से आता था और वैचारिक रूप से बयाकार । 'नईकहानी' में यह विचार उस शरीर में अवस्थित बुद्धि से उपजता है, जिसे प्रस्तुत किया जाता है । ... तब विचारों को हाड़-मांस प्रदान किया जाता था, अब हाड-मांस के इन्सान के विचारों को प्रस्तुत किया जाता है ।”

—‘कमलेश्वर’

आज 'विसंगतिबोध' और 'सिद्धान्तवाद' के आग्रह से पूर्ण कहानियाँ निर्मित हो रही हैं । ये वर्तमान की विकृति का चित्रण करती हैं । समाज, परिवार और मुक्तजीवन की सम्बेदना से दूर 'नईकहानी' का यह प्रचलन स्वस्वपरम्परा नहीं है । इस क्षोभ के त्यागने से ही 'नईकहानी' समृद्ध हो सकेगी ।

निबन्ध और उसके प्रकार

'निबन्ध' गद्यसाहित्य की सर्वोत्कृष्ट विधा है । यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबन्ध गद्य की कसौटी है । 'निबन्ध' का शाब्दिक अर्थ बाँटना या रोकना अथवा सग्रह करना है । गद्य की अन्य विधाओं की भाँति निबन्ध भी पाश्चात्य-साहित्य की देन है ।

अंग्रेजी में निबन्ध का पर्याय 'एसे' (Essay) शब्द माना जाता है । यह 'एन' भाषा के 'एन्जीजियर' (निश्चय परीक्षण करना) शब्द से निर्मित फ्रेंच 'एसाई' शब्द का पर्याय है । इसका शाब्दिक अर्थ प्रयत्न, प्रयोग अथवा

— काल के विविध रूप के विषय में 'निबन्ध' विद्या
 के अन्तर्गत है।

निबन्ध के अन्तर्गत 'निबन्ध' के विचार को विचारों उद्देश्यों
 का विचार है। निबन्ध विद्या है कि यह मेरी भावनायें
 के द्वारा हैं। निबन्ध के अन्तर्गत यह काल मेरी कला के द्वारा हैं
 की कला को मेरा मेरी कला के द्वारा हैं।

निबन्ध के अन्तर्गत निबन्ध मन्त्रिक की एक विधि मन्त्र है और अवि-
 द्यमान अविद्वान् मात्र होती है। शीघ्र निबन्ध और निबन्ध रचना

less-sally of mind, an pungent, indigested piece not
 lar and orderly performance

निबन्ध के अनुसार निबन्ध शिमी सामयिक विषय पर हल्के अतीप-
 लेख को कहते हैं—

issa is a light gossipy article on topical subject "

निबन्ध के अनुसार "निबन्ध शिमी मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल आत्मा-
 होती है।"

a) is a genuine expression of an original personality,
 and endids kind of talk

निबन्ध के अनुसार "निबन्ध केन्द्राभूत ज्ञान के वे कतिपय पृष्ठ हैं, जिनमें
 की सत्त्व अभिव्यक्ति होती है।"

निबन्ध के अनुसार "निबन्ध लेखनकला का बहुत प्रिय साधन है। जिसे
 न प्रनिभा है और न ज्ञानवृद्धि की जिज्ञासा, वही निबन्ध लेखन में
 ला है तथा विविधता और हल्की रचनाओं में आनन्द लेने वाला पाठक
 होता है।

निबन्ध के अनुसार 'निबन्ध साहित्याभिव्यक्ति का अत्यन्त कठिन परन्तु
 अग है, क्योंकि इसमें लेखक की गम्भीरता और उसकी गहराई में

सागर भरने की शक्ति (समाहारशक्ति) का संकेत मिलता है ।'

'अलेग्जेंडरस्मिथ' का मत है कि "निबन्ध प्रगतिकाव्य से इस बात में सा रखता है कि प्रगति की भाँति यह भी किसी व्यक्तिगत अनुभूति, मानसिक परिस्थिति विशेष से, वह सनकपूर्ण हो या गम्भीर या व्यग्यात्मक, सम्बन्धित रह है । निबन्ध मानसिक स्थिति को केन्द्रित करके ऐसे लिखा जाता है जैसे सित के कीड़े के चारों ओर कोकून घिर जाता है ।"

"The essay as a literary form resembles the lyric in ; for as is moulded by some central mood, whimsical, serious or satirical. Give the mood and the essay from the first sentence to the last grows around. It as the cocoon around the silk—warm."

'हालवर्ड' और 'हिल' ने निबन्ध के स्वरूप का अच्छा विश्लेषण किया है यथा—

"साहित्यिक निबन्ध किसी विषय का कोई सक्षिप्त रूप ही नहीं होता अपितु उसे हम लेखक के मस्तिष्क से उत्पन्न वस्तुविशेष के प्रति उद्भूत प्रतिक्रियात्मक चित्र की अभिव्यक्ति कह सकते हैं । इसकी सबसे प्रमुख विशेषता वैयक्तिकता अथवा अहंभाव का प्रकाशन है ।"

"The essay Proper or the literary essay is not merely a short analysis of a subject, nor a mere epitome, but rather a picture of wandering minds affected for the moment by the subject with which he is dealing. Its most distinctive feature is the egotistical element."

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार "आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबन्ध उमरी को कहना चाहिए, जिसमें व्यक्तित्व अर्थात् व्यक्तिगत विशेषता हो । बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समझी जाय । व्यक्तिगत विशेषता का यह मत सब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की शृंखला रगड़ी ही न जाय, या जानबूझकर जगह-जगह में तोड़ दी जाय ।"

शतमं रामदत्त मिश्र के अनुसार—“जिमी विषय विशेष पर सविस्तार प्रश्न लेख का नाम प्रबन्ध या निबन्ध है। प्रबन्ध में विवेचन समुक्ति, रस और प्रभावपूर्ण हो, जिमने लेखक के उद्देश्य की सिद्धि सहज हो। भाषा विशेषोपर्युक्त हो—प्रभावोत्पादन, भावोद्गोषक, स्पष्ट और २।”

शतमं राममुन्दराम के अनुसार—“निबन्ध उस लेख को कहना चाहिए, जिमी विषय पर गहन और पांडित्यपूर्ण विवाद किया गया हो। प्रबन्ध को उपर्युक्त परिभाषाओं एवं धारणाओं के परचात् हम इसकी नू परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं—“निबन्ध पद्य की वह लघु है जिममें भाषा के माध विचारों तथा भावों का मुख्यवस्थित चित्रण

। की विशेषतायें

प्रबन्ध की परिभाषाओं के आलोचन करने में उमरी विशेषतायें इस प्रकार मिली हैं—निबन्ध में निबन्धकार आत्मीयता, अनात्मीयता, वैयक्तिकता, निरस्तिकता के माध जिमी एन विषय या उसके किन्ही अंगों अपवा र अपनी निजी भाषाशैली में भाव या विचार प्रकट करता है। स्व-समलता और आडम्बरहीनता के माध ही घनिष्ठता और आत्मीयता लेखक अपने वैयक्तिक आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण को भी व्यक्त करता है। र की स्वच्छन्दता का उच्छृंखलता नहीं है, उमरी अनिश्चितता में निराम और अद्यवस्था में भी एन व्यवस्था होती है। विषय की प्रबन्ध की कोई भीमा नहीं होती। शून्य में लेखक अनन्त तक उमरा है। यथा—

arently there is no subject from the stars to the deep (ta) not be dealt with in essay). (अर्थात् तारों से लेकर अदम्य ऐसा विषय नहीं है, जो निबन्ध का विषय न हो सके।

ते तत्त्व

सपट्टिन विचार परम्परा (२) निबन्धकार का कदचित्त (१) मदीन

विभागों की उद्भावना (८) साहित्यिकता (९) सम्बन्धिता (१०) भावार्थविशुद्धि इनको हम प्रचार समझ सकते हैं -

- (क) भावार्थ को दृष्टि में लिखना स्पष्ट करना है, शिरो अर्थगत के रूप में समझना में यह और समझ सकते हैं ।
- (ख) निरन्ध्र में विज्ञान प्रविष्टान्द न करने और भावों का क्लेश न प्रकृत किया जाता है ।
- (ग) निरन्ध्र में कथाप्रवृत्त के साथ शिरो एव भाव या विचार का सम्बन्ध होता पाठ्य ।
- (घ) आनात्मिक श्रुतता या सामञ्जस्य शिरो भी निरन्ध्र में अनिवार्य है ।
- (ङ) निरन्ध्र में निरन्ध्रता के व्यक्तित्व को छात्र होनी है, उगरी व्यक्तित्व दृष्टिकोण ही एकमुक्ता का प्रापण होता है ।
- (च) निरन्ध्र में निरन्ध्रता की शीघ्र पेशकशूनं, मोक्ष, मुन्दर एवं विचारानुरूप होती पाठ्य ।
- (छ) निरन्ध्र में विचार की वृद्धि और हृदय का सामञ्जस्य अधिष्ठ होता है ।

मुग्धता निरन्ध्र के ३ तत्व माने जाते हैं— १ विषय २. भाव ३ शीघ्र

विषय

निरन्ध्र का विषय कष्ट भी हो सकता है, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म; किन्तु लेखक को उस विषय का साक्षोपाह्वान जान होना निदान आवश्यक है । इसके अनिश्चित लेखक की वृद्धि उगरी ध्याकरा करने में सक्षम होनी चाहिए । जब तक लेखक उस विषय में रचि न लेगा और स्वतः अपने विचारों में स्पष्ट न होगा, तब तक निरन्ध्र सफल नहीं हो सकता ।

भाव

मानव अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अनेक भावों एवं विचारों का रचयन करता है, उन्हीं को वह अपनी कृतियों में अभिव्यक्त करता है । निरन्ध्र लेखक के लिए ज्ञान, अनुभव, अध्ययन एवं मनन का उच्चस्तरीय कलाकार होना आवश्यक है, तभी यह अपने भावों एवं विचारों से पाठक को मुग्ध

लेख प्रारंभ होने की वृत्ति है ।

श्री—द्वितीय भाग को मुख्य भाग में प्रयुक्त करने की पद्धति का
यही है । इसे 'सुप्रसंगिकता' भी कहते हैं । इस शैली के निबन्धों
के अर्थशास्त्रियों में पूर्ण होते हैं । उसी विद्युत् व्याख्या अपेक्षित
प्रमाणों—“वेद शोध का अन्तर्गत या मुख्य है ।” (निम्नामण
में अन्तर्गत रामचन्द्र शोध के निबन्ध इस शैली के उत्कृष्ट
।

श्री—इसका मुख्य प्रयोग 'भावार्थक' [निबन्धों] में होता है । इसमें
का धारा की शक्ति अनवरतगति में अग्रसर होते रहते हैं । यह
एक एक विशेषता के लिए उपयुक्त होती है । इस प्रकार इस
विद्युत् में भी मरणात् होती है और वीक्षितत्वों की न्यूनता

श्री—जिस प्रकार मरणात् में छोटी-बड़ी तरंगें आती हैं, उसी प्रकार
भी लेखक के विचारों का उतार-चढ़ाव दृष्टिगोचर होता है । यह
भावार्थक निबन्धों में अधिक उपयुक्त होती है ।

श्री—इसमें लेखक इतना भावुक हो जाता है कि वह उन्मत्त की
पंथा करने लगता है । ऐसे भावार्थक-निबन्धों में वृद्धित्व की

अतिशय कमी रहनी है । विचारों में भी सगति नहीं रहती और भाषा अपने व्यवस्थित रूप को गी देती है । यह शैली उपन्यासों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है ।

निबन्धों के प्रकार

निबन्धों की विषय सीमा अनन्त है । लेखक कभी किसी वस्तु पर, कभी किसी व्यक्ति पर, कभी किसी भाव पर और कभी किसी उपकरण पर निबन्ध लिखता है । इस प्रकार निबन्ध के लक्षण के आधार पर उसके भेद कल्पित होते हैं ।

सामान्यतया आधार भेद से निबन्ध दो प्रकार के होते हैं—१. विषयप्रधान २ विषयीप्रधान ।

विषय प्रधान निबन्ध

इसमें निबन्ध लेखक का व्यक्तित्व गौण होता है और वर्ण्यविषय की प्रधानता रहती है । अंग्रेजी में 'थेकन' के निबन्ध और हिन्दी में 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल' के निबन्ध इसी कोटि में आते हैं ।

विषयी प्रधान निबन्ध

इन्हे 'आत्मप्रधान' या 'व्यक्तित्वप्रधान' निबन्ध भी कहते हैं । इनमें लेखक का व्यक्तित्व सर्वत्र मुखर रहता है, उसकी प्रधानता के कारण वर्ण्यविषय गौण हो जाता है । इस प्रकार के निबन्धों में सरसता, सरलता एवं कोमलता अधिक होती है । यही कारण है कि पाठक इनसे शीघ्र प्रभावित होता है । इनमें तर्कवितर्कों की कमी होती है और मनोभावों की तरंगें प्रमुख रहती हैं । यथा—
वालकृष्ण भट्ट का 'चन्द्रोदय' निबन्ध ।

अभिव्यक्ति के आधार पर निबन्धों के चार भेद किये जाते हैं—

- (क) वर्णनात्मक निबन्ध (Narrative Essay)
- (ख) विवरणात्मक निबन्ध (Descriptive Essay)
- (ग) विचारात्मक निबन्ध (Reflective Essay)
- (घ) भावात्मक निबन्ध (Emotional Essay)

लना पड़ता है। निबन्धकार इन निबन्धों में तटस्थ रहकर विचार करता और एक न्यायाधीश की भाँति साधक-वाधक प्रमाणों को देता हुआ अपना मंस्थापित करता है।

विचारात्मक निबन्धों के भेद

१ आलोचनात्मक २ गवेषणात्मक ३ विवेचनात्मक।

आलोचनात्मक निबन्धों में किसी कवि, लेखक या कृति अथवा सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं—१ सैद्धान्तिक निबन्ध व्यावहारिक निबन्ध।

जिन निबन्धों में लेखक किसी साहित्यिक सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त करता है और उस विषय पर प्रस्तुत किये गए अन्य आचार्यों के विचारों में खंडन-मंडन करता हुआ स्वमत निर्धारित करता है, वे निबन्ध 'सैद्धान्तिक निबन्ध' कहलाते हैं। यथा—'वक्रोक्ति और अभिव्यजनावाद'—रामचन्द्र शुक्ल।

जिन निबन्धों में लेखक किसी कवि या लेखक पर या किसी कृति विशेष पर अपनी आलोचना प्रस्तुत करता है, उसे 'व्यावहारिक निबन्ध' की संज्ञा दी जाती है। यथा—कबीर, मूर तथा तुलसी पर लिखी गई शुक्ल जी की आलोचनाएँ।

गवेषणात्मक निबन्धों में तर्कों की प्रधानता होती है। लेकर एक अन्वेषण की भाँति एक-एक तथ्य की खोज में व्यस्त प्रतीत होता है। इन निबन्धों में गहनता के साथ ही साथ दृशता का आ जाना स्वाभाविक होता है। मनो-वैज्ञानिक तथा दार्शनिक विषय के निबन्ध 'गवेषणात्मक' श्रेणी में ही आते हैं।

विवेचनात्मक निबन्धों में भी तार्किकता की प्रधानता होती है और कर्म-विषय के गुण-दोषों के साथ ही उमका साद्गोपाद्ग विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भाषा का परिष्कृत रूप तो होता है, किन्तु वाक्यों का भाषार लक्ष्य रखा जाता है और विषय को सरल बनाने के लिए बीच-बीच में अपठकृतियों का भी पट्टे दे दिया जाता है। सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामूहिक

राजनीतिक निबन्ध इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

१. वायुशैली २. आलम्बिकशैली ३. प्रदग्गन शैली ४. प्रवाहशैली
५. मन्वातशैली ।

विज्ञानात्मक निबन्ध

१. विचारतात्मक २. भावात्मक ३. उभयात्मक ।

निष्पत्ति शैली को दृष्टि से

१. वर्णनात्मक शैली २. दृष्यतात्मक शैली ३. चित्रात्मक शैली ४. भाषण
शैली ५. आलम्बिक शैली ६. मुहावरा शैली ७. उद्धरणशैली ८. काव्यात्मक
शैली ९. शब्दकीड़ाशैली १०. खण्डन शैली ११. मदन शैली ।

हमारे विचार में निबन्ध के पूर्वोक्त चार प्रकार ही अधिक उचित हैं अधिक भेद-प्रभेद पाठक को उलझा देते हैं । लेखक बहुसंख्यक हैं, अतः उन शैलियाँ बहुसंख्यक हैं ।

उत्तम शैली के निबन्ध की विशेषतायें

१ प्रसादगुण २ क्रम, संगति, सगठन और अन्विति में एकता ३. आकाङ्क्ष योग्यता तथा सन्निधि का प्रविधान ४ पुनरावृत्ति का अभाव ५. अलंकारों में भाव से मुक्ति ६ लाघव की प्रवृत्ति ७ प्रभावोत्पादकता ८. लक्षणा-व्यञ्जन का उचित प्रयोग ९. हृदयपक्ष तथा बुद्धिपक्ष में सामञ्जस्य १०. परिपूर्णता ११ कुशलअभिव्यक्ति ।

इस प्रकार निबन्ध में गद्य की समस्त विधाओं की मुख्य विशेषतायें केन्द्रित प्रतीत होती हैं । तभी तो आचार्य शुक्ल ने लिखा है—“शब्दों की पूर्ण शक्ति का विकास निबन्धों में सबसे अधिक सम्भव है, यह कविता, नाटक उपन्यास आदि से सम्भव नहीं ।”

हिन्दी के सुधी समीक्षक आचार्य गुलाबराय ने निबन्ध की जो परिभाषा दी है, उसमें स्पष्टरूप से निबन्ध की प्रमुख विशेषतायें दृष्टिगोचर होती हैं—

“निबन्ध उस गद्यरचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सम्बद्धता के साथ किया गया हो ।

—काव्य के रूप, पृ० २३६

हिन्दी में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के निबन्ध (चिन्तामणि भाग १ तथा २) विशेष प्रसिद्ध हैं । वैसे इधर नन्ददुलारे वाजपेयी, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी एवं डा० मनेन्द्र ने इस विधा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है । युग की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के साथ निबन्ध के भी नूतन क्षेत्रों की खोज हुई है । यात्री सम्बन्धी निबन्ध एवं आगेट सम्बन्धी निबन्धों के अनिश्चित वैज्ञानिक निबन्धों का भी द्वार खुल गया है । ‘चन्द्रविजय’ के पश्चात् हिन्दी साहित्य के निबन्धों में भी एक नया मोड़ आ गया है । इस प्रकार हिन्दी निबन्ध की गति

किन्तु भावात्मकता की प्रधानता के कारण बुद्धितत्त्व को गौण स्थान देता इसमें 'कल्पना' के साथ ही अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक एवं मानवीकरण अलंकार भी अपने स्वाभाविकरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। 'कथावस्तु' तु मात्र की होती है, परिपाशवं के रूप में देशकाल का चित्रण रहता भावात्मकशैली की—धाराशैली, तरंगशैली और विक्षेपशैली, २ प्रयोग सम्भव रहता है।

गद्यकाव्य के तत्त्व

१. भावतत्त्व २ कल्पनातत्त्व ३. बुद्धितत्त्व ४. शैलीतत्त्व ।

इनमें बुद्धितत्त्व गौण रहता है और भावतत्त्व के साथ प्रधानता रहती है। शैलीतत्त्व में छन्द, लय, संगीतात्मकता रहता है, उसमें लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता रहती है। एवं रसैनात्मकता के साथ सूक्ष्मता एवं प्रभावकारिता की होती है।

परिभाषा

“गद्यकाव्य गद्य की वह साहित्यिक विधा है, जिसमें विषय की भावात्मक-अतिरेक परम्परा में आकर ० के माध्यम में अपने विचारों की कलात्मक-निष्पत्ति

यद्यपि हिन्दी में 'द्विवेदीयुग' में ही ५१
किन्तु यद्यपि 'गीताञ्जलि' के प्रभाव में ११५८
प्रारम्भ मानना सगत है। विद्योपीठरि का 'अ०
इतने अनिश्चित चतुरसेननाम्नी, नेत्रनारायण,
१०० वर्षों, रत्नवीण, 'साहित्यप्रसाद यमों ए
१ 'गद्यकाव्य-लेखक' माने जाते हैं।

रेखाचित्र

रेखाचित्र हिन्दी-साहित्य की नूतन गद्य

किन्तु भावात्मकता की प्रधानता के कारण बुद्धितत्त्व को गौण स्थान देता है इसमें 'कल्पना' के साथ ही अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक एवं मानवीकरण आदि अलंकार भी अपने स्वाभाविकरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। 'कथावस्तु' तो नाम मात्र की होती है, परिपाश्र्व के रूप में देवकाल का चित्रण रहता है। इसमें भावात्मकशैली की—धाराशैली, तरंगशैली और विक्षेपशैली, इन तीनों का प्रयोग सम्भव रहता है।

गद्यकाव्य के तत्त्व

१. भावतत्त्व २. कल्पनातत्त्व ३. बुद्धितत्त्व ४. शैलीतत्त्व ।

इनमें बुद्धितत्त्व गौण रहता है और भावतत्त्व के साथ कल्पनातत्त्व की प्रधानता रहती है। शैलीतत्त्व में छन्द, लय, संगीतात्मकता आदि का अभाव रहता है, उसमें लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता रहती है। प्रतीकात्मकता एवं सकेतात्मकता के साथ सूक्ष्मता एवं प्रभावकारिता की स्थिति अद्वितीय होती है।

परिभाषा

“गद्यकाव्य गद्य की वह साहित्यिक विधा है, जिसमें कलाकार किसी विषय की भावात्मक-अतिरेक परम्परा में आकर कल्पना, सकेतो एवं प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति करता है।”

—स्वरचित

यद्यपि हिन्दी में 'द्विवेदीयुग' से ही गद्यकाव्य का प्रणयन होने लगा था, किन्तु वस्तुतः 'गीताञ्जलि' के प्रभाव से रायकृष्णदास के 'छामापय' से इसका प्रारम्भ मानना संगत है। वियोगीहरि का 'अन्तर्नाद' एक श्रेष्ठ 'गद्यकाव्य' है। इसके अतिरिक्त चतुरसेनशास्त्री, मेजनारायण, डा० रघुवीर सिंह, रावी, अजय, रामकुमार वर्मा, रजनीश, शान्तिप्रसाद वर्मा एवं राजनारायण मेहरोत्रा हिन्दी के उत्तम 'गद्यकाव्य-लेखक' माने जाते हैं।

रेखाचित्र

रेखाचित्र हिन्दी-साहित्य की नूतन गद्यविधाओं में विशेष उल्लेखनीय है।

‘रेखाचित्र’ के अर्थ-वस्तु से प्रेरित हुआ है। चित्ररत्ना में रेखा, रेखाओं द्वारा भावाद्भूत वस्तुओं का प्रारम्भ होता है। रेखाओं द्वारा भावाद्भूत वस्तुओं का प्रारम्भ होता है और इनका रंग, मोड़ों को अनिश्चित के साधन है। चित्ररत्ना में रेखाओं का प्रयोग होता है, पर ‘रेखाचित्र’ में रेखाओं का प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार चित्र में चौड़ाई सम्भव है पर ‘रेखाचित्र’ में नहीं। यों तो रेखाओं द्वारा ही मनोंगत भावों का चित्र प्रस्तुत किया जाता है।

साहित्य में ‘रेखाचित्र’ अंग्रेजी में Sketch शब्द या समानार्थक है। जिस प्रकार चित्रकार अपनी कृषिका की वास्तविकता में रेखाओं में सजीवता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ‘रेखाचित्रकार’ भी अपनी रेखाओं की कलात्मकता से लोगों में ऐसी सजीवता उत्पन्न करता है, जिनमें वर्णवस्तु व्यक्ति अथवा घटना चित्रण का उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार ‘एवात्मक नियम विशेष की रेखाओं का शोर्ट में सामान्य रूप में शब्द रेखाओं के माध्यम द्वारा एक सजीव चित्र उभरे देना ‘रेखाचित्र’ कहलाने लगा।

रिमाया

‘रेखाचित्र’ वर्णु, दर्शित अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह सम्पूर्ण काव्य भावमय आविधान है जिनमें कलाकार का सम्बेदनशील हृदय और उसी मूढमयपदेशकशक्ति अपना निजीपन उडेलकर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है।”

‘रेखाचित्र’ प्राध्यापक ग्राह्य में समागत ‘हिन्दी-साहित्य’ की नूतन गद्यविधा है जो अभी तक कर्नाट, अदि की भाँति इसके मूलतत्त्वों का स्पष्ट निर्धारण नहीं पाया है। प्रायः दृष्टता तो सभी समीक्षक स्वीकार करते हैं कि ‘रेखाचित्र’ में अनुभूति की सम्बेदनशीलता, समुचित शब्द-चयन एवं अभिव्यक्ति-रूप का होना अनिवार्य है।

रेखाचित्र का स्वरूप

‘रेखाचित्र’ के स्वरूप में वर्णन की वास्तविकता का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यथार्थता की विश्वमनीयता और विषय की अनुभूत वास्तविकता उसकी मूल विशेषताएँ हैं। घटनाओं एवं परिस्थितियों का उनका ही वर्णन अपेक्षित है, जिनका पाठक की सम्बेदना को जाग्रत करने के लिए जरूरी हो।

क्या विस्तार के लिए यहाँ स्थान नहीं होता और न किसी प्रकार की वि-
सजावट ही उपयुक्त समझी जाती है ।

‘रेखाचित्र’ में एकात्मकता होती है । उसमें विविधता के लिए स्थान
होता; अर्थात् लेखक का अपने वर्ण्य विषय में चिपटा रहना आवश्यक
जाता है, उसको थोड़े समय के लिए भी वही बहक जाने का अवकाश न
रहता । उसकी लाइन टेढ़ी-मेढ़ी और स्थूल न होकर, सीधी और सूक्ष्म हो
है । डा० नगेन्द्र का मत है—“रेखाचित्र में दो ‘डायमैन्शन’ होती हैं, एक लेख
और उसके एकात्मक विषय के बीच की संयोजक रेखा, और दूसरी, इस
सम्बद्ध रूप और पाठक के बीच की संयोजक रेखा । रेखाचित्र का विषय निरन्तर
ही एकात्मक होता है, उसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु ही उद्दिष्ट रहती है ।”

इसी प्रकार ‘रेखाचित्र’ की शैलीगत विशेषताओं में तीन बातें आवश्यक हो
हैं :—१ मार्मिकता २ तीव्रता ३ लाघव की प्रवृत्ति इनमें मार्मिकता अं
तीव्रता (पैनापन) का सम्बन्ध केवल शब्दों से नहीं होता, किन्तु ‘लाघव की प्रवृत्ति’
का सम्बन्ध ‘शब्दगत’ ही अधिक होता है । इस हेतु लेखक “है, था” आदि
सहायक क्रियाओं का भी परित्याग कर देते हैं ।

विषय

यद्यपि ‘रेखाचित्र’ के तीन विषय हो सकते हैं :—१. व्यक्ति २ वस्तु
३ घटना, किन्तु अधिकांश रेखाचित्र व्यक्तिनिष्ठ ही होते हैं । उनमें व्यक्ति व
मुद्राओं एवं चेष्टाओं के रूपवर्णन के साथ ही उसकी चारित्रिक विशेषताओं व
भी चित्र खींचा जाता है ।

रेखाचित्र की विशेषतायें

उच्चस्तरीय रेखाचित्र में निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं :—

१ व्याख्यात्मक शैली २. लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग ३ सरल
एवं संशुद्ध भाषा ४ स्थूल एवं सूक्ष्म चित्रण (बाह्य एवं आन्तरिक चित्रण
स्वानुभूति की सत्यता ६ विम्ब ग्रहण ७ सम्बेदनात्मक पृष्ठ ८ जीवन का
गम्भीर विवृत्ति ९ काव्यात्मकता १० ज्ञानवैविध्य ११. मनोवैज्ञानिक विश्लेषण
१२. तीव्र प्रभावकारिता ।

मूर्तियों वगैरे के रेखाचित्रों में उपर्युक्त समस्त विदोपताओं से धूनाधिक रूप में परिपूर्ण होती है। इस दृष्टि में उनका 'भक्ति' शीर्षक रेखाचित्र अत्यन्त उत्कृष्ट माना होगा है। रेखाचित्र की विदोपताओं को दृष्टिपथ में रखते हुए उसके स्निग्धमित्र तत्त्व कल्पित किये जा सकते हैं —

रेखाचित्र के तत्त्व

१ किरणवन्तु की गतीवता २ शब्द चित्रात्मकता ३ स्थूल तथा सूक्ष्म विद्या ४ मंत्र अभिव्यंजना ५ वैदिक प्रभाव ६ काव्यात्मकता ७ सशक्त सारणी ।

इन तत्वों के ही अन्तर्गत तीन तत्त्व ऐसे हैं, जो किसी भी रेखाचित्र के लिए अनिवार्य होते हैं — १ अनुभूति की सम्बेदनशीलता २ सशक्त शब्द चयन ३ कल्पित कौशल

रेखाचित्र के प्रकार

१ वर्णन प्रधान रेखाचित्र २ संस्मरणात्मक रेखाचित्र ३ सम्बेदनात्मक रेखाचित्र ४ व्यंग्यात्मक रेखाचित्र ५ रूपात्मक रेखाचित्र ६ मनोवैज्ञानिक रेखाचित्र ।

इनमें प्रथम में वर्णन की प्रधानता होती है। द्वितीय में पूर्वस्मृति के आधार पर लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रण करता है। तृतीय में वर्णन के प्रति लेखक की सम्बेदना प्रकट रहती है। चतुर्थ में किसी पात्र विशेष के स्वभाव अथवा स्वभाव पर व्यंग्य किया जाता है। पंचम में रूपक के माध्यम से वर्णन को स्पष्ट किया जाता है और षष्ठ में किसी पात्र विशेष की मनो-विशेषों का मनोवैज्ञानिक पद्धति से प्रकाशन किया जाता है।

रेखाचित्र तथा संस्मरणादि में अन्तर

रेखाचित्र 'संस्मरण' में भिन्न होता है। संस्मरण में तो किसी व्यक्ति के जीवन की याद को लेखक अनुभूति का सबल बनावट उसे आत्मबोधन के रूप में स्मृत करता है, परन्तु रेखाचित्र में लेखक उसका धार्मिकचित्रण भी करता है। इनमें अनिश्चित संस्मरण में देखाए गए चित्रण अधिक होता है, रेखाचित्र

में मग्न । मग्गमग्न में लेखक व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है रेखाचित्र में उतन मग्न नहीं । मग्गमग्न के लिए चित्रान्मक इन्हीं अन्वयों में ही रेखाचित्र।

इसी प्रकार 'रेखाचित्र' तथा 'रिपोर्ताज' इन दोनों में एकांत साम्य पर भी अन्तर है। मग्गमग्नान्मक अनुभूति का चित्रण एकांतता की वि गनीयता दोनों में शान्ति है, किन्तु 'रिपोर्ताज' में अन्तः प्रकाश दृश्य की वि गनीयता है, जबकि रेखाचित्र में व्यक्ति एवं चरित्र की प्रधानता होती रिपोर्ताज में वागावहण और परिस्थिति का चित्रण अनिवार्य होता है रेखाचित्र में निश्चित विषय के अन्तर्गत ही वातावरण तथा परिस्थिति के रूप में आ जाती है, अर्थात् गौण रहती है।

इसी प्रकार रेखाचित्र 'कहानी' में भी भिन्न है। कहानी 'कल्पना' पर आधारित हो सकती है, पर रेखाचित्र तो अनुभूति प्रधान ही होता है। रेखाचित्र की प्रकृति स्थिर है और कहानी की 'गतिशील'। रेखाचित्र अधिक वैयक्तिक कला है, कहानी सामाजिक।

हिन्दी में रेखाचित्र का प्रारम्भ पद्मसिंह शर्मा के 'पद्मपराग' निबन्धों (१९२९) माना जाता है, किन्तु वस्तुतः श्रीराम शर्मा (१९३७) की रचना 'बोल प्रतिमा' से इसका वास्तविक रूप प्रकट हुआ है। इस क्षेत्र में महादेवी वर्मा 'अतीत के चलचित्र' (१९४१) स्मृति की रेखाचित्र (१९४७) तथा 'पथ के सा (१९५६) सप्रह विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त रामवृक्ष -सी० गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, डा० विनय मोहन शर्मा, क पुरी सत्यार्थी एवं प्रेमनारायण टंडन के नाम उल्लेखनीय हैं।

संस्मरण

हिन्दी-गद्य के क्षेत्र में 'संस्मरण' भी एक नूतनविधा माननीय प्रयत्न पादचात्य-साहित्य के प्रभाव से ही हिन्दी क्षेत्र में हुई है। इन दोनों अनुभूति का आश्रय लेकर किसी महान् व्यक्ति का उच्च जीवन चित्रित करने का प्रयत्न हो जाता है। इस प्रकार 'संस्मरण' का अर्थ है कि कुछ बातों में सत्य

रस का स्वभाव

रस्यस्य मे निवृत्त प्रकृत्यादानीं यथा है । यत्र त्रिज दृश्यो एव घटनाओ
स्मृतियों में विशेष प्रभावित होता है । वास्तव्य में उन्हें अपनी स्मृति
एवं एव ब्रह्मणो दृश मे निवृत्त है । दृश प्रकाश लेखक की स्मृतियों
एवं मे दृश्याग एव रस्य का रस्य आती है । सस्मरण में कुछ कल्पना
बन रहता है, दृशय मिश्रण में उगम गौन्दय की वृद्धि होती है । सस्म-
रण में लेखक अधिरक्तम आत्मनिष्ठ रहता है । इसमें वह जिस देश
विशेष करता है, वर भी गत्य होता है ।

। एवं रेखाचित्रादि का अन्तर

रस्य 'रेखाचित्र' में साम्य रचना हुआ भी भिन्न होता है । इसमें कल्पना
। कम और श्रुतिशक्तिता की मात्रा अधिक होती है । रेखाचित्र में
'चित्रा' की मात्रा न्यून रहती है । सस्मरण में रेखाचित्र की अपेक्षा

‘देवतात्म’ का विभाग अतिरिक्त रहता है। मस्मरण में देवता ‘आत्मरूपा’ के रूप में विद्यमान रहता है, देवताविशेष में यह इतना आत्मनिष्ठ नहीं होता। मस्मरण के लिए ‘विभागात्मरूपों’ अनिवार्य नहीं, किन्तु ‘देवताविशेष’ के लिए तो ‘विभागात्मरूपों’ अनिवार्य है। जब मस्मरण में देवता प्रधान होता है, तब उसे Reminiscence (रेमिनिसेंस) कहते हैं और जब कोई अन्य व्यक्ति प्रधान होता है, तब उसे Memories (या स्मरण) कहते हैं। ‘संमोचन’ में इतिहासात्म्य अनिवार्य होता है, पर ‘रेमिनिसेंस’ में अनिवार्य नहीं होता।

‘मस्मरण प्रायः आत्मरूपा के अतिरिक्त नहीं होता है। ‘आत्मरूपा’ में देवता का दृष्टिकोण अर्थात् ‘जीवन गाथा’ के वर्णन की ओर अधिक झुका रहता है, जबकि ‘मस्मरण’ में उमरा दृष्टिकोण मनुष्य स्मृतियों के विभाग की ओर झुका प्रतीत होता है। ‘आत्मरूपा’ में देवता के जीवन की प्रधानता अनिवार्य होती है, पर ‘मस्मरण’ में देवता के जीवन की उतनी प्रधानता नहीं रहती। इसी प्रकार ‘यात्रा-साहित्य’ भी ‘मस्मरण’ में साम्य रहता है। अन्तर यह है कि ‘यात्रा-साहित्य’ में देवता का दृष्टिकोण अधिक भावार्थक न होकर ‘वर्णनार्थक’ होता है, जबकि ‘मस्मरण’ में ‘वर्णनात्मकता’ मौल्य होती है और भावार्थकता मुख्य होती है।

हिन्दी में ‘मस्मरण-लेखन’ का कार्य तो द्विवेदी-युग में ही प्रारम्भ हो गया था, किन्तु उस समय इसमें प्रौढ़ता नहीं आई थी। श्रीनारायण चतुर्वेदी, पद्मसिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, देवेन्द्र सत्यार्थी, मटादेवी वर्मा, शान्ति प्रिय द्विवेदी आदि लेखकों के मस्मरण उत्तमकोटि के माने जाते हैं।

जीवनी

भारतवर्ष में ‘जीवनी-साहित्य’ प्राचीनकाल से ही प्रचलित रहा है। हिन्दी में ‘वार्ता-साहित्य’ ‘चीरासी-वैष्णवों की वार्ता, दो सौ वैष्णवों की वार्ता, गुसाईं रित आदि’ एक प्रकार का जीवनी-साहित्य ही हैं, परन्तु आज जिस रूप में यह साहित्य प्रचलित है, वह पश्चात्य-साहित्य की देन है। अंग्रेजी में जिसे ‘Autobiography’ (बाइयाग्राफी) कहते हैं, हिन्दी में उसी को ‘जीवनी’ कहते हैं। यह आधुनिक हिन्दी-गद्य की नूतनविधा है।

परिभाषा

साहित्यविद्वानों ने 'जीवनी' या (बादशाही) की अनेक परिभाषायें की हैं। डॉ० ज्ञानमन के अनुसार "जीवनी का मुख्य जीवन की उन घटनाओं और किस्म-कृतियों का रजक वर्णन करना होता है, जो व्यक्ति-विशेष की बड़ी से बड़ी सफलता से लेकर छोटी से छोटी घरेलू बातों तक में सम्बन्धित होती है।"

'लिटरे' के अनुसार "जीवनी किसी व्यक्ति विशेष की जीवन-घटनाओं का विवरण है। अपने आदर्शरूप में वह प्रयत्न पूर्वक लिखा गया इतिहास है, जिसमें व्यक्ति विशेष के सम्पूर्ण जीवन या उसके किसी अंग में सम्बन्धित बातों का विवरण मिलता है। ये आवश्यकतायें उसे एक साहित्यिक विधा का रूप प्रदाय करती हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं में 'जीवनी' का पूर्णरूप तो स्पष्ट नहीं हो पाता, किन्तु उसकी एक स्वरूपता का मान अप्रश्य हो जाता है। वस्तुतः "जीवनी, एक साहित्यिक विधा है, जिसमें भावुक कलाकार किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण-जीवन में जीवन के किसी भाग का वर्णन परम सुपरिचित ढंग में इस प्रकार व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति की मध्वी जीवन-गाथा के माध-माय कलाकार का हृदय भी सुपरिचित हो उठता है।"

जीवनी का स्वरूप

लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को जिन रूप में देखना और अनुभव करना है, उसी को वह साहित्यिक रूप में व्यक्त कर देता है। इसमें व्यक्ति के जीवन का इतिहास ही कलात्मक ढंग में प्रस्तुत किया जाता है। जीवन के दो पक्ष होते हैं—१. आन्तरिक पक्ष २. बाह्यपक्ष। आन्तरिक पक्ष का सम्बन्ध भावना, चेतना एवं चरित्रादि से होता है और बाह्य पक्ष का सम्बन्ध उसके रूप, कृति एवं बाह्य क्रियाकलापों से होता है। इसी प्रकार 'जीवनी' में भी व्यक्ति के आन्तरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व का दृष्टार्थ विवरण किया जाता है। अतः लेखन में लेखक जितना ही तटस्थ एवं निष्पक्ष रहेगा, वह उतना ही सत्य होगा। इसके अतिरिक्त उक्त व्यक्ति के विषय में लेखक की पूर्ण जानकारी भी अपेक्षित होती है। इसमें लेखक वर्णनार्थ के जीवन की छोटी से छोटी

बातों का भी उल्लेख करता है। वह घर में कैसा है और बाहर सामाजिक जीवन में कैसा है, इत्यादि उल्लेख करने से ही व्यक्ति का सम्पूर्ण व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है। जीवनी-लेखक का यह कर्तव्य होता है कि वह वर्णनार्थ के जीवन का क्रमिक अन्वेषण प्रस्तुत करे, उसके वर्णन सत्य पर आधारित एवं प्रामाणिक हों। जीवनी लेखन में लेखक को 'सहृदयता' की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अभाव में 'जीवनी' न होकर 'इतिहास' हो जायगी।

जीवनी के तत्त्व

१ ऐतिहासिक आधार २ क्रमबद्धता ३ रोचकता ४ कोमलता ५ मसृणता ६ अभिव्यक्ति कौशल ७ स्थूल एवं सूक्ष्म चित्रण।

विशेष :- उपर्युक्त तत्त्व अभी सर्वमान्य नहीं हैं, किन्तु किसी भी उच्च स्तरीय 'जीवनी' में प्राप्त हो सकते हैं।

जीवनी लेखन के स्रोत

प्रो० कैंलस ने जीवनी लेखक के लिए निम्नलिखित पंचस्रोत बतलाये हैं :-

१ उम विषय पर या उससे सम्बद्ध लिखित पुस्तकें। १. मूल सामग्री-पत्र, डायरी आदि ३ समकालीनों के संस्मरण ४ जीवित व्यक्तियों से उपलब्ध सामग्री ५ चरितनायक के निवास स्थूलों का भ्रमण एवं पर्यवेक्षण।

वस्तुतः उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर लिखी गई जीवनी प्रामाणिक होती है। यदि लेखक इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा करता है, तो हो सक्ता है कि कोई तथ्य विशेष छूट जाय अथवा सत्य से कुछ दूर भटक जाय।

जीवनी के प्रकार

जब कलाकार स्वयं अपनी जीवनी लिखता है, तब उसे 'आत्मकथा' (आटो-बाईग्राफी) कहते हैं और जब किसी अन्य की जीवनी लिखता है, तब उसे 'जीवनी' कहते हैं। इस प्रकार जीवनी के उक्त दो भेद होते हैं। 'आत्मकथा' के लिखने में जहाँ लेखक को यह सुविधा होती है कि उसे तथ्यों की जानकारी के लिए किसी स्रोत की सृज में 'भटकना नहीं होता, वहाँ उसके समग्र 'ईमान-दारी' का प्रश्न एक जटिल-ममस्या उत्पन्न कर देता है। उसे अपनी कमजो-

१. सामान्य जीवनी = लोकप्रिय जीवनी २. विद्वानापूर्ण जीवनी ४ मनो-
 प्रिय जीवनी ५. व्यापक जीवनी ६ व्यापारमय जीवनी ।

ग्रन में लेखक या तो अपनी जीवनी लिखता है, जिसे आत्मकथा कहते हैं
 या अपने किसी प्रिय पारिवारिक या सम्बन्धी का जीवन प्रस्तुत करता है,
 = 'जीवनी' कहते हैं । इसमें लेखक की मर्यादा का विरोध मूल्य होता है ।
 २ में किसी ऐसे पात्र की जीवनी लिखी जाती है, जो लोक में अपने चरित्र
 कायंकाय द्वारा प्रसिद्ध हो । तृतीय में किसी विद्वान की जीवनी लिखी
 है जो किसी विषय विरोध के लिए विख्यात रहा हो । चतुर्थ में लेखक
 कर्णपात्र के बाह्यचित्रण की अपेक्षा उसके आन्तरिक चित्रण (स्वभाव,
 ५. मनोरंज, प्रकृति आदि) पर अधिक ध्यान देता है । पञ्चम में लेखक
 लोक कल्याणमयता की ओर अधिक रहता है । इसमें वह वास्तविकता से
 दूर हटना हुआ प्रतीत होता है । षष्ठ में लेखक अपने कर्णपात्र के रूप,
 १. चरित्र आदि का वर्णन व्यापारमय शैली द्वारा करता है । इसमें प्रभाव-
 य अधिक होती है और लेखक को अपनी मूल अभिव्यञ्जना में विशेष
 ग मिलती है ।

क सभी प्रकार की जीवनीयों का लक्ष्य 'मानव जीवन' को उपदेश प्रदान
 होता है, अतः 'शिखर' ने सभी को 'उपदेशात्मक जीवनी' के रूप में
 प्रदान की है । कुछ लोग जीवनी के तत्त्व इस प्रकार मानते हैं —
 कथावस्तु २ चरित्र चित्रण ३ देशकाल ४ उद्देश्य ५ शैली । विचार
 हमारे द्वारा प्रदर्शित मातृ तत्वों के अन्तर्गत ही ये पंचतत्त्व आ जाते

हैं। ऐतिहासिक आधार और क्रमवद्धता में कथावस्तु आजाती है, 'स्थूल तथा मूढम चित्रण' के अन्तर्गत 'चरित्र चित्रण' आ जाता है और 'देशकाल' भी स्थूल चित्रण में स्थान पा जाता है। रोचकता, कोमलता और मसृणता का सम्बन्ध उद्देश्य से ही है। इसी प्रकार 'अभिव्यक्ति कोशल' के अन्तर्गत 'शैलीतत्त्व' का भी समावेश हो जाता है।

इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में जीवनी-साहित्य एवं आत्मकथा-साहित्य विकास के पथ पर है। महात्मा गान्धी, प० जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद डा० राधाकृष्णन, लोरुमान्य तिलक एवं लाला लाजपतराय आदि महापुरुषों पर लिखी गईं जीवनगाथायें हिन्दी-साहित्य में अमर हैं।

रिपोर्टाज (सूचनिका)

हिन्दी गद्य-साहित्य के क्षेत्र में 'रिपोर्टाज' एक नूतन गद्यविधा मानी जाती है। 'रिपोर्टाज' शब्द 'फ्रेंच' भाषा का है और अंग्रेजी के 'रिपोर्ट' शब्द से साम्य रखता है। इसे हिन्दी में 'सूचनिका' अथवा 'वृत्त-निर्देश' कहते हैं। इसमें किसी 'घटना' की रिपोर्ट को साहित्यिक रूप प्रदान किया जाता है। लेखक उस 'घटना स्थल' पर स्वयं उपस्थित रहता है, अतः इसमें तथ्य की प्रधानता रहती है और कल्पना के लिए बहुत कम स्थान रहता है। इसका लेखक अधिकाधिक जनसम्पर्क में रहता है, अतः उसे किसी घटना की वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान रहता है।

परिभाषा

"रिपोर्टाज' गद्य की वह विधा है, जिसमें किसी घटना का वर्णन इस कलात्मक ढंग से किया जाता है कि पाठक उसके सत्य से सहज ही प्रभावित हो सके।"

तत्त्व

१ घटना प्रधान कथावस्तु २ तथ्याङ्कन ३ भावात्मकता ४. विशात्मकता ५ देशकाल तथा वातावरण ६ उद्देश्य।

विश्लेषण

'रिपोर्टाज' का लेखक एक ही साथ 'पत्रकार' एवं 'साहित्यकार' होता है।

यहाँ वह किसी घटना के मूल तथ्यों का आवलन करता है, वहाँ उसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये उसे साहित्यिक रूप प्रदान करता है, जिसमें मञ्चना और सञ्चलन का भी मिश्रण हो जाता है। रिपोर्ताज की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उसमें सम्बन्धों को किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है। इस अभिव्यक्ति के लिए लेखक को चित्रात्मक शैली का प्रभावपूर्ण आश्रय लेना पड़ता है।

इसके लेखक को 'वर्णनघटना' का यथाय परिचय प्राप्त करना होता है और उस घटना में सम्बद्ध पात्रों का प्रभावपूर्ण चित्रण करने के लिए उसे मनो-वैज्ञानिक दृष्टि भी देना पड़ती है। 'रिपोर्ट' और 'रिपोर्ताज' में मूल अन्तर यही है कि 'रिपोर्ट' में किसी घटना का ऐसा यथायथ चित्रण होता है, जिसमें साहित्यिक दृष्टि नहीं होती, किन्तु रिपोर्ताज में घटना की यथायथाता के साथ ही साहित्यिक दृष्टि भी रहती है। नालय यह कि 'रिपोर्ट' के कलात्मकरूप का नाम 'रिपोर्ताज' है। इसमें लेखक की सम्बेदनानुभूति भी सम्मिलित रहती है।

रिपोर्ताज और कहानी

यद्यपि दोनों में घटनाओं के चित्रण के कारण साम्य प्रतीत होता है, पर रिपोर्ताज, कहानी में कई बातों में भिन्न होता है। कहानी में घटना या अन्वयत्व एव ही लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ते हैं, किन्तु रिपोर्ताज में अनेक घटनाओं एव उद्देश्यों का समन्वय रहता है। कहानी काल्पनिक हो सकती है, पर रिपोर्ताज नहीं।

निष्कर्ष यह कि रिपोर्ताज की रचना में लेखक को घटना का पूर्ण विवरण प्राप्त होना चाहिए और उस घटना में सम्बद्ध पात्रों का प्रभावपूर्ण तथा परिपूरित चित्रण करना चाहिए। लेखक को घटना का विवरण प्रस्तुत करने में मनोवैज्ञानिक विदलेषण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें पाठक हो सके।

हिन्दी में इस विधा का श्रीगणेश 'बंगाल के अकाल' हुआ है। पी० सी० गुप्त, डा० रामेश्वरराय, डा० प्रभाकर माधव एव विवेकानन्द चौधरी प्रभृति लेखक इस विधा के मुख्य

इण्टरव्यू (साक्षात्कार)

यह हिन्दी गद्य की अभिनव विधा है। इसके लेखन के लिए लेखक किसी व्यक्ति विशेष से स्वयं जाकर मिलता है और उससे अनेक प्रश्न करता है। इस प्रकार वह उससे प्राप्त उत्तरों की सहायता से उक्त व्यक्ति के विचारों का आकलन और विश्लेषण करता है। इसमें "सम्वाद" की प्रधानता अनिवार्य होती है। इस नूतन युक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन या चरित्र को स्पष्ट किया जाता है। इस विधा में ताकिकता स्पष्ट रहती है। लेखक को ऐसे प्रश्नों का चयन करना पड़ता है, जिनके उत्तर से इण्टरव्यू देने वाले व्यक्ति का चरित्र स्वतः उभरकर सामने आ जाय।

स्वाभाविकता बनाये रखने के लिए 'इण्टरव्यू' के लेखक को बहुत सतर्क रहना होता है। उसे इण्टरव्यू देने वाले व्यक्ति से ऐसी भी बातें सुनने को मिल् सकती हैं, जो प्रतिकूल, असंगत एवं भ्रामक हों। इस स्थिति में लेखक ने अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार व्यक्त की, इसका भी उल्लेख करना होता है। इस विधा में लेखक स्वतः कम से कम बोलता है, वह प्रश्नों के माध्यम से इण्टरव्यू देने वाले को ही बात करने का अधिक अवसर देता है।

परिभाषा

'इण्टरव्यू' गद्य की वह नूतन विधा है, जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र, विचार या जीवन को समझने के लिए उससे स्वयं मिलकर अनेक सम्बद्ध प्रश्नों द्वारा उत्तर संकलित करता हुआ निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। (स्वरचित) इण्टरव्यू के तत्त्व

- (१) सतर्कसम्वाद (२) क्रमबद्धता (३) सक्षिप्तता (४) मनोवैज्ञानिक पुट
(५) विकता (६) परिष्कृत प्रश्नावली (७) सशक्त भाषाशैली।

व्यस्त युग में 'इण्टरव्यू' की बड़ी महत्ता है। उदाहरणार्थ यदि वि से मिलकर किसी विषय में उसका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, माध्यम से अल्पसमय में ही मूल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रूप 'हिन्दी-गद्य' के क्षेत्र में 'इण्टरव्यू' अभी शीनवावस्था में है, परन्तु
 लिंग विभाग की सम्भावनायें हैं। जिन प्रकार उपन्यास का स्थान 'लघुकथा'
 में मिला है, इसी प्रकार 'जीवनी-गाहित्य' का स्थान 'इण्टरव्यू' भी ले सकता
 है किन्तु अभी हमें टेक्निक के लिए विचार अपेक्षित है।

पद्यकाव्य

काव्य के दृश्य और श्रव्य, ये दो भेद हैं। दृश्य के अन्तर्गत नाटक, एकाकी
 रस विचार्य आती है और श्रव्य के अन्तर्गत गद्य पद्य तथा मिथ्य (चम्पू)
 गण्य आती है। पिछले पृष्ठों में 'गद्य' की प्रमुख विधाओं के रचनासिद्धान्तों
 का विवेकन किया जा चुका है, अतः अब 'पद्यकाव्य' के प्रमुख भेदों का विवरण
 लूत है। 'पद्यकाव्य' में बन्ध की दृष्टि से तीन भेद माने जाते हैं—१ प्रबन्ध
 २. मुक्तककाव्य ३ मुक्तकव्योक्तकाव्य। इनमें आकार एवं उद्देश्य की
 दृष्टि से 'प्रबन्धकाव्य' का विशेष महत्व है। इसके तीन भेद किये जाते हैं—
 १ महाकाव्य २. मण्डकाव्य ३ एकार्यकाव्य। मुक्तक के भी दो या तीन
 भेद किये जाते हैं :— १ गीत २ छन्द ३ गीति। प्रस्तुत प्रकरण में महा-
 काव्य, मण्डकाव्य, एकार्यकाव्य तथा गीत या गीतिकाव्य पर विचार किया
 गया।

महाकाव्य

सामान्यतया महाकाव्य बृहदाकार की वह महती काव्य रचना है, जिसमें
 जन का अत्यन्त व्यापक विषय उदात्त मानवीय अनुभूतियों के रूप में कला-

त्मक पद्धति से प्रस्तुत किया गया हो । संस्कृत-साहित्य में महाकाव्य की परिभाषा एक स्वरूप पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है । सर्वप्रथम आभामह (५वीं शताब्दी) 'काव्यालंकार' ग्रन्थ में 'महाकाव्य' के विषय लिखा है -

“महाकाव्य सर्गवद्ध होता है । वह महत्ता का प्रकाशक महान् होता इसमें अप्राम्य शब्दार्थ, अलंकार और सद्बस्तु होनी चाहिए । उसमें विविधता, दून, प्रमाण, युद्ध, नायक का अभ्युदय-यं पचसन्धियां होनी चाहिए अधिक गूढ़ता न हो, उत्कर्ष युक्त हो, चतुर्वर्ग के प्रतिपादन होने पर भी मुख्य हो । लोकस्वभाव का वर्णन और सभी रसों का पृथक् चित्रण हो । नायक के कुल, बल, शास्त्रज्ञान आदि का उत्कर्ष बनाकर और किसी के उत्कर्ष लिए नायक का यथ नहीं करना चाहिए ।” (१ । १९-१ । २२)

इनके अनन्तर आचार्य दण्डी (६वीं शताब्दी) ने कुछ विस्तार किया उन्होंने महाकाव्य के प्रारम्भ, वर्ण्यवस्तु, व्यापार सर्ग और छन्द के सम्बन्ध अधिक ध्यान दिया है । दण्डी ने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह कही है “महाकाव्य के इन अंगों में से यदि किसी की न्यूनता भी हो, तो भी कथा-सम्पत् का सौन्दर्य आकर्षक होने पर दोष नहीं माना जायगा ।” तात्पर्य यह कि महाकाव्य की रसात्मकता मुख्य है, अन्य लक्षणा गौण है ।

आगे चलकर आचार्य 'आनन्दवर्द्धन' ने 'महाकाव्य' की परिभाषा में कथसंगठन तथा रस की महत्ता पर विशेष बल दिया । 'भोजरेव' ने 'दण्डी' के लक्षणों का अनुसरण किया । इनके अनन्तर आचार्य विश्वनाथ ने 'साहित्य-दर्पण' में महाकाव्य के विस्तृत रूप पर समन्वित प्रकाश डाला । यथा :-

सर्गवन्वो महाकाव्य तत्रैको नायकः सुरः ।

सद्वश क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥ १ ॥

एकवशभवा भूषा. कुलजा बहुवोऽपि वा ।

धृ गारधीरसान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते ॥ २ ॥

अगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वा नाटकसन्धयः ।

इतिहासोद्भव वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम् ॥ ३ ॥

जैसे तथा पाश्चात्य महाकाव्यों में अन्तरः

भारतीय महाकाव्यों में पाश्चात्य महाकाव्यों से अधिक है। वे कुछ बातों में भिन्न हैं, जिनका कारण अपनी-अपनी संस्कृति है।

उनकी दृष्टि में उभरता महाकाव्य को 'जिनालकाव्य' एवं विस्तृत माना है। दोनों में कथावस्तु का आधार इतिहास अथवा 'लोक प्रसिद्ध आख्यायिका' है। दोनों में धीमे-धीमे युग युग नायक माना जाता है। दोनों ज्ञान होते हैं। दोनों में जीवन की गहनतम अभिव्यक्ति दिखलाई जाती है। दोनों ही शायद ही कभी भी वास्तविक तथ्यों में अन्तर है। यथा - भारतीय काव्य में 'रम' एवं अनिवायं तन्व है किन्तु पाश्चात्य महाकाव्यों में इसके जीवन का व्यापन, सम्बन्धनात्मक चित्रण अनिवायं है। भारतीय महाकाव्य निष्पत्ति होते हुए भी लोचपरक होते हैं किन्तु पाश्चात्य काव्य स्पष्ट ही 'जातिपरक' होते हैं। भारतीय महाकाव्यों में आदर्श की रक्षा है, किन्तु पाश्चात्य महाकाव्यों में 'यथार्थ' की। भारतीय महाकाव्यों के लक्षण में प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है, किन्तु पाश्चात्य महाकाव्यों के लक्षणों में इसकी चर्चा तक नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त भारतीय महाकाव्यों में साहस्यगर्भ प्रधान रहता है पर पाश्चात्य महाकाव्यों में 'अन्तःसर्प' प्रधान रहता है।

भारतीय एवं पाश्चात्य महाकाव्यों के लक्षणों के आलोचन के पश्चात् महाकाव्यों के लक्षणों की आवश्यकता प्रतीत होती है। अधिराज विद्वान् से महाकाव्य के निम्नलिखित ८ तत्त्व मानने हैं -

- १) महदुद्देश्य, महतोप्रेरणा और महती काव्यप्रतिभा।
- २) गुरुत्व, गाम्भीर्य और महत्व।
- ३) महत्वकायं और युग जीवन का सम्पूर्ण चित्रण।
- ४) सुसंगठित जीवनत तथ्यान्त।
- ५) इतिहास प्रसिद्ध या श्रेष्ठ कुलीन नायक एवं अन्य पात्र।
- ६) गरिमामयी उदात्त नीति।

एवरफ्लोम्बो' ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The Epic (दि इपिक) में लिखा है कोई रचना बड़े आकार में ही नहीं, शैली से महाकाव्य बनती है। महाकाव्य चित्त शैली वही कहलाती है, जिसमें कविकल्पना एवं विचारधारा का उदात्त विद्यमान हो। इसमें एक स्पष्ट और प्रतीकात्मक उद्देश्य होता है, महाकाव्य की गति का आदि में अन्त तक संचालन करता है।

पाश्चात्य विद्वानों की महाकाव्यीय परिभाषाओं में 'वाल्टेयर' की परिभाषाएक एवं समीचीन मानी जाती है। इन्होंने महाकाव्य में गरिमामयी पद को प्रधानता दी है। इनकी दृष्टि से महाकाव्य वास्तु लक्षणों एवं रुढ़ियों आधारित नहीं होगा, वह समाज की स्वीकृति पर आधारित होता है।

समन्वित रूप

पाश्चात्य विद्वानों की महाकाव्यविषयक परिभाषाओं का समन्वित रूप ३ प्रकार है :—

'महाकाव्य' पञ्चवद बहु विस्तृत प्रबन्ध काव्य है, जिसमें गरिमामयी उदात्त भाषाशैली के माध्यम से इतिहास प्रसिद्ध या लोकप्रसिद्ध महती जीवन कथा एवं उदात्त भावों एवं विचारों, युगमस्मृति के पोषकत्वों, जातीय चित्तवृत्तियों तथा विशिष्ट चरित्रों के साथ सगौतात्मक चित्रण किया जाता है।

मक्षेप में पाश्चात्य महाकाव्यों में निम्नलिखित तत्त्व पाये जाते हैं —

१- रोचक एवं विस्तृत एवं समष्टित कथावस्तु, जो इतिहास प्रसिद्ध या लोकप्रसिद्ध होती है।

२- इसमें जातीय भावनाओं एवं राष्ट्रीय आदर्शों का प्रतिपादन होता है।

३- इसमें महत्त्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध विराग प्रदर्शित किया जाता है।

४- इसमें मृत्यु-कथावस्तु यथार्थ एवं गंभीर होती है।

५- महाकाव्य युगोत्पत्ति का प्रतिबिम्ब होता है।

६- इसमें उदात्त विचारों एवं भावों के साथ बौर एवं विशिष्ट पात्रों के महत्त्वपूर्ण जीवन का अन्त किया जाता है।

७- सगौतात्मकता एवं पद्यबद्धता के साथ उदात्त भाषाशैली का प्रयोग किया जाता है।

एक नया साः साध्य महाकाव्यीय लक्षणों में अन्तरः

भारतीय महाकाव्य-रचनाओं में एक विशेषता महाकाव्य-रचनाओं में अधिकांश लक्षणों का अभाव है, इसका कारण अपनी-अपनी संस्कृति है।

एक ही दृष्टि में उत्तरदा महाकाव्य को 'दिग्गज' एवं विस्तृत माना जाता है। दोनों में कदाचित् का अभाव इतिहास अथवा 'श्लोक प्रसिद्ध भाष्यान्त' का अभाव है। दोनों में शैलीगत रूप-रूप नायक माना जाता है। दोनों में अन्तर होते हैं। दोनों में शैलीगत - अन्तर प्रकटित, दिग्गजों की जाती है। अन्तर्गत होने लगे भी इतिहास लक्ष्यों में अन्तर है। यथा - भारतीय महाकाव्यों में 'रम' एवं अनिवायं गन्त है किन्तु पाश्चात्य महाकाव्यों में इसके अन्तर्गत जीवन का व्यापार, सम्प्रेदनात्मक चित्रण अनिवायं है। भारतीय महाकाव्य निष्पत्ति होने हुए भी श्लोकपरक होते हैं किन्तु पाश्चात्य महाकाव्य श्लोकों में 'जातिपरक' होते हैं। भारतीय महाकाव्यों में आदर्श की कमी रहती है, किन्तु पाश्चात्य महाकाव्यों में 'यथार्थ' की। भारतीय महाकाव्यों में लक्षण में प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है, किन्तु पाश्चात्य महाकाव्यों के लक्षणों में दृश्यों चर्चा तक नहीं की गयी। इसने अन्तर्गत भारतीय महाकाव्यों में आत्ममर्षण प्रधान रहता है पर पाश्चात्य महाकाव्यों में 'अन्त मर्षण' प्रधान रहता है।

भारतीय एवं पाश्चात्य महाकाव्यीय लक्षणों के आलोचन के पश्चात् महाकाव्य के स्वर्गीय लक्षणों की आवश्यकता प्रतीत होती है। अधिकांश विद्वान् महाकाव्य में महाकाव्य के निम्नलिखित ८ लक्षण मानते हैं -

- (१) महदुर्दय, महतीप्रेरणा और महती वाक्यप्रतिभा।
- (२) गुरुत्व, गाम्भीर्य और महत्व।
- (३) महत्त्वकायं और युग जीवन का सम्पूर्ण चित्रण।
- (४) सुमगटित जीवन्त बर्णनक।
- (५) इतिहास प्रसिद्ध या श्रेष्ठ कृतीन नायक एवं अन्य पात्र।
- (६) गरिमामयी उदात्त शैली।

विन्तु रूप में पाये जाते हैं, पर सण्डकाव्य में सक्षिप्त एवं संकुचित रहते हैं
कथावस्तु

सण्डकाव्य की कथावस्तु में जीवन की किसी एक घटना, एक परिस्थिति या किसी एक प्रसंग का वर्णन किया जाता है और इसमें प्रासंगिक कथाश्री का भी आधिक्य नहीं होता। जो प्रासंगिक कथायें आती भी हैं, वे मूलकथा से अनिर्णय सम्पृक्त रहती हैं। कहो-कही तो इन्हें स्थान ही नहीं दिया जाता। मुक्त कथावस्तु अन्यन्त चुटकीली, चुम्न एवं प्रभावशील होती है, वह महाकाव्य की कथा की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं सुसंगठित होती है। कथावस्तु इतिहास मूलक या लोक प्रसिद्धि मूलक होती है, किन्तु इसमें अधिक मोड़ नहीं होते।

पात्र तथा चरित्र-चित्रण

'सण्डकाव्य' में अत्यावश्यक सीमित पात्र रहते हैं। प्रायः इनकी संख्या ५ या ७ तक होती है। इनका चरित्र-चित्रण पूरी तरह सम्भव नहीं हो पाता, किन्तु चरित्रों की सक्षिप्त रूप रेखायें अवश्य अंकित की जाती हैं। इन रूप रेखाओं में मनोवैज्ञानिकता, सजीवता, स्वाभाविकता आदि गुणों का ध्यान रखा जाता है।

सम्वाद

'सण्डकाव्य' के सम्वाद सक्षिप्त, मारगभित, पाशानुकूल, चुस्त, स्वाभाविक मूल एवं प्रभावपूर्ण होते हैं। इनमें मनोवैज्ञानिकता और परिस्थिति का ध्यान रचना आवश्यक होता है। इसके अनिर्दिष्ट ऐसे सम्वादों की सृष्टि की जाती है, जिनमें नाटकीयता के साथ ही कथानक को गति देने की क्षमता हो।

संशकाल तथा वातावरण

'सण्डकाव्य' में इनके लिये अधिक स्थानना नहीं रहती, किन्तु कवि अवसर निहालकर कुछ पक्तियों में इनका संकेत कर देता है, कभी-कभी पाशों के माध्यम से ही इनकी व्यञ्जना कर देता है।

रसभाव

'सण्डकाव्य' में एक रस का ही परिपाक होता है, अन्य रसों की गिनती

सम्भव नहीं है। हाँ इतना अवश्य है कि कवि अनेक भावों का प्रदर्शन करना चलता है। प्रायः वीर, शृंगार एवं करुण रस के खण्डकाव्य सफल होते हैं।

उद्देश्य

‘खण्डकाव्य’ का उद्देश्य उदात्त मानवीय मन्वेदनाओं का प्रकाशन होता है। भारतीय दृष्टि से पाठको को आनन्द की अनुभूति करना उद्देश्य होता है। कवि जीवन के एक खण्ड की मार्मिक शांकी प्रस्तुत करके पाठको को आकृष्ट करता है। इतना अवश्य है कि महाकाव्य जैसी गुरुता इसके उद्देश्य में नहीं होती।

भाषाशैली

‘खण्डकाव्य’ की भाषा में भी गुरुत्व एवं गाम्भीर्य आवश्यक है। उसमें ध्वन्यात्मकता एवं लाक्षणिकता से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। सरलता, सजीवता, कलात्मकता, सगीतात्मकता आदि गुण इसमें भी होने चाहिए। खण्डकाव्य में प्रायः एक ही प्रकार का छन्द प्रयुक्त होता है। यदि कई सयें हुए तो प्रसंगानुकूल छन्द भी परिवर्तित हो जाता है।

परिभाषा

‘खण्डकाव्य’ की परिभाषा भी एक समस्या है, किन्तु उसके तत्वों एवं उसकी विशेषताओं के आधार पर इसका रूप इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है—

“‘खण्डकाव्य’ वह वर्णनप्रधान प्रथम्यकाव्य है, जिसमें जीवन की किसी एक घटना, परिस्थिति या प्रसंग का चित्रण करने के लिए किसी इतिहास प्रसिद्ध या लोकप्रसिद्ध व्यक्ति को आधार बनाकर तीव्र प्रभावान्विति एवं रस व्यञ्जना का आश्रय लेकर गरिमामयी उदात्त शैली का प्रयोग किया जाता है।”

यह परिभाषा हिन्दी के सभी खण्डकाव्यों में घटित हो सकती है। मिट्ठराज, यशोधरा पञ्चवटी, नहुष, तुलसीदास आदि खण्डकाव्य इस तथ्य के प्रमाण ले जा सकते हैं।

एकार्थकाव्य

यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने प्रबन्धशास्त्र के दो ही भेद स्वीकार किये हैं—

... एव संश्लिष्ट एव चतुर्णाम् अन्तर्गतं तेषां विन्दी
 ... एव विन्दी विन्दी ही जा सकती है। उन्में कसायम्मु मक्षिप्त
 ... ही शीरप्रभावपूर्ण होती है। दो चार पात्रों में अन्ति पात्रों के लिए
 ... नहीं रहता। उन्में देखा एव सुन्दरता है वन्ति ही न्यून वेगामे उभर
 ... है शीरपात्रों पर बोर्ड विन्दी नती प्रदर्शित किया जाता। मन्वाद भी
 ... ही शीरपात्रों पर ही, शिन्नु शयंत नती। शातावर्ण का विशेष नाममात्र
 ... ही शीरपात्रों पर ही प्रभाववाग्गिता की वृद्धि के लिए कुछ पक्तियों
 ... शातावर्ण का विशेष कर देता है। जैमें राम की शक्तिपूजा में निराला
 ... शातावर्ण का ही शातावर्ण का विशेष किया है। उन्में विन्दी एव मुख्य रस
 ... प्रभाव किया जाता है और उन्में गद्गली भाव भी अन्तिमक्षिप्त रूप में
 ... ल रहती है। उन्में लेखन में लेखन लक्ष्य ही और तीव्रता में बढता है, अत
 ... ही मायाशरीर अन्त्यत प्रभावशील पम्पित एव उदात्त होती है।

विन्दी में 'उद्धव गतक' 'राम की शक्तिपूजा' 'पन्थि एव किमान' (गुप्तजी)
 'ही रचनाय है।

भाषा

उत्कृष्ट विवेचन के आधार पर 'एकार्थवाच्य' की परिभाषा इस प्रकार की
 ... है—“एकार्थवाच्य वह मक्षिप्ततम प्रबन्धवाच्य है, जिनमें जीवन के
 ... प्रभावपूर्ण लघुतम अथ ही तीव्रतम कल्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए कवि
 ... शक्ति, एवधेयता एव मौलिकता का आश्रय लेता है।”

एकार्थवाच्य के निम्नलिखित तत्त्व माने जा सकते हैं—

१. मक्षिप्ततम, कथावस्तु = अल्पतम पात्र २. राम-भाव ४ भाषाशैली
 विशेष ।

मुक्तककाव्य

मुक्तककाव्य पूर्वापर प्रमग में रहित गड-अनुभूतियों का काव्य कहलाता है। मुच्यते इति 'मुक्तकम्' इम व्याख्या में भी इसकी पुष्टि होती है। इसमें एक तथ्य, वस्तु या परिस्थिति का एक ही छन्द—दोहा, गवैया, सोरठा, गीत आदि में सीमित पक्तियों में चित्रण होता है। मुक्तक स्वयं में पूर्ण होता है उगकी गण्ड अनुभूति में ही उमरा गवैस्व होना है। यह लघु आकार में अर्थात् गाम्भीर्य से पूर्ण रहता है और तीव्र प्रभावकारी होता है।

मुक्तक की रचना में उगी परि को सफलता मिलती है, जो बौद्धिक होकर 'भावप्रवण' हो और गण्ड-अनुभवों को पूर्ण बनाकर उनके चित्रण करने का अभ्यासी हो। कविवर बिहारी के दोहे इसी हेतु लोकप्रिय हैं। दीनदयाल की अन्योक्तियाँ, गिरधर की कुण्डलियाँ इसी गुण के कारण लोक और समाज में प्रिय हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 'गागर में सागर भरने' की क्षमता जिस कवि में होनी है, उगी सरस एवं भावुक कवि के मुक्तक लोकप्रिय हो पाते हैं, अन्यथा नहीं। इस मरसता की दृष्टि के लिए मुक्तककार को जीवन की विविध-शालियों के विम्ब प्रस्तुत करने के लिए तदनुकूल भाषा शैली का आश्रय लेना पड़ता है। यदि उगमें समाहार शक्ति न हुई, तब भी सफलता मिलने में सन्देह ही जाता है। इन सब के मूल में कवि की व्यक्तिगत अनुभूति का भी बड़ा महत्व होता है। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि की अपेक्षा कवि की दृष्टि सूक्ष्म होती है। वह किसी स्थिति का सूक्ष्म आकलन करने में चित्रकार की भाँति जागरूक रहता है। जो कवि मुक्तक में विम्बग्रहण नहीं प्रस्तुत कर पाता, उसके मुक्तक कभी प्रभावशील नहीं बन पाते।

मुक्तककार में उद्भावना शक्ति के चमत्कार का होना भी आवश्यक है। इस शक्ति के बिना मुक्तक में तीव्र प्रभावकारिता का गुण नहीं आ पाता। इसी प्रकार उक्तिवैचित्र्य, वाग्विदग्धता, सगीतात्मकता, भाषा सौन्दर्य, स्वाभाविक अलङ्कृति और स्पष्टता मुक्तक की आवश्यक विशेषतायें हैं। मुक्तक रचना पाठ्य और गेय दो प्रकार के होते हैं, जो पाठ्य होते हैं, जैसे दोहा, आदि उन्हें भी गुणगुनाया जा सकता है, किन्तु आजकल ऐसे पाठ्य

...साम्राज्य मूलक कवि की व्यक्तिगत गुणदुःख्यात्मक अनुभूतियों से
 बंधे होते हैं। 'आत्मनिर्दिष्टता' इन मुक्तकों का अनिवार्य तत्व है। यथा-
 १ के पद, महादेवी कर्मा के गीत, गुडगी की विनयप्रवृत्ति के पद आदि।
 इन एवं रागात्मकता के कारण ऐसे मूलक विनयप्रधान मुक्तकों की अपेक्षा
 का प्रभावकारी होते हैं। इन श्रेणी में गीतों अथवा गीतियों का महत्वपूर्ण
 त है, जिन्हें 'प्रगीतमुक्तक' भी कहते हैं।

इसकी परिभाषा

"मुक्तक पूर्वापरप्रयोग रहित वह सक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण रचना है, जिसमें
 एक छन्द के माध्यम में किसी तीव्र अनुभूति को काव्योचित उपकरणों के
 माध्यम से व्यक्त करना है।" (स्वरचित)

गीतकाव्य

'मुक्तकाव्य' के अन्तर्गत 'गीतकाव्य' को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है,
 किंतु इसकी तुलना में पाठ्यमुक्तक उतने प्रभावशील नहीं होते।

रूप

गीतकाव्य में कवि अपने व्यक्तिगत गुणदुःख की तीव्रतम अनुभूति को
 व्यक्त करने के मगीत प्रधान कोमल शब्दावली को चुनता है। इसमें सरमता,
 कोमलता, रागात्मकता, लाघव, मार्मिकता और वैयक्तिकता के गुण विशेषतः
 होते हैं। गीतकाव्य कवि के हृदय का स्पन्दन है, इसमें बड़ा प्रेम-बल्लह, वेदना,
 दर्द-विषाद आदि का चित्रण करता है। इसकी रचना करने के लिए कवि

वाच्यजगत् का मनो अन्तःकरण में से जाकर इसे भावपूर्ण बनाता है गीत के रूप में उगरी भावमाभिध्वरता अगन्त गगना होती है। वह गन्त गाधना के साथ स्वर गाधना भी करता है। महादेवी बर्मा के अनुसार—

“गुणदुःख की भावावेगमयी प्राग्ग्या विशेष की गिनेचुने शब्दों में विनि-
कर देना ही गीत है। गीत यदि दूगरे का इतिहास न कहकर वैयक्तिक गुण
दुःख ध्वनित कर सके तो उगरी गामिरता गुणदुःख की यन्तु बन जाती है
इसमें सन्देह नहीं।”

परिभाषा

भारतीय एव पाश्चात्य विद्वानों ने गीत या प्रगीत की अनेक परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं—

१ “मन में जब एक वेगवान् अनुभव का उदय होना है, तब कवि उसे गीतिकाव्य में प्रकाशित किये बिना नहीं रह सके।” (रवीन्द्रनाथ टैगोर)

२ “गाधारण्य गीत व्यक्तिगत मीमा में तीव्र गुणदुःखात्मक अनुभूति का वह सन्दरूप है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके।” (महादेवी बर्मा)

३ “गीत वाच्य या प्रगीत कवि की वह निजी गुण-दुःखमयी तीव्र संक-
ल्पात्मक भावानुभूति का कोमल सद्भावली में सक्षिप्त सण्ड उच्छ्वास है, जो ध्वन्यात्मकता में गेय एव सगीतात्मक होता है।” (स्कटिक)

४ “गीतिकाव्य कवि की व्यक्तिगत मार्मिक अनुभूति का वह प्रभावपूर्ण सगीतात्मक प्रकाशन है, जिसमें प्रेपणीयता, घनत्व, लाघव स्पष्टता एवं ध्वन्या-
त्मकता के गुणों का समुचित समावेश हो।” (डॉ० कृष्णदत्त अवस्थी)

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रमुरा परिभाषायें इस प्रकार हैं—

१ “सच्चा गीत वही है, जो भावात्मक विचार का भाषा में स्वाभाविक विस्फोट हो।” (अर्नेस्ट राइस)

२. गीतिकाव्य वह अन्तर्वृत्ति निरूपिणी कविता है, जो वैयक्तिक अनु-
भूति से पोषित होती है, जिसका सम्बन्ध घटनाओं से नहीं, अपितु भावनाओं से होता है तथा जो किसी समाज की परिष्कृत अवस्था में निर्मित होती है।”
(गोमर)

लिकाव्य की विशेषतायें

१ मगीतात्मकता २ वैयक्तिकता ३ भावप्रवणता ४ महज अन्त प्रेरणा
 ५ रागात्मकता ६ पूर्वपर सम्बन्ध सूचना ७ गतिप्लता ८ सामिकता ९
 भाविक भावाभिव्यक्ति १० प्रवाहमयी शैली ११ सरलबोमलवान्तपदा-
 गे १२ समाहित प्रभाव ।

लिकाव्य के लक्ष्य

१ मगीतात्मकता २ तीव्रभावानुभूति ३ आत्मभिव्यक्ति ४ रागात्मक
 कति ५ प्रवाहमयी शैली ६ महज अन्त प्रेरणा ।

संगीतात्मकता—गीत का महजरूप उसकी संगीतात्मकता है । इससे उसकी
 किन्तुना में वृद्धि होती है । मगीतात्मकता के लिए दाम्प्रीयता का पालन
 कर नहीं, इसमें नाद सौन्दर्य की आवश्यकता होती है । यह नाद सौन्दर्य
 अलग सदाबली, वर्णमयी आदि द्वारा माध्य शब्द मगीत का जनक होता
 गीत में हमें आन्तरिक संगीत की महन्ता है ।

तीव्रभावानुभूति—काव्यमात्र के लिए 'भावप्राधान्य' आवश्यक है, किन्तु
 में कवि की तीव्रतम सुखात्मक या दुःखात्मक अनुभूति ही मुख्य होती है ।
 ही भाव गीत की प्रतिपत्ति में अनुस्यूत रहता है । यह अन्विति गीत की
 कालिना में वृद्धि करती है ।

प्रारम्भभिव्यक्ति—'वैयक्तिकता' से ही गीत में तीव्र प्रभावकारिता आती है ।
 ही आत्मनन्व भी कहते हैं । जब कवि के हृदय में आना-निराणा, हर्ष-

विषाद, सुग-सुग आदि मनोवेगों का प्रसार तीव्रगति से उमड़ता है, तब उसे व्यक्त करने के लिए विरल हो जाता है। यह आत्मभिन्नता विरली होती है, गीत उतना ही रोमरू, रमात्मक एवं साह्यलगाता है।

रागात्मक अन्विति—रवि के मन में जो मूकभाव अपनी रागात्मकता को लेकर प्रथम, विरली में व्यक्त होता है, अगली परिचयों में उगी वा विरल व्यक्त होता है। इस प्रकार गीत में आदि में अन्त तक एक ही मनीराग रहता है। यह गीत के लिए अन्वयव्यक्त है।

प्रवाहमयी शैली—शैली के माध्यम में ही गीत में प्रेयणीयता आती अन्त, शैली में प्रवाह आसक्त होता है। इस हेतु रवि को सुन्दर एवं बे मन्दी का चयन करना पड़ता है। पर किन्तु में माधुर्य का ध्यान रहना। शैली है। स्वाभाविक अन्वय, मूर्तिचय, ध्वन्यात्मकता एवं साहित्य आदि रागात्मक रचनाओं को प्राप्तगात् तब उगी अभिव्यक्ति कभी पड़ती

सहज अन्त, प्रेरणा—गीत में सहज अन्त पूर्ण प्राप्तगात् होती है। शैली कल्पना द्वारा माध्यम नहीं होता। इसी का नाम 'साहित्य' है। तब मायेस के रूप में वह साहित्य चयन नहीं होती, तब तक गीत चयन।

परिशिष्ट

प्रश्नावली

- १-‘साहित्य’ किसे कहते हैं ? इसकी प्रेरक शक्तियों एवं उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिये ।
- २-साहित्य का समाज के साथ सम्बन्ध बतलाते हुए, ‘साहित्यिक सत्य’ की सीमाएँ कीजिये ।
- ३-‘कला’ की परिभाषा देने हुए ललित कलाओं में ‘काव्यकला’ का सर्वोच्च स्थान सिद्ध कीजिये ।
- ४-‘ललित कलाएँ मानसिक दृष्टि में मौन्द्य का प्रत्यक्षीकरण हैं ।’ इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिये ।
- ५-‘कला कला के लिए’ एवं ‘कला जीवन के लिए’ इन सिद्धान्तों के स्वरूप पर विचार कीजिये ।
- ६-क्या ‘काव्य’ और ‘विज्ञान’ बस्तुतः परस्पर विरोधी हैं ? युक्तियुक्त उत्तर दीजिये ।
- ७-‘काव्य के सत्य’ और ‘विज्ञान के सत्य’ का अन्तर बतलाकर दोनों की मूलभूत एकता का प्रतिपादन कीजिये ।
- ८-‘काव्यात्मा’ के सम्बन्ध में भारतीय आचार्यों के मतों की समीक्षा कीजिये ।
- ९-‘अलंकार-सम्प्रदाय’ का परिचय दीजिये और काव्य में अलंकारों का स्थान निर्धारित कीजिये ।
- १०-‘वक्रोक्ति’ और ‘अभिव्यजनावाद’ के साम्य-वैषम्य पर विस्तृत प्रवृत्तियाँ ढालिये ।
- ११-‘रसनिष्पत्ति’ के सम्बन्ध में प्राचीन एवं आधुनिक विद्वानों के मतों की समीक्षा कीजिये ।
- १२-‘साधारणीकरण’ का क्या तात्पर्य है ? काव्य के दृष्टि से स्पष्ट कीजिये ।

- १३—शब्द शक्तियों का सक्षिप्त परिचय दीर्घमें और काव्य में इनकी महत्ता प्रतिपादित कीजिये ।
- १४—'लक्षणा' शक्ति का सांगोपाग परिचय देकर ध्वजना के साथ इसका सम्बन्ध बतलाइये ।
- १५—'व्यंजना' के स्वरूप एवं उसके प्रकारों पर एक विस्तृत लेख लिखिये ।
- १६—भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की काव्य परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए काव्य की एक 'समन्वित-परिभाषा' लिखिये ।
- १७—भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत 'काव्यतत्त्व' कौन-कौन हैं ? दोनों का परिचय देकर समन्वय स्थापित कीजिये ।
- १८—काव्य तत्त्वों का परिचय देने हुए भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई काव्य परिभाषाओं की समीक्षा कीजिये ।
- १९—काव्य में 'कल्पना' के महत्त्व पर विस्तृत विचार कीजिये ।
- २०—'शैली' किसे कहते हैं ? इसके विभिन्न रूपों का परिचय देने हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिये ।
- २१—'कोचे' के 'अभिव्यक्त्यावाद' का सक्षिप्त परिचय देने हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिये ।
- २२—'अस्तू' के 'अनुकरण-मिद्धान' का परिचय देने हुए इसकी गुण-दोषों पर प्रकाश डालिये ।
- २३—'विरोधन-मिद्धान' (कैपागिग) का विस्तृत परिचय दीर्घमें और इसके गुण-दोषों पर प्रकाश डालिये ।
- २४—'पेटो' के 'काव्य-मिद्धान' विषय पर सक्षिप्त प्रकाश डालिये ।
- २५—'रिचर्ड्स' के 'मनोवैज्ञानिक विरोधनवाद' की व्याख्या कीजिये और इसके दोषों पर विचार प्रकट कीजिये ।
- एम० इलियट' की काव्यपरिभाषाओं का आलोचनात्मक परिचय दीर्घमें ।
 भारतीय दृष्टि में काव्य का वर्गीकरण कीजिये और 'दुराकाव्य' की महत्ता पर प्रकाश डालिये ।
- २६—'नाटक-तत्त्व' के सम्बन्ध में प्राक् एवं पाश्चात्य विचारधाराओं का परि-

रूप दीजिये ।

- २१-‘एकशी’ के शब्दों का परिचय दीजिये और नाटक तथा एकाकी के अन्तर को स्पष्ट कीजिये ।
- २०-‘दण्ड्याय’ किसे कहते हैं ? इसके शब्दों पर प्रकाश डालिये और बहामी के साथ इसकी तुलना कीजिये ।
- २१-‘निबन्ध’ के स्वरूप का परिचय देने हुए उगकी विशेषताओं एवं प्रकारों का परिचय दीजिये ।
- २२-‘साहित्य’ में आत्मं तथा यथार्थ की सीमाएँ निर्धारित कीजिये और दोनों के अन्तर को स्पष्ट कीजिये ।
- २३-‘आलोचना’ की महत्ता बतलाने हुए उसके विविध भेदों का परिचय दीजिये ।
- २४-‘आलोचना’ किसे कहते हैं ? उत्तम आलोचन के गुणों पर प्रकाश डालिये ।
- २५-‘जीवनी’ और ‘सम्मरण’ का परिचय दीजिये और दोनों का अन्तर स्पष्ट कीजिये ।
- २६-रेखाचित्र और सम्मरण का तुलनात्मक परिचय देने हुए दोनों के साम्य एवं वैयम्य पर प्रकाश डालिये ।
- २७-हिन्दी गद्य की नूतन विधाओं में से किन्हीं दो का परिचय दीजिये ।
- २८-‘गद्यकाव्य’ का परिचय दीजिये और ‘भावात्मक निबन्ध’ के साथ इसकी तुलना कीजिये ।
- २९-‘दृष्टरव्यू’ और ‘सिधोत्तजि’ के स्वरूपों पर प्रकाश डालिये ।
- ३०-सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—(क) गीतकाव्य (ख) महाकाव्य (ग) खडकाव्य (घ) आत्मकथा (ङ) औचित्य सम्प्रदाय (च) दण्ड्याय (छ) अभिव्यञ्जनावाद (ज) रीति सम्प्रदाय (झ) रमनिष्पत्ति (झ) वक्रांति सम्प्रदाय ।

